(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम विधान सभा के तृतीय सत्र का 36 वां दिवस [संख्या 27

मंगलवार
दिनांक 4 अप्रेल, 1978

विधान सभा की बैठक म. पु. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री उमरावसिंह गूजर

सवाई माधोपुर जिले में आपातकाल में हुए अपराध

694. **श्री उमरावसिंह गूजर** (महुआ): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल के दौरान सवाई माधोपुर जिले में कितनी चोरियां, कितने कत्ल, कितनी डकैती और अन्य अपराध हुए ? इन अपराधों में जिले की पुलिस कितनी कामयाब रही ?

(2) आपातकाल के बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन अपराधों में वृद्धि हुई या कमी ?

गृह मन्त्री (श्री सम्पत राम): (1) आपातकाल के दौरान दिनांक 1-7-75 से 30-6-77 तक जिला सवाई माधोपुर में चोरी के 995 केस, कत्ल के 56 मुकदमात, डकैती के 28 अपराध व दीगर मुकदमात 5,311 दर्ज हुए थे। उनमें जो-जो कार्यवाही की गई उनकी सुची संलग्न है।

(2) कमी हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, क्या गृह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जनता सरकार में बढ़े हैं या कम हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दे दिया है। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं दिनांक 1-7-75 से 28-2-76 तक 20 कत्ल, 10 डकैती, 292 चोरियां। दिनांक 1-7-76 से 28-2-77 तक 21 कत्ल, 5 डकैती, 305 चोरियां। दिनांक 1-7-77 से 28-2-78 तक 14 कत्ल, 3 डकैती, 334 चोरियां हुई हैं। इस प्रकार से जनता सरकार आने के बाद से अपराधों में कमी हुई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : ये जनता सरकार के समय के फिगर हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सही है कि जनता सरकार के आने के बाद सारे राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ी है ?

श्री सम्पतराम : उत्तर दे दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने एक जिले का बताया है। आपका जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने पूरे राजस्थान का बताया है। आप जांच कराइये।

श्री सम्पतराम : सरकार की ओर से पूरी सूचना दी जाती है। जो सूचना आती है, उसी के अनुसार उत्तर दिया जाता है। अलग से सूचना देने का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस राज में मर्डर्स, रेप और डकैतियां जितनी होती थीं, उनकी अपेक्षा जनता राज में कोई कमी आई है ? यदि हां, तो वे आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री सम्पतराम : सारा का सारा विवरण इस रिपोर्ट में है। कोशिश यही की जा रही है कि यह कम हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जिला सवाई माधोपुर में डकैतियों के 10 केसेज बताये हैं तो यह बताने की कृपा करें कि कुछ ऐसी भी डकैतियां हुई हैं, जिनका पुलिस ने अपने लेखा-जोखा में कोई उल्लेख नहीं किया है ?

श्री सम्पतराम : यह उस जमाने का सवाल है, जब न मैं गृह मन्त्री था और न जनता सरकार ही थी। इसलिए जवाब देना कठिन है। लेकिन आम तौर से ऐसा होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री श्रवणलाल !

राजकीय प्रवास भवन में कार्यरत कर्मचारी

695. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं रहने वाले स्वीपर परिवार के लिए स्नान एवं लेट्रीन जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? कब तक व्यवस्था करा दी जायगी ?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : कर्मचारियों एवं स्वीपर के लिए स्नान एवं लेट्रीन की व्यवस्था है।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह व्यवस्था किस जगह पर है ?

श्री महबूब अली : 38 नम्बर का कमरा है, उसमें इसकी व्यवस्था है।

श्री श्रवणलाल : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, 38 नम्बर के कमरे से लेट्रीन और बाथरूम जुड़े हुए हैं. उसमें जो हरिजन कर्मचारी हैं उनको रखा जाता है ?

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : जो स्वीपर हैं, उनके लिए यह पर्याप्त है ?

श्री महबूब अली : गणपतराम हरिजन कर्मचारी है। वह हमेशा से ही 38 नम्बर के कमरे में रहता है। उसकी लेट्रीन और

Page No 3

(3)

(श्री महबूब अली)
बाथरूम का वह 1931 से उपयोग करता आ रहा है। उसकी व्यवस्था उसके अन्दर है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमरे के अन्दर लेट्रीन होगी, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है, उस एक हरिजन के अलावा जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वह सभी उसको काम में लेते हैं। आप कह रहे हैं कि उसके अलावा व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कमरे का यह हाल है कि किसी ऑफिसर के आते ही खाली रहने के कारण उसको दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह या तो जंगल में जायें या बाहर जावें। एक स्वीपर है, जिसको मकान दिया हुआ है। क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि उस स्वीपर के अलावा अन्य सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से व्यवस्था की जावे?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कमरा नम्बर 38 जो है, उसके पास लेट्रीन है। उस लेट्रीन का उपयोग तो जो पुलिस चौकी गवर्नमेन्ट होस्टल की है, उसके पुलिस कर्मचारी भी करते हैं। कभी भी सफाई कर्मचारियों को उपयोग में नहीं लेने दी जाती है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जो उपलब्ध सूचना है, उसके अनुसार उसके अपने घर, परिवार के लोग उसका उपयोग करते है। हो सकता है जो सिपाही रहते हैं वह भी उपयोग करते हों। लेकिन उनको मना नहीं किया गया है। वह हमेशा से उपयोग करते आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री शंकरलाल !

पाली जिले के बानियावास बांध का कमाण्ड एरिया

696. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के बानियावास बांध का कमाण्ड बढ़ाने व रेल्वे लाइन की पटरी के नीचे के पुलिया से गांव बानियावास, पुडासला, खुर्द, लाम्बिया और निम्बला खोड़ा की भूमि पर पुरानी नहर को पुनः चालू करने का मामला सिंचाई विभाग के विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि इस बाबत सर्वे भी लिया गया है और सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट इस मार्ग के अनुकूल प्रेषित हुई है? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जावेगा?

सिचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार कुछ खारच एवं उनके मडवाल

Page No 4

(५)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
क्षेत्र को डी-कमाण्ड कर लगभग इतने ही अतिरिक्त क्षेत्र को डी-कमाण्ड में शामिल किया जाना सम्भव है । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : यह निर्णय कब तक ले लेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की यह नीति है, जितनी जल्दी से जल्दी जितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना सम्भव हो, वह की जाये । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इसके बारे में दो साल से चिन्तन चल रहा है । जनता पार्टी की सरकार को आए हुए 8 महीने हो गए हैं । पहले से बानियावास बांध बना हुआ है, वहां ड्रेनेज है, पानी जाने का रास्ता है फिर चालू न करने के क्या कारण हैं ? यह पहले से बना हुआ है । दरबार के समय से बना हुआ है । राजा-महाराजाओं के समय से बना हुआ है । फिर चालू न करने का क्या कारण है ? देरी क्यों कर रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य की व्याकुलता को जानता हूं । हमने जानकारी की है । आपका पत्र आया था । हम अविलम्ब कार्यवाही करेंगे ।

श्री खंगारसिंह (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उन्होंने साफ आर्डर दिया था ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर थोड़ी सी जमीन ऊंची नीची है । उसकी वजह से कठिनाई आ रही है । उसको शीघ्र ही ठीक करवा दिया जायगा ।

श्री खंगारसिंह : नहीं साहब, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय को सब जानकारी है । शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री खंगारसिंह : नहीं साहब, हम धरती पर हल चलाने वाले हैं । यह सही नहीं कह सकते, काश्तकार हम हैं । हाथ से हल चलाने वाले को क्या डिफिकल्टी होती है, यह हम जानते हैं । अगर यह बता दें कि नालों का पानी किधर जाएगा तो मैं गुलाम बन जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है वह सही है या सही नहीं है ?

श्री खंगारसिंह : गलत सूचना दी है । वह चालू करना नहीं चाहते ।

प्रश्न संख्या 697

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री अचलाराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

(व्यवधान)

पर्याप्त है. मन्त्री महोदय ।

नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री कौशलकिशोर जैन : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

Page No 5

(5)

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, श्रीमान् ।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई अधिकार पत्र नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : आपके पास विशेषाधिकार है, श्रीमान ।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने विशेषाधिकार का उपयोग करना उचित नहीं समझता ।

श्री हरजीराम बुरड़क !

श्री मूलचन्द डागा : किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जनता पार्टी ने ...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : 697 का जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री हरजीराम बुरड़क !

डीडवाना से खियाला जिला नागौर बस चलाने हेतु परमिट का मामला

698. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना से रोल वाया बासनी पालोट, रताऊ, सिलनबाद, खियाला, जिला नागौर के लिए बस चलाने के लिए अनुमति चाहने के लिए आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, ता कब, किस के द्वारा और अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर डाइरेक्टर ट्रान्सपोर्ट कार्यालय द्वारा सर्वे करके सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी ? यदि हां, तो कब और उक्त रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? और नहीं, तो क्यों ?

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है तथा इस मार्ग पर परमिट देना चाहती है या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जी हां, दिनांक 31-3-77 को श्री रूपनाथ चौधरी ने एक प्रार्थना-पत्र इस मार्ग के सर्वेक्षण करवाने हेतु दिया था । मार्ग का सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

(2) जी हां, इस प्रार्थना-पत्र को मार्ग का सर्वेक्षण करवाने हेतु दिनांक 31-3-77 को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को अग्रेषित किया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) मार्ग सर्वेक्षण के पश्चात् सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी जोधपुर द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर मार्ग का परमिट देने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि सर्वेक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया उसके बाद अब तक क्या कार्यवाही की गई ? दूसरी बात, सर्वेक्षण करने के बाद परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? यह बताने की कृपा करें ।

Page No 6

(6)

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सर्वे का कार्य जल्दी ही पूरा करा लिया जायेगा और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आठ महीने हो गये हैं, कहीं कागज का भी पता नहीं है। मन्त्री महोदय यह तो बतायें कि किस स्टेज पर कागज है और राज्य सरकार की क्या नीति है? कागज कहां है? जो प्रार्थना-पत्र भेजा था वह भी रुकवा दिया, जो डिमाण्ड थी उसका भी पता नहीं है।

श्री शंकरलाल : कागज रद्दी की टोकरी में गया होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती सुमित्रासिंह !

राजस्थान फायर सर्विस के स्थायीकरण का मामला

699. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य में राजस्थान फायर सर्विस, जो जुलाई 1965 से नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रही है, अस्थाई है? यदि हां, तो इसको 13 वर्ष के बाद भी स्थाई नहीं बनाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि फायर सर्विस के कर्मचारी बहुत दुखी हैं? क्या यह भी सही है कि 10 साल से ऊपर तक सर्विस में कार्य करने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी बिना पेन्शन ही बैठे हैं? यदि हां, तो अग्निकांड में कार्यरत किसी कर्मचारी के प्राण चले जायं तो उसके लिए सर्विस से क्या सहायता दिये जाने का प्रावधान है?

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) हां। नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत अग्नि शमन सेवा अस्थाई है क्योंकि फायर सर्विस बिल राज्य सरकार के विचाराधीन है। अग्नि शमन सेवा पुनर्गठन का मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान पदों को स्थाई करने के प्रस्ताव अलग से सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) पैरा एक में दर्शाये गये प्रकरण के निर्णयोपरान्त ही अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण संभव होगा और अग्नि काण्ड में प्रभावित कर्मचारियों को सहायता दिये जाने के मामलों पर विचार किया जायगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने बताया कि 13 वर्ष से अग्नि शमन सेवा अस्थाई है और इसका बिल राज्य सरकार के विचाराधीन है। कितने ही लोग फायर सर्विस में मर जाते हैं। यह मामला कब तक आपके विचाराधीन रहेगा? यह और बतायें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिन्ता सही है, यह इतने वर्षों से पड़ा हुआ मामला है इस पर निर्णय हो जाना चाहिये था। किन कारणों से नहीं हो सका, इसके लिए मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। वर्तमान सरकार भी इसके उत्तरदायित्व से बरी नहीं है। मैं समझता हूं

(श्री सम्पतराम)
अब राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस पर फैसला करेगी।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोई समय की अवधि तो बता दें।

श्री सम्पतराम : स्पेसिफिकली तो मैं अभी नहीं बता सकूंगा। मैं यही कह सकूंगा कि जल्दी से जल्दी विचार करके निर्णय लिया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें निर्णय लेने में आपको कितना समय लगेगा ? श्रीमान, आप भी मानते हैं कि इसमें निर्णय लेना जरूरी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, फिक्सेशन के केसेज काफी अर्से से पेण्डिंग हैं, वे कब तक तय कर दिये जायेंगे ? उनको वर्दियां भी टाइम पर नहीं दी जा रहीं हैं। यह क्यों नहीं मिलती ? दो-तीन साल से नहीं मिल रही हैं। इसकी कब तक व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र अति शीघ्र व्यवस्था हो जायगी।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जगदीश चन्द्र शर्मा !

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा खरीदी गई टेबलेट्स

700. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सन् 1976-77 में कितने मूल्य की कुल कितनी टेबलेट्स खरीदी गई और उनका क्या उपयोग किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि टेबलेट्स की खरीद में गड़बड़ी हुई है किन्तु विभाग द्वारा अभी तक किसी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि 130 प्रकार की टेबलेट्स हैं और इतने ही प्रभारी इसकी खरीद करते हैं। इतने अल्प समय में इसकी सूचना नहीं आ सकी है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

नैक्स्ट ! श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी सैशन में इसका जवाब आ जाना चाहिए। स्थिति यह है कि जो टेबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिये थी उनको रिटर्न किया गया और फिर उन्हीं को सप्लाई किया गया। ऐसी दवाइयां राजस्थान भर में लोगों को खाने पीने के लिए दी जा रही हैं। मन्त्री महोदय, केवल इतना तो बता दें कि इसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आपको लिखित रूप में जानकारी दे दें, ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

मनोहरथाना के गांवों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे

701. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मनोहरथाना निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 25 गांवों का ही विद्युतीकरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक किया जा सकेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बंध में सर्वे कराने के लिए कोई आदेश दे रही है ?

(3) जिले के समस्त क्षेत्रों में समान रूप से विद्युतीकरण किया जा सके इसके लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) मनोहरथाना क्षेत्र के अन्य ग्रामों में कब तक बिजली दी जा-सकेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। मनोहरथाना निर्वाचन क्षेत्र में 28 ग्राम विद्युतीकृत हैं। जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के लिए झालावाड़ में 132 के. वी. सब-स्टेशन बनने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(2) 132 के. वी. सब-स्टेशन स्थापित होने से पहले सर्वे कराने से स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों के मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में मण्डल को आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सक्षम ट्रान्समीशन लाइनों के प्रसार के बाद ही इस प्रश्न पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(4) अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : विद्युत मन्त्री ने गत सत्र में आश्वासन दिया था कि 132 के वी. लाइन जल्दी से जल्दी इन गांवों में लगाकर बिजली के कनेक्शन्स दिये जायेंगे क्या यह सही है ?

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : 132 के. वी. लाइन कितने सालों में लग जाएगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 132 के. वी. लाइन लगाने का काम प्रारम्भ हो चुका है। मोडक तक तुरन्त पहुंच जाएगी व झालावाड़ के गांवों तक 1978-79 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मोडक टेल पर है....

(व्यवधान)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जब कोटा में मन्त्रि मण्डल की बैठक हुई थी, मन्त्रि-मण्डल ने इस बात का निर्णय लिया था और इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर मध्यप्रदेश में 132 के. वी. लाइन है तो सीमावर्ती गांवों में पहले प्राथमिकता के हिसाब से वहां सर्वे कराया जायगा। मध्य प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित किया

(श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा)
जाएगा और जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां जल्दी से जल्दी दी जावेगी। इस दिशा में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल से सम्पर्क स्थापित किया है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मन्त्री महोदय ने फर्माया है कि 1979 तक 132 के. वी. लाइन लगाई जाएगी। मेरा निवेदन है कि क्या इस बीच में 1979 तक जो गांव आधे-आधे या एक-एक फर्लांग पर हैं, उन गांवों में 132 के. वी. लाइन के लिए वेट किए बिना बिजली दे सकेंगे या नहीं ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : राजस्थान के जैसलमेर एवं फलोदी तहसील के एक भी गांव में बिजली नहीं लगी है, अतः पहले उन स्थानों में बिजली लगाई जाय न कि जिस तहसील में पहले से लगी है उस क्षेत्र में फिर लगाई जाये।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उन्होंने तो 132 के. वी. के लिए कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक स्थानों पर विद्युतीकरण हो जाए इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। बजट प्रावधानों के अनुसार जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, जहां-जहां सम्भव होगा निकट से 11 के. वी. या 33 के. वी. लाइन के आधार पर व बजट प्रावधानों के आधार पर विद्युतीकरण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नवलराय बच्चाणी !

होम्योपैथिक डॉक्टरों को मैडिकल प्रेक्टिस करने की अनुमति का मामला

702. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि होम्योपैथिक सैन्ट्रल कौंसिल एक्ट, 1973 राज्य में भी लागू है ?

(2) यदि हां, तो क्या उसकी धारा 26 के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों में पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टरों को राजस्थान में पंजीकृत कर चिकित्सा करने की अनुमति दी जाती है ?

(3) यदि हां, तो ऐसे पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टरों के नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं उनको अनुमति दी जाती है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री त्रिलोकचंद जैन): (1) दिनांक 1-8-74 से होम्योपैथिक केन्द्रीय सैन्ट्रल कौंसिल एक्ट, 1973 आंशिक रूप से लागू है।

(2) धारा 26 (2) के तहत अनुमति देने का प्रावधान है परन्तु यह धारा अभी लागू नहीं हुई है।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

(3) उक्त धारा के तहत चिकित्सा करने की अनुमति दी गई है उनके नाम निम्न प्रकार से हैं:---

1. डॉ. प्रमिला छावड़ा
2. डॉ. एच. एन. कपूर
3. डॉ. प्रेम शर्मा
4. डॉ. गंगाप्रसाद यादव
5. डॉ. कुमुदनी शर्मा
6. डॉ. ओमप्रकाश शर्मा
7. डॉ. अनुरुद्ध चौबे

(4) धारा 26 (2) यद्यपि लागू नहीं है तो भी डॉक्टर धारा 15 की उप-धारा (2) में वर्णित अधिकारों का उपभोग करने का पात्र है।

श्री नवलराय बछवाणी : मुझे प्रश्न खण्ड (3) में चाही हुई सूची नहीं मिली है। दूसरे, कुछ डॉक्टर राजस्थान से बाहर रजिस्टर्ड हैं जहां उनको अनुमति मिली हुई है। 5 महीने हो गए उनको आवेदन किए हुए अभी तक उनको अनुमति नहीं मिली है जैसे डूंगरमल, किशन बाधवानी इन लोगों को भी अनुमति प्रदान करें।

श्री कौशल किशोर जैन : आपने जो उत्तर दिया है कि आंशिक रूप से लागू है तो होम्योपैथिक सैन्ट्रल कौंसिल एक्ट, 1973 की कौन-कौन सी धारायें लागू की हैं ?

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : भविष्य में अलग से होम्योपैथी व यूनानी उपचार के लिए डाइरेक्टोरेट स्थापित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : झालरापाटन नगर में जो होम्योपैथी अस्पताल है उसके अन्दर डॉक्टर है वह 13 साल से राजकीय सेवा में है लेकिन अभी उसको रजिस्टर नहीं किया गया। बार बार मैंने कहा है कि उसको रजिस्टर किया जाए, परन्तु आपाधापी है। अभी तक मामला अधरझूल में पड़ा हुआ है।

श्री त्रिलोकचंद जैन : माननीय सदस्य ने पूछा है सूची के लिए तो मैंने उत्तर में नाम पढ़ दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : सूची पढ़कर सुना दीजिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जो आंशिक रूप से धारा लागू है, वह इस तरह है :—

(1) 1-8-74 से उक्त अधिनिमम के अध्याय 1, धारा 12 और अध्याय 5 के उपबंध सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे।

(2) 1-8-74 से उक्त अधिनियम की धारा 3 से 11 व धारा 13 से 15 और उप-बंध सभी राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा को छोड़कर) चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ शासित क्षेत्रों में लागू होंगे।

जिन डॉक्टरों के नाम रजिस्टर नहीं हुए हैं उनके नाम मुझे बतायेंगे और नियमों में यदि आते हैं तो उनको अवश्य रजिस्टर किया जायेगा।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह प्रश्न सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री आर. डी. यादव !

राजस्थान में समाचार पत्रों एवं एजेन्सियों के सम्वाददाता

703. श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में दैनिक समाचार पत्रों एवं समाचार एजेन्सियों के कितने संवाददाता हैं ?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समाचारों के संकलन के सरकारी व गैर सरकारी क्या साधन हैं ? दैनिक समाचार पत्रों एवं समाचार समिति के ग्रामीण अंचल में कितने संवाददाता समाचार संकलन का कार्य कर रहे हैं ?

(3) आमेर तहसील में दैनिक समाचार पत्रों एवं समाचार समिति के कितने संवाददाता हैं और समाचार पत्रों एवं समाचार समिति की ओर से उनको क्या सुविधाएं मुहैया की जाती हैं ?

(4) आपातकाल में 'समाचार' के गठन के बाद चौमू क्षेत्र से कितने संवाददाता हटाए गए ? ग्रामीण संवाददाताओं की किसके इशारे पर पुनर्नियुक्ति नहीं की गई ?

(5) क्या राज्य सरकार ग्रामीण संवाददाताओं को सुविधाएं मुहैया करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो सरकारी सुविधाओं को कब तक मुहैया किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन राजस्थान में दैनिक समाचार पत्रों के 87 एवं समाचार समितियों के 13 संवाददाता हैं।

(2) ग्रामीण समाचार संकलन का कार्य जिला जन सम्पर्क अधिकारी यथासंभव करता है। प्रश्न का शेष भाग राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(3) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(4) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(5) वर्तमान में ग्रामीण संवाददाताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अधिस्वीकरण समिति नियमों का अध्ययन कर रही है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में मन्त्रीजी ने कहा कि राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। चौमू क्षेत्र में कितने संवाददाता थे, उनमें से कितनों की पुनर्नियुक्ति नहीं की ? इस बारे में जिलाधीश, जयपुर से जानकारी ली जाकर जवाब दिया जा सकता था। चौमू क्षेत्र में कितने संवाददाताओं को पुनर्नियुक्ति दी गई, कितनों को हटाया गया ? कृपया स्पष्ट जवाब दें।

श्री महबूब अली : मैंने स्पष्ट कहा है कि संवाददाताओं को नियुक्त करना राज्य सरकार का काम नहीं है। जो समाचार-पत्र होते हैं वे अपने स्वयं के संवाददाता रखते हैं, राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : बड़े समाचार-पत्र व छोटे समाचार-पत्रों को सुविधायें देने में क्या कोई अन्तर है ?

श्री कौशलकिशोर जैन : आपातकाल के कारण जिन लोगों को हटाया गया है, ऐसे अनेक लोगों को आपने रखा है, हो सकता है कि उनकी नियुक्ति में सरकार का हाथ न हो लेकिन आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होने व नवीनीकरण में सरकार का हाथ है।

श्री महबूब अली : अधिस्वीकरण समिति बनी है, उसके नियम बने हुए हैं, उनके तहत अधिस्वीकरण किया जाता है। वह समिति सारे नियमों का अध्ययन कर रही है। वह इसके अन्दर कोई परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव रखेगी तो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : जो साप्ताहिक व मासिक पत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। क्या आप उनको ऐसे साधन उपलब्ध करायेंगे जिनसे वे अच्छी तरह से काम कर सकें ?

श्री शंकर लाल : क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार एजेंसियों का अभाव होने से कई समाचार नहीं आ पाते हैं ? क्या जनता पार्टी सरकार, जो ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देती है, समाचार संकलन करने की एजेन्सी मुकर्रर करने का विचार रखती है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपातकाल के दौरान छोटे समाचार पत्रों पर जो ज्यादतियां हुई, उनके अधिकारों का हनन हुआ, क्या इस समिति के द्वारा उनको ध्यान में रखा जाएगा ?

श्री ईश्वरचन्द्र : जो राजस्थान समाचार समिति थी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री महबूब अली : यह प्रश्न आप अलग से पूछ लें तो जवाब दे दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, लगातार एक प्रश्न पर कई सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे जाने पर भी एक भी प्रश्न का मंत्री महोदय जवाब नहीं देते हैं। मंत्री महोदय जवाब दे दें कम से कम इसकी व्यवस्था तो करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी।

जयपुर में राष्ट्रीय संस्थान नाम की संस्था

704. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)**: क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में राष्ट्रीय संस्थान नाम से एक संस्था केन्द्रीय सरकार ने राज्य

(श्री दाऊ दयाल जोशी)
सरकार के सहयोग से स्थापित की है? यदि हां, तो कब? इसकी रूपरेखा क्या है?

(2) इस संस्थान का बजट कितना है? इसकी विधि सम्मत स्थिति क्या है? इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं? इसकी स्थापना संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इसकी वर्तमान व भावी योजनायें क्या हैं?

आयुर्वेद मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी मेरे पास पूरी नहीं आ सकी है इसलिये मैंने इस प्रश्न की पूरी जानकारी मंगाई है। आप चाहें तो इस प्रश्न को कल ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

नेक्स्ट प्रश्न। श्री बन्शीलाल सारस्वत!

नागौर और जोधपुर के लिए लिफ्ट कैनाल राजस्थान नहर परियोजना की क्रियान्विति सम्बन्धित मामला

705. श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार नागौर और जोधपुर जिला के लिये प्रस्तावित लिफ्ट कैनाल राजस्थान नहर परियोजना को क्रियान्वित करना चाहती है?

(2) क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई हाई पावर कमेटी नियुक्त कर इसकी व्यवहारिकता के बारे में विचार कर रही है?

(3) क्या इज्राइल या अन्य ऐसा देश, जिसने लिफ्ट कैनाल में विशेष कार्यक्रम अपनाया है, के विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना चाहती है?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री केदारनाथ): (1) जहां तक नागौर जिले का सवाल है इसके लिये कोई भी लिफ्ट कैनाल प्रस्तावित नहीं है। जोधपुर जिले के लिये प्रस्तावित फलौदी लिफ्ट कैनाल व पोकरण लिफ्ट कैनाल राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री बन्शीलाल सारस्वत: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार नागौर को लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अन्तर्गत समाविष्ट करने का प्रावधान था?

श्री केदारनाथ: अध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की जो इन्टरिम रिपोर्ट, 1974 में आयी थी उसमें चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, पोकरण के नाम थे।

श्री अब्दुल अजीज: अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि जब नेशनल

Page No 14

(१५)

(श्री अब्दुल अजीज) कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की इन्टरिम रिपोर्ट में नागौर का नाम था तो बाद में नागौर का नाम क्यों हटा दिया गया।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल को पूरा करने में वित्त, तकनीकी, विद्युत तथा श्रम, सीमेन्ट की कमी के कारण मेन कैनाल की प्रगति धीरे हो रही है ? मेरा निवेदन यह है कि दूसरी छोटी योजनाओं को न लेकर पहले राजस्थान कैनाल की जो मेन कैनाल है उसे ही पूरा किया जाय ताकि उसकी प्रगति जल्दी हो सके। क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक करके पूछें। पहले एक सप्लीमेन्ट्री का जवाब आने दें तब दूसरा पूरक प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से खड़ा हूं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने लिफ्ट कैनाल स्कीम को लागू करने का इरादा छोड़ दिया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार चम्बल के पानी को अजमेर में लाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने राजस्थान लिफ्ट सिचाई योजना को एप्रूव किया था, उसके परिणाम स्वरूप कई जगह पर सर्वे भी किया गया ? अध्यक्ष महोदय, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र कोलायत में राज्य सरकार ने सर्वे कराया और लाखों रुपये खर्च कर दिये। वहां पर कार्य भी शुरू कर दिया था, स्कीम बन चुकी थी पर अब सुना है कि लिफ्ट कैनाल इरिगेशन की स्कीम को रद्द किया जा रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इज्राइल में लिफ्ट कैनाल इरिगेशन की स्कीम्स को लागू किया। और उससे आज इज्राइल, जो एक रेगिस्तान था, हरा भरा हो गया है। मैं मुख्य मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाकर वहां ऑन दी स्पोट स्टडी करें ताकि आपको उसके फायदे नजर आयें।......

(व्यवधान)

वहां पर पूरी तरह इस योजना को लागू करके खेती भी की गई है। पाश्चर लैण्ड भी है। आप लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को हमारे कोलायत में लागू करिये वह चाहे कितनी मंहगी क्यों नहीं हो जनता उसका खर्चा वहन कर लेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले एक प्रश्न का ही उत्तर आने दें।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने यह पूछा, है कि क्या लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में नागौर का नाम है या नहीं, तो मेरा निवेदन यह है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो इन्टरिम रिपोर्ट सन् 74 में दी थी उसमें नागौर का नाम था ।

श्री किशनसिंह भाटी : श्री नाथूराम मिर्धा की वजह से ।

श्री केदारनाथ : उसके बाद में वाटर एण्ड पावर डवलपमेन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेज ने जो रिपोर्ट दी उसमें लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए नागौर का नाम प्रस्तावित नहीं था । तीसरी जो स्टेट गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान में दी कमेटी फॉर डाइरेक्शन कंवरसेन की अध्यक्षता में बनी थी उसने नागौर का नाम अपनी रिकमन्डेशन में मेन्शन नहीं किया । उसके बाद में पिछली कांग्रेस सरकार ने भी अपनी केबिनेट में जो डिसीजन लिया उसमें भी नागौर का नाम लिफ्ट कैनाल इरिगेशन में नहीं रखा ।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का मामला कन्सीडर करने लगी तब ....

(व्यवधान)

नागौर का नाम उसमें कन्सीडर किया गया या नहीं किया गया ? यह बता दें ।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । जब नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट दी थी तब नागौर का नाम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स में था । इसके कारण लाखों रुपये राज्य सरकार के सर्वे वगैरह करने में खर्च हो गये । बाद में आप कहते हैं कि नागौर का नाम नहीं है । यह कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री अब्दुल अजीज : अगर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने नागौर का नाम प्रस्तावित किया था और बाद में दूसरी कमेटीज ने नागौर का नाम हटा दिया तो क्या अब राज्य सरकार दुबारा उस पर विचार करके सर्वे करा कर काम शुरू कराने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि इसमें नागौर जिले का नाम नहीं है या नागौर का ही नाम नहीं है ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आपसे क्या छिपा है । आप हमसे क्या पूछते हैं । आपको तो मालूम ही है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपसे इसलिये पूछ रहा हूं कि आप अभी उधर कुर्सी पर विराजमान हैं । आप इधर आ जावें और आपकी जगह हमें बैठा दो, हम आपको जवाब दे देंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सारी बात क्या है उसकी तो मैं पूरी तरह से अभी जानकारी करके आया नहीं हूं। लेकिन यहां पर जैसा कि माननीय सदस्य, श्री हरजीराम बुरड़क ने कहा, नागौर जिले का नाम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में था और राज्य सरकार ने वहां पर सर्वे करा कर लाखों रुपये खर्च किये इसके बारे में हकीकत रूप से तो पूरा नहीं कह सकता हूं जहां तक मेरी जानकारी की बात है नागौर जिले का नाम भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिये रिजेक्ट कर दिया था ......

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये। अध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की इन्टरिम रिपोर्ट, सन् 1974 में आयी उसमें नागौर का नाम था लेकिन उसके बाद में वाटर एण्ड पावर डवलपमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेज ने जो रिपोर्ट दी और उसके बाद दी कमेटी फोर डाइरेक्शन, जो कि कंवरसेन की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने बनायी थी, की रिकमन्डेशन में नागौर का नाम नहीं था उसके बाद में जाते-जाते राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने अपनी केबीनेट मीटिंग में भी नागौर का नाम रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में यहां पर एक प्रश्न के ऊपर आश्वासन दिया गया। इसके बारे में और भी देखा जाये तो प्लानिंग कमीशन के मेम्बर श्री शिवारमन को यहां पर बुलाया गया था और उनके साथ में हमारे केन्द्रीय सरकार के जो इरिगेशन सेक्रेटरी थे उनको भी बुलाया गया। सारी सिचुएशन को पूरी तरह से स्टडी करके बाद में सोचा गया कि संबंधित एरिया के माननीय सदस्यों को भी बुला लिया जाय और गवर्नमेंट भी अपने रिप्रेजेन्टटिव्ज भेज दे और पूरा डिस्कशन हो जावे। पर किसी कारण वश इरिगेशन सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया आ. नहीं सके इसलिये इस पर डिसीजन नहीं हो सका। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि इसके लिये कोई पूर्वाग्रह के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जायेगा। यह मैं आश्वासन सदन में देना चाहूंगा।

जहां तक कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में जो कहा कि मैं जाकर ऑन दी स्पोट स्टडी इज्राइल की जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं उनकी करू तो उसके लिये तो मेरा यही निवेदन है कि आप भारत सरकार को यह निवेदन कर दें कि वह मुझे इज्राइल ऑन दी स्पोट स्टडी करने को भेज दें।

श्री मथुरादास माथुर : आपको इजाजत देता है सदन कि आप कहीं जाय लेकिन इस शर्त पर कि आप जाकर वापस आ जावेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : राजस्थान कैनाल को किसी प्रकार से पूरा कराया जाय और जो स्कीम्स जिस पर्पज के लिये हैं उस पर्पज से ही उनको पूरा कराया जाय। उस समय जो पोलिटिकल डिसीजन नाथूरामजी ने करवाया और उसके बाद उसको रिवर्स करके जो हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ है, केबीनेट ने भी जो डिसीजन लिया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं उसको कायम रखा जाना चाहिये। किसी भी प्रकार से उस के डिसीजन में हेर-फेर...

(व्यवधान)

नहीं की जावेगी इसके लिये आश्वस्त कराया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : फोबिया हो गया है। राजस्थान नहर मम्मी व लिफ्ट्स उसकी बच्चियां हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : पहले मम्मी आनी चाहिये बाद में बेबीज।

श्री मथुरादास माथुर : नागौर लिफ्ट इरिगेशन की समस्या सरकार के विचाराधीन है, क्या मैं यह समझूं ? आपने उत्तर देने के बाद में हमको भी दावत दी थी और एक्सपर्ट को बुलाया था। इसलिये भी क्या यह समझें कि नागौर लिफ्ट इरिगेशन की योजना और दूसरी इरिगेशन की योजना, एग्रीकल्चर कमीशन ने जिस पर विचार किया था, सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री किशनसिंह भाटी : That has already been rejected.

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न का उत्तर ही यह आना चाहिये था कि यह मामला विचाराधीन है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय मंत्री महोदय ने अभी फर्माया है कि नागौर के प्रश्न पर मैरिट के आधार पर विचार किया जावेगा....

श्री किशनसिंह भाटी : तीन बार रिजेक्ट हुआ है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : बनास और चम्बल की योजना पर विचार किया जायेगा ? वह पैन्डिंग क्यों है अभी तक ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : बनास की योजना पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एक एक करोड़ रुपया खर्च हो जाय, उसको लेकर बैठ जायें और शुरू न करें यह कहां का न्याय है। उस योजना से जयपुर, टौंक, अजमेर, ब्यावर को पानी मिलना है।

श्री अध्यक्ष : अलग से पूछ सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय कि उस पर विचार किया जावेगा या नहीं ?

श्री केदारनाथ : मैं यह कह सकता हूं कि नागौर और बाड़मेर लिफ्ट इरिगेशन की योजना में नहीं है। ड्रिंकिग वाटर का जहां तक सवाल है उस पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : Non-commital.

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहम्मद जहूर।

कामां क्षेत्र में आये वर्ष आने वाली बाढ़ की रोकथाम की योजना

706. **श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में आये वर्ष आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के सामने कोई स्थाई योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो इस योजना पर कितना धन खर्च होगा और इस पर कब से अमल होने लगेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : भरतपुर जिले में कामां क्षेत्र में बाढ़ का पानी निकालने के लिए एक अन्तर्राज्यीय योजना उजीना-कामां-पहाड़ी गोवर्धन ड्रेन बनी हुई हैं। तीनों राज्यों में इन ड्रेनों के रिमांडलिंग के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् प्राक्कलन बनाये जावेंगे तभी इस योजना की लागत आंकी जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री मोहम्मद जहूर : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ? कब तक फैसला हो जावेगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 6 तारीख को बैठक होनी है। इस विषय में राज्य सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो और कामां पहाड़ी क्षेत्र को बचाया जाय ?

श्री मोहम्मद जहूर : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कामां क्षेत्र पानी से भरा हुआ है, उसकी समस्या बनी हुई है। कब तक यह स्थिति बनी रहेगी और कब इससे छुटकारा मिलेगा ?

प्रश्न संख्या 501

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री श्योपतसिंह मकासर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
श्री मावजी भाई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 1978)

जयसमंद के पास गेम सैन्च्यूरी और चरनोट की जमीन

518. श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमंद के पास गेम सेन्च्युरी बनी हुई है और उसके पास चरनोट की जमीन है ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन में मवेशियों को चरने क्यों नहीं दिया जाता है ?

(2) क्या गेम सैन्च्युरी से आदिवासियों को सूखी लकड़ी और सूखा घास लाने से भी रोका जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गेम सैन्च्युरी विकास, जो चरनोट की जमीन है, उसे सरपंच, विकास अधिकारी व प्रधान, पंचायत समिति-सराड़ा द्वारा अलॉट की गई है और वहां पक्के मकान बना दिए गए हैं ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन क्यों अलॉट की गई है ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री लालचन्द) : (1) यह सही है कि जयसमन्द के पास गेम सैन्च्युरी बनी हुई हैं। उसके पास राजस्व रिकार्ड के अनुसार चरनोट भूमि नहीं है वन भूमि है।

(2) गेम सैन्च्युरी के वन खण्ड (मेनीयोल एवं घूनीवाल) से वन बन्दोबस्त के अनुसार आदिवासियों को सूखी लकड़ी एवं सूखी घास लेने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाती है।

(श्री लालचन्द)

(3) गेम सैन्चुरी के पास चरागाह भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नहीं है। अलबत्ता उसके बाहर भूमि है वह वन विभाग वन खण्ड मेनियाल के नाम से दर्ज है। उस भूमि में पक्के मकान बने हुये नहीं हैं। केवल उक्त भूमि में पुरानी आबादी के खण्डहर मौजूद हैं। उक्त भूमि में पंचायत गातोड़ द्वारा सन् 1975 में आवासीय भू-खण्ड आवंटन के अभियान के समय 198 आवासीय भू-खण्ड निःशुल्क आवंटन करके पट्टे दिए गए हैं।

श्री मावजी भाई : क्या मकान बनाने की छूट दी जावेगी ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या यह सही है कि जो पट्टे जमीन के दिए गए थे उन जमीनों पर वन विभाग मकान बनाने की इजाजत नहीं दे रहा है ?

श्री लालचन्द : वन विभाग ने इस पर पट्टे देने की कोई इजाजत नहीं दी थी। यह सही है कि पंचायत ने यह पट्टे देते वक्त जिलाधीश से मंजूरी नहीं ली थी और वन विभाग ने भी मंजूरी नहीं दी थी।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : वह पट्टे दिये और पंचायत विभाग ने दिये। जब लोगों को रहने के लिये जगह नहीं है तो क्या आप इसकी मंजूरी देंगे ?

श्री लालचन्द : इस पर विचार किया जावेगा।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): इस प्रकार से जहां भी आदिवासियों ने नाजायज कब्जे कर लिये हैं उनको रेगुलेराइज कर देना चाहिये। श्री गणपतलालजी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उस समय ऐसे आदेश हो चुके थे। फिर इसको भी क्यों नहीं रेगुलेराइज किया गया ? आप इसकी जानकारी करेंगे तो पता लगेगा।

श्री जीयिंग (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक अभियान के दौरान में वन विभाग की चरागाह की यह जमीन उपलब्ध की गयी थी और उस पर भूमि आबादी के लिये आवंटन किया। पट्टे नहीं दिये हैं और न ही कोई मकान बनाने की इजाजत दी है क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई जानकारी दे सकती है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या यह सही है कि राजस्थान में भिन्न भिन्न जगहों पर गैम सेन्चुरी के पास प्रभावशाली लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर आ गया है।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): आदिवासियों की कितनी आबादी है और कितने कच्चे मकान हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दो प्रश्न उठाये। पिछली सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान चला कर जिन आदिवासियों के पास भूखण्ड नहीं हैं उनको भूखण्ड दिये, इस ओर सरकार का माननीय सदस्यों ने ध्यान-आकर्षित किया। यह बात सही है कि भूखंड आवंटित किये गये हैं लेकिन उससे पहले उस भूमि का परिवर्तन होना आवश्यक था। ऐसे मामलों में जहां परिवर्तन नहीं हुआ है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जानकारी करके सरकार सारे प्रश्न पर विचार करेगी जिससे आदिवासियों के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न न हो।

श्री मदनसिंह दांता : यह आपने सही फर्माया।

एक माननीय सदस्य : पट्टे नहीं दिये इसलिये उनको लोन भी नहीं दिया जा रहा है। सीमेन्ट भी नहीं मिलता। पट्टा दिया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-78)

लखूवाली पीलीबंगा सड़क में अवाप्त भूमि का मुआवजा

525. **श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लखूवाली-पीलीबंगा सड़क में भूतपूर्व जागीरदारों की भूमि अवाप्त की जाकर मुआवजे में चक 45 एस. टी. जी की भूमि दी गई। अगर हां, तो किन किन भूतपूर्व जागीरदारों को कितनी कितनी भूमि मुआवजे में दी गई? सूची सदन की मेज पर पूर्ण ब्यौरे सहित रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त 45 एस. टी. जी. में मुआवजे में दी गई भूमि पर कब्जा आज उन्हीं जागीरदारों का है या किसी अन्य व्यक्ति का है? उनका नाम बतलाने की कृपा करें और उनका कब्जा किस हैसियत से है? क्या उस पर कोई निर्माण कार्य भी हुआ है? अगर हुआ है तो किस किस्म का क्या निर्माण कार्य हुआ है?

उपनिवेशन मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) यह सही है कि लखूवाली-पीलीबंगा सड़क में 9 भूतपूर्व जागीरदारों की भूमि अवाप्त की गई थी। सूची संलग्न है। अवाप्त भूमि के मुआवजे में चक 45 एस. टी. जी. की भूमि दिया जाना सही नहीं है।

(2) मुआवजे में भूमि चक 45 एस. टी. जी. में नहीं दी गई है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री हरचन्दसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 4 आर. पी. एम. में जो भूमि तबादले में दी गई उस पर राजस्थान सरकार के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह, उनके भाई बीरबल, उनके भाई मनीराम की स्वर्गीय माता की छतरी बनी हुई है?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री हरचन्दसिंह : क्या वह सारी की सारी भूमि के मालिक हैं?

श्री केदारनाथ : अभी तक यह सारी जमीन उनकी काश्त के नीचे है।

श्री हरचन्द सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, क्या राज्य सरकार इस घोटाले की जांच कराने के लिए तैयार है?

श्री केदारनाथ : जिन जागीरदारों की भूमि लखूवाली-पीलीबंगा सड़क के अन्दर अवाप्त की गई थी उन्हें चक नं 4 आर. पी. एम. तहसील सूरतगढ़ में मुआवजे के

(श्री केदारनाथ)
रूप में भूमि दी गई। जो भूमि चक 4 आर. पी. एम. की तबादले में दी गई है उस पर इस समय भूतपूर्व जागीरदारों का कब्जा नहीं है। उक्त रकबा भूतपूर्व जागीरदारों से श्री अमीलाल पुत्र बीरबल 207 हिस्सा रामस्वरूप पुत्र बीरबल जाट बेनीवाल 298 हिस्सा जरिये इन्तकाल नं. 15, 16 खरीद किया गया है। मुताबिक रिकार्ड श्री अमीलाल और रामस्वरूप ही उक्त भूमि पर काबिज हैं। उक्त रकबे में से किला नं. 21 का 19 बिस्वा में एक छतरी बनी हुई है। यह छतरी श्री मनी राम, मनफूलसिंह एवं बीरबलसिंह की माताजी की है। यह आधा बीघा रकबा श्री मनीराम वगैरह ने श्री अमीलाल पुत्र बीरबल राम से 1 500) रुपये में खरीद लिया है।

अब यह जमीन फिक्टिशस नाम से है, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, तो जानकारी कर लेंगे।

श्री हरचन्दसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूमि जिन व्यक्तियों के नाम पर तबादले में बताई गई है वह राजस्थान के निवासी नहीं हैं। बहुत बड़े लेण्डलार्ड हैं और हरियाणा के निवासी हैं। बीरबल, मनफूलसिंह के छोटे भाई के साले के लड़के हैं। मनफूलसिंह और बीरबल ने इस जमीन को अपने कब्जे में बेनामी रूप से रखा है। वह जमीन छतरी के लिए खरीदना बताया है। हमने एलीगेशन दिया उस समय उन्होंने बेनामी ट्रान्जेक्शन इस भूमि का दिखाया। बात यह है कि इस जमीन का तबादला बीरबल ने भूतपूर्व जागीरदारों की हैसियत से उनके नाम पर करवाया फिर इस भूमि का बेयनामा अपने साले के लड़के के नाम से करवाया। इतना बड़ा घोटाला है जिसमें राज्य सरकार को 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्या इसकी जांच कराने के लिए माननीय मन्त्री महोदय तैयार हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या यह बीरबल वही हैं जिनके भाई राज्य सरकार में राज्य मंत्री थे?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री हरचन्द सिंह : यह बेनामी ट्रान्जेक्शन है या नहीं, इसकी जांच सरकार करायेगी?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ने जो जानकारी मन्त्री महोदय को दी है उस जानकारी के अनुसार क्या मन्त्री महोदय जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे? दरियाफ्त नहीं करेंगे?

श्री केदारनाथ : मैंने निवेदन किया है कि उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : जानकारी मिलने के बाद अब क्या करेंगे?

श्री केदारनाथ : जांच करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : जाँच के गलत साबित होने पर आप क्या करेंगे?

श्री केदारनाथ : बिना जांच करवाये कैसे कहा जा सकता है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूंगा। मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि भूतपूर्व मन्त्री के भाई द्वारा उनके परिवार के नाम से इस तरह का घोटाला हो तो मन्त्री महोदय उस पर

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
एक्शन लेंगे ? इस बात की घोषणा करने में क्यों कतराते हैं कि कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री केदारनाथ: इसमें घोटाला नहीं है। प्रश्न यह है कि भूतपूर्व जागीरदारों को जमीन अवाप्ति में मिली। वह जमीन उन्होंने ले ली। उस पर उनकी माता की छतरी बनी हुई है। वह जमीन आज भी वाश्त होती है इसलिए यह ट्रान्जेक्शन बेनामी है या नहीं, यह बात मैं बिना जांच के कैसे कह सकता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अगर जांच हो जाये और गलत बात साबित हो जाये तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जांच करायेंगे।

नेक्स्ट।

श्री हरचन्दसिंह : जिस जमीन को तब्दील में लाया गया है यह टिलर ऑफ दी लैण्ड की भूमि थी। उसको सामान्य कृषि भूमि में तब्दील नहीं किया गया था लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण, क्योंकि उस समय श्री मनफूलसिंह जी उपनिवेशन मन्त्री थे इसलिए इस भूमि का तबादला उस जगह किया गया। इतने बड़े घोटाले में राज्य सरकार को 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्या यह मसला राज्य सरकार बेरी आयोग के सामने पेश करने के लिए तैयार है या खुद जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री केदारनाथ : यह जमीन एक्सचेन्ज में दी जा सकती थी या नहीं, यह प्रश्न जांच का है। इसकी जांच कर लेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस केस को बेरी कमीशन के सामने पेश करेंगे या नहीं ? यह स्पेसिफिक पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है। बेरी कमीशन के सामने कैसे जा सकता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन के सामने माननीय सदस्य यदि देना चाहें तो वह स्वतंत्र हैं, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, वैद्य गंगासहाय !

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (माबली) : अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आरोप-पत्र मेरे पास हैं। मेहरबानी करके इसे बेरी आयोग को भिजवा दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Most irrelevant question.

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय, इससे सारा राज खुल जायगा अतः आयोग को पेश करवा देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट। श्री गंगासहाय !

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापिकाओं के परिवीक्षा काल का मामला

707. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित माध्यमिक

(श्री गंगासहाय)

विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापिकाओं का परिवीक्षा काल समाप्त हो चुका है तब भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनका परिवीक्षा काल समाप्त होने के उपरान्त भी उन्हें स्थाई नहीं किया गया, जब कि स्थायी किया जाना चाहिए था ?

(3) क्या यह भी सही है कि तदर्थ नियुक्ति वाले अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी जाती है ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है ?

विद्युत मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 27 (ए) के अन्तर्गत परिवीक्षा काल में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होती। कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उसे पूर्व वाली तिथि से वेतन वृद्धि दे दी जाती है। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भेदभाव किया जाता है।

प्रश्न संख्या 708

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री सुभाषचन्द्र प्रश्नकर्ता नहीं है।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री आलम अली !

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के योगदान पर अभिलेख

709 **श्री आलम अलीखां** (फतेहपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के योगदान पर आलेख तैयार कराने का राज्य सरकार का विचार है ?

(2) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा यह आलेख कब तक तैयार हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है ? यदि हां, तो समिति कब गठित की गई तथा इसकी क्या कार्य प्रगति रही ?

(4) इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा इन सदस्यों का चयन किस के द्वारा किस आधार पर किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस समिति के कतिपय सदस्य ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तथा समिति के चयन होते समय उन्होंने इस कार्य में अपनी वृद्धावस्था एवं रुग्णता के कारण असमर्थता प्रकट की थी ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से सदस्य थे तथा उनको इस समिति में रखने का क्या कारण है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस आलेख को शीघ्र ही तैयार कराने हेतु अन्य कोई विकल्प अपनाने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां।

(श्री ललितकिसोर चतुर्वेदी)

(2) स्वतन्त्रता सेनानियों का इतिहास लिखवाने का कार्य राजस्थान लोक सेवा संघ, जयपुर को अक्टूबर, 75 में दिया गया था तथा इसके लिए 19,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे। मई, 1977 में 500 पृष्ठों की सामग्री प्राप्त हुई। इस सामग्री की समीक्षा कराने का निर्णय लिया। डा. मथुरालाल शर्मा द्वारा इस सामग्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि यह सामग्री पढ़ने योग्य तो है लेकिन पूर्ण एवं प्रामाणिक आधारों पर नहीं है, अतः राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि इस इतिहास का लेखन कार्य निम्नलिखित विद्वानों की एक सम्पादकीय समिति बना कर लिखवाया जाए :--

(1) डॉ. मथुरालाल शर्मा
(2) डॉ. बैनी गुप्ता
(3) डॉ. के. एस. गुप्ता
(4) डॉ. बी. डी. शर्मा

(3) जी नहीं।

(4) लोक सेवा संघ द्वारा ही इस लेखन कार्य में परामर्श लेने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री समिति अपने स्तर से बनाई थी :--

(1)	श्री शोभालाल गुप्ता	अध्यक्ष
(2)	श्री चन्द्रभान शर्मा	सदस्य
(3)	श्री शंकर सहाय सक्सेना	सदस्य
(4)	श्री छगनराज चौपासनी	सदस्य
(5)	श्री जे के. जैन निदेशक राज्याभिलेखागार।	सदस्य

(5) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्रस्तुत नहीं हुए।

(6) जी हां।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के नाम पर उन लोगों को, जिनका दूर से स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं था राजनैतिक आधार पर पेंशन दे दी है, क्या इसके बारे में जांच कराने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। सेन्ट्रल जेल में कैदी भूख हड़ताल कर रहे हैं।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : 712 नं.पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) : मेरा प्रश्न महत्व पूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास लिखित उत्तर आ जायेंगे सब प्रश्नों के प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना तहसील के कालवो ग्राम में जल प्रदाय योजना कार्य

697. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम कालवी, तहसील मकराना, जिला नागौर में

(श्री अचलाराम)
बिना अनुमति के जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(2) क्या यह योजना राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है ? राज्य सरकार किस आधार पर जल प्रदाय योजना को स्वीकृति देती है ? कालवी ग्राम जल प्रदाय योजना का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त योजना नीति के नहीं व्यक्ति के प्रभाव के कारण बिना पूर्व अनुमति के प्रारम्भ कर दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम कालवी, जो कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गैलोली मालवा में सम्मिलित है, की योजना केन्द्र सरकार के त्वरित कार्यक्रम के तहत 11,525 लाख रुपये के लिए वर्ष 77-78 में स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। उक्त जल प्रदाय योजना केन्द्र सरकार के त्वरित कार्य-क्रम के तहत स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत अत्यधिक पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जाती है। कालवी ग्राम इस नीति के तहत आता है।

(3) जी नहीं। जल योजना की स्वीकृति के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया गया है।

राजस्थान नहर क्षेत्र मे भू. पू. जागीरदार एवं बिस्वेदारों की खुदकाश्त की भूमि

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 1978)

501: श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों एवं भूतपूर्व बिस्वेदारों को खुदकाश्त के लिये भूमि कहां कहां व कितनी बीघा तथा किन किन लोगों को दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रख दी जावे।

(2) उपरोक्त आवंटन धारियों में कितने सरकारी अधिकारी हैं एवं वे किस पद पर थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) कितने अधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं, कितने अभी राज्य सेवा में हैं व कितने लोग राजपत्रित अधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि ये आवंटनधारी खुदकाश्त नहीं कर रहे हैं व न ही आबादी में हैं ? यदि हां, तो कानून की अवहेलना के आरोप में कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

(5) कितने लोगों को खातेदारी अधिकार दिए गए व कितने लोगों को भूमि बेचने की मंजूरी दी गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों एवं बिस्वेदारों को खुदकाश्त

(उपनिवेशन मंत्री)
के लिए जिन जिन लोगों को भूमि दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है। जो सूचना अब तक प्राप्त हो गई है वह संलग्न की जा रही है। शेष सूचना प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(5) सूचना एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्टाफ नर्स और सिस्टर्स के पदों एवं नर्सिग महाविद्यलाय का मामला

1708. श्री सुभाष चन्द्र (सूरजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्टाफ नर्स और सिस्टर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु क्या नियम हैं? शुरू से अब तक इनमें क्या क्या मुख्य परिवर्तन किये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग में प्रवेश के समय और पदों पर नियुक्ति के समय प्रमाण-पत्रों की विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जाती है? आयु के सम्बन्ध में नियमानुसार कौन कौन से प्रमाण-पत्र वैध माने जाते हैं?

(3) क्या नर्सिग महाविद्यालय, जयपुर के वर्तमान प्रधानाचार्य ने मिडवाइफरी की ट्रेनिंग कभी प्राप्त कर विभाग को प्रमाण-पत्र प्रेषित किया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उपरोक्त प्रधानाचार्य की जन्म दिनांक सम्बन्धी विभाग में कोई विवाद चल रहा है? यदि हां तो क्या एवं उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम, 1965 के अनुसार स्टाफ नर्स एवं सिस्टर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु नियम की प्रति संलग्न है। इसमें शुरू से आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

(2) जी हां। आयु के सम्बन्ध में स्कूल एवं नगर पालिका आदि सस्थाओं द्वारा दिए गये जन्म तिथि प्रमाण-पत्र माने जाते हैं।

(3) वर्तमान प्रधानाचार्य परिचारिका महाविद्यालय, जयपुर श्रीमती पी. बेन्जा-मीन की पी. एन. आर. सी. नर्सिग की योग्यता प्राप्त होने पर स्टाफ नर्स के पद पर दिनांक 15-5-1957 को नियुक्ति की गई थी। प्रमाण-पत्र की प्रातिलिपि संलग्न है।

(4) जी हां। इनकी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 15-1-1934, मैट्रिक के प्रमाण-पत्र की प्रति में 15-1-1934 अंकित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इनकी जन्म तिथि 15-1-1931 सही मानी है। विभाग में इनके मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा है पर अभी तक अप्राप्त है। इस विषय में विभाग द्वारा आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टूटे हुए सिचाई बांध

470. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में गत वर्ष कौन कौन से सिचाई बांध टूटे ? उनमें से किन किन की मरम्मत करा दी गई है और उसमें कितना व्यय हुआ ? सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभी भी कई सिचाई बांध मरम्मत के लिए शेष पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से बांध शेष हैं और उनकी कब तक मरम्मत कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में गत वर्षों में सिंचाई विभाग के कुल 62 बांध टूटे थे। टूटे बांधों की सूची व मरम्मत के लिए प्रारम्भ किये गये कार्य, उन पर मार्च, 1978 तक सम्भावित व्यय व मरम्मत कार्य पूर्ण होने का सम्भावित समय तालिका 'क' में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। टूटे बन्धों के अतिरिक्त सिंचाई विभाग के कुल 672 क्षतिग्रस्त बांध भी हैं जिनमें से कुल 475 का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। शेष बांधों की मरम्मत का कार्य आगामी वर्ष में आवश्यक धनराशि आवंटित होने पर जून, 1978 तक पूर्ण कराना सम्भव होगा। जिलेवार विवरण भी संलग्न तालिका 'ख' में दर्शाया गया है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपल्दा क्षेत्र के किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

471. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1 क्या यह सही है कि किसानों से प्राप्त भूमि का मुआवजा पीपल्दा क्षेत्र में अभी नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो किस किसान का कितना कितना रुपया अभी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं चुकाने का क्या कारण है तथा राज्य सरकार इन किसानों को शीघ्र रकम का भुगतान हो इस हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा से प्राप्त पीपल्दा क्षेत्र के लैण्ड अवार्ड्स के अधिकतर अवार्ड्स का भुगतान किया जा चुका है। केवल मात्र कुछ अवार्ड शेष हैं उनकी सूची संलग्न की जा रही है।

(2) अधिकतर अवार्डों पर कृषकों के प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे कि उनको पारित कर भुगतान किया जा सके। इस सम्बन्ध में कृषकों के हस्ताक्षर करने हेतु पत्र व्यवहार जारी है।

पूर्व में भूमि मुआवजा चुकाने के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान इतनी राशि का नहीं था कि कृषकों को मुआवजा चुकाया जा सकता।

(सिचाई मंत्री)

अत्यन्त थोड़ी राशि वाले कृषकों को अग्रिम धनराशि (इमर्जेन्ट एडवान्स) प्राप्त कर भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम गोवटा का तालाब

472. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गोवटा गांव में गोवटा तालाब का पानी नहीं जाता और नहर केवल एक तरफ ही जाती है जब कि तालाब की क्षमता दूसरी तरफ पानी देने की भी है ?

(2) क्या यह सही है कि गोवटा तालाब की दूसरी ओर की जमीन भी केवल एक लाख रुपया खर्च करने पर सिंचित की जा सकती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसका जल्दी ही सर्वे करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। गोवटा तालाब से केवल एक नहर बाई ओर बनी हुई है। गोवटा ग्राम बांध के नीचे बायीं ओर स्थित है। गोवटा तालाब की क्षमता 262 एम. सी. एफ. टी. है एवं तालाब द्वारा 2,400 एकड़ भूमि को सिचाई सुविधा उपलब्ध है। इतना सिंचित क्षेत्र बांध की क्षमता के अनुरूप है व इसमें वृद्धि की सम्भावना नहीं है।

(2) गोवटा तालाब से बायीं ओर सिंचाई करने हेतु एक नई नहर का निर्माण करना आवश्यक होगा व साथ ही बांध की भराव क्षमता में वृद्धि करना भी आवश्यक होगा। नहर के निर्माण व बांध को ऊंचा करने में लगभग 6 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार बांध को ऊंचा उठाने के फलस्वरूप ग्राम पदमपुरा संगारजी-का-खेड़ा केबड़िया व रामवली की उपजाऊ भूमि डूब में आवेगी। विस्तृत सर्वेक्षण करने पर ही निश्चित किया जा सकेगा कि बांध को ऊंचा उठाना व नई नहर का निर्माण आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है अथवा नहीं।

मेजा फीडर का निर्माण कार्य

473. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि मेजा फीडर गत 7-8 वर्षों से चालू है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने ऐसे कामों को पूर्ण कराने में प्राथमिकता की घोषणा की है ?

(3) अगर यह सही है तो मेजा फीडर का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मेजा फीडर योजना पर वर्ष 1977-78 तक लगभग 355 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

(2) जी हां।

(सिंचाई मन्त्री)

(6) मेजा फीडर परियोजना का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

सवाई माधोपुर जिले के बांध

474. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सरकारी व अर्ध सरकारी सारे ऐसे कितने छोटे, बड़े बांध हैं जो टूटे व खराब पड़े हुये हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त टूटे बांधों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई विभाग के अधीन केवल दो बांध (1) खेड़ा तहसील सपोटरा व (2) झुनकी तहसील टोडाभीम टूटे पड़े हैं। अर्ध सरकारी तालाबों का सिंचाई विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

(2) जी हां। सिंचाई विभाग के अधीन दोनों तालाबों को बंधवाने हेतु विभाग प्रयत्नशील है। झुनकी बांध के पेटे से सम्बन्धित व्यक्ति बांध की मरम्मत नहीं होने देते हैं। फिर भी प्रयास किया जा रहा है। खेड़ा बांध का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है व जांचा जा रहा है। आवश्यक स्वीकृति एवं प्रावधान उपलब्ध होने पर बांध का कार्य कराया जा सकेगा।

धौलपुर में विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

475. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर में 28-2-78 तक विद्युत् के नए कनेक्शनों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? अब तक कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए ? इन कनेक्शनों में से किसानों के कितने प्रार्थना-पत्र हैं ? क्या यह सही है कि धौलपुर में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इसको पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

धौलपुर उपखण्ड में 28-2-78 तक विद्युत् के नये कनेक्शनों के विभिन्न केटेगरीज के 236 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें कृषि के 10, औद्योगिक 36; स्ट्रीट लाइन 1, घरेलू 146, एवं दुकानों आदि के 43 प्रार्थना-पत्र थे। इनमें से मार्च, 78 के अन्तर्गत कृषि के 2, औद्योगिक 4, घरेलू 28 एवं दुकानों के 13 कनेक्शन दे दिये गये हैं।

प्रार्थना-पत्रों पर की जा रही कार्यवाही के विभिन्न स्तरों की सूचना परिशिष्ट 'ए' में संलग्न है। कृषि के लिए इनमें केवल 10 प्रार्थना-पत्र हैं।

(30)

(विद्युत् मंत्री)

धौलपुर में बिजली उपलब्धि कम है। इस क्षेत्र में धौलपुर को 132 के. वी. की लाइन द्वारा हिण्डौन से जोड़ा जा रहा है। धौलपुर में 132/33 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन भी बनाया जायगा। इस योजना पर कार्य वर्ष 1978-79 में शुरू किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

महुआ क्षेत्र की पेयजल योजना

476. श्री उमरावसिंह गुर्जर (महुआ): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महुवा निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के पानी की व्यवस्था उचित नहीं है? पानी वहां खारा या फिर बहुत गहरा है?

(2) ऐसे कौन कौन से गांव हैं जिनमें अभी जलदाय विभाग द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो उस योजना का क्या प्रारूप है? उस पर कितनी धनराशि व्यय की जावेगी और यह योजना सही स्वरूप में कितने वर्षों में पूरी होगी? कृपया समस्त गांव, जो योजना में शामिल किये गये हैं, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि 'ग्राम महुआ गाड मंडावर, जौल, डोरावली, बोल टूडियाना, नांदना, बाला हेडी, खेड़ला तालचाडी आदि गांवों में पीने के पानी की किल्लत है? यदि हां, तो उक्त गांवों की समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा और किस रूप में? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि महुआ कस्बा प्रोपर की जल प्रदाय योजना अपर्याप्त है? साथ ही वहां का खारा पानी है किन्तु जो वाटर लाइन बाण गंगा के कुओं से लाई गई है वह सुविधाजनक है? यदि हां तो फिर उसी से महुआ के लिए पानी सप्लाई क्यों नहीं किया जाता है? पानी की पर्याप्त व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि मन्डी महुआ मंडावर रोड की जल प्रदाय योजना की सिक्योरिटी फीस साढ़े सात हजार रुपया जमा करवा दी गई हैं? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है? अब कब तक कार्य के प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है?

(6) क्या मन्डावर मन्डी की पेय जल समस्या परिस्थिति वहां की जन-संख्या को देखते हुए वांछनीय नहीं है? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(7) क्या राज्य सरकार उक्त मंडी की पेयजल समस्या को हल किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बजट में प्रावधान रखे गये हैं, क्या?

उत्तर

(1) महुवा तहसील में मास्टर प्लान के अनुसार 149 आबादी के ग्रामों में 135 ग्रामों में पीने के पानी की किसी न किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है। समस्या ग्रस्त ग्रामों में से 2 ग्रामों में पीने के

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
शुद्ध जल का वितरण चालू है । समस्या-ग्रस्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय सरकार के त्वरित कार्यक्रम के तहत महुवा तहसील में एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना खेड़ा खोंचपुरी, जिसकी स्वीकृति लागत 24.22 लाख रुपये है । इस योजना में 17 ग्राम सम्मिलित हैं । इससे 10,745 व्यक्ति लाभान्वित होंगे । उपरोक्त नल योजना के अगले 2 वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है। इस जल योजना में स्वीकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(3) मास्टर प्लान के अनुसार ग्राम मंडावर, जौल, नादना, बालाहेड़ा, खेडला, मडाला एवं तालचिड़ी में उपलब्ध भू-जल समस्या ग्रस्त हैं । जब कि ग्राम डोरावली, बोल, टुडियाना एवं खेड़ला खुर्द में भू-जल पीने योग्य हैं । उपरोक्त कोई भी ग्राम जिला आयोजना समिति सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए प्रस्तावित नहीं है। नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित होवे । उसकी प्राथमिकता तकनीकी उपयुक्तता एवं जल की उपलब्धि के अनुसार ही सम्भव हो सकती है ।

(4) वर्तमान में ग्राम महुआ में पानी की कोई दिक्कत नहीं है । ग्राम में बाण गंगा नदी के किनारे बने हुये कुए तथा ग्राम में बने हुये दोनों का पानी मिलाकर जल वितरण किया जा रहा है ।

(5) जी हां, ग्राम मण्डावर के जन सहयोग की राशि के रूप में 7,500 रुपये जमा हैं। लेकिन नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों, उनकी प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं जल की उपलब्धि के आधार पर ही स्वीकृत की जाती हैं । ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जन सहयोग की राशि जमा करवा देने मात्र से ही नहीं की जाती है । उक्त जल-प्रदाय योजना वर्ष 1977-78 के लिये जिला आयोजना समिति, सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तावित नहीं है ।

(6) नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति पर विचार जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित होने के पश्चात् ही सम्भव होता है । चूंकि ग्राम मण्डावर मन्डी वर्ष 1977-78 के लिए जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है अतः फिलहाल इस योजना की स्वीकृति हेतु कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

(7) ग्राम मडावर मन्डी की जलप्रदाय योजना वर्ष 1977-78 के लिए जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है । अतः फिलहाल इस ग्राम की योजना की स्वीकृति के विषय में कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है । इस कारण उक्त योजना के लिए भी बजट का प्रावधान नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अधिशासी अभियन्ता का निलम्बन

477. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री एस.एल. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जन्दाय विभाग को निलम्बित किया गया था ?

(2) क्या उक्त अभियन्ता को निलम्बित करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता अथवा शासन सचिव, जन स्वास्थ्य से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी ?

(3) ऐसा क्या कारण था कि 5 दिन बाद ही निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया ?

(4) क्या यह निलम्बन भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री मोहन मुखर्जी की जल्दबाजी का परिणाम था ? यदि हां, तो मुख्य सचिव को किसी अधिकारी के जीवन से खेलने का क्या अधिकार था और इस सम्बन्ध में क्या मुख्य सचिव को आरोप पत्र दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) श्री एस. एल. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को तब बहाल किया गया जब यह सुनिश्चित हो गया कि वह ड्यूटी पर रहते हुए उनके विरुद्ध की जाने वाली विभागीय जांच के रिकार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। वास्तव में यह बात थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए. पी. सेन की तरफ से मुख्य सचिव को यह सूचना मिली थी कि उनके बंगले का जल सम्बन्ध दुर्भावनापूर्ण तरीके से काट दिया गया है तो मुख्य सचिव ने तुरन्त कार्यवाही करने की इच्छा से एवं न्यायाधीश महोदय का भ्रम दूर करने के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री एस. एल. गुप्ता को तुरन्त निलम्बित किया था एवं विभागीय जाँच के आदेश दिये थे; परन्तु बाद में जांच को तुरन्त करा लेने एवं दौराने जांच सम्बन्धित रिकार्ड एवं साक्ष्य के सुरक्षित रहने की पूरी व्यवस्था की दृष्टि से उचित यह समझा गया कि सम्बन्धित व्यक्ति को राज्य हित में बहाल कर दिया जाना उचित होगा। अतः बहाल किया गया है।

(4) जी नहीं।

कस्बा अटरू की जल प्रदाय योजना

478. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अटरू, जिला कोटा की जल-प्रदाय योजना को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया है ? यदि हां, तो किस तारीख को राज्य सरकार ने चार्ज लिया और कब तक राज्य सरकार सम्पूर्ण कस्बा अटरू को पीने का पानी उपलब्ध करा देगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना को विशेष धन राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां तो वह कितनी है? और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अटरू की सर्वे करके पानी का स्रोत ढूंढ लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31-1-78 को। अटरू कस्बे की 81 हजार रुपये

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
थी लागत की पुनर्गठित योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसका कार्य निर्माणाधीन है। योजना का कार्य पूरा होने पर सम्भवतया वर्ष 1978-79 के अन्त तक कस्बे में पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(2) जी हां, अटरू कस्बे की पुनर्गठित योजना, जिसकी अनुमानित लागत 81,000/- रु. है, की स्वीकृति वर्ष 1977-78 में की जा चुकी है। अटरू में भू-जल विभाग द्वारा पूर्व में खोले गये नल कूप को इस विभाग ने योजना स्रोत हेतु लेने का निर्णय किया है।

जिला टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों की जल-प्रदाय योजना

479. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग में जिला टोंक की किस किस पंचायत में नल योजना के लिये रुपया जमा करवा रखा है ?

(2) ग्रामीण योजना की पूर्ति हेतु क्या राज्य सरकार विचार कर रही है ?

(3) जिला टोंक की सीसोला रीजनल योजना पर कब से कार्य शुरू किया जावेगा और कब तक पूरा करने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में ग्राम घाड़, समर, मेंहून्दवास, वागड़ी एवं ककोड़ में क्रमशः 2,500/- रु. 4,375/- रु. 2,500/-रु. 2,500/- रु एवं 2,500/- रुपये विभाग में जमा करवा रखे हैं।

(2) नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों, उनकी प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं जल की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सीलोला - मायारामपुरा, जिसमें सीलोला अकबर नगर, माया रामपुरा, हाडी खुर्द, सद्दीकपुरा एवं वेडूलिया सम्मलित है, जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए प्राथमिकता में प्रथम स्थान पर प्रस्तावित की गई है। इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है एतद्पश्चात् तकनीकी उपयुक्तता एवं जल की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

जिला उदयपुर की पेयजल योजना

480. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जलदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में 1977-78 में कितने नये गांवों में नल योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार वर्ष 1978-79 में कितने गांवों में नल योजना का कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1977-78 में चार गांवों में कार्य प्रारम्भ किया गया।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
1) दवेर, 2) छायल, 3) पीपरड़ा, 4) भवराला।

(2) नई ग्रामीण योजनायें, जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के आधार पर जल की उपलब्धि के ही अनुसार ही स्वीकृत की जाती है। इस वर्ष 1978-79 में जिला आयोजना समिति से प्राथमिकता रहित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राथमिकता तय होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

481. श्री आर. डी. यादव (चौमूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जून-जुलाई 1976 में राज्य सेवाओं के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी जिसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 77 में साक्षात्कार में बुलाकर मई, जून 77 में नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षार्थियों के साक्षात्कार के समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मोहम्मद याकूब बैठे थे तथा अध्यक्ष के पुत्र श्री मोहम्मद फारूख को भी साक्षात्कार के लिये बुलाया जाकर अत्यधिक ऊंचे अंक दिये गये थे ? समस्त पत्रादि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आर. ए. एस. के 32 पदों में से 2 पद अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये सुरक्षित थे ?

(4) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारी श्री केदारनाथ व श्री मोहम्मद फारूख को अराजपत्रित अधिकारी मान कर फर्जी-प्रमाण-पत्रों के आधार पर उक्त सुरक्षित स्थानों के विरुद्ध चयन किया गया है तथा अब वे आर. ए. एस. अधिकारी के रूप में सेवारत हैं ?

(5) क्या यह सच है कि उक्त अनियमितता राज्य सरकार की जानकारी में आने पर आयोग को राज्य सरकार ने कोई पत्र लिखा था परन्तु आयोग ने उसे नहीं माना है ? अगर हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(6) क्या यह सच है कि उक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित प्रत्याशी केदारनाथ व मोहम्मद फारूख से श्री दिलीप कुमार कोटिया के अधिकारों का हनन हुआ है जिनको मेरिट सूची में 25 वां स्थान है तथा 24 वें स्थान तक चयन किया गया था ?

(7) क्या यह सच है कि मेरिट सूची में मोहम्मद फारूख का 30 वां स्थान था तथा श्री हस्तीमल चण्डालिया का 26 वां स्थान था परन्तु श्री चण्डालिया का चयन नहीं किया गया है न ही नियुक्ति पत्र दिया गया है ?

(8) क्या यह सच है कि इस परीक्षा के प्रत्याशी श्री गजेन्द्रसिंह के लिखित परीक्षा में 42.7 प्रतिशत अंक थे व राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 24 के अनुसार 45 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ताओं को ही साक्षात्कार में बुलाने का प्रावधान है ?

Page No 35

(श्री आर. डी. यादव)

(9) क्या यह सच है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी की पुत्रवधु बैठी थी तथा प्रतियोगी परीक्षा में 43 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर नियमों का उल्लंघन कर आयोग ने साक्षात्कार में बुलाकर 70 प्रतिशत अंक देकर चयन कर लिया ? संबंधित पत्रादि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह सही नहीं है कि श्री मोहम्मद याकूब अपने पुत्र श्री मोहम्मद फारूख के साक्षात्कार के लिये गठित बोर्ड में बैठे थे । जहां तक श्री फारूख को साक्षात्कार में अत्यधिक ऊंचे अंक देने का प्रश्न है यह सूचना नियमानुसार राज्य सरकार के पास नहीं आती है । जहां तक सम्बन्धित रिकार्ड को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है यह रिकार्ड नियमानुसार गोपनीय है अतः सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है ।

(3) जी हां ।

(4 से 6) यह समस्त विवाद उच्च न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

(7) इसका उत्तर भी खण्ड (4 से 6) के अनुसार है ।

(8) यह विवाद भी एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के विचाराधीन है अतः उत्तर देना जनहित में नहीं है ।

(9) उपलब्ध रिकार्ड से ऐसी सूचना नहीं मिलती है । अतः उत्तर देने में असमर्थता है ।

नागौरी गेट, जोधपुर के अन्दर की बस्तियां

482. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में नागोरी गेट के अन्दर भील बस्ती बागर, विजय चौक, गुलावसागर के उत्तर में बसे हुये मोहल्ले, गोल मोहल्ला, आदि स्थानों में सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं 'मेनहोलकवर' नहीं हैं और सड़कों में गड्ढे हैं ? अगर हां, तो नगर परिषद् के निर्माण शाखा के अधिकारियों ने मौका देखने के बावजूद भी मरम्मत व सुधार कार्य शुरू क्यों नहीं किया ? सुधार कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कब किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् के अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त वर्णित क्षेत्र का दौरा सरदारपुरा क्षेत्र के विधायक के साथ किया था ? अगर हां, तो मरम्मत एवं सुधार प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(3) क्या यह सही है कि सड़कों में खड्डों के कारण उपरोक्त क्षेत्रों में दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या नगर. पालिका निर्माण शाखा के ओवरसियर, असिस्टेन्ट इन्जिनियर और अधिशासी अभियन्ता इससे परिचित हैं ? अगर हां, तो सुरक्षा के लिए सुधार कार्य तत्काल क्यों नहीं हाथ में लिये गये ?

उत्तर

(1) कुछ स्थानों पर सड़कें ऊबड़-खाबड़ हैं, परन्तु यह सही नहीं है कि मैनहोलकंवर नहीं है । सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी कार्यवाही जारी है ।

(2) जी हां । मरम्मत एवं सुधार प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राजस्थान की उच्चतर माध्यमिक शालायें

483. श्री राम रघुनाथ चौधरी (हेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं ? सूची क्षेत्रवार जिलेवार नीचे लिखे प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें:—

(1) स्कूल का नाम एवं स्थान ?

(2) स्कूल किस वर्ष खोला गया ?

(3) स्कूल किस वर्ष क्रमोन्नत किया गया:

(अ) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक

(ब) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक

(स) माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक ?

(4) किन संस्थान द्वारा चलाया जाता है:

(अ) राज्य सरकार द्वारा

(ब) व्यक्तिगत अथवा निजी संस्थान द्वारा (नाम सहित)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

(5) अगर व्यक्तिगत अथवा प्राइवेट संस्थान अनुदानित स्कूल है तो कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ?

(स्थगित किया गया)

राज्य के कॉलेजों में हड़तालों को रोकने के उपाय

485. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन किन कॉलेजों में 1 जुलाई, 1977 से लेकर अब तक कब कब छात्रों द्वारा हड़तालें की गई ?

(2) पिछले वर्ष इसी समय में कौन-कौन से कालेज में कब कब हड़तालें की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस कर रही है कि हड़तालों की संख्या बढ रही है ? यदि हां, तो इनको रोकने के लिये क्या कदम उठाये और उससे क्या असर पड़ा ?

(4) भविष्य में हड़तालों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछले वर्ष (जुलाई 1976) कोई हड़ताल नहीं हुई।

(3) जी हां। आपातकाल के मुकाबले में हड़तालों में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि आपातकाल में व्याप्त आतंक की समाप्ति ने छात्रों को भय रहित व उन्मुक्त वातावरण दिया है।

हड़तालों को रोकने के लिए छात्रों की उचित मांगों को सहानुभूति के साथ विचार विमर्श कर निपटाने का भी प्रयास रहा है। इसके परिणामस्वरूप हड़तालों को टाला जा सका है। इस समस्या के हल के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

(4) इस सम्बन्ध में समय समय पर स्थिति का जायजा लेकर समुचित आदेश

(शिक्षा मंत्री)
सम्बन्धित अधिकारियों को दिये जाते रहे हैं व दिये जावेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

श्रम निरीक्षकों के अधिकार

486. श्री नूरा (मसूदा) : क्या श्रम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रम निरीक्षकों को एक ही समय में किन किन श्रम कानूनों के पालन कराने के लिए अधिकार दिए गए हैं ? कृपया सूची सदन पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य में वर्ष 1977-78 में निम्नलिखित श्रम कानूनों के अन्तर्गत कुल कितने निरीक्षण किए गए ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

2) बोनस संशोधन अधिनियम 1977

3) दुकान एव वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958

4) कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एव एबोलिशन) अधिनियम 1972

5) कारखाना अधिनियम, 1948

(3) राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन एवं निर्णीत मुकदमे, जो कि उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा पेश किए गए हैं, की संख्या जिलावार क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा श्रमिकों के मंहगाई भत्ते की दर में परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित डाक्टर ओमप्रकाश की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट पिछले दो वर्षों से सरकार के पास विचाराधीन पड़ी है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 47,560

— 8735
— 869
— 33177
— 511
— 4268

} सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, सरकार के पास विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कोटपूतली तहसील में की गई नसबन्दियां

487. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली में गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई ?

(2) उपरोक्त में से कितने सरकारी नौकरी में हैं ?

(3) क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके एक भी लड़का नहीं जिसकी नसबन्दी की गई है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या ऐसे व्यक्तियों, की जिनके एक भी लड़का नहीं है पुनः नस जोड़ी जावेगी, यदि हां, तो कहां किस तरह और उन्हे सरकार क्या मदद करेगी ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में निम्नानुसार 1,327 व्यक्तियों की नसबन्दी की गई:—

वर्ष	नसबन्दी केसेज की संख्या
1976-77	1293
1977-78	34
योग:	1327

(2) उपरोक्त नसबन्दी में से 226 सरकारी नौकरी में हैं।

(3) उपरोक्त केस में विभाग की जानकारी में अब तक 7 केस नसबन्दी के ऐसे हैं जिनके लड़के नहीं हैं किन्तु लड़कियां होने पर उन्होंने अपनी स्वय की इच्छा से नसबन्दी करवाई है। सूची संलग्न है।

(4) जी हां, पुनः नस जोड़ने की सम्पूर्ण व्यवस्था पांचों मेडिकल कॉलेज (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर एव उदयपुर) से लगे हुये चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है। यहा शल्य विशेषज्ञों द्वारा राजकीय आदेश क्रमांक एफ. 7 (2) वि. 1177, दिनांक 11-10-1977 (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार निःशुल्क नस जोड़ी जाती है। इसके अलावा सम्बन्धित व्यक्ति व उसके साथ आने वाले अटेन्डेन्ट को रेल से यात्रा करने पर सैकिन्ड क्लास का किराया और बस से यात्रा करने पर लोएस्ट क्लास का किराया (दोनों तरफ) दिया जाता है। सम्बन्धित व्यक्ति जितने दिन अस्पताल में रहता है उसके अलावा आने जाने में जितने दिन लगते हैं उनका 10/- रुपया प्रति दिन के हिसाब से इन्सीडेन्टल चार्जेज दिया जाता है। अटेन्डेन्ट को कोई अलग से इन्सीडेन्टल चार्जेज देय नहीं है। यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा हस्पताल में ठहरने के दौरान और गांव में कोई मेडिसिन खरीदी जाती है तो उसका वाउचर पेश करने पर उसका भुगतान किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

Page No 40

(५०)

चिकित्सालयों के लिये दवाइयों की खरीद

488. श्री मांगीलाल (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973-79 में राजस्थान के चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा रोगियों के लिये दवा खरीदने वाली फर्मों के लिये कुछ शर्तें निर्धारित कर एक टेन्डर का प्रोफार्मा टर्म्स एवम् कन्डीशन के फार्म के साथ टेन्डर फार्म खरीदने वाली फर्मों को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित प्रोफार्मा के परिच्छेद 2 (ए) में यह शर्त थी कि जो फर्म जिन दवाओं की सप्लाई करने का टेण्डर देगी तो उन दवाओं का नाम सप्लाई करने वाली फर्मों के 'मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स' में अंकित होना आवश्यक है जो कथित फर्म बनाती है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित शर्तें के अनुसार मैसर्स थायोफार्मा फालना, जिसने अपना टेन्डर मैसर्स ट्रेड सेन्टर कम इन्डस्ट्रियल म्यूजियम जयपुर के द्वारा वर्ष 1978-79 में दवा सप्लाई करने के लिये जुलाई, 1977 मे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर उसके साथ 'मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स, संलग्न किया है, उसमें किन किन दवाओं का नाम अंकित था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (3) में वर्णित शर्तें के अनुसार मैसर्स थायोफार्मा फालना द्वारा टेन्डर देने की तिथि तक प्रस्तुत 'मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स' में कई दवाओं का नाम अंकित नहीं था फिर की सप्लाई के लिये टेन्डर स्वीकार कर लिया ? यदि हां, तो उन दवाओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (4) में वर्णित त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो प्रश्न के भाग (3) में वर्णित फर्म के मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स में उन दवाओं का नाम अंकित करने की स्वीकृति दे दी जिनका नाम टेन्डर देने की तिथि को कथित लाइसेन्स में अंकित नहीं था ? यदि हां, तो इस पक्षपात के लिये कौन अधिकारी दोषी है और मेन्युफेक्चरिंग लाइसेन्स में अन्य दवाओं का नाम जोडने की स्वीकृति किस तारीख को किस अधिकारी द्वारा जारी की गई ?

(6) प्रश्न के भाग (3) में वर्णित फर्म के मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स में टेन्डर देने की तिथि को जिन दवाओं का नाम अंकित नहीं था उन्हें स्वीकार क्यों किया गया ? इन दवाओं का टेन्डर अस्वीकार क्यों नहीं किया गया जब कि अन्य फर्मों की दवाइयां, जो टेण्डर देने की तिथि को मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स में अंकित नहीं थी, की सप्लाई के टेन्डर इसी कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिये गये थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1978-79 में दवाइयां क्रय करने से सम्बन्धित टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स, जो निर्धारित की गई थीं, संलग्न हैं।

Page No 41

(५१)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) टेण्डर मैसर्स ट्रेड सेन्टर कम इण्डस्ट्रीयल म्यूजियम, जयपुर, जो कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के तहत एक राजकीय प्रतिष्ठान है, ने दिया है। ट्रेड सेन्टर द्वारा थायोफार्मा की निर्मित दवाइयां सप्लाई करने हेतु कहा गया है। जिसमें थायो फार्मा, फालना का टेण्डर के साथ मैन्युफेक्चरिंग लाइसेन्स संलग्न है परन्तु दवाइयों की सूची संलग्न नहीं थी।

(4) स्टोर पर्चेज कमेटी के निर्णय दिनांक 27, 28-9-77 के संदर्भ में उन सभी स्वीकृत फर्मों से, जिन्होंने टेण्डर प्रस्तुत करते समय मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स एवं दवाइयों की सूचियां प्रस्तुत नहीं की थीं मांग ली गई। उपरोक्त फर्मों की सूची जिनसे यह सूचियां मांगी गईं, संलग्न है। ड्रग एवं कोस्मैटिक एक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त दवाइयां बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेन्सधारी के लाइसेन्स को चालू अवधि में अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर स्वीकृति दे दी जाती है। स्वीकृति देने से पूर्व उद्योग की क्षमता एवं ड्रग्स एक्ट के अन्तर्गत अन्य सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दी जाती है। अतिरिक्त दवाइयों की स्वीकृति जो टेण्डर प्राप्त होने के पश्चात् दी गई है उनकी सूची संलग्न है।

(5) विभाग को जो शिकायत प्राप्त हुई वह ट्रेड सैन्टर को ड्रग लाइसेन्स देने से सम्बंधित है। ड्रग लाइसेन्स मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया जाता है जो कि दवाइयों की सप्लाई करने से पूर्व दिया जा सकता है। मेसर्स ट्रेड सैन्टर को ड्रग लाइसेन्स की स्वीकृति उनके आवेदन-पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा नियमानुसार दी गई। जहां तक अतिरिक्त दवाइयों की मैन्युफेक्चरिंग की स्वीकृति का प्रश्न है यह सामान्य निर्णय राजकीय हित में टेण्डर्स की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के अन्तर्गत लिया गया है जो उन सभी फर्मों, स्वीकृत फर्मों पर लागू है जो पांच वर्ष से अधिक समय से ड्रग्स एवं मेडिसिन्स बना रही है जो कि सभी प्रकार की फर्मों पर लागू है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है और न ही किसी संस्था को लाभ पहुंचाने का ध्येय है।

(6) टेण्डर के साथ जिन स्वीकृत फर्मों ने दवाइयों की सूची संलग्न नहीं की थी उन सभी फर्मों से सूची मांगी गई। ऐसी किसी भी स्वीकृत फर्म का टेण्डर जिनके पास पांच वर्ष से अधिक का मैन्युफेक्चरिंग लाइसेन्स और अतिरिक्त दवाइयों की सूची बाद में प्रस्तुत की है, विभाग द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

(टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखे)

तहसील कोटड़ा का चिकित्सालय

489. श्रीमती प्यारा कुमारी सैनर (कपासन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) उदयपुर जिले में कोटड़ा तहसील गांव कोटड़ा में एक सरकारी होस्पिटल है वह किस श्रेणी का है, उसमें कितनी दवाई दी जाती है और कितना स्टॉक है?

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

(2) वहां मरीजों के लिए कितनी खाट स्वीकृत हैं और उनकी क्या हालत है? कभी किसी ने जाकर वहां जांच भी की है? यदि नहीं, तो क्या वहां इतना पुराना सामान है जो न तो बेकार किया जाता है और न काम में आने लायक है? क्या राज्य सरकार जांच कराकर जितना सामान होना चाहिये उतना ठीक, अच्छा और नियमानुसार पूरा करावेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां कम्पाउंडर भी बहुत पुराने हैं जिनका कभी स्थानान्तरण भी नहीं होता? यदि हां, तो उनका तबादला क्यों नहीं किया जाता है?

(4) क्या यह सही है कि कोटड़ा आदिवासी क्षेत्र तहसील है? यदि हां, तो वहां के आदिवासी मरीजों की हालत देखी जानी चाहिये और दवाई भी पूरी मिलती रहनी चाहिये।

(5) क्या यह सही है कि होस्पिटल के चारों तरफ दीवार नहीं होने के कारण आये दिन चोरी हो जाती है, बेचारे डॉक्टर भी डरते रहते है? यदि हां, तो दीवार को कब बनाया जायेगा?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कोटड़ा तहसील गांव कोटड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें राज्य सरकार के स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

नियमित बजट से:— 12,000.00

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत— रु.

(अ) सात उप केन्द्रों के लिए प्रति स्वास्थ्य उप-केन्द्र रु. 2,000/- रु. 14,000.00

(ब) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— रु. 6,000.00

रु. 32,000.00

उक्त बजट प्रावधान के विरुद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा को रु. 33,117.00 की औषधियां विभाग द्वारा सप्लाई की जा चुकी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा बजट के स्टॉक की स्थिति इस प्रकार है:—

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	1
2.	मेल नर्स श्रेणी 2	2	2
3.	एल. एच. वी.	1	रिक्त
4.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	रिक्त
5.	ए. एम. एम.	4	4
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4

परिवार कल्याण साइड

1.	चिकित्सा अधिकारी	1	रिक्त
2.	बी. ई. ई.	1	रिक्त
3.	कम्प्यूटर	1	रिक्त
4	एल. एच. वी.	1	रिक्त
5.	यू. डी. सी.	1	1
6.	एम. पी. एम. ए.	4	1
7.	ए. एम. एम.	5	5
8.	ड्राइवर	1	1

(चिकित्सा मन्त्री)

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा में 6 रोगी शय्यायें स्वीकृत हैं जो ठीक हालत में हैं। सुपरवाइजिंग ऑफिसर वहां जाते रहते हैं। अभी दिनांक 20-1-78 को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) यहां जाकर आये हैं। सामान आदि के लिए वहां के चिकित्सा अधिकारी व अन्य के लिए / द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा का पुराना सामान दिनांक 10-12-75 को कण्डम किया गया था जिसकी सूची संलग्न है।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा में दो मेल नर्स श्रेणी II के पद स्वीकृत है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

1. श्री सैय्यद हामिद अली दिनांक 9-12-71 से कार्यरत हैं

2. श्री चतुर्भुज दिनांक 22-12-71 से कार्यरत हैं

उक्त दोनों कम्पाउण्डर वहां कार्यरत हैं उनका कार्य वर्तमान में संतोषप्रद है।

(4) यह सही है कि कोटड़ा आदिवासी क्षेत्र तहसील है। राज्य सरकार के स्वीकृत बजट के अनुसार नियमित रूप से दवाइयां सप्लाई की जाती रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर बजट से अधिक भी दवाइयां दी जाती रही हैं।

(5) यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारों तरफ दीवार नहीं है। समुचित वित्तीय प्रावधान एवं प्रस्ताव आने पर कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बाड़मेर चिकित्सालय के स्टाफ हेतु बने हुये क्वार्टर्स

490. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) ; क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय अस्पताल, बाड़मेर में डॉक्टरों एवं स्टाफ के लिए कितने क्वाटर्स बने हुये हैं?

(2) उनके लिये कितने क्वार्टर्स की आवश्यकता है?

(3) विभाग द्वारा कितने क्वार्टर्स को कब तक बनाने का कार्यक्रम है?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में निम्न क्वार्टर्स बने हुये है:—

डॉक्टर [उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (चिकित्सा)]।	एक
स्टाफ नर्स/कम्पाउण्डर्स	चार
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चार

(2) इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है पर निम्नांकित कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स की आवश्यकता है:—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।	एक
कनिष्ठ विशेषज्ञ	तीन
चिकित्सक	आठ
नर्सिंग स्टाफ	इक्कीस
वाहनचालक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	ग्यारह

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य जिला चिकित्सालयों के साथ इसके बारे में भी विचार किया जावेगा।

अतारांकित स्थगित प्रश्न
(दिनांक 22-3-1978)

शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

190. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी किसी अन्य संस्थाओं में या विभागों में प्रतिनियुक्ति पर है? यदि हां, तो कौन-कौन, कहां-कहां पर कब-कब से किस-किस पद पर?

(2) क्या जिस पद पर विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर भेजा था उसी पद पर वे कार्य कर रहे हैं या पदोन्नति कर दी गई? यदि हां, तो किस-किस की किस-किस पद पर?

(3) प्रतिनियुक्ति पर भेजने की क्या शर्तें होती है, उन शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त पदोन्नति में शर्तों का कहां तक पालन हुआ है?

(5) क्या शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बिना पदोन्नति की जा सकती है? यदि नहीं, तो कैसे की गई?

(6) इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को कोई कार्यवाही करनी है? यदि हां, तो क्या और किस-किस मामले में?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, एवं प्रावैधिक शिक्षा के कर्मचारी अन्य संस्थानों एवं विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिस पद पर विभाग ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा उससे उनकी पदोन्नति कर दी गई है।

(3) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। मामला राज्य सरकार के समक्ष जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।

(6) सरकार के ध्यान में अब इस प्रकार का कोई मामला आवेगा तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित स्थगित प्रश्न
(दिनांक 27-3-1978)

चिकित्सा विभाग द्वारा खरीद की गई दवाइयां

239. श्री मांगीलाल (जायले) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-4-76 से 30 सितम्बर, 1977 तक राज्य

(श्री मांगीलाल)

चिकित्सालयों में रेट कॉन्ट्रेक्ट पर दवाइयां खरीदने के लिए टेण्डर दिनांक 2-7-75 को आमंत्रित किये गये थे ? और टेण्डर प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27-8-75 थी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित अवधि के सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग ने चिकित्सालयों द्वारा रेट कॉन्ट्रेक्ट पर दवाइयां खरीदने को एप्रूव्ड रेट कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट दिनांक 6-12-76 को प्रसारित की ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित एप्रूव्ड रेट कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट देरी से निकालने के कारण राज्य के चिकित्सालयों में दवाइयां दिनांक 1-4-76 से 5-12-76 तक लोकल मार्केट से खरीदी गई ? यदि हां, तो दिनांक 1-4-76 से 5-12-76 तक कौन कौन सी दवाइयां किस-किस रेट पर खरीदी गईं एवं राज्य सरकार ने इस प्रकार की खरीद पर कुल कितना रुपया व्यय किया ?

(4) यदि रेट कॉन्ट्रेक्ट की एप्रूव्ड लिस्ट मार्च, 1976 के अन्त तक निकाल दी जातीं तो प्रश्न के भाग (3) में वर्णित अवधि में खरीदी गई कौन-कौन सी दवाइयां किस-किस रेट पर खरीदी जातीं और राज्य सरकार को उक्त दवाइयां खरीदने में कुल कितना कम व्यय करना होता ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) रेट कॉन्ट्रेक्ट की एप्रूव्ड लिस्ट समय पर न निकालने के कारण राज्य सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है और रेट कॉन्ट्रेक्ट एप्रूव्ड लिस्ट समय पर न निकालने के लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ?

(6) प्रश्न के भाग (5) में वर्णित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एप्रूव्ड दवाइयों की प्रथम लिस्ट दिनांक 15-9-76 को जारी की गई थी। तत्पश्चात अन्य सूचियां 12-11-76 व 6-12-76 तक जारी की गई थीं। दवाइयों की लिस्टें 30-9-77 तक मान्य थीं।

(2) 1-4-76 से दिनांक 5-12-76 तक राज्य में चिकित्सालयों के लिए प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार दवाइयां खरीदी गई जो कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत बाजार से आवश्यकतानुसार क्रय की जा सकती हैं। उपरोक्त समय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 6,59,321.52 रुपये की दवाइयां क्रय की गई। विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रतिष्ठान मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक एवं मैसर्स आई. डी. पी. एल. से दवाइयां क्रय करने हेतु भी निर्देश दे रखे हैं। जो दवाइयां डी. जी. एस. डी.' रेट पर उपलब्ध होती हैं वे उन्हीं रेटों से खरीदी जाती हैं।

(3) जो दवाइयां प्रश्न के भाग (3) में वर्णित अवधि में क्रय की गई हैं उनको अगर एप्रूव्ड लिस्ट की दरों पर खरीदते तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

Page No 46

(46)

(चिकित्सा मन्त्री)

5,18,344.90 का खर्चा होता। कान्सोलोडिटेड तुलनात्मक विवरण संलग्न है। हर दवाई का अलग-अलग विवरण इतनी अल्प अवधि में देना संभव नहीं हुआ है।

(4) विभाग द्वारा जो भी एप्रूव्ड लिस्ट निकाली जाती है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा पर्चेज कमेटी का गठन किया जाता है। उपरोक्त कमेटी के गठन के आदेश 29-11-75 को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दवाइयों की छानबीन एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा दवाइयां एवं उपकरण जिनके लिए टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं यह लगभग 3200 आइटम हैं व करीब 500 फर्में आती हैं इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैं:-

(1) टेण्डर खुलने के पश्चात सभी फर्मों से आये हुए टेण्डरों के आधार पर क्राइटेरिया स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। बाद में वह क्राइटेरिया स्टेटमेंट पर्चेज कमेटी के सामने अवलोकनार्थ व फर्मों के सलेक्शन व रिजेक्शन करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(2) यह काम सम्पन्न होने पर तुलनात्मक स्टेटमेन्ट बनाये जाते हैं। तुलनात्मक स्टेटमेन्ट करीब 3,200 आइटमों का बनता है और एक-एक आइटम के लिए 15 या 20 फर्में रेट देती हैं।

(3) तुलनात्मक स्टेटमेन्ट को तैयार करने के बाद एवं एक्सपर्ट्स सब कमेटी, जो कि स्टोर पर्चेज कमेटी द्वारा नियुक्त की जाती है। इन आइटमों का सलेक्शन करती है। सलेक्शन पूरा होने में काफी समय लगता है। इतने आइटमों को अनुमोदित करने में भी लम्बे समय की जरूरत है।

(5) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विभाग 1,49,976-62 का अधिक भुगतान करना पड़ा।

(6) जैसा कि उपरोक्त पैराओं में वर्णित है इस कार्य को पूर्ण करने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को दोषी नहीं माना जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

वित्तीय समितियों का गठन

नाम निर्देश

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के लिए जिन सदस्यों ने नामांकन पत्र भरे थे उनमें से कुछ सदस्यों के द्वारा अपना नाम वापस ले लिए जाने के पश्चात् अब वित्तीय समितियों के चुनाव हेतु निम्न सदस्य रह गए हैं:—

जनलेखा समिति

(1) श्री ओंकारलाल चौहान
(2) श्री नरेन्द्रपाल सिंह
(3) श्री काशीनाथ गुप्त
(4) श्री हरचन्द सिंह
(5) श्री लाल शंकर डेंडोर

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री मूलचन्द सामरिया
(7) श्री शिवचरण लुहाड़िया
(8) श्री अजीतसिंह
(9) श्री बजरंगलाल शर्मा
(10) श्री अयूब खां
(11) श्री नारायण सिंह
(12) श्री मोहनलाल शर्मा
(13) श्री नाथूराम (बागीदौरा)
(14) श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर
(15) श्री शंकरलाल
(16) श्री रघुनाथ विश्नोई
(17) श्री बहादुरसिंह
(18) श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

प्राक्कलन समिति

(1) श्री बालकृष्ण थानवी
(2) श्री मंजूरअली
(3) श्री रामेश्वर दयाल यादव
(4) श्री इन्दरसिंह शेखावत
(5) श्री रामकिशोर मीणा
(6) श्री कानसिंह
(7) श्री जगदीश सिंह
(8) श्री सुरेश कुमार
(9) श्री गोविन्दसिंह शक्तावत
(10) श्री जयनारायण सालोदिया
(11) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(12) श्री करतारसिंह
(13) श्री बंशीलाल सारस्वत
(14) श्री रामकरण सिंह
(15) सुश्री पुष्पा जैन
(16) श्री गुलाबचन्द कटारिया
(17) श्री हीरालाल आर्य
(18) श्री रामदेव सिंह
(19) श्री अब्दुल हादी
(20) श्रीमती मदन कौर
(21) श्री मथुरादास माथुर
(22) श्री समरथ लाल
(23) श्री नत्थीसिंह
(24) श्री पदमसिंह राठौड़
(25) श्री विजयसिंह नदेरा

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री ईश्वरचन्द्र
(2) श्री कौशल किशोर जैन
(3) श्री एच. एन. शर्मा
(4) श्री हरजीराम बुरडक
(5) श्री हजारीमल सारण
(6) श्री रतनलाल वर्मा
(7) श्री कमलेन्द्रसिंह
(8) श्री नूरा
(9) श्री गणेशलाल बैरागी
(10) श्री नाथूलाल
(11) श्री गोविन्द सहाय
(12) श्री हंसराम
(13) श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर
(14) श्री समरथ लाल
(15) श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)
(16) श्री मूलचन्द डागा
(17) श्री रघुनाथ विश्नोई
(18) श्री अमृतलाल

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैंने स्वयं ने अपना नाम दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में देखूंगा। इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम रामरघुनाथ है, रघुनाथ विश्नोई नहीं।

Page No 48

(48)

वित्तीय समितियों का गठन

नाम वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करना है। नाम वापस लेने का समय आज शाम तक और बढ़ा दिया जाये। आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं। निर्विरोध चुनाव हो सकें तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसी परम्परा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी ही परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया है टेक्निकल आधार पर विथड्राअल नहीं हो सकता। सर्व सम्मति से कोई रास्ता निकल सके या निर्णय ले सकें तो उत्तम होगा।

श्री गोविन्द सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : विथ-ड्रा करने का समय गुजर गया। विवश हो कर घोषणा करनी पड़ी।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशकुमार।

श्री सुरेशकुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या विधान सभा की कार्यवाही में किसी ऐसे सदस्य का नाम जोड़ा सकता है जो इस सदन का सदस्य न हो ?

श्री अध्यक्ष : नहीं जोड़ा जा सकता।

श्री सुरेश कुमार : श्रीमान् जो कार्यवाही आई है। दिनांक 4 मार्च, 1978 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने वालों में दूसरा नाम श्री सुरेश चन्द शर्मा का दिया हुआ है। श्री सुरेशचन्द शर्मा नाम का सदस्य इस सदन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह लिखने में गलती हो सकती है।

श्री सुरेश कुमार : मैं पूरा संरक्षण चाहता हूं। निरन्तर मेरे नाम को बिगाड़ा जा रहा है। दैनिक नवज्योति के संवाददाता ने 3 दफा बिगाड़ा। आकाशवाणी के संवाददाता ने 2 दफा बिगाड़ा। श्रीमान्, आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह कुमार है कि नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो आदेश दिये, शिरोधार्य हैं। इस हाउस की अगर इच्छा हो कि विथड्राअल की तारीख और समय को बढ़ाना चाहिये तो मैं समझता हूं जैसी कि पूर्व में व्यवस्था रही है इस हाउस के अन्दर जब भी सदन के नेता महोदय कोई प्रस्ताव लाये उस प्रस्ताव को पूरे हाउस ने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
स्वीकार किया। उसी के अनुरूप इस हाउस के माननीय सदस्यों को अपना नाम जिस कमेटी के लिए वे खड़े हुए हैं, उस कमेटी से वापस लेने का अधिकार मिलना चाहिये। यह इस हाउस की सदैव परम्परा रही है और उस परम्परा के आप भी भागीदार रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस परम्परा को नहीं तोड़ा जाय और वापस लेने का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन सर्वोपरि है।

क्या सदन की सम्मति है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

नाम वापस लेने का समय बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : कब तक।

श्री अध्यक्ष : कब तक बढ़ाया जाय, यह भी सदन से प्रार्थना करूंगा।

क्या सदन की सम्मति है वित्तीय समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने का समय आज शाम तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

नाम वापस लेने का समय शाम तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, आपने जो राजकीय उपक्रम समिति के चुनाव हेतु नाम बताये उसमें श्री रघुनाथ विश्नोई पढ़ा है, वह नाम राम रघुनाथ चौधरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं बताना चाहता हूं वह नाम श्री रामरघुनाथजी है। पढ़ने में गलती हो गई है।

(व्यवधान)

श्री जीवित भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे एक ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दूं, उसके बाद ले लूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री रामसिंह विश्नोई, खेतसिंह, अब्दुल अजीज व रामनारायण डूंडी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में पश्चिमी इलाके में बिजली की सप्लाई के नियमित न होने के विषय में।

इस प्रश्न पर सदन में पूर्व में चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

(2) श्री माधव सिंह दीवान, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 31 मार्च को सोजत शहर में शीतला माता के मेले के अवसर पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विषय में,

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर नकल आदि करने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री परसराम मोरदिया व श्री रणमल सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नगरपालिका प्रशासक द्वारा कुछ हरिजन व मुसलमान लोगों को उनके घरों से गैर कानूनी तरीके से हटाने के विषय में,

(5) श्री रामकृष्ण दास सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में लगे हुए ग्राम पंचायत शिवबाड़ी की जमीन को गैर कानूनी ढंग से बेचने के विषय में,

(6) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम मोहचा तहसील गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर के 19 हरिजन परिवारों को बेदखल करने के विषय में,

(7) श्री मदन सिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम दिवराला तहसील श्री माधोपुर के एक व्यक्ति को विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा झूठा बिल भेज कर परेशान किये जाने के विषय में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव भी था ...

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था। इलाहाबाद में दो आदमी मारे गये हैं, ऐसी स्थिति राजस्थान में भी आने वाली है। राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ लूंगा।

(व्यवधान)

एक एक करके माननीय सदस्य बोलें। मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मेरा भी प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : मैं एग्जामिन करा रहा हूं मुझे आशा है 6 तारीख तक उसको एडमिट कर दूंगा।

श्री जगदीश चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी चूरू जिले के बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था। उसके विषय में कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक दिन में एक लिया जाता है। आज की कार्य सूची में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ले लिया गया है। सम्भवतः आपका भी नाम होगा। उसमें 23 माननीय सदस्यों के नाम हैं।

कृपया आसन को सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मेरे स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं मिली....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैंने भी आधा घंटे की चर्चा के लिये एक प्रतिवेदन पेश किया था। माननीय हरिदेव जोशी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने जिस प्रकार जमीन हड़प ली उसी प्रकार यह सेवा सदन की जमीन भी····

(व्यवधान)

और फिर आप उसको खाली नहीं करवा सकते हैं। इसके बारे में दिया था···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की जानकारी के लिए इसको भी भेज दिया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसके लिये न तो यह सूचना दी कि खारिज कर दिया गया है और न यह सूचना दी कि उसको ले लिया गया है···

(व्यवधान)

प्रमोद बिहारी ने दीवार गिरा दी। यू. आई. टी. से मिलकर जिस प्रकार राम किशोर व्यास ने जमीन दबा ली उसी तरह दबा ली है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार हो गया।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा और रामकृष्णजी का एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा गोली चलाकर 11 नागरिकों की हत्या पर विचार हेतु····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिनकी आज कोई चर्चा नहीं की वे सरकार के पास भेज दिये गये हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। सरकार उचित कार्यवाही करेगी। सदन में अब समय नहीं है, आपके स्थगन प्रस्ताव लेने के···

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपने मुझे कहा है, मैं समय दूंगा। एक एक करके कृपया कहें तो सुचारु रूप से कार्यवाही चल सकती है, कन्फ्यूजन मत करिये।

श्री जगदीश चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के विधायकों के साथ जो घटना हुई है, उस सम्बन्ध में हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। यह 30 तारीख को दिया था। उसके सम्बन्ध में चूरू जिले के विधायक बोलना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष, महोदय, हैदराबाद गोली काण्ड में 12 आदमी मरे हैं। माननीय रामनारायण जी ने स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा, इसका मुझे खेद है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे चेम्बर में मिल लें। जो जानकारी होगी, दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : हैदराबाद के सम्बन्ध में...

श्री रामनारायण चौधरी : पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर।

(व्यवधान)

ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया है, माननीय सदस्य का।

व्यवस्था का प्रस्ताव

विरोधी दल के सदस्यों का शून्य काल में स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा करने का अधिकार

श्री रामनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो जीरो आवर है, इसमें बोलने का अवसर उन लोगों को मिलता है जो इधर ना कक्ष में बैठने वाले सदस्य हैं। यह हमारा प्रिविलेज है। आज काफी समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने सूचना देने में लगा दिया। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था बाद में दी गई। जबकि होना यह चाहिये था कि प्रश्न काल के समाप्त होते ही स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जाती। आज तक यह परम्परा रही है कि सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव लिए जाते रहे हैं। आपने भी कृपापूर्वक यह व्यवस्था दी है कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था हो जाने के बाद सम्बन्धित सदस्य एक दो मिनट तक अपने विचार किसी स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यक्त कर सकते हैं। आप भी समय देते हैं। परन्तु आज अधिकतर समय सूचना देने में और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करने में व्यय हो रहा है। माननीय सदस्य आपसे चेम्बर में मिलकर जानकारी ले सकते थे। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाया जाना चाहिये आसन की ओर से। जीरो आवर में बोलने का जो हमारा अधिकार है उस पर आप व्यवस्था दीजिए। स्थगन प्रस्तावों पर हमें बोलने का अधिकार है...

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे चुका हूं और उसी क्रम से मैं माननीय सदस्यों का एक एक करके नाम बोल रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री राम रघुनाथ : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। परन्तु उसकी कोई सूचना मुझे नहीं दी गई है। कल ही दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मुझसे कक्ष में मिलें। यहां फरियाद नहीं करें। हो सकता है, मैंने सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया हो। मैं उस सम्बन्ध में आपको दो मिनट दूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई !

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बिजली की सप्लाई में अव्यवस्था के सम्बन्ध

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मान्यवर, पिछले 7-8 महीनों के अन्दर हमारे पश्चिमी इलाकों के अन्दर बिजली की घोर कटौती की गई है और तो और किसानों को जब बिजली की घोर आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया दो मिनट बोलें। इस सम्बन्ध में सदन में दो वार चर्चा हो चुकी है। दो मिनट बोलें। दूसरे भी बोलने वाले हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : विशेष कर ग्रामीण पश्चिमी इलाकों के अन्दर जो बिजली दी जाती है वह रात को दी जाती है। मान्यवर, एक तरफ गांवों के अन्दर जो खेती करते हैं उनसे विद्युत् बोर्ड द्वारा मिनिमम या एवरेज चार्जेज लिए जाते हैं। जब किसान बिजली का पूरा प्रयोग नहीं करता है तो क्यों मिनिमम या एवरेज चार्जेज उस पर थोपे जाते हैं ? दूसरी ओर बिजली बोर्ड किसानों को बिजली भी पूरी नहीं दे पाता है। उनके घन्टों में आप कटौती करते हैं तो फिर क्या अधिकार है सरकार को बिजली बोर्ड को किसानों से मिनिमम चार्जेज या एवरेज चार्जेज लेने का ? जब आप किसान को चौबीस घन्टे में 4-5 घन्टे भी बिजली नहीं दे पाते हैं।

एक निवेदन मैं यह और करना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्ट द्वारा पूरी देख-भाल नहीं की जाती है। ट्रांन्सफार्मर जल जाते हैं और 10-15 दिन तक उनका रिप्लेसमेन्ट नहीं होता है। इससे किसानों का काफी नुकसान होता है। मान्यवर, ग्रामीण इलाके की बिजली काटकर किसानों को रात के 7 से 10 बजे तक बिजली दी जाती है। दूसरी ओर गांवों की बिजली बन्द रहती है। किसानों के पास गांव में बिजली की, या लाइट की दूसरी व्यवस्था नहीं होती है। जब ग्रामीण जनता की बिजली काट दी जाती है तो ऐसी स्थिति में गांव में दुर्व्यवस्था हो जाती है। उनके साथ अन्याय होता है। मैं मांग करता हूं कि जब ग्रामीण जनता को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं की जाती है तो उनसे एवरेज या मिनिमम चार्जेज लिया जाना उचित नहीं है। पूरे समय बिजली नहीं दी जाती है तो वे मिनिमम चार्जेज कतई नहीं लिए जाने चाहिये। मोटरें खराब हो जाती हैं तो उनके रिप्लेसमेन्ट के लिए किसानों को पैसा देना पड़ता है। यह जो आपके कर्मचारी हैं, वे खराब ट्रान्सफार्मर को समय पर बदलते नहीं हैं, बिजली समय पर नहीं देते हैं तो यह जो मिनिमम चार्जेज आप लगाते हैं उनको बन्द कर दिया जाए।

मान्यवर, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। लूणी नदी के किनारे पर और गांव विशेषकर पीचीयाक के 15-20 कुए पानी की डूब में आ गए हैं परन्तु पिछले तीन, चार साल से लगातार बिजली विभाग द्वारा उन गांव वालों से मिनियम चार्जेज, एवरेज चार्जेज की मांग की जा रही है जो सरासर गलत है। इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिये और एक्स. ई. एन. और एस. ई. जो जोधपुर में हैं, उनको लिखा जाना चाहिये कि जो मिनिमम चार्जेज उन पर लगाए गए हैं, उनको माफ कर दिया जाए।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूंडी !

श्री रामनारायण (डूंडी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पश्चिमी इलाके में बिजली की सप्लाई नियमित न होने के सम्बन्ध में मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके के किसानों को बिजली की सप्लाई नियमित और समय पर नहीं मिल रही है। इस कारण वहां के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है । मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हालात यह हैं कि बिजली पूरे समय नहीं मिलती हैं । यदि कहीं पर बिजली दी जाती है तो उसका वोल्टेज कम होता है जिससे मोटर लोड नहीं उठाती हैं और उनकी मोटरें जल जाती हैं । इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है । यह बिजली बोर्ड का दायित्व है कि वह किसानों को पूरे समय बिजली दे । अगर पूरे समय बिजली नहीं दी जाती है और वोल्टेज पूरा नहीं होता है तो किसानों की मोटरें जल जाती हैं । किसानों को इस कारण जो क्षति उठानी पड़ती है, उस क्षति को बिजली बोर्ड वहन करे । इसका यह साफ मतलब है कि बिजली देने वाला बोर्ड पूरी तरह से बिजली नहीं दे पा रहा है और वोल्टेज कम होने के कारण मोटरें जल गई हैं । बिजली बोर्ड या इस विभाग के मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि यदि वोल्टेज कम आता है और मोटर जल जाती हैं तो मशीनों का बीमा कराया जाए और जो मोटरों को इस कारण से हर्जाना हो वह बिजली बोर्ड वहन करे । मोटर में खराबी होने के कारण चार्जेज ज्यादा आते हैं । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा जो मोटर में वोल्टेज के कारण खराबी होती है, चार्जेज ज्यादा आते हैं किसान चार्जेज भर नहीं सकता ऐसे केसेज का निपटारा शीघ्र किया जाए । काफी लम्बे अर्से से यह अटके हुए हैं। इसलिए इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाए । जो जांच पेन्डिंग हैं वह शीघ्र कर इनका निपटारा कराया जाए । इसके अलावा वहां पर गहरे कुए हैं । वोल्टेज कम देते हैं और बिजली समय पर नहीं दी जाती है । इस कारण मोटरें जल जाती हैं और फसल को नुकसान होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर गहरे कुएं हैं वहां पर तो बिजली नियमित रूप से दी जाए और पूरे दिन उनको बिजली मिले । बिजली नियमित रूप से पूरी न मिलने से उनको पानी देने में दिक्कत होती है । वे अपनी फसलों को पानी नहीं दे सकते हैं । आशा है मंत्री महोदय इस पर अविलम्ब पर ध्यान देंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, गत 31 मार्च को सोजत शहर में शीतला माता के मेले के अवसर पर हरिजन लोगों के साथ दुर्व्यहार किया गया यह एक हो आइसोलेटेड एक्सीडेन्ट नहीं है । जगह जगह पर इस तरह की कार्यवाही हो रही है

Page No 55

(55)

(श्री माधवसिंह दीवान)

छुआछूत की भावना, जो कि काफी मिट चुकी थी, को वापस उभारा जा रहा है, फिर भी सरकार बिल्कुल चुप है और कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो व्यवस्था दी है उस पर पुनः विचार कर इस सदन को स्थगित कर मेरे स्थगन प्रस्ताव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह सदन पूरी तरह से विचार करें, और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाये।

खास तौर से सोजत में क्या इन्सीडेन्ट हुआ वह मैं बताना चाहूंगा। वहां पर मेला लगा हुआ था। उस मेले के अन्दर जिस तरह से हर साल होता है गांव वाले लोग अपनी अपनी गेरें ला रहे थे और उन पर गुलाल डाल रहे थे। सभी गेरें आई। वह करीब 20-25 थीं। उनको नगरपालिका की ओर से 5-5 किलो की गुड़ की भेली हर साल इनाम में दी जाती है और एक एक झण्डा भी उनको दिया जाता है। जब सारा कार्यक्रम निपट गया। मेले के अधिकारी, जिनमें मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और विधायक लोग हैं, वहां, पर एक जगह पर बैठे हुए थे। उसके बाद में लोगों ने साजिश करके वह 5 किलो की भेली उन बैठे हुए ऑफिसरों के बीच में फेंकी। सौभाग्य की बात है कि वह भेली किसी के ऊपर नहीं गिरी। वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से सिर्फ 6 इन्च दूर गिरी। कहीं किसी के सिर पर गिर जाती तो पता नहीं क्या होता? यह कहा गया कि इन ऑफिसरों ने हरिजनों और भंगियों द्वारा हमारे ऊपर गुलाल फिकवा दी। कहां की बात कहां पर उभारी गई। इसका मतलब यही है कि साजिश की जा रही है। छुआछूत की भावना, जो खतम की जा चुकी थी, को वापस उभारा जा रहा है ताकि इस लोकतन्त्र में हरिजनों को खतम किया जा सके।

आज मुझे एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि वहां के एक हरिजन ने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो वहां लोग हैं वह इस बात को दबा रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की इन्क्वायरी न हो और कोई चालान पेश न हो। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि वे सरकारी ऑफिसर गवाह हैं, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गवाह हैं

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

मुझे सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलना चाहिए कि इस मामले को दबाया नहीं जायगा। जो बदमाश और गुण्डे लोग हैं, इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है, उनका चालान किया जाय और उनको पूरा दण्ड दिया जाय।

बड़े दुःख की बात है कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब देने के लिए आज गृह मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं। आशा है सरकार इस बात पर ध्यान देगी और इसका जवाब देगी कि इस बाबत क्या कार्यवाही की गई है और इस केस को दबाया नहीं जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सारा हिन्दुस्तान यह जानकर प्रभावित होगा कि राजस्थान में परीक्षाएं नये ढंग से हो रही

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। कई जिलों की खबरें और तार मेरे पास मौजूद हैं कि परीक्षा पद्धति नये ढंग से चालू हो गई है। सारे पर्चे पहले दे दिये जाते हैं, विद्यार्थी लोग किताबें लेकर जाते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं और किताबों को देख-देखकर जवाब देते हैं। यह नया एक्सपेरीमेंट है इसकी सराहना होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके इन्विजीलेटर्स, चपरासी और आर. एस. एस. के वालन्टियर्स जगह जगह...

श्री मदनसिंह दांता : आप लोग आन्दोलन करवा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आन्दोलन हो रहा है, आप ठीक कहते हैं। पर, श्रीमान् अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सारे विद्यार्थी सेन्ट-पर्सेंट पास होंगे, क्योंकि आपका यह नया एक्सपेरीमेंट है। शिक्षा मन्त्री जी अभी बैठे थे वह चले गये हैं, उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है! मैं अभी सदन में पर्चे रखूंगा। अभी पर्चे जो आउट हुए वह पर्चे भी कल रख दूंगा। आपके सामने यह भी रखूंगा कि वहां पर इन्विजीलेटर्स भी नहीं थे। राजस्थान के विभिन्न जिलों में 7 दिन से वरिष्ठ अध्यापक हड़ताल पर हैं और 8 महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी मांगें न्यायोचित हैं। शिक्षा मन्त्री जी ने भी कहा है कि उनकी मांगें वाजिब हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। जनता पार्टी की सरकार किस बात को चाहती है? क्या यह चाहती है कि उनके इस प्रकार से इम्तिहान हों? परीक्षाओं में सब जिलों में हजारों की तादाद में विद्यार्थी बैठे हैं क्या वह नकल करें या किताबों को देख-देखकर जवाब दें?

आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण मसला है इस पर विचार हो। राजस्थान सरकार ने नुरुल हसन साहब का नया एक्सपेरीमेंट लागू कर दिया है तो मैं बड़ा प्रभावित हूं। वह कह दें कि एक्सपेरीमेंट है राजस्थान में। आर. एस. एस. के वालन्टियर्स इन्विजीलेटर्स जगह जगह पर हैं। परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। मास्टर लोग 9 दिन से हड़ताल पर हैं। हालत चिन्ताजनक है। महिलाएं भी भूख-हड़ताल पर हैं। आप इसको कोई खास बात नहीं समझ रहे हैं। 7 मांगें उन्होंने रखी हैं। एक एक मांग उनकी न्यायपूर्ण मांग है। उन मांगों के बारे में कोई वार्तालाप होता नहीं है। कहने को तो जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि उनका निराकरण करेंगे मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षक लोग स्वाभिमानी हैं। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। वह हरगिज नहीं झुकेंगे। आपकी हठधर्मी है कि आपने इसका अपना प्रेस्टीज इश्यू बना रखा है। 7 दिन से बराबर यह हड़ताल हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार से इस बारे में वक्तव्य दिलायें और इस पर कोई दिन विचार के लिए रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मोरदिया।

(व्यवधान)

पहले यह बोलेंगे। श्री परसराम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैंने स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में पेश किया है कि लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में जितने भी गरीब मुसलमान और हरिजनों के परिवार हैं वह वहां करीब करीब 10 साल से बसे हुए हैं। 4-5 दिन पहले वहां पर तहसीलदार ने आकर उन परिवारों से कहा कि जमीन को खाली करो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 1974 तक जो आबाद थे उनको रेगुलेराइज कर दिया गया है। इस बात से उनमें इतना असन्तोष फैला हुआ है कि आपस में झगड़ा होने की सम्भावना है। तहसीलदार उनको बराबर परेशान कर रहा है। जब 3-4 महीने पहले जिलाधीश, सीकर वहां पर पधारे थे तो उन्होंने तहसीलदार साहब को कह दिया था कि इनको रेगुलेराइज कर दो। उनकी वहां पर झोंपड़ियां हैं कोई महल तो बने हुए नहीं हैं। तहसीलदार साहब बराबर उनको परेशान कर रहे हैं कि अपना कब्जा हटाओ और जमीन खाली करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सारे गरीब परिवारों के कब्जों को रेगुलेराइज किया जाय। तहसीलदार से उन लोगों ने कहा तो उसने बड़े अपशब्दों में उनको जवाब दिया। उनकी आपस में जो जो बातें हुई उनको मैं यहां पर नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ में बड़ा गलत काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, वह 10 साल से वहां पर बसे हुए हैं तो नगरपालिका को क्या दिक्कत आ रही है उनको रेगुलेराइज करने में। नगरपालिका की वह जमीन है और 10 साल से वह परिवार वहां पर बसे हुए हैं। आज वहां पर कोई दूसरी ऐसी जमीन नहीं है कि जहां पर वह बस सकें। तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वे जिलाधीश सीकर को आर्डर दें। वहां पर बड़ा असन्तोष फैला हुआ है मुसलमानों में और हरिजनों में, खास तौर से मुसलमानों में जिनके करीब 30 परिवार हैं और हरिजनों के 10-11 परिवार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगुलेराइज करने की तुरन्त कार्यवाही की जाय। अगर जमीन खाली कराने की कार्यवाही हुई तो बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त जिलाधीश सीकर को लिखें कि यह जमीन उनसे खाली नहीं कराई जाय और उसको रेगुलेराइज कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रणमलसिंह !

श्री रणमलसिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन गरीबों के लिए निवेदन करना चाहता हूं जिनको उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस सदन में 200 मेम्बरों में से 56 मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। हम बहुत कम बोलते हैं। इनकी बेदखली का सवाल आता है तो दूसरे मेम्बर बोलते हैं। मैं यह कहूंगा कि अभी तक सदन में यह सवाल कभी नहीं आया कि अमुक चौधरी को, अमुक ठाकुर साहब को बेदखल किया जा रहा है। अगर किसी को हटाया जाता है तो आये दिन गरीब के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जिनको जमीन मिली उनको आये दिन बेदखल किया जा

(श्री रणमल सिंह)

रहा है। यह लोग वहां पर 10 साल से बसे हुए हैं। एक-दो साल से बसे हुए लोगों का कब्जा रेगुलेराइज हो गया तो इनको रेगुलेराइज करने में क्या दिक्कत है? उनके पास एक झोंपड़ी ही तो है। वे महल तो बनाना नही चाहते और उनका महल होने का भी नही हैं। एक एक झोंपड़ी की जगह तो उनको दी जाय। 28 प्रतिशत तो हम हैं और 13 प्रतिशत मुसलमान हैं सीकर में तो 41 प्रतिशत आदमियों को कम से कम एक एक झोंपड़ी बन सके उतना टुकड़ा तो जमीन का उन्हें मिले ताकि वह उस पर बस सकें। अगर कोई फरियाद करें तो कहां जायें। यहां तो या तो राम है या राज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये और विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे पूरी बात कहने का मौका दिया जाये। मैं अर्ज कर रहा हूं, ग्राम पंचायत शिववाड़ी की भूमि को गैर कानूनी ढंग से बेचने से राज्य सरकार का एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। बीकानेर जिले में ग्राम पंचायत शिववाड़ी में सन् 1961 मे कृषि भूमि को आबादी भूमि में चेंज कराया। आबादी भूमि में चेंज कराने के बाद में गैर कानूनी ढंग से बेचने में घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। तत्कालीन सरपंच ने तत्कालीन विधायिका कान्ता कथूरिया से मिलकर जो जमीन बीकानेर नगर विकास न्यास ने 3 रुपये के हिसाब से बेची वह जमीन 5 रु. दर में बेची। पहले उस स्कीम का नाम सुभाष कॉलोनी रखा गया था उसका देश के नेता के नाम पर रखा गया था लेकिन सरकार ने उसे एप्रूव नहीं किया और जीती जागती विधायिका कान्ता कथूरिया के नाम पर, कान्ता कथूरिया कालोनी नाम रखने की सरकार ने मंजूरी दे दी। पहले सुभाष कॉलोनी नाम की मंजूरी नहीं दी गई। वह जमीन जो बेची गई उसमें एक करोड़ का घोटाला किया गया।

(समय-समाप्त-सूचक-घण्टी)

दो मिनट।

इसकी शिकायत होने के बाद वहां के तत्कालीन जिला अधिकारी ने जांच की। उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी। 8 साल पहले उसमें घोटाला हुआ है। तत्कालीन जिलाधीश ने भी राज्य सरकार को रिपोर्ट दी कि उसमें घोटाला है, बेचान कैंसिल किया जाये। भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने जांच की। उसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार के पास गोपनीय कह कर पड़ी हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछा था। हमारी सरकार यह मानती है कि जमीन का ऑक्शन नहीं हुआ है. इसमें घोटाला हुआ है परन्तु राज्य सरकार उस जमीन को दुबारा लेने की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पण्डिंग हैं उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा है :

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

"भारत सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में अनौपचारिक जांच कार्यवाही की गई थी जिसे गृह मन्त्रालय ने गोपनीय दस्तावेज इंगित कर राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये गोपनीय रिकार्ड को सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।"

यह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है, उसकी क्या गोपनीयता है। 8 साल पहले की जांच की गई। जिला अधिकारियों एवं जिलाधीश के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। जमीन के बेचान में भ्रष्टाचार हुआ है। वह जमीन मिट्टी के भाव बेची गई है। यदि उसका ऑक्शन हो, तो एक करोड़ रुपये की प्राइस में जाएगी। वह जमीन एक लाख से भी कम रुपयों में बेच दी गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

देश के नेता सुभाष चन्द्र बोस का नाम हटाकर एक बदनाम विधायिका के नाम पर कॉलोनी का नाम रखा गया है। उसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। कान्ता कथूरिया के नाम से वह कॉलोनी है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी मैं बीकानेर गया तो वहां के लोग कह रहे थे कि कान्ता कथूरिया कॉलोनी पर कब्जा कर लिया जाये। अभी वह भूमि पड़ी हुई है उस पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। मैं मांग करूंगा कि यह जो भी हुआ है, वह कैंसिल करके उस पर कब्जा किया जाये और जिस सरपंच ने यह किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उस जमीन के बेचान में लाखों रुपया खाया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। भारत सरकार की रिपोर्ट आई है उस पर कार्यवाही की जाये। पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाये। कान्ता कथूरिया कॉलोनी का जो बोर्ड लगा हुआ है, वह हटायें ताकि लोगों को यह पता लगे कि जनता सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ किया है। मैं चाहूंगा, लोग जमीन पर कब्जा करें, उससे पहले ही उसकी जांच कराकर उन लोगों को जेल में डालें। जो कांग्रेस के तत्कालीन मन्त्री थे, उन्होंने रुपया खाया है। जमीन के बेचान में भ्रष्टाचार हुआ है। आप ऐसी कार्यवाही करें जिससे कान्ता कथूरिया कॉलोनी का नामो निशान मिट जाय। आप उस भ्रष्टाचार को मिटाने का वायदा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामकृष्ण दास गुप्ता ने जो सुझाव रखा है, मैं भी आप की मार्फत दल के नेता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का है। कान्ता कथूरिया कॉलोनी के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े पेश किये हैं, वह आंकड़े बिलकुल सही हैं। इस सारे मामले में एक करोड़ रुपये का घोटाला निश्चित रूप से किया गया है। राज्य सरकार के अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। उस भूमि को राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया है। इस सारे मामले में जांच होनी चाहिए।

(श्री माणकचन्द सुराणा)
कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट इस मामले में आयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं सी. बी. आई. की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंची है। मैं निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन किया है, पंचायत मन्त्री को निवेदन किया कि उस सारे अलॉटमेंट को निरस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उस जमीन पर कब्जा नहीं हो। वह जमीन बीकानेर नगरपालिका सीमा से लगी हुई है। चाहे तो राज्य सरकार बीकानेर नगरपालिका में रखे या बाहर रखे, यदि सरकार उसको बेचे तो एक करोड़ रुपये की राज्य सरकार को आमदनी होगी। कान्ता कथूरिया कॉलोनी के बारे में शीघ्र ही कार्यवाही की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा, कान्ता कथूरिया कालोनी के नाम का जो बोर्ड और नाम है, वह हटाया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कान्ता कथूरिया कॉलोनी के बारे में कई प्रश्न उठाये हैं। आज से कुछ माह पूर्व लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जानकारी दी थी। इस सारी जानकारी के आधार पर मैंने पत्रावली मंगाकर देखी है। उसमें कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। मैं दोनों माननीय सदस्यों को बुलाकर बात करूंगा और लॉ डिपार्टमेंट से सलाह लेने के बाद जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह करूंगा। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं रहनी चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कान्ता कथूरिया कोई देश की नेता नहीं थी भारत सरकार की या हिन्दुस्तान कोई नेता नहीं थी जो उसके नाम से कालोनी बनती। यह स्पष्ट घोटाला है। इस प्रकार की कॉलोनी नहीं बननी चाहिए थी। इसमें किसी न किसी मन्त्री का हाथ था, उन्होंने ही सारे पापड़ बेले हैं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि यह अमेण्डमेंट हो चुका है, कि किसी राशि पर किसी को कोई जमीन दे दी गई हो, अगर उस भूमि का गलत आवंटन हुआ है तो वह दुबारा ली जा सकती है और जो राशि उनके खाते में दिखाई गई है उसको वापस करके जमीन को एक्वायर भी किया जा सकता है। जो बात इल्लीगल है वह इल्लीगल है। जो शर्तें राज्य सरकार की थीं उन शर्तों के विपरीत वह जमीन बेची गई है। इसलिए इसमें कोई टेक्निकल खामी नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में कोई अवाप्ति का प्रश्न ही नहीं है। जिन व्यक्तियों को अलॉटमेंट किया गया है वह गैर-कानूनी है। यह सारा अलॉटमेंट राज्य सरकार रद्द कर सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में बिना किसी झगड़े में गये, बिना

(श्री माणकचन्द सुराना)
किसी को कोई मुआवजा दिये इस सारे अलाटमेंट को रद्द किया जाना चाहिए। कोई कानूनी बाधा समझी जाय तो उस पर बहस हो सकती है।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में बिना नीलामी के बेचने के बेचान का कोई प्रावधान ही नहीं है। भूमि विक्रय का अधिकार ग्राम पंचायत एक्ट में, नीलामी के जरिये ही हो सकता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 12 सौ करोड़ में से 69 करोड़ की रजिस्ट्री हो गई है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : यह एक करोड़ का मामला है।

श्री मदन सिंह दांता : आपका एक करोड़ का होगा। आप दूसरों के स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ राज्य सरकार के सामने प्रश्न अलॉटमेंट रद्द करने का ही नहीं है, तत्कालीन मुख्य मन्त्री के कण्डकट की जांच का भी है। इसमें गैर कानूनी संरक्षण दिया गया। और बावजूद विभाग की राय के, इस कॉलोनी का निर्माण किया गया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी के कण्डक्ट की जांच की जानी चाहिए और जो इसमें रुपये-पैसे का का स्कैण्डल है, लाखों रुपयों के घोटाले की बात है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए और जिन व्यक्तियों ने यह घृणित कार्य किया उनको दंडित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और इस कॉलोनी का शुभ-नामकरण संस्कार भी कैसे हुआ, इस बारे में भी जानकारी

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई माननीय सदस्यों के साथ मैंने भी पिछड़ी जाति और जनजाति के लोगों की मांगों पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया है। अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न इस बात का है कि पिछड़ी जाति के लोग, जन जाति के लोग जो भारत सरकार में बहुत बड़ी तादाद में हैं और राजस्थान में भी उनका अनुपात काफी है, उन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है बहुत दिनों से, उनकी बहुत सी मांगें हैं।

श्री हनवंतसिंह राणावत (बाली) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम आइटम नं. 3 पर आधे घन्टे की चर्चा में लिखा गया है। पहले ये लोग बोलने लग गये हैं

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस विषय पर बोलना चाहते हैं, वह बता दें। इनसे पहले मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका दूंगा।

श्री मंजूर अली : Thank you, Sir.

श्री हनवंतसिंह राणावत : इस तरह की कोई व्यवस्था शासन ने नहीं दी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले आधा घण्टे की चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पहला नाम समरथलालजी का है और उसके बाद मेरा नाम है, फिर श्री ओंकारलाल चौहान इसके बाद।

श्री अध्यक्ष : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही चल रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में ग्राम मोहचा तहसील श्री गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर के हरिजनकाश्तकारों को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत, जो कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का था, 9-10-75 को पांच लाख बीघा जमीन अलॉट हुई। उस जमीन के ऊपर उन हरिजन काश्तकारों का कब्जा हो गया, उनको कब्जा दे दिया गया, उनको खाद और बीज दे दिया गया तथा 150/-रुपये नगद खेती करने के लिए दिये गये। लेकिन, मान्यवर, ज्यों ही देश में और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद उन लोगों की हिम्मत बढ़ी जो सम्पन्न लोग थे। उन्होंने हरिजन परिवारों को, जिनमें ज्यादातर भंगी जाति के लोग थे, लाठियों के बल पर खेतों से बेदखल किया। मान्यवर, बेदखल ही नहीं किया गया उनके खेतों के अन्दर मवेशियों को छोड़कर सारी खड़ी हुई फसल को चराकर बरबाद कर दिया, जिसकी सूचना और शिकायत जिलाधीश सवाई माधोपुर को की गई। जिलाधीश व तहसीलदार हल्का को जांच करने के लिए भेजा। उसने जांच की। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि प्रत्येक काश्तकार का चार हजार एक सौ रुपये का नुकसान हुआ। तहसीलदार ने, मान्यवर यह रिपोर्ट दी है कि इन कमजोर वर्गों के लोगों की 77,900 रु. की फसल को नष्ट करके गांव के सम्पन्न लोगों ने गरीब वर्ग को तबाह कर दिया, उनको बरबाद कर दिया। मान्यवर, तहसीलदार ने यह भी लिखा है कि गांव के व्यक्तियों ने निजी मवेशी जिनमें बैल, गाय, भैंस आदि थे और जिनकी करीब पांच हजार की संख्या थी, इन गरीबों के खेतों में जबर्दस्ती छोड़ कर फसल को नष्ट कर दिया। मान्यवर, यह एक अहम प्रश्न है। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि बार-बार हरिजनों का प्रश्न उठाते हैं, लेकिन हमारा तात्पर्य कोई पब्लिसिटी करना नहीं है। हरिजन काश्तकारों को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 1975 के अन्दर पांच-पांच बीघा जमीन

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मिली थी, यह समाज का वह तबका है जिसको गांधीजी ने ऊंचा उठाने की बात कही थी। उनको जमीनों से बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद उनको उजाड़ दिया गया। इसको तहसीलदार ने, मुख्य मन्त्री जी, रिपार्ट की है, वह मैं आपको दे रहा हूं जिसमें अस्सी हजार का नुकसान लिखा है। मैं यह चाहूंगा कि उन हरिजनों को आबाद किया जाय। आपकी सरकार की और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनकी मिली भगत और साठगांठ की वजह से ऐसा हुआ है, एस. डी. ओ. का सीधा हाथ होने के कारण

(श्री रामनारायण चौधरी)

हरिजनों और कमजोर लोगों को बरबाद कर दिया गया है। ये लोग गृह मंत्री के पास पहुंचे। गृह मन्त्री ने आदेश दिया, उसको भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

'प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से प्रतीत है कि प्रार्थी की अलॉट शुदा जमीन की फसल को पिछले कई वर्षों से लगातार वहां के प्रभावशाली व्यक्ति काटकर ले जा रहे हैं। इस संबंध में पहले भी झगड़ा हो चुका है। इन हरिजन के हाथ पैर तोड़ दिए गए जिसके मामले शायद अदालत में हो सकते हैं। यदि कोई प्रभावशाली या अवांछित तत्व इन गरीबों को इस प्रकार परेशान करते रहेंगे तो पुलिस प्रशासन से उनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जो भी प्रिवेंटिव मेंजर्स संभव हों पुलिस द्वारा लिए जाने चाहिए। राज्य सरकार ने एक से अधिक बार गरीब तथा कमजोर वर्ग को संरक्षण देने के लिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। आशा है, इस बारे में आप व्यक्तिगत रूप से हल करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोग फसल को शांतिपूर्वक काट सकेंगे और अपने पास रख सकेंगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

सम्पत राम,
पुलिस अधीक्षक, गृह मंत्री, 10-3-78
सवाई माधोपुर।"

ये आदेश गृह मंत्री ने दिए। राज्य सरकार की नीति है कि गरीब लोगों को मदद दी जाएगी। मुख्य मंत्री यहां विराजमान हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गांव के संपन्न, सरगना व प्रभावशाली लोग किस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेकर गरीबों को विशेष कर शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को कानून अपने हाथ में लेकर तबाह कर रहे हैं। उनकी यह वेदना है, इसको आप महसूस करते होंगे। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी व्यवस्था करें। यह एक ही गांव का प्रश्न नहीं है, सवाई माधोपुर जिले का ही प्रश्न नहीं है, संपूर्ण राजस्थान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से हम ऐसे प्रश्न यहां उठा रहे हैं वरना सत्ता पक्ष तो यही चाहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव पेश ही न करें। तो फिर हम क्या करें? हम अपना मुंह बंद कर दें?

श्री रतन लाल वर्मा: गृह मंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिए।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: शाम को 5 बजे मुंह बंद करके चले जायेंगे। जिन लोगों ने हममें विश्वास व्यक्त किया है, जिस संस्था को हम रिप्रेजेंट करते हैं गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि हम उनकी बात को यहां नहीं उठाते हैं तो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं।

मुख्य मन्त्री ने दूदू के बारे में आश्वासन दिया। दूदू के बारे में जो हमने कहा था, वह राजस्व मन्त्री ने माना है और उन्होंने आदेश दिए हैं। इस घटना की भी आपके तहसीलदार की रिपोर्ट हैं, आपके रिकार्ड में है, कलेक्टर व एस.पी. के पास है। 77,900) रुपये की फसल का नुकसान हुआ, कानून के खिलाफ काम हुआ है, लाठी व डंडे के जोर पर उनको बेदखल किया है। मैं चाहूंगा कि आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

कानून का शासन स्थापित करें, लाठी व डंडे के राज को आप समाप्त करें। आप राजस्थान के कमजोर वर्ग व शिड्यूल्ड कास्ट्स की मदद करें अधिकारियों को आदेश दें कि जिनको उजाड़ा गया है, उन लोगों को कब्जा करवायें, उनके नुकसान की पूर्ति करें, वे अपनी खेती को किसी प्रकार कर सकें, इसके लिये उनको आवश्यक सहायता दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर जिले के मोहचा गांव के प्रश्न को लेकर हरिजनों को बेदखल करने की बात उठाई है। माननीय सदस्य इस बात से तो सहमत होंगे, जैसे उन्होने स्वयं गृह मन्त्री का आदेश पढ़कर सुनाया, उससे यह अनुमान और विश्वास तो होता है कि हरिजनों के पक्ष में सरकार की क्या नीति है ? सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है, जैसा गृह मन्त्री ने अपने आदेश में उल्लेख किया है। जहां तक यह सवाल है कि उनको कितना नुकसान हुआ और कैसे बेदखल किया गया, हम इस बात की पूरी जानकारी करेंगे और उसके बाद में चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। सवाल एक ही आता है, माननीय सदस्य बार बार यही कहते हैं कि सरकार हरिजनों के साथ इस प्रकार जो अन्याय हो रहा है, उस पर सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है। यदि आप इसको प्रचार का साधन न बनायें तो ज्यादा अच्छा है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हरिजनों का जब भी प्रश्न आता है तो उसको इस प्रकार से रखा जाता है जैसे सरकार उस प्रश्न पर मौन धारण किए हुए बैठी है।

दूदू का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया माननीय सदस्य संतुष्ट हुये होंगे कि राजस्व मन्त्री ने तुरन्त एक्शन लिया है। इससे उनको विश्वास होना चाहिये कि जो मामले हमारे नोटिस में आते हैं, उन पर कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। इधर जनता पार्टी सरकार तो ऐसा कर रही है उधर चौधरी साहब स्वीकार करेंगे कि पिछले तीन दिनों से जहां कांग्रेस (आई) का शासन है हैदराबाद में वहां गोलियां चल रही हैं। मैं इस प्रश्न को यहां नहीं उठाना चाहता लेकिन यदि यू. पी. में या मध्य प्रदेश में गोलियां चल जायें तो चौधरी साहब का पहला स्थगन प्रस्ताव वहां के बारे में होता है। इसी प्रकार हरियाणा व पंजाब···

श्री रामनारायण चौधरी : यू. पी. में 16 आदमियों को संबलपुर में मार दिया कोई सुनवाई नहीं, हरियाणा में सिक्खों को मार दिया गया ···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है लेकिन···

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हैदराबाद व सिकंदराबाद में जहां की जनता ने आपकी सरकार के चौधरी चरणसिंह और प्रधान मन्त्री दोनों के मुंह पर तमाचा मारा है, आप चाहते हैं कि वहां मिलिट्री

(श्री रामनारायण चौधरी)
के दखल की वजह से वहां पर लोकप्रिय सरकार चल नहीं सके, ऐसा षड़यन्त्र रचाया गया है ।

(व्यवधान)

श्री एच.एन. शर्मा : इस प्रकार का बर्ताव वर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे बर्ताव का हम जवाब देना चाहते हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हैदराबाद में थाने पर महिला के साथ बलात्कार किया और उसके पति को पीटकर जान से मार डाला । सरकार की लापरवाही निष्क्रियता व भ्रष्टाचार से आज हैदराबाद में 9 आदमी मारे गए। सुना है इन्दिरा-गांधी गंगानगर में आयेंगी । मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह देखे कि वह राजस्थान में न आएं वरना दंगे होंगे ।

(व्यवधान)

उनकी ये चालें हैं, वायलेंस की छूट दे रखी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसी भी प्रश्न के ऊपर किस हद तक चर्चा हो सकती है उसकी भी एक सीमा होती है। मैंने तो एक छोटी सी बात की तरफ संकेत किया था। उसके बाद में माननीय सदस्यों ने इस तरह की स्थिति सदन में पैदा कर दी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जभी तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार के मुंह पर चुनावों में हराकर तमाचा मारा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में जो घटनायें होती हैं उनको इस सदन में बार बार उठाना कहां तक उचित है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में सभी जगह पर जनता पार्टी का राज्य नहीं है। जहां पर जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं वहां भी आये दिन कई घटनायें होती हैं। अगर उनको यहां पर जनता पार्टी के सदस्य उठावें तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? मेरा निवेदन यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो घटनायें होती हैं अगर मुख्यतः उन्हें ही उठाया जावे तो समस्या का काफी समाधान हो सकता है।

जहां तक सवाल हरिजनों के साथ अत्याचार का है मैं समझता हूं जनता पार्टी का कोई भी सदस्य उसको वर्दाश्त नहीं करेगा । जहां तक सवाल हरिजनों की समस्या का है अगर किसी भी हरिजन के साथ कोई भी अत्याचार हुआ है तो वह किसी भी मन्त्री, हमारी केबीनेट के किसी भी मन्त्री के पास जाकर कभी भी विना किसी रोक-टोक के अपनी बात कह सकता है। राजस्थान के सभी मन्त्री उनकी कठिनाइयों को सुनते हैं और सुनेंगे भी तथा जो भी उनकी कानूनी मदद होती है वह करते हैं। लेकिन यहां पर बार बार यह कहा जाय कि गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और गरीब हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे गरीब का मोरल गिरता है। मैं सदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अन्दर यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी हरिजन के साथ कहीं भी राजस्थान में अत्याचार हुआ है वह आकर हमें बतावे तो उसके लिये तुरन्त कार्यवाही होगी। वैसे भी अगर कोई हरिजनों के साथ अत्याचार की घटनायें राज्य सरकार के नोटिस में आती हैं तो राज्य सरकार बहुत ही तत्परता से कार्यवाही करती है। अब...

श्री मदनसिंह दांता : मेघवाल साहब को पता है पर वह कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। जमीन के...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेघवाल साहब और जमीन के बारे में बात कही। आपके इनके कोई झगडा व्यक्तिगत हो तो उस लड़ाई के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा काहे का झगड़ा है, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, सदन में एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये कि गरीब को भय पैदा हो जावे। नहीं तो होता यह है कि गरीब ज्यादा डर जायेगा और गरीब इन बातों को सुन कर निरुत्साहित हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि गरीब निरुत्साहित नहीं हो। अगर आपने हरिजनों के साथ अत्याचार होने की बार बार बात कही तो दूसरे लोग जो सम्पन्न होते हैं, अपनी प्रवृत्ति हरिजनों के साथ अन्याय करने की नहीं छोडते हैं। उन पर हमला बोल देते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते है। इससे होता यह है कि हरिजन लोग भय के मारे उनका मुकाबला नहीं करते हैं। उसका असर यह होता है कि गरीब ज्यादा कमजोर होता जाता है और साधन सम्पन्न लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य सदन में तो हरिजनों के साथ जो अत्याचार होता है उसके बारे में प्रश्न उठाते ही हैं लेकिन सदन के बाहर भी अगर उनके नोटिस में कोई हरिजनों के साथ अत्याचार की बात आये तो वह आकर हमें इत्तिला दे सकते हैं। उसके लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है ऐसा कह कर दूषित वातावरण नहीं बनावें। इसका असर खराब पड़ता है। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां पर प्रश्न उठाया है उसके लिए मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसकी निश्चित रूप से जांच की जावेगी और जो भी दोषी होगा उस को सजा दी जावेगी।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है कि माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी चौधरी हर वक्त उठ कर जो कोई बोलता है उसके बीच में बोलने लग जाते हैं। अभी मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे थे तब उन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया और आपने उनको बोलने से रोका नहीं। He has again started speaking.

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? जब रामनारायण चौधरी मिनिस्टर थे तब उन्होंने लोगों से रिश्वत ले ली और लोगों के ऊपर मुकदमे चलवाये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप जैसे हो वैसा दूसरों को मत समझो। पहले अपने कारनामों को देखो, अपना मुंह दर्पण में देखो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री नवरंगसिंह : आपकी हिस्ट्री सारा झुन्झुनूं का इलाका जानता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी को जानकारी देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह तीन बार बोल चुके हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनके बोलने के बाद मुझे बोलने का मौका दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी सदन में प्रश्न उठाया था वह प्रश्न बहुत ही अहम प्रश्न था और घटना से सम्बन्धित था। कल जो मैंने प्रश्न उठाया था कि हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी को उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति ने जान से मारने के लिए उन पर हमला किया। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गान्धी हमारी ही नेता नहीं बल्कि हमारे देश की नेता हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इन्दिरा गान्धी हमारी नेता नहीं है। वह तुम्हारी नेता होंगी। इन्दिरा गान्धी खूनी हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : देश की नेता इन्दिरा गान्धी हैं आज भी हैं। पूरे देश की नेता हैं। देश की नेता इन्दिरा गान्धी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री बाऊदयाल जोशी : एक हत्यारी हमारी देश की नेता नहीं हो सकती हैं। हत्यारी को देश की नेता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री रतनलाल वर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे थे तो माननीय सदस्य रामनारायणजी बोलने खड़े हो गये। यह तो मैं समझता हूं कि हमारे सदन की परम्पराओं के खिलाफ है। दूसरे जब मुख्य मन्त्रीजी ने व्यवस्था करनी चाहिये सवाई माधोपुर के प्रश्न के बारे में वह करने का आश्वासन दे दिया तो माननीय सदस्यों के बोलने का कोई औचित्य ही नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा (मसूदा) : हैदराबाद में गोली चली वहां पर पूंजीवादी सरकार है। यहां पर हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। फिर दोनों सरकारों में क्या फर्क है। वहां पर सौ व्यक्ति गोलियों से मार दिये गये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : बन्दूक की नोक पर जनता पार्टी की सरकार शासन नहीं करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं वह सभी हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रया है इणरा उल्लेख करे। सारा का सारा बदनाम कर रया है पर बात आ है कि जद चुनाव में वोटां रो काम पड़े जद जार हरिजनारे केवे भाई चालो म्हाने वोट दो मुतलब वे जद तो हरिजना रे कने जार केवे हरिजन भाई थारे बिना म्हारो काम नाहीं चाले और जद काम निकल जावे तो जूता निकाल हरिजन ने जूता सूं पीटे। सभी ऊपर रे मन सूं हरिजना सूं हमदर्दी दिखाय रया है। कसूर थाको नहीं है क्योंकि हरिजनों सूं तो भगवान ही नाराज है आ सरकार हरिजनां ने कांई देगी।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव भोलाराम के सम्बंध में दिया है जो कि 3 साल से बिजली विभाग की चपेट में आ रहा है। मैं उसके सम्बंध में कहना चाहता था इस समय मन्त्री महोदय भी यहां हैं। भोलाराम श्रीमाधोपुर तहसील में डेगाना गांव का है। 3 साल हो गये उसके यहां बिजली का कनेक्शन कट गया था। उसने कनेक्शन कटवा दिया था फिर भी उसके यहां बिजली का बिल आ रहा है। 3596.99 पैसे का बिल उसके जिम्मे हो गया है। न जाने बिजली विभाग वाले उसको क्या क्या कहते हैं। जब से मन्त्री जी आये हैं भागा दौड़ी तो मची है अधिकारियों में लेकिन फिर भी अभी बाज नहीं आये हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको आप आपके पास बुला लें और उनकी बात आप सुनें। जो दोषी हैं आप उनको दण्डित करें। 15 हजार दांता रामगढ़ से बटोर कर ले गये। विभाग में मुंहजोर घोड़े हैं जब तक ताकतवर सवार नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं। रोज रोज मुख्य मंत्री कह देते हैं कि एक्स्प्लाइट मत करो। हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो हम कहते हैं, भ्रष्टाचार होता है तो हम कहते है। आप हमारे कहने पर नाराज न हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहने पर नाराज नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि 15 हजार दांता रामगढ़ से बटोर कर ले गये। आप मुझे सबूत लाकर तो दीजिये। मैं जरूर कार्यवाही करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : ढड्ढा के लिये कितनी बार लिखा कि वह चोर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह चोर नहीं है। आपने आरोप लगाये हैं वह मैंने देखे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह बात गलत है तो मैं भी साबित करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर दीजिये साबित । मैं भी जांच कराने के लिये तैयार हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : उनका सर्टिफिकेट गलत है । पहले वाली गवर्नमेन्ट ने लिख कर दिया है यह गलत है । खेतसिंह जी का मकान बन गया, क्या यह गलत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी का मकान बन गया तो खेतसिंह जी जानें, मेरा क्या लेना देना है ।

श्री मदनसिंह दांता : उनको निकालो ।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष....

(व्यवधान)

मेरा नाम उसमें है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप यहां पर नहीं थे जिस समय मैंने नाम पुकारा । और ले लीजिये दो मिनट आप ।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि व्यवधान के बाद मुझे मौका दिया । बिजली मंत्री जी को पिछड़े हुए पश्चिमी राजस्थान में बिजली की और बिजली विभाग की क्या गतिविधियां हैं उनसे अवगत कराना अपना फर्ज समझता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, राजकाज में कौन लोग सक्रिय हैं, कौन फायदा उठाते हैं, कहां कहां प्रभाव रहता है उसकी मिसाल बताता हूं । हमारे इलाके खास तौर से नागौर, फलौदी, जोधपुर के पास पाकिस्तान की सीमा से लगे जो गांव हैं वहां बिजली नहीं है वे बिजली से वंचित हैं । लोगों में जो बेचैनी पैदा हुई है उसकी मिसाल सदन के सामने बताता हूं । विद्युत् मंत्रीजी का मैं खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर जिले में खिवसर एक गांव है । खिवसर में एक दिन में बिजली दे दी गयी और उसकी दर न्यूनतम 1 रुपया प्रतिमाह रखी जब कि 70 किलोमीटर दूर से बिजली लायी गयी थी 700 रुपये केवल ए. ई. एन. के आने जाने में खर्च हो गये । रिटर्न क्या मिला ? 1 रुपया प्रति माह । इससे पता चल सकता है कि राज्य में कौन लोग प्रभावशाली हैं, विद्युत् मंडल में किस प्रकार का प्रभाव है । दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूं कि कालवी साहब के ससुराल में बिजली दी गयी । कोई विद्युतीकरण का मामला नहीं था ।

(व्यवधान)

शान्ति से सुनिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : कालवी इस सदन के सदस्य नहीं हैं । आप उनके बारे में नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप सुनिये तो सही ।

श्री नूरा : जनता पार्टी कहां से सिखाये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अब्दुल अजीज : आपकी सरकार कानून से बंधी हुई है और कानून के मुताबिक ही आपको चलना होगा। कानून से रहने की और सहने की आदत नहीं है तो गद्दी से नीचे आ जायें और सुनने की कोशिश की जाय। पूरे इलाके में जिस तरह का आतंक है उससे यह महसूस होने लगा है कि गैर तरीके से लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। आज ही 697 नम्बर का प्रश्न था, कालवी ग्राम में जलप्रदाय योजना के बारे में और यह जनता पार्टी के सदस्य का था। उनको सदन में आने नहीं दिया। इतने प्रभावशाली लोग राज्य में बिराजमान हैं। आप मुकाबला कीजिये।

श्री अचलाराम (बेसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बिलकुल गलत है। प्रश्न मेरा था। किसी ने मुझे नहीं आने दिया, यह चार्ज बिलकुल गलत है।

श्री नूरा : जनता पार्टी की यह हालत है। आप सत्ता में बैठे हैं। सामने वाला विरोध में जो बैठा है वह कोई बात कहना चाहें तो कहने न दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : गलत आरोप उस व्यक्ति पर नहीं लगाने चाहिये जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है।

श्री नूरा : प्रूव करिये। आप चाहते हैं कि न बोलने दें?

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है, सिद्धान्त का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाये जायं•••

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इस प्रकार से गैर तरीके से जनता पार्टी के लोग हावी हो रहे •••

(व्यवधान)

श्री कोशल किशोर जैन : माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं•••

(व्यवधान)

श्री नूरा : आपको सुनना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर !

श्री मूलचन्द डागा : What point of order ? श्रीमान्, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, कब लिया जाता है••••

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सदन का माननीय सदस्य न हो, चार्ज लगाना चाहें तो उसके लिए डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट पूर्व में सूचना देनी चाहिये तब ही उस पर आरोप लगाया जा सकता है। यदि बिना पूर्व सूचना दिये ही इस प्रकार के आरोप लगाने दिये जावेंगे तो बहस का स्तर गिर जायगा। बहस का स्तर न गिरे इसीलिये यह नियम रखा गया है। इसलिये

(श्री मूलचन्द सामरिया)
यदि माननीय सदस्य ने इसकी पूर्व में सूचना न दी हो तो किसी प्रकार के वेग एलीगेशन नहीं लगाने दिये जायं और जो लगाये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मदनसिंह दांता : What a point of order ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय ने मौका दिया बोलने का। यदि इस प्रकार का व्यवधान आपने पैदा किया तो आपकी भी वही गति होगी जैसी गति उनकी हुई थी।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो क्या आप किसी प्रकार के आरोप लगा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : बिलकुल रख सकते हैं। सिद्धान्त की बात कही है।

श्री नूरा : कौन क्या कहना चाहता है बात सामने नहीं आयी और उससे पहले ही व्यवधान पैदा कर दिया।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : क्या नाम लेने से अन्याय हो गया ?

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन के सदस्य नहीं हैं तो क्या उनको डिफेन्ड नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ठोक ठोक कर निकाला, जोधपुर के हर आदमी को पूछ लीजिये...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कल्याणसिंह कालवी के खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दिया जाये। मैं जवाब दे दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अब्दुल अजीज : यह चुनौती मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी है। इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त की जाये।

श्री अब्दुल अजीज : मेरे पास सबूत हैं। कानून के अनुसार कोई बात कहने दी जानी चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : किस को बोलना है कालवी के खिलाफ ? उनकी सरकार ने बिना कानून नल लगा दिया। यह कौन कहता है कि उनके घर पर नल लगा दिया...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप गलत बात की पैरवी करेंगे तो उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याणसिंह कालवी के आचरण के ऊपर आक्षेप किया है...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अभी राम नारायण जी को तो चोर बताया है। हम नहीं

(श्री मदनसिंह दांता)
बोलते हैं इसलिए ? हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : सच्चाई सुनने की हिम्मत पैदा कीजिए। हम सुनने के लिए तैयार हैं यदि हमारे ऊपर सही आरोप लगाते हैं तो हमारे बाप दादों पर लगाइये। क्या बात करते हैं आप।

श्री मदनसिंह दांता : आप किसी की बात क्यों नहीं सुनते ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, हमें कहने का अधिकार है। भ्रष्टाचार को रोकने की घोषणा करते हैं और इस तरह की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बार बार कहते हैं कि भष्टाचार का उन्मूलन किया जायेगा और जब इधर वाले कहते हैं तो चुप हो जाते हैं। जांच करें...

श्री अध्यक्ष : अब इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। जो कहना था कह दिया। पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं कहने दिया।

श्री अब्दुल अजीज : व्यवधान में सारा समाप्त करा दिया।

श्री अध्यक्ष : कुछ कहेंगे तो आरोप और प्रत्यारोप होंगे और फिर व्यवधान होगा।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : डागा जी, आपकी ससुराल में लगा दें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी ससुराल में तो लगा हुआ है। आपकी ससुराल में नहीं हो तो लगवा लें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : नशे में चूर चूर हैं और सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा और आपका फर्ज होना चाहिये कि कोई आदमी गलत काम करे तो उसको यहां पर कहें।

श्री मदनसिंह दांता : दो, दो सौ रुपये खा गए। पार्टी की शुरुआत ही ऐसी है। हजारों आदमियों के रुपये खा गए।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय सीधी सीधी सी बात अर्ज करने जा रहा था, हमारे इलाके में इस प्रकार विद्युत् मण्डल द्वारा जो अनियमिततायें हुई हैं उनको राज्य सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इससे वहां के लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में चर्चा समाप्त करें।

Page No 73

73

श्री अब्दुल अजीज : एक ही मिनट में करता हूं।

इस प्रकार के काम कौन कराते हैं उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया इस पर उत्तेजना जनता पार्टी के लोगों में हो गई। राज्य सरकार को इन बातों का नोटिस लेना चाहिये। कालवा गांव में बिजली कैसे लगी ? पेयजल के लिए कालवा और कालवी दोनों ही हैं। नर और मादा दोनों ही हैं। कालवा मेरे क्षेत्र में है और कालवी जायल कान्स्टीट्यूएन्सी में है।...

श्री अध्यक्ष : कालवा और कालवी समाप्त हो गया।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट !

श्री अध्यक्ष : चर्चा बढ़ेगी तो वही का वही किस्सा होगा। व्यवधान होगा।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मैं निवेदन करता हूं कि एक मिनट मुझे दिया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : इनको एक मिनट दिया जाये तो हम दो मिनट बोलेंगे।

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा बन्द की और हम चुप हो गये। अगर यह बोले तो यह चर्चा फिर एक घण्टा चलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सारस्वत जी, को एक मिनट बोलने दीजिए और आप दो मिनट बोलिये। फिर समाप्त कर दीजिए। One minute and two minutes.

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि माननीय सदस्य तथ्यों को इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर एक व्यक्ति के खिलाफ लांछन लगायेंगे।

(व्यवधान)

ठहरिये। आज से दो वर्ष पहले कालवी ग्राम में विद्युतीकरण करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा हुए। उसके अनुसार कालवा ग्राम में विद्युतीकरण होना चाहिए था। मगर उससे दूर जहां सरपंच की गढ़ी थी केवल वहां तक विद्युतीकरण किया गया। जब आज उस आदेश की दो साल बाद पालना की जा रही है तो यह कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति विशेष के कारण किया जा रहा है। इसमें कौन सी गलती है ? इसी संबंध में मैं, अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 697 के संबंध में कहा गया है कि ग्राम कालवी में नल डाले जा रहे हैं और वहां पानी पहुंचाया जा रहा है मगर कार्यक्रम के अनुसार ग्राम बोबड़ा और गैंदोल में इन्सान पानी से मर रहे हैं, ग्राम...

श्री अध्यक्ष : 697 प्रश्न तो लैप्स हो गया। पूछा ही नहीं गया।

अब माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज : हमें कान्ट्रेडिक्ट करने का अधिकार है। प्रश्न यह है कि नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री अब्दुल अजीज)
कहा कि कालवा ग्राम में बिजली लगाने के आदेश दो साल पहले हो गये थे। यह सही नहीं है। सिर्फ कुओं के लिए आदेश हुए थे। ग्राम के अन्दर किसी भी घर को बिजली नहीं दी गई और उन्होंने बिजली अपनी ससुराल में दिलवाई। एक आदमी के घर में क्यों गयी ? पूरे गांव के गरीबों के घरों में जानी चाहिए। आप क्या वकालात करते हैं उनकी ?......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आइन्दा किसी की ससुराल में बिजली योजना चालू करने से पहले सावधानी बरतेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। कल प्रातःकाल 11.30 बजे भीलवाड़ा जिले से तार आया था......

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई। कुछ तो इनको भी बोलने दें ?

(व्यवधान)

बोलो बोलो।

श्री मांगीलाल (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं....

श्री अध्यक्ष: आपके क्षेत्र की बात कहां है ?

श्री मांगीलाल : मेरे क्षेत्र में कालवी नाम का ग्राम है। उसकी आबादी में सिर्फ 100 आदमी होंगे। 100 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे।

श्री मदनसिंह दांता : ज्यादा छोड़े ही नहीं।

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात है 100 घर हैं वहां बिजली लगे, यह बड़े अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार है। जो बिजली विभाग के अफसर हैं, वह बिल्कुल नहीं सोचते, वह क्षेत्र बड़ा है, छोटा है, कुएं हैं, नहीं हैं। वहां कोई कुआ सिंचाई का नहीं है। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यह उसी गांव के हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल : जहां 9 हजार की आबादी है वहां बिजली नहीं है। वहां तहसील है, पंचायत समिति है, सैकण्डरी स्कूल है और अस्पताल है। अध्यक्ष महोदय, विचार की बात है जहां 9 हजार की आबादी है वहां बिजली नहीं है। अध्यक्ष महोदय,......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पक्षपात !

श्री मांगीलाल : जहां 7 हजार की आबादी है वहां बिजली नहीं है। अध्यक्ष

(श्री मांगीलाल)

महोदय, यह पक्षपात है। राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशलकिशोर !

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, कल प्रातःकाल 11.30 बजे मुझे तार प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला अधिकारी, अजमेर ने पूंजीपतियों से मिली भगत कर सारे जिले के गरीब ठेकेदारों की रोजी छीन कर एक पूंजीपति को पूरा ठेका 38 लाख में दे दिया। एकाधिकार खतम करके जिला भीलवाड़ा के अलग अलग ठेकेदारों को देने चाहिये थे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

ठेका किसको दिया...

श्री नूरा : भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यह तो आपके सोचने की बात है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के प्रमुख कांग्रेसी ने जिला अधिकारी से मिल कर यह ठेका लिया है और 50 ठेकेदारों की रोटी रोजी पर लात मारी है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपकी कमजोर सरकार है। यह हालत है जनता पार्टी की।

श्री अध्यक्ष : श्री जीथिंग ।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : मैं आपके द्वारा माननीय अकाल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने 27 तारीख को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के ऊपर बांसवाड़ा जिले की अकाल की स्थिति के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट कल तारीख 3-4-78 को मुझे दिखाई दी। उसमें जो राहत कार्य स्वीकृत किये बताये हैं और जो आंकड़े वहां के जिलाधीश ने दिये हैं वे बिल्कुल गलत है, झूठे हैं, सन्तोषजनक नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष कर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पिछले 30 वर्षों से उस आदिवासी इलाके में समय समय पर अकाल की स्थिति रही है किन्तु तत्कालीन सरकार ने लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करके भी उन आदिवासियों की समस्याओं के स्थाई हल के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया। समस्या हल करने का कोई भी स्थाई साधन नहीं है। न सिंचाई का साधन है, न आवागमन का है, न कोई प्लान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष उस इलाके में भयंकर अकाल की स्थिति है। बांसवाड़ा जिले में चार तहसीलों को प्रभावग्रस्त घोषित किया है और कुशलगढ़ तहसील के 397 गांवों में से 396 गांव प्रभावग्रस्त घोषित किये हैं। उस क्षेत्र में कम से कम आज की तारीख में 60 हजार मजदूर को राहत पहुंचाना जरूरी था उसके बजाय पूरे बांसवाड़ा जिले में 18 हजार मजदूर कार्यरत बताये गये हैं। उससे संतोष नहीं मुझे। वास्तव में रिपोर्ट गलत है या सही, इसकी अगर आपको आशंका है, वैसे इस बात के ऊपर झूठी मालूम पड़ती है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी फिल-

(श्री जीधिग)

हाल के लिए तत्काल किसी को भेजकर मालूम कर लें कि वास्तव में कितने मजदूर काम पर लगाये गये। 16 तारीख को कार्य सूची प्राप्त हुई। 19-3-78 की सूची प्राप्त हुई। राहत कार्य की सैंक्शन देखी उसमें मेरे क्षेत्र कुशलगढ़ में एक राहत कार्य चल रहा है। उसमें 700 मजदूर कार्यरत हैं और बता रहे हैं कि 18 हजार मजदूर फेमिन में काम कर रहे हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट देकर राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार प्रशासन ने जो झूठी रिपोर्ट दी है, निश्चित रूप से झूठी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। वहां की भयंकर स्थिति पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी सशक्त कदम उठाने चाहिये, अकाल को समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष निवेदन करूंगा, हमारी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उनको नॉलेज है। प्लानिंग वर्क का वहां काफी स्कोप है। 30 वर्षों से वह उपेक्षित क्षेत्र है। सिंचाई के काम, सड़कों के काम, बिजली के काम, औद्योगिक क्षेत्र बनाने के काम, हर प्रकार के कामों को विभाग को अपने हाथ में लेना होगा तब जाकर सभी मजदूरों को, अकाल पीड़ित लोगों को राहत मिल सकती है। 30 वर्षों तक कांग्रेस ने फेमिन का काम चलाकर आदिवासियों के द्वारा भीख मांगने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार अकाल समस्या का कोई स्थायी हल निकालेगी।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। कल बांसवाड़ा की जो रिपोर्ट आई है, वह अकाल राहत मंत्री जी, बिलकुल झूठी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले समय भी निवेदन किया था कि बांसवाड़ा जिले में पांच तहसीलें हैं और पांचों तहसीलों में लगभग 60-80 इन्च पानी बरसा है जिससे खरीफ की सारी फसल नष्ट हो गई है। आदिवासियों का खाना केवल मक्का है लेकिन आज उस मक्का का बीज भी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें। राज्य सरकार से कामों की मंजूरी हुई है लेकिन मालूम नहीं पैसा मिला या नहीं। मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाता है। पांच तहसीलों में समान वर्षा हुई है फिर भी गढ़ी तहसील में गश्त गिरदावरी हुई उसके बाद उसको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री से आपके द्वारा निवेदन करता हूं जिन पटवारियों ने गलती की है उन पटवारियों की जांच होनी चाहिये। आज उन आदिवासियों के घरों में बिलकुल अनाज नहीं है। हमारी जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी कि आदिवासी हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों को ऊंचा उठाया जायेगा और उनको रोजगार के धन्धे दिये जायेंगे लेकिन वे आज बिना मजदूरी के भटक रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने छुट्टी के रोज मुझे सेक्रेटेरियट में बुलाया

(श्री नाथूराम)

था और डूंगरपुर के विधायकों को भी बुलाया था। मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि गढ़ी तहसील में अकाल घोषित नहीं हुआ है। वहां अकाल घोषित किया जाय और अकाल राहत के काम शुरू कर दिये जायं। फिर भी मुख्य मंत्री जी के आदेशों की अधिकारियों ने परवाह नहीं की और उनका पालन नहीं किया। मैं चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पिछली सरकार ने भी लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन अकाल का स्थायी हल नहीं किया। माही डेम पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया उसमें काफी घोटाला है। सिंचाई मंत्री जी भी उसका जवाब नहीं दे सके थे। मैंने आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव भी पेश किया था आज वहां, अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों दूसरे लोगों का पुनर्वास हो रहा है। कडाना बान्ध और माही डेम से विस्थापित लोग मारे मारे फिरते हैं लेकिन उनके पुनर्वास की आपकी कोई योजना नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं वहां के आदिवासियों, हरिजनों के लिये कोई प्लान वर्क शुरू करें। साथ ही गढ़ी तहसील में काम शुरू कराये। जो आदिवासी हैं वे भीख नहीं मांगना चाहते हैं, इसलिये अकाल की समस्या का स्थाई हल करना चाहिये, यह मैं निवेदन करता हूं।

श्री नाथूलाल (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों की रोजी-रोटी का सवाल है। वहां 80 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी रोजी का सवाल है। अभी बांसवाड़ा रोड, प्रताप रोड, रतलाम रोड, घवन रोड और उदयपुर रोड में मामूली लोग रिलीफ वर्क पर काम कर रहे हैं। घाटोल तहसील से कार्यकर्ता आये हैं उन्होंने बताया है कि कहीं पर भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। यह भुखमरी का सवाल है। मैं आपके माध्यम से राहत मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी राहत कार्य प्रारम्भ करवाये जायं। गरीब आदिवासियों की स्थिति को देखते हुये मैं आशा करता हूं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार अकाल का अवश्य स्थायी हल करने की कोशिश करेगी। मैं इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रणमल सिंह : कोई बात ही नहीं सुनता गरीबों की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुझे भी बांसवाड़ा जिले की एक अकाल राहत की लिस्ट मिली है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बंध में...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता सरकार गरीब मजदूरों और काश्तकारों को राहत देना चाहती है लेकिन जिस प्रकार की लिस्ट मिली है उससे यह स्पष्ट है कि इसमें सरकारी अधिकारियों की किस प्रकार की लापरवाही है। जिन गांवों में अकाल की स्थिति है, उसकी तो लिस्ट ही नहीं आई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
है। पता नहीं यह किस प्रकार की लिस्ट आई है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और सम्बन्धित मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये और गरीबों को काम पर लगाने की कोशिश करनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों ने अकाल राहत कार्यों की मांग की है। यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में पिछले 30 वर्षों में काफी धन खर्च किया गया है लेकिन अकाल का स्थायी समाधान नहीं हुआ। यह किस कारण से नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह अवश्य है कि उस क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या बिगड़ती है तो आदिवासियों के सामने खाने की, पीने की और रोजगार की समस्यायें आकर खड़ी हो जाती हैं। माननीय सदस्य नाथूलाल जी ने सारी जानकारी दी थी और सारे विधायकों को छुट्टी का रोज होते हुये भी बुलाया था, सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया था। उनकी सारी बातों को शान्ति से सुना और जो व्यवस्था की जानी चाहिये, उसके लिये सरकार ने निर्णय लिया। गढ़ी तहसील अकालग्रस्त घोषित नहीं थी। माननीय सदस्य ने कहा, वहां भी अकाल पड़ा है, पता नहीं किस कारण से गिरदावरी में नहीं दिखाया गया है। मैंने कहा कि इस प्रश्न पर जांच कर ली जाय। यदि वास्तव में अकाल पड़ा है तो हमको कोई शिकायत नहीं है कि वहां राहत कार्य न खोले जायं।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो कुछ जानकारी मिल पाई है उसके अलावा कितने लोगों को रोजगार देना है हम निरन्तर इसकी जांच करते रहे हैं और हमेशा देखते रहे हैं। मैं एक–दो दिन में ही जिलाधीश महोदय को बुलाकर तथा माननीय सदस्यों को बुलाकर कहां राहत कार्य खोले जा सकते हैं, उस प्रकार का निर्णय दे दूंगा।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी माननीय मुख्य मन्त्री जी को कहा था कोटपूतली के बारे में और लिखित में भी दे चुका हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक मेरी तहसील में नांगल पण्डितपुरा का पानी सरकार नहीं निकाल पाई, इसका बहुत अफसोस है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : जिलाधीश को बुलावें उनसे जन प्रतिनिधियों के सामने ही बात की जाय। जहां जहां अकाल घोषित किया गया है, तत्काल वहां काम शुरू कराये जायं।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पिछले 10 दिन पहले दे दिया था। मुझे भी दो मिनट कहने के लिये दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है वह एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स पर है। एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स पर जो टैक्सेज राजस्थान सरकार द्वारा लगाये गये हैं, उसकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री एच.एन. शर्मा)
अध्यक्ष महोदय, जो 1978 का आपका गजट है उसमें पैरा नम्बर तीन में लिखा है ......

'Tractors & spare parts thereof & cultivators, harrows, tillers with or without seeding attachments, seed drills & land levellers worked or operated by tractors.'

इन पर पहले 5 प्रतिशत टैक्स था उसको घटाकर आपने 4 पर्सेंट किया है उसके लिए तो मैं वित्त मन्त्री महोदय का आभारी हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और यू. पी., इन राज्यों में इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। राजस्थान में यह टैक्स लगा हुआ है लेकिन पंजाब में यह टैक्स नहीं है, हरियाणा में यह टैक्स नहीं है दिल्ली में यह टैक्स नहीं है, उत्तर प्रदेश में यह टैक्स नहीं है। अभी भी जो फाइनेन्स बिल पेश हुआ है उसमें जो नाम दिये गये हैं, उस सूची में इसका नाम है। उसके अन्दर साधारणतया एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स का विवरण दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चाहूंगा.......

श्री सूर्य नारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन सर।

जो प्रश्न माननीय सदस्य उठा रहे हैं, उस पर इस वित्त विधेयक, जो इस सदन के अन्दर विचाराधीन है, के समय पर चर्चा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का भी जबाब आएगा।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय क्या फाइनेन्स बिल के समय मुझे समय दिया जाएगा ? मन्त्री महोदय जब इसके बारे में बताएं उसके बाद मुझे यह प्रश्न उठाने का समय दिया जाएगा। मेरे पास राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है। उससे यह साफ है कि इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। यह टैक्स लगाना अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर आ रहा है। यही सन्तोषजनक है।

श्री एच. एन. शर्मा : इस बारे में मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : चर्चा का विषय तो बनाया जाता है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
श्री खेतसिंह राठौड़ का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब सदन में नहीं था, मेरी एबसेन्स में एक माननीय सदस्य, जो दातारामगढ़ से आते हैं, ने यह आरोप लगाया कि जब मैं मिनिस्टर था तो चीफ इन्जीनियर ढड्ढा ने मेरा मकान बनाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आरोप लगाया गया है, यह नितान्त गलत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और झूंठा आरोप है। मैंने अपना मकान आज से कोई 20-22 वर्ष पूर्व बनाया था और वह भी जयपुर में नहीं बनाया, जोधपुर में बनाया है। उन दिनों मैं कोई मिनिस्टर नहीं था और न ढड्ढा चीफ इन्जीनियर थे। मुझे पता नहीं उस वक्त वे कहां पर थे और किस पद पर थे। एक साल तक मेरा और उनका सम्पर्क रहा है। जब मैं मिनिस्टर था तो उन्होंने चीफ इन्जीनियर के पद पर कार्य किया था। जिस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैंने कोई मकान नहीं बनाया है। इसलिए इस बारे में चर्चा करना सदन में आरोप लगाना गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगाता है तो हमारे बिजनेस रूल्स में यह प्रॉविजन है कि दो दिन पहले उसे नोटिस देना होगा। क्यों नहीं यह तरीका अपनाया गया? यहां पर माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करके आरोप एक दूसरे पर लगा देते है, इसको रोका जाना चाहिए। जब हम सदन में नहीं होते हैं, हमारे पीछे से आरोप लगा दिए जाते हैं। हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते और दूसरे दिन अखबारों में छप जाता है कि ढड्ढा ने खेतसिंह का मकान बनाया। यह गलत परम्परा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो मेरे पर आरोप लगाया गया है, यह सरासर झूठा है, गलत है। मेरा कोई मकान जयपुर में नहीं है। जोधपुर में मेरा मकान है जो आज से 20-22 वर्ष पहले बना था। उस वक्त न तो ढड्ढा को मैं जानता था और न वे मुझको जानते थे। वह कहां पर थे, इसका भी मुझको पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि उस वक्त वे नौकरी में भी आये थे या नहीं आए थे। इसलिए यह जो चार्ज मेरे पर लगाया गया है, यह झूठा चार्ज है।

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा!

याचिका का उपस्थापन

चित्तौड़गढ़-बूंदी मुख्य मार्ग पर भीचौर से बरूदनी, जिला भीलवाड़ा तक सड़क निर्माण

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़गढ़-बूंदी मुख्य मार्ग पर स्थित भीचौर से बरूदनी जिला भीलवाड़ा तक सड़क निर्माण करवाये जाने से सम्बन्धित 6 व्यक्तियों की हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा।

व्यवस्था का प्रश्न

ग्राम पंचायत झूंठा, पंचायत समिति, रायपुर, जिला पाली के चुनाव में बरती गई अनियमितता विषयक प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा करने की अनुमति यह विषय न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत होने के कारण प्रदान न करना

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जिस प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा माननीय सदस्य इस सदन में उठाना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में जो हमारे बिजनेस

(श्री मंजूर अली)
कन्डक्ट रूल्स हैं, उसमें मना है। इसलिए इस प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा उठाने की अनुमति देने से पहले मेरी आपत्ति को सुन लिया जाए वरना यह चर्चा प्रोसिडिंग्स में आ जाएगी और आपत्ति इनफेक्चुअल हो जाएगी। इसलिए पहले मुझको सुना जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को जो आपत्ति है वह सुनकर मैं आपको इजाजत दूंगा। श्री मन्जूर अली!

श्री मन्जूरअली : अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि माननीय सदस्य इस सदन में एक ग्राम पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली रूल्स ऑफ प्रॉसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स का जो रूल पेज 13-14 पर है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

'Rule 37 (7) It shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;" इस चुनाव के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कॉम्पीटेन्ट कोर्ट है, जिसका जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा चुकी है। इसकी इलेक्शन पिटीशन दायर की जा चुकी है। बेशक इस पर यह आपत्ति हो सकती है कि ऐसे मामलात पर जो तारांकित सवाल यहां पर पूछा गया था, वह क्यों आ गया? मैं बहुत अदब के साथ अध्यक्ष महोदय, आपको अर्ज करूंगा कि यह सवाल जब आया होगा, उस वक्त हो सकता है कि चेयर के नोटिस में यह बात न हो या इस सेक्रेटेरियट के नोटिस में यह फैक्ट न हो कि इस प्रश्न पर इलेक्शन पिटीशन दायर हो चुकी है। जिस दिन यह जवाब था, उस दिन मैंने एतराज किया था कि यह विषय सबजुडिस है इसलिए इस पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। और प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया जाए। यह रिक्वेस्ट मैंने की थी कि इसका जवाब भी माननीय सदस्य को नहीं दिया जाए। इस पर जहां तक मुझे याद है कि आसन की तरफ से यह ऑब्जर्वेशन भी आया कि सबजुडिस अगर यह प्रासीडिंग्स में दर्ज है तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि जिस अधिकारी ने माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दिया है उसने कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस किया है। कार्यवाही उसके खिलाफ भी की जावे। मेरी रिक्वेस्ट पर अमल किया गया या नहीं, इसका जवाब उनको दिया गया या नहीं, परन्तु अब इस प्रश्न पर आधे घंटे जो चर्चा है, मैं अदब के साथ माननीय सदस्यगण को अर्ज करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक जुमला भी कहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिजनेस रूल्स भी इसकी इजाजत नहीं देते हैं क्योंकि इस पर चर्चा होने से कोर्ट प्रिजुडिस हो जाएगी। यह मैटर सबजुडिस है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने 30 मार्च को एक प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न के उत्तर से जो मुद्दे उत्पन्न हुए थे, उन पर फर्दर डिसक्शन करने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

रिक्वेस्ट उन्होंने की थी कि इस पर आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दी जाए। वह अनुमति आपने दे दी है। अब इस सम्बन्ध में यहां पर यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है कि यह अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह मेंटर सबजुडिस है। जो मेंटर सबजुडिस, है, उस पर यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रश्नकर्त्ता ने जो प्रश्न उठाया है यह उससे सम्बन्धित नहीं है। इस सम्बन्ध में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको कि आपने एडमिट किया है, यह इलेक्शन पिटीशन से सम्बन्धित नहीं है। वह यह था, ग्राम पंचायत झूठा पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के पंचायत चुनाव में श्री प्रेमराज द्वारा किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध चुनाव में दबाव एवं हेराफेरी के आरोप लगाकर राज्य सरकार को तार द्वारा शिकायत की गई है क्या यह सही है? यह जो प्रश्न पूछा गया है यह इलेक्शन पिटीशन से सम्बन्धित नहीं है। यह क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफिसर के सम्बन्ध में जिसने इलेक्शन में राजस्थान पंचायत अधिनियम को वायोलेट किया है। इसकी कोई जांच नहीं की गई है। यह क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार को तार द्वारा शिकायत की गई है। यह कहा गया है कि इसकी जांच से यह साबित हो रहा है कि जहां पर मतदान हुआ, मतगणना हुई है, उस स्थान पर मतों को सीलबन्द नहीं किया गया और उनको तहसील हैडक्वार्टर पर सीलबन्द किया गया। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है, वह इलेक्शन पिटीशन से सम्बन्धित नहीं है। इलेक्शन पिटीशन करने वाला दूसरा आदमी है। यह मेंटर सबजुडिस भी नहीं है। मैं आपका ध्यान रूल 37 (20) की ओर आकर्षित करूंगा :

'It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate any matter but may refer to matters to concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matters by the tribunal or commission or court of enquiry.'

आपने इसको परमिट किया है तो आपने देखा है कि इन्क्वायरी क्या है, किस स्टेट पर है और इन्क्वायरी में क्या तथ्य सामने आये हैं—इस बात की चर्चा हो। यह मामला सबजुडिस नहीं है इसलिए आपको अनुमति देनी चाहिये।

श्री मंजूरअली (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूल के दो पार्ट हैं। एक प्रोविजन सब-रूल (7) का है और दूसरा प्रोविजन सब रूल (20) का है। सब-रूल (7) में जो प्रोवीजन है वह प्रोवाइड करता है उन कोर्ट्स के लिए "under adjudication by a court of Law" Munsif Magistrate is also a court of Law.

(श्री मंजूरअली)
दूसरा जो सब रूल (20) है वह प्रोवाइड करता है उन ऑथोरिटीज के लिए जो कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं हैं लेकिन वह फन्क्शन कर रही हैं जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ हों।

"Under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India"

सब-रूल (20) यह है—

"It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the oonsideration of the matters by the tribunal or commission or court of enquiry:"

दोनों मैटर एक ही नहीं हैं। यह नहीं हो सकता है कि इनको आप अलग अलग न लें। इनको उसी रेफरेन्स और उसी कन्टेक्स्ट में लेना चाहिये। वरना वहां पर एक तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए जाने चाहिये थे। एक जगह तो यह लफ्ज इस्तेमाल किए हैं "Court of law having jurisdiction" और दूसरे में इस्तेमाल किया है "any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial function or any commission or court of enquiry appointed to enquire in to or investigate any matter."

Without any difference two distinguished courts authorities हैं, यह दोनों अलग अलग ऑथोरिटीज हैं इसलिए यह मामला सब-रूल (7) के परव्यू में आता है। Election petition is pending in the civil court. The court of Munsif is a court of law and therefore the procedure prescribed under sub-rule (20) does not apply. This is purely & exclusively a matter under sub-rule(7)in which there is no liniency to discuss. It is clearly mentioned there. The words are like that.

"It shall not ask for information."

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष, मेरी बात सुनिये। 30-3-78 को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न स्वीकार किया गया है और प्रश्न का उत्तर दिया गया है लिखित में। प्रश्न का उत्तर जरूर हुआ है। सदन में नहीं दिया गया लेकिन लिखित उत्तर प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुआ है। यह जरूरी नहीं है......

श्री मन्जूरअली : और उस दिन की प्रोसिडिंग्स देखिये कि आसन ने क्या व्यवस्था दी है। आसन ने Matter is subjudice का ऑब्जर्वेशन दिया था आप कहेंगे कि अब तो जवाब दे चुके हैं। तो जिस अधिकारी ने जवाब भेजा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। It is contempt of the court. कन्टेम्पट ऑफ सदन हुआ है। अगर आसन के यह ध्यान में है तो the man has

Page No 84

(८५)

(श्री मजूरअली)
committed two contempts of the House.

श्री ईश्वरचन्द्र : आप मेरी बात तो सुनिये ।

श्री मंजूरअली : उस दिन की प्रोसिडिंग्स देखिये । अगर आसन की ऐसी व्यवस्था है तो मैं स्पष्ट करूंगा । It is contempt of this honourable house.

श्री ईश्वरचन्द्र : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? इसमें उत्तेजना का प्रश्न नहीं है । सवाल बहस का है । आप सुनिये तो सही मैं क्या कहना चाहता हूं...

श्री मंजूरअली : इस स्थगित प्रश्न को आप वापस लें ।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं वापस नहीं लूंगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि दिनांक 30-3-78 को इस प्रश्न का लिखित उत्तर माननीय सदस्य को दिया गया । उस लिखित उत्तर में सरकार की ओर से कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि कोई चुनाव याचिका इसके मामले में पेंडिंग है :

श्री मन्जूरअली : चुनाव याचिका है या नहीं । इस मामले में याचिका नहीं हो तो मैं अपने ऑब्जेक्शन को विथड्रा कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में विचार नहीं होगा ।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय इस मामले में 20 हजार की रिश्वतखोरी हुई है । क्या सरकार ने पता किया है कि श्री त्रिपाठी और उनके साथी ने दोनों ने मतगणना में गड़बड़ की है । मतगणना का मामला सब-जुडिस नहीं हो सकता है ।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, दूदू के भूतपूर्व जागीरदार...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इस पर आपकी व्यवस्था हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं अवश्य व्यवस्था दूंगा लेकिन जब कोई माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोलते हैं उस समय मैं व्यवस्था कैसे दे सकता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो दे दें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह क्या कि 10 माननीय सदस्य उठकर खड़े हो जायें और आपत्ति रेज करें । मुझे सुनना भी चाहिए । अगर माननीय सदस्य सब शान्त होकर मेरी व्यवस्था सुनना चाहें तो मैं व्यवस्था दूं ।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं अपनी बात नहीं कहूंगा तो आप निर्णय क्या देंगे ?

श्री मन्जूरअली : इनकी बात सुन लीजिये कि आपत्ति सही है या गलत है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या वह व्यक्ति कठघरे में खड़े हैं ? उनके कन्डक्ट के बारे में बहस करने को सदन में किस तरह से रोका जा सकता है ? क्या यह दोनों

(श्री ईश्वरचन्द्र)
ऑफिसर्स उस पिटीशन में रेस्पान्डेन्ट्स हैं ? क्या उनके कन्डक्ट की कोई बात हो रही है ? जब सदन में चर्चा पंचायतों के चुनाव की होती है तो पंचायतों के चुनाव कराकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की बात करते हैं तो ऑफिसर्स उसको सेबोटेज करते हैं । अगर उसके बारे में यह सदन विचार नहीं करता है तो यह पार्लियामेंट्री नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में एक एक करके बोलें तो ठीक होगा ।

विरोधी दल के माननीय नेता !

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूल 37 के सब-रूल (7) का सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं वह एडमिसिबिलिटी के पहले का है । आपने माइण्ड एप्लाई करके क्वेश्चन को एडमिट कर लिया है और एडमिट करने के बाद उस क्वेश्चन का उत्तर भी आ गया है सदन में। उत्तर के बाद में माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय के पास जाकर उन्हें कन्विन्स भी कर दिया कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को फरदर इल्युसिडेट करना चाहते हैं और कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार दो-तीन दफा कह रहे हैं और बड़े जोर से कह कर इन्टरप्रिटेशन करना चाहते हैं वह यह नहीं जानते हैं कि कोई इलेक्शन ऑफेन्स किया है, इलेक्शन ऑफिसर ने अगर ड्यू ड्यूटी का ब्रीच किया है तो रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अन्तर्गत ऑफेन्स कमिट करने पर, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहां तक ऑफेन्स इलेक्शन के अन्दर किया है, इसकी इन्क्वायरी इलेक्शन डिपार्टमेंट करवायेगा । म्युटेटिस म्युटेन्डिस अगर उसके खिलाफ है अगर इलेक्शन ऑफेन्स किये हैं, अगर धारा 134 के अन्तर्गत किये हैं तो वह काग्नीजिबल ऑफेन्स है और इसकी इन्क्वायरी इलेक्शन डिपार्टमेंट करवायेगा । लेकिन यह मुद्दा नहीं है । इलेक्शन पिटीशन में फैक्ट दूसरे हैं तो उस इलेक्शन पिटीशन से उनका कतई सम्बन्ध नहीं है जो लोग इन्वाल्व्ड हैं । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह विचार करने के लायक बात है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन प्रश्न यहां पर आया था तो माननीय सदस्य और मैं बाहर गये थे तो यह दो अफसर हैं उन्होंने हमें अनुचित रूप से दबाने का प्रयत्न किया । जहां इस तरह का दबाव माननीय सदस्य पर आये ...

श्री परसराम मदेरणा : It is serious. ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह कहता हूं...

श्री मन्जूर अली : माननीय सदस्य पर दबाव नहीं आया ...

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आप खुद दबाव डाल रहे हैं ।

श्री ईश्वरचन्द्र : उन्होंने कहा कि आपने यह सवाल क्यों उठाया है ? इसका मतलब यह है कि वह हमें स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं करने देना चाहते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि वह यूं ही बैठे रहते हैं । क्या आजीविका का साधन है ? उनका कण्डक्ट क्या है ? उन्होंने प्रभावित ही नहीं किया

(श्री ईश्वरचन्द्र)

है बल्कि भ्रष्टाचार किया है। क्या इसको अलाउ नहीं करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अफसरशाही का खुला दुरुपयोग हो रहा है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर भी सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन अलग है। सरकार ने भी यह कहा है कि यह सील नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि यह निर्विवाद है कि यह सदन सर्वोपरि है। यह भी निर्विवाद है कि जो विषय न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है उस पर यदि सदन में चर्चा हो तो उसका असर न्यायालय पर पड़ेगा। अतएव यह आवश्यक है कि आप कोई निर्णय दें, व्यवस्था दें उससे पूर्व चुनाव याचिका में जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनकी जांच करें। उनका वर्तमान चर्चा में उठाए मुद्दों से कितना सम्बन्ध है, उन पर विचार करने के बाद निर्णय दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य खुद इन्दिरा जी के लिए बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस प्रश्न को एडमिट किया तो यह मालूम नहीं था कि यह विषय सब-जुडिस है। मैं जब तक इलेक्शन पिटीशन नहीं देख पाता तब तक कोई निर्णय नहीं कर सकता। इलेक्शन पिटीशन की कण्डीशन्स देखकर अपने माइण्ड को बनाऊंगा। जब तक कुछ भी व्यवस्था नहीं दे सकूंगा। इस प्रश्न को आज एडमिट नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

इस सदन को न्यायपालिका की गरिमा का ध्यान रखना है। यह सदन सर्वोपरि है लेकिन सर्वोपरि सदन न्यायपालिका से सामजस्य रखते हुए उसको साथ रखते हुए है।

(व्यवधान)

इसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा जायगा, माननीय सदस्य। मैंने व्यवस्था नहीं दी है। आसन अपने पैरों पर है।

मैं इसके विषय में कोई रास्ता निकाल सकता हूं तो मैं निकालने की चेष्टा करूंगा। इससे अधिक आज मैं कुछ भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनट सुन लिया जाये।

श्री हनवन्तसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

जब प्रश्नकाल खतम हो गया था तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हां, आप सर्वोपरि हैं......

श्री अध्यक्ष : मैं कैसे सर्वोपरि हूं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपका आदेश सर्वोपरि है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जब राजस्थान विधान सभा में आया, सरकार का उत्तर कुछ भी हो, लेकिन यह विधान सभा की प्रोपर्टी बन गया। आज इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करना, राजस्थान विधान सभा की इज्जत का, उसके अधिकारों का हनन है। विधान सभा के अधिकारों का आपके माध्यम से हनन नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह दांता : कोई हनन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इन सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा। मैं कल इस बारे में व्यवस्था दूंगा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामनारायण चौधरी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 276 की ओर दिलाना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री रामनारायण चौधरी : रूल 276 की ओर। इसमें कहा गया है।

'वैयक्तिक स्पष्टीकरण:—कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वादविवाद नहीं होगा।"

मैं यह कहना चाहता हूं, केवल दो मिनट ही लूंगा। हम सभी माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं। नवलगढ़ से निर्वाचित होकर आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनका स्वयं का विवाद है नगरपालिका की सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य ने अभी यह कहा है कि मैंने, यानि रामनारायण चौधरी ने, उसकी सीमा को बढ़ाने में रुपये लिए हैं, अपनी जेबें भरी हैं। नगरपालिका मुकन्दगढ़ की सीमा बढ़ाई। उसकी मण्डी उसमें थी। उसके कागजात चले। मैं जब मिनिस्टर था तब कागजात चले लेकिन जब दूसरे मन्त्री के पास यह पोर्टफोलियो था उसका निर्णय उस समय हुआ। सात-आठ महीने के बाद में हुआ। माननीय सदस्य का अधिकार है कि नियमानुसार वह मेरे खिलाफ मोशन ला सकते है। वह निन्दा का प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन यों ही खड़े होकर बिना सदन की अनुमति के, बिना अध्यक्ष की अनुमति के किसी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी के कारण यह कह दें कि वह रुपये खा गए, यह परम्परा बहुत बुरी और निन्दनीय है। इसका मतलब यह होगा कि वह हमें कहें और हम उन्हें कहें। मैं यह रिकार्ड करवाना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिकायत है तो नियमों में उसके लिए व्यवस्था है। उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मुकन्दगढ़ नगरपालिका की सीमा बढ़ाने के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई मेरा हाथ नहीं रहा है। माननीय सदस्य और जनसंघ में वहां झगड़ा है। वह सीमा बढ़ाना चाहते हैं। माननीय सदस्य की चल नहीं रही है। यह वही मसला है। 'कुम्हार का कुम्हारी पर बस नहीं तो'''' जनता पार्टी पर जोर नहीं चले तो मैं इधर बैठा हूं, विरोधी पक्ष में बैठा हूं, मेरे बारे में यह कहा गया है। मैं मिनिस्टर था तब कागज चले लेकिन उसके बाद पोर्टफोलियो चेन्ज हो जाने के बाद यह सीमा बढ़ी।

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मन्त्री काल के जो घोटाले हैं, वह यही नहीं है और भी बहुत से हैं। अपनी लड़की का इलाज करवाया। अपनी जेबें भरी हैं। पुलिस पर प्रभाव डालकर उसको दबाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यही कह रहा हूं।

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई छिपा नहीं सकता, झुन्झनूं जिले को जनता और हर व्यक्ति जानता है, इनके कार्यकाल में चन्दा लिया गया, कत्ल छिपाये गये। मुकन्दगढ़ नगरपालिका में क्या हुआ, जनता कभी भूल नहीं सकती। अब जो ये सफाई देते हैं जनता उसको नहीं मानने वाली है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे माफी मांगें।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आपने इस सम्बन्ध में कभी मुख्य मन्त्रीजी को भी बताया, आपने कभी लिखकर दिया कि मेरे जिले के एक ऐसे मन्त्री रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : श्री रामनारायणजी उस समय मन्त्री थे।

श्री अध्यक्ष : अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपकी मार्फत, माननीय सदस्य ने जो मेरे खिलाफ बात कही है, जब मैं मन्त्री था अथवा जब एम. एल. ए. था तब से आज तक मेरे खिलाफ कोई बात हो, किसी भी माननीय सदस्य को मेरे मन्त्री काल में और मेरे सार्वजनिक जीवन के किसी भी काम के बारे में कोई भी शिकायत हो तो वे उस बात को पेश कर सकते हैं। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं, और मैं जवाब दूंगा। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज के अन्दर मेरी प्रतिष्ठा गिरती हो। ऐसा कोई काम मैंने जिन्दगी में नहीं किया और न करने का इरादा ही है। रामनाथ पोद्दार से मैंने लड़की के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया, मैं आपको''''''

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप कोई प्रक्रिया तय कर दें, इस तरह से कोई चार्ज लगाना उचित है क्या ?

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य के विरुद्ध दोषारोपण

श्री मूलचन्द डागा : नियम 272 में साफ है–"A member, while speaking shall not. (ii) make a personal charge against a member;"

जब रूल में बिल्कुल साफ है : 'shall not make a personal charge against a member;" तो यहां इस प्रकार से चार्ज नहीं लगाये जाने चाहिये।

(व्यवधान)

रूल 272 (2) पढ़िये––

"shall not make a personal charge against a member." ये भी मेम्बर हैं और वह भी मेम्बर हैं, मगर फिर भी इस तरह से चार्ज नहीं लगाना चाहिए।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदस्य के रूप में नहीं, जब ये मन्त्री थे उस वक्त की बात कही है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर जो 4100) रु. हड़पने का आरोप लगाया है वह बिलकुल गलत व बदले की भावना से लगाया है। मैंने अमृत महोत्सव के नाम से कोई रकम न माननीय सदस्य के क्षेत्र से ली है तथा न अन्य किसी स्थान से ली है। माननीय सदस्य ने यह मनघढ़न्त बात कही है जो नितान्त झूठी है।

श्री मूलचन्द डागा : Even then you cannot speak. ऐसा भी कहते हैं तो गलत है। 273 पढ़िये। वह भी गलत है।

श्री भंवरलाल ऐरन : This does not apply. आप दोबारा पढ़ लीजिये।

श्री मंजूर अली : 'A member, while speaking, shall not-(ii) make a personal charge against a member;"

श्री अध्यक्ष : चार्ज हो गया, काउण्टर चार्ज हो गया, उस पर डिस्कशन भी हो गया। अब चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आरोप और प्रत्यारोपों के बारे में आप जब तक व्यवस्था नहीं देंगे, यह सिलसिला चलता ही रहेगा। यह सदन के लिए कोई शोभनीय बात नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था स्पष्ट है। माननीय सदस्य मैं संकेत कर रहा हूं कि चर्चा समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : जब रिप्लाई आ जाता है, तो काउन्टर चार्ज आते रहते हैं। इस बारे में नियम स्पष्ट है, 272 और 273।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री शंकरलाल : जब तक आपको सूचना नहीं दें और आप आज्ञा नहीं दें तब तक कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। यह सदन की गरिमा के विपरीत है। इसके बारे में आपको नियमों का पालन करवाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

जो आरोप लगाये गये हैं, आपने इनको कोई आज्ञा नहीं दी है।

Page No 90

५०

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर यह नियमों में रिलेक्सेशन है विरोधी पक्ष वालों के लिए तो बड़ी स्वस्थ्य परम्परा होगी....

(व्यवधान)

हमें खुशी है कि यह सबसे बड़ा हथियार उधर से चला रहे हैं। इसमें कोई रूल्स 272 की पालना की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य चार्ज लगाते हैं तो हमें भी रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि यह कोई अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो विरोधी पक्ष को शिरोधार्य है, हमको भी छूट हो जायगी। अगर इस प्रकार रूल रिलेक्स कर दिया जाय तो फिर कोई रूल्स की जरूरत नहीं होगी, हम चाहें जिसके खिलाफ चार्ज लगा देंगे। इसको आप स्वीकार कर लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कांग्रेस ने तीस साल तक राज किया। इस समय जो मिनिस्टर रहे उनके खिलाफ तो चार्ज लगाना आसान है लेकिन उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानसिंह आयोग बिठा दिया है. बैरी आयोग बिठा दिया है और विधान सभा सदस्यों की समिति भी बिठा दी है और वहां जांच हो रही है। जैसा अभी जयकृष्णजी ने कहा, आपको भी एक साल हो गया है या एक साल और हो जायेगा, इस तरह की परम्परा कायम करेंगे तो आप पर भी उससे ज्यादा हमले होने वाले हैं। इसलिए मैं नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। आपने पहले रोज ही बोला था तो मुझे उठना पड़ा था। अब आप यह चीज ला रहे हैं इसलिए मैं खास तौर से कह रहा हूं, यह बात नहीं होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय बोलें उससे पहले एक मिनट में मैं समाप्त कर दूं। इन नियमों का हम प्रोटेक्शन नहीं चाहते। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों का प्रोटेक्शन उनको चाहिए जिसको कोई भय हो। मुझे कोई भय नहीं है। मैं चुनौती देता हूं। मेरे खिलाफ कोई भी चार्ज हो माननीय सदस्य लायें, मैं उनका उत्तर पेश करूंगा। लेकिन वे क्यों ला रहे हैं यह मैं बता देना चाहता हूं? नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मेरे खिलाफ इसलिये बोल रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में अमृत महोत्सव, जो जे. पी. के लिए हुआ था, के लिये 41 हजार रुपये इकट्ठे किये थे, जिसकी कोई जांच नहीं हुई। गांव वालों को पता लग गया और मैंने चन्दे की बात उठाई है इसका इनको भय था कि यह बात सामने आयेगी इसलिए पहले से ही अलग ही तैयारी कर रहे हैं कि जब कभी यह बात आयेगी तो....

(व्यवधान)

मान्यवर मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री जी को चैलेन्ज करने के लिए तैयार हूं कि आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गाव में से 41 हजार रुपये लिये हैं। उस गांव के आदमियों को पेश कर सकता हूं अगर सदन चाहे तो, मान्यवर, मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैंने उस

(श्री रामनारायण चौधरी)
चंदे का जिक्र किया जो मेरे क्षेत्र में जे.पी. अमृत महोत्सव के नाम पर इकट्ठा किया गया। मैं आपके और माननीय सदस्य के बीच में नहीं पड़ना चाहता...

श्री गोपालसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई पॉइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा। चर्चा समाप्त करें। आसन अपने पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : सब चार्जेज बेसलैस हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आरोप प्रत्यारोप इस सदन में लगेंगे तो निश्चित रूप से सदन की मर्यादा बनाए रखने का काम सभी माननीय सदस्यों का है। नियमों में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाया जाए तो उस बात की पूर्व सूचना माननीय सदस्य को दी जाए। अब मैं नहीं कहना चाहता कि इसका प्रारंभ किधर से हुआ? पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को ध्यान है अभी प्रश्न काल के बाद श्री कल्याण सिंह को टार्गेट बनाया गया। उस समय डागाजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियमों का उल्लेख करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। मैं उचित नहीं समझता कि सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगायें, नियमों का उल्लंघन हो। मैं तो यही कहता हूं कि यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नियमों के विपरीत लगाए जाते हैं तो उस सारी कार्यवाही को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का साहस न करे, आरोप प्रत्यारोप न हों। माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाए गए, नियमों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए। यदि ऐसे मामले को विशेषाधिकार समिति को रेफर करेंगे तो उसमें भी जांच हो जाएगी और कहां सीमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसकी भी जानकारी हो जाएगी। मेरा नम्र निवेदन है कि इस सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए इस आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया को जितना जल्दी बंद किया जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा।

खेतसिंह ने यह भी धमकी दी कि आप लोगों को एक वर्ष शासन पर बैठे हुए हो गया, एक वर्ष और हो जाएगा, उसके बाद आपके विरुद्ध भी आरोप लगेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यहां पर न तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, न धन दौलत बनाने के लिए, न परिवार का पोषण करने के लिए बैठे हैं। यदि आपको कोई जानकारी हो तो नियमों के अन्दर उठायें, मैं उसका स्वागत करूंगा। इससे सदन की स्थिति में भी सुधार होगा। हम किसी भी तरह से पक्षपात, भ्रष्टाचार और इस प्रकार के आरोपों से अपने आपको दूर रखना चाहते हैं। आपको जानकारी मिल जाए पहले दें या बाद में दें लेकिन इस प्रकार की धमकी न दें कि आप पर भी ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं। आरोप लगते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यदि मेरे या मेरे साथियों पर आरोप लगाए जायं तो नियमानुसार लगाए जायं। जो नियमों में व्यवस्था है उसके अनुसार आचरण करें, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

Page No 92

(९२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें इस प्रकार की छूट दे दी जाए और रूल्स को रिलेक्स किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सौदा मंहगा पड़ेगा।

श्री मदनसिंह दांता : इससे साफ जाहिर है, इस चीज को मुख्य मन्त्री नहीं कहते हुए भी खुद ही कह गए। यह सौदा मंहगा पड़ेगा, इसका मतलब, ये सब चोर हैं।

श्री शंकर लाल : इसका मतलब सदन के नेता ने खेतसिंहजी को धमकी दे दी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जयकृष्ण जी के लिए नहीं कह रहा हूं कि सौदा मंहगा पड़ेगा। इस सदन के लिए कह रहा हूं। इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरेगी, सदन के लिए मंहगा पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा था कि विशेष गांव में बिजली नहीं जा सकी। नाम नहीं लिया था। घटना का वर्णन किया था, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया।

श्री शंकर लाल : सरकार पर अनियमितताओं के आरोप थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्य मंत्री या मंत्री को भी चुनौती देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। कोई आरोप होगा तो जन प्रतिनिधि का कर्त्तव्य है, जो पहले आप निभाया करते थे, उससे सवाया निभाऊंगा। आप चाहते हैं कि नियमों के अनुसार आरोप लगायें, विधान सभा के नियमों को काम में लिया जाए, तो हम से यह आशा करते हैं और आपके लोग लगायें तो उनको नियमों के अन्दर छूट देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने उनके लिए भी कहा कि उनको भी आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्य मन्त्री की इस तरह चल नहीं सकती। बार बार खड़े होकर कहते हैं, हम कभी इन बातों में आने वाले नहीं हैं। हमने आपकी गर्जना सुनी है। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप भले ही कहें आपके कैबीनेट के दामन साफ हैं, लेकिन उन्होंने और आपने जो एक साल में किया उसका पर्दाफाश किया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। आप जो वहां बैठे कारनामे कर रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। हां हां करने से काम नहीं चलता।

श्री मदनसिंह दांता : कोयला भ्रष्ट लोगों को दिया जा रहा है, जहां कोई खान नहीं चल रही है वहां भी दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि वह भी ब्लैक कर लें तो क्या हर्ज है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयकृष्णजी को बड़ी उत्तेजना हो गई। मैंने जब यह बात कही कि सौदा मंहगा पड़ेगा तो किसी व्यक्ति से मेरा मतलब नहीं, मंहगा इस सदन के लिए पड़ेगा। आपने कहा, आप आरोप लगायेंगे तो हम भी लगायेंगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो आरोप-प्रत्यारोप लगाने से वातावरण बिगड़ेगा और इसलिए यह सौदा मंहगा पड़ेगा। बाकी इतना निवेदन कर दूं, आपने कहा कि मन्त्रियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगा यदि आप मेरे पास भेजेंगे। मदनसिंहजी जो उत्तेजित होकर कहते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कहने के बजाय ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप आरोप लिखकर दें, जो श्री दुआ लोकायुक्त बना हुआ है उनके पास अपने आवेदन-पत्र को भेज दें किसी भी मन्त्री के विरुद्ध····

श्री मदनसिंह दांता : मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा, आप खुद कन्विस हो जाए। आपके मन्त्री ने गलत काम किया तो cannot you turn them out ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी जांच करूंगा। लेकिन मेरी जांच में शायद आपका विश्वास न हो। आखिर पिछली सरकार ने दुआ लोकायुक्त की स्थापना की है वह इसलिए की है कि इस सदन में आरोप-प्रत्यारोप न लगाए जांय और जिसको किसी मन्त्री के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह दुआ लोकायुक्त के पास भेज दें। आप इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं कि विधान सभा में चर्चा उठायें? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप विधान सभा के प्रिविलेज का उपयोग करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार बोल देंगे तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि आप लोग बजाय यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के किसी भी मन्त्री के खिलाफ चाहे मैं खुद ही क्यों नहीं होऊं, चार्ज हों तो सीधे लोकायुक्त श्री दुआ के पास प्रार्थना पत्र लेकर चले जाइये···

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप जिस वक्त यहां हाउस में अपोजिशन में बैठते थे तब आप हर विधान सभा के अधिवेशन में एक मन्त्री पर चार्ज लगाते थे और हर सैशन में एक मन्त्री को खाते थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री खाता था या क्या खाता था लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप चाहे तो हाउस की प्रोसिडिंग्स का उठा कर देख लें। मैंने कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। मैं किसी विधान सभा के सदस्य या मन्त्री के खिलाफ में चार्ज लगाता था तो उसके लिये पहले नियमानुसार मैं अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना-पत्र लिख कर देता था, उन्हें सूचित करता था और उसकी प्रतिलिपि मैं सम्बन्धित सदस्य को भी देता था। मैंने कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। मैं माननीय सदस्य की ओर इशारा करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप आजकल भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने आज तक तो आरोप लगाये नहीं हैं।

(व्यवधान)

और मैं वह चिड़िया भी नहीं जो यों ही उड़ जायेगी। जब हाउस में भ्रष्टाचार के लिये चार्ज लगाऊंगा तब आप मुझे हाउस से बुलाकर यही कहेंगे, मदनसिंह जी यह क्या कर रहे हो?

Page No 94

(95)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहूंगा कि आप आरोप क्यों लगा रहे हैं लेकिन...

(व्यवधान)

आप बैठें, पहले सुनें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य के खिलाफ में अगर चार्ज लगाता है तो पहले उस माननीय सदस्य को पूरी जांच कर लेनी चाहिये। इसके लिये प्रमाण भी सारे रखे मैंने जब कभी भी इस सदन में किसी भी मन्त्री के खिलाफ में या सदस्य के खिलाफ में कोई चार्ज लगाया तो पहले सूचना दी थी। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति, जिसके खिलाफ में मैंने कोई आरोप लगाया हो, उस दिन अगर सदन में नही होता तो मैंने कभी भी यहां सदन में वह प्रश्न नहीं उठाया। जब कभी वह व्यक्ति यहां होता तब मैं वहां सदन में चर्चा उठाता था नियमानुसार। मैंने सदन की परम्परा को कभी भी नही तोड़ा और न ही नियमों का उल्लंघन ही किया। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब अगर कोई भी माननीय सदस्य किसी भी सदस्य के खिलाफ में आरोप लगाता है तो उस मामले को डाइरेक्टली, प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया जाय और प्रिविलेज कमेटी फिर सारी बातों की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। अगर उस रिपोर्ट के अनुसार वह चार्ज झूठा साबित हो तो जिस माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया हो उसको सदन से क्षमा मांगनी चाहिये। इस पक्ष की तरफ से सरकारी पक्ष के सदस्यों की ओर से मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि उन्हें इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। विपक्ष के सदस्य भी अगर इसको मान लेते हैं तो उचित रहेगा और नहीं तो मेरा निवेदन यही है कि यहां पर सदन में नियमों की पालना की जाय। सदन में किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाये जायं। अगर लगाय तो प्रमाण सहित लगावें। पहले नियमों के अनुसार सूचना अध्यक्ष महोदय को दें।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में इस सदन में बिना नियमों के कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि भविष्य में आरोप-प्रत्यारोप की पुनरावृत्ति इस सदन में नही हो और सदन की परम्परा दोनों ओर के सदस्यों द्वारा निभायी जाय।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

माननीय परसराम जी मदेरणा विरोधी दल के नेता !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने जो प्रस्ताव सदन में रखा या सजेशन सदन में दिया उसमें यह कहा कि जो भी सदस्य किसी भी सदस्य के ऊपर अगर चार्ज लगाता है तो वह चार्ज प्रिविलेज कमेटी को सीधा भेज दिया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रिविलेज कमेटी को मामले भेजने का प्रावधान हमारे रूल्स ऑफ प्रॉसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है। मैं रूल्स ऑफ प्रॉसीजर के नियम 272 और 274 की तरफ ध्यान-आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नियम 272 के अन्तर्गत अगर कोई माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य किसी भी सदस्य के खिलाफ में अगर चार्ज लगाता है तो पहले वह अध्यक्ष महोदय को उसकी सूचना दे। अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति दें तब चार्ज लगाया जाना चाहिये। आपने जो प्रिविलेज कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा या सजेशन दिया वह तो हमारे रूल्स ऑफ प्रॉसीजर के नियमों के विरुद्ध है। दूसरे इस तरह नियमों के उल्लंघन की जहां तक बात है यह तो अध्यक्ष महोदय के देखने की बात है। आप प्रिविलेज कमेटी को ऐसे मामले सौंप देंगे तो ऐसे पचासों मामले उठेंगे। हर मामला प्रिविलेज कमेटी के पास अगर जायेगा तो प्रिविलेज कमेटी के पास पचासों मामले जायेंगे तो इससे तो कोई पर्वज हल नहीं होने वाला है।

इसके अलावा जो रूल्स ऑफ प्रासीजर की धारा 274 है उसका जहां तक सवाल है मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि इस धारा की कड़ाई से पालना की जाय तो उचित रहेगा।

अब रहा सवाल यह मुख्य मंत्री जी ने जो यह बात कही कि माननीय सदस्य ने धमकी दी। किसने किसको दी और क्या दी यह बात तो आप जानें और आपके सोचने की बात है लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक धमकियों का सवाल है जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से हम विरोधी पक्ष वालों को धमकियां दी जाती रही हैं। अब उन धमकियों का असर कितना होता है, वह अलग बात है। इसके अलावा माननीय खेतसिंह जी ने कोई मामूली बात कह दी तो वह कोई धमकी नहीं थी। उनके ऊपर किसी ने आरोप लगाये होंगे तो उन्होंने भी प्रत्यारोप लगाये होंगे। इसमें धमकी की बात नहीं है।

जहां तक यह सवाल है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि मैंने जब कभी भी सदन में किसी भी सदस्य के खिलाफ में चार्ज लगाया तो पहले उसका प्रॉपर नोटिस अध्यक्ष महोदय को दिया। उनकी अनुमति मिलने के बाद ही मैंने सदन में चार्ज लगाया। यह सही बात है। मुझे एक वक्त का किस्सा याद है। उन दिनों मैं उधर बैठता था। तब उन्होंने किसी मन्त्री पर चार्ज लगाने के लिए अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया और उनको अनुमति मिली थी। तो मेरा निवेदन यही है कि इस सदन की परम्परा और गरिमा को बनाये रखने के लिए बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के इस सदन में चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिये। अगर एक दफा यह आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया तो इसको रोकना बड़ा कठिन हो जायेगा। फिर इसके कॉन्सीक्वेंसेज दोनों ही पक्षों के लिए उचित नहीं होंगे। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ में सदन में डाइरेक्टली चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिये आज जो बिना आपकी अनुमति के चार्जेज सदन में लगाए गए हैं उनको हाउस की प्रोसिडिंग्स में से एक्सपंन्ज किया जाना चाहिये और भविष्य में इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो खुद मैंने कहा था कि बिना अध्यक्ष महोदय की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अनुमति के सदन में किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ में चार्ज नहीं लगाए जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में किसी भी माननीय सदस्य पर भविष्य में कोई आरोप-प्रत्यारोप बिना नोटिस के नहीं लगाए जाने चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसके लिए सदन के पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को आपस में सामन्जस्य रखना चाहिये। आज जो भी सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं मुझे बिना नोटिस दिए उसकी प्रोसिडिंग्स को मैं देख कर जैसे कि माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए उचित व्यवस्था करूंगा।

श्री समरथलाल ! ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जाति कर्मचारी समन्वय समितिके सदस्यों द्वारा विधान सभा भवन के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जाति कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा भवन के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, श्री समरथलाल व श्री ओंकारलाल चौहान एवं श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-3-1978 को प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में वस्तु स्थिति इस प्रकार है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की समन्वय समिति का पत्र, जिसमें 31 मांगें उठाई गई हैं, मुख्य मन्त्री जी के यहां दिनांक 1-3-78 को प्राप्त हुआ। इन मांगों के संबंध में विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त की जा रही है। मुख्य मन्त्री के निदेशानुसार गृह मन्त्री ने अभी हाल ही में समिति के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात की, शीघ्र ही मुख्य मंत्री बातचीत के लिये बुलायेंगे।

श्री समरथलाल : इनको 15 दिन हो गये हैं भूख हड़ताल करते हुए तो आपने इनसे बात क्यों नहीं की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 31 मांगें रखी हैं। उन मांगों के बारे में विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त की भी है और जानकारी प्राप्त की भी जा रही है। आन्दोलन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनको सभी मांगों के संबंध में सन्तोष है। मैं समझता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकल जायेगा। एक जो मुख्य मांग वह कर रहे हैं उसमें वह यह कहते हैं कि दिनांक 14-4-78 को अम्बेडकर जयन्ती पर हमारे यहां पर छुट्टी घोषित की जानी चाहिये। इसके लिये मैं दूसरे राज्यों से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि वहां पर क्या व्यवस्था है ? अगर दूसरी स्टेट वाले छुट्टी करते हैं तो मैं भारत सरकार से भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी करूंगा, कल मैं स्वयं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पर भी इस बारे में बातचीत करूंगा। श्री अम्बेडकर साहब हमारे भारत के संविधान के निर्माता थे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी इस पर कोई अपना विचार रखती होगी। अगर वहां पर, सभी जगहों पर छुट्टी घोषित हो गई है तो यहां भी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें हड़ताल करने का जहां तक प्रश्न है मेरी उनसे बातचीत हो गयी है। मैं समझता हूं उन लोगों की जो भी समस्यायें हैं उनका समाधान हो जायेगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में कहा कि उनका एक खास मसला यह है, 14-4-78 को अम्बेडकर साहब की जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाय। क्या इसका मतलब मैं यह समझू कि बाकी मांगों पर फैसला हो चुका है? जो उन्होंने ज्ञापन में 31 मांगें रखी हैं, उनमें मांग की है. छात्रावासों की दशा ठीक करो, सस्ती दरों पर जमीन व मकान दिलाओ, आरक्षण पर राजस्थान में प्रतिबन्ध हटाओ, एन.सी.सी. की छूट दो, अम्बेडकर भवन के लिए मुफ्त जमीन दो, निजी शिक्षण संस्थान व उद्योगों में भी आरक्षण लागू करो, दैनिक वेतन पर कार्यरतों को नियमित करो, दलित वर्ग की भर्ती व पदोन्नति करो, स्वीपरों को दैनिक वेतन पर दस रुपये रेट दो व नियमित करो, बिना ब्याज मकान व उद्योग के लिये ऋण दो, हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की जांच करो। तो क्या आपने यह बातें मान ली हैं? यह लोग 21-3-78 से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री या राज्य मंत्री महोदय जब सदन की कार्यवाही समाप्त होने पर कार से बाहर जाते है तब क्या उनकी नजर उन पर नहीं जाती? इतने दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे है और सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है. यह खेद का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल डॉ. अम्बेडकर की जयन्ती की छुट्टी मनाने का ही सवाल नहीं है, अन्य बातें भी हैं। क्या वे उन्होंने मंजूर कर ली हैं या नहीं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा. जहां तक हमको सूचना है लोगों से बात करने से पता चला है कि यही एक बात नहीं है। उनकी अन्य मांगें हैं जो वाजिब हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी उनको मंजूर करते हैं। जब इतने दिनों से हड़ताल चल रही है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके साथ बैठ करके डिस्कस कर लें और उनको हल करलें। वे केवल हठधर्मी से ही बैठे हों यह तो विश्वास नहीं होता है। आपने कहा कि विभिन्न विभागों से जानकारी मंगायी है इससे साफ जाहिर होता है कि कोई बात मंजूर नहीं हुई है। अभी सूचना नहीं आयी है आपके पास, उनकी कौनसी बात मानने लायक है और कौनसी बात मानने काबिल नहीं है। उनकी जो मांगें हैं वे हैं तो वाजिब जैसे जहां तक आरक्षण का सवाल है यह तो आप भी मानते हैं, उनकी यह मांग वाजिब है। होस्टल्स की हालत के बारे में भी उनकी मांग वाजिब है। इन प्रश्नों पर तो सदन के अन्दर कई बार आधे-आधे घन्टे तक हंगामे हुए हैं। इसलिये इन बातों को एम. एल.

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एज. आप, वे सब लोग बैठ कर तय कर सकते हैं। 14 अगस्त, अम्बेडकर जयन्ती की छुट्टी के अलावा उनकी मांगें वाजिब आप मानते हैं तो फिर उनको क्यों नहीं संतोष हो रहा है ? वे क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं ? आप यदि प्रयत्न करें तो उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं और उनकी समस्या हल हो सकती है। वरना असेम्बली तो समाप्त हो जावेगी और ये अनुसूचित जाति जन जाति के लोग यों के यों ही यहां बैठे बैठे हड़ताल करते रहेंगे तो वाजिब नहीं होगा। आप शीघ्र निर्णय ले लें ताकि हड़ताल खतम हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, डॉ. अम्बेडकर के जन्म दिन की छुट्टी के लिये आपने फर्माया कि हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में 14 अप्रेल, की छुट्टी नहीं होती है। गृह मंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी यह फर्माया कि किसी भी स्टेट में इस तरह की छुट्टी नहीं होती है। चीफ सैक्रेटरी ने भी इसकी जानकारी की है। इसलिये आप वार्तालाप करें तो इस शर्त पर कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर छुट्टी होगी तो राजस्थान में भी छुट्टी की जावेगी। मैं समझता हूं कि इस बात पर आन्दोलनकारियों को भी सतोष होगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि यदि इस देश की, किसी भी स्टेट में इस दिन की छुट्टी होती हो तो हमें भी छुट्टी कर देनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का गुरेज नहीं होना चाहिये।

(3.50 म. प.)

श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन,

यह सरकार और पहले वाली सरकार भी हरिजनों की उन्नति के लिये बराबर घोषणा करती रही है। उनकी एक मांग यह भी है कि जितनी घोषणा हुई हैं उन सारी घोषणाओं को क्रियान्वित किया जाय, उनको कार्य रूप में परिणित किया जाय। विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर जो राहत उनको दी गयी है, जो उनके बारे में घोषणायें की गयी हैं उनको कार्य रूप में परिणित करने वाली बात है। यदि उनकी पूर्ति कर दी जाती है तो उनकी बहुत सी मांगें तो यों ही हल हो सकती है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा नाम है।

जहां तक 28 पर्सेंट के कोटे का सवाल है। जिस प्रकार से विद्युत के लिये अभियान चलता है और दूसरे अभियान चलते हैं उसी प्रकार से जो आपने रोस्टर प्रणाली लागू की है इस रोस्टर प्रणाली के लिये भी अभियान चला कर आप इसको पूरा करायें तो काफी समस्या हल हो सकती है। इसके लिये आप उनको आश्वासन दे सकते हैं। जिन जिन विभागों में जितने जितने प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण है और रोस्टर के हिसाब से उनकी पूर्ति नहीं की गयी है तो अभियान चला कर भी उसको पूरा किया जा सकता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक बात निवेदन करना चाहूंगा विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। पहले एक प्रदर्शन हुआ था तब यह उनके साथ तय किया गया था कि उस पद पर जो मिलने वाला वेतन है वह दिया जावेगा। उस पर भी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आप गौर फर्मायें । हर डिपार्टमेंट से आप पूछेंगे कि विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था 150 रुपया 250 रुपया मिलता था, स्टाइपेन्ड मिलता था, वह उनको बराबर दिया जाता रहा है या नहीं ?

इसके साथ साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि जितने भी होस्टल्स हैं उनमें रहने, सोने और खाने पीने की जो बच्चों के लिए व्यवस्था है उनका अवलोकन करायें और उनमें जो अव्यवस्था है उसको शीघ्र दूर करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस समाप्त ही कर रहा हूं ।

इस बात की ओर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिये कि इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण से हरिजन और आदिवासी बच्चों के मन में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है । उनको रद्दी खाना और रद्दी वस्त्र दिए जाते हैं । आज होस्टल्स को व्यवस्था बड़ी दयनीय है । उसकी ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, राजस्थान के पिछड़े वर्ग की तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे नीचे गरीबी की रेखा पर है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं । यदि देखा जाय तो आज 80 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी लोग गरीबी की नीची रेखा पर हैं । इसलिए जो भी उनका हिस्सा है और जो घोषणाएं आपने की हैं उनको पूरा करें । वे लोग यह न समझें कि राजस्थान सरकार, शेखावत साहब की सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है । इसलिए आप उचित समझें तो उनसे बात करें । उस वार्तालाप में यदि आप इजाजत देंगे, मैं भी शामिल होना चाहूंगा सरकार जिन बातों को पूरा कर सकती है उनको पूरा करना चाहिये । जो मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं उनके लिए उनको कहना चाहिये कि हमें समय चाहिये । एक स्टेट फार्वर्ड तरीके से आगे आना चाहिये जिससे दोनों तरफो सहूलियतें पैदा हों । आन्दोलनकारियों को आप धोखा न देंगे इस बात का उनको विश्वास हो जाना चाहिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि भूख हड़ताल चल रही है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया है । आपने फर्माया कि जयन्ती के दिन छुट्टी घोषित करने के बारे में तो दिल्ली में बात करना चाहेंगे । यदि हम इसको उस निगाह से देखें और सार्वजनिक क्षेत्र की बात को यदि हम देखें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर फादर ऑफ इन्डियन कॉन्स्टीट्यूशन थे । He was main architect of Indian Constitution राष्ट्रपिता के नाम से छुट्टी होती है तो जो इन्डियन कॉन्स्टीट्यूशन का निर्माता है जो बीसवीं शताब्दी के मनु माने जाते हैं उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी गरिमा के मुताबिक मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह पूरे प्रयास करें इस संबंध में और वह इस चीज को नहीं देखें कि अन्य प्रान्तों में छुट्टी घोषित होती है या नहीं होती है । हो सकता है अन्य प्रान्तों में नहीं होती हो लेकिन जब आज इन्कलाब का वातावरण बनता चला

(श्री ओंकारलाल चौहान)

जा रहा है तो मैं समझता हूं आज के परिप्रेक्ष में उपयुक्त होगा कि आप फादर ऑफ दी कान्सटीट्यूशन के नाम से सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। यही इस संबंध में मेरा निवेदन है।

दूसरी बात जो रोस्टर प्रणाली है और रिजर्वेशन है उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेन्टेशन कड़ाई से होना चाहिए।

यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के एक बहुत ही महान पुरुष थे इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयन्ती मनाई जाये इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कोई छुट्टी नहीं मनाई गयी इसमें भी मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति आज तक नहीं थी। अब इसकी मांग की जा रही है तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि अन्य राज्य सरकारों से मैंने इस संबंध में जाकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है, भारत सरकार से भी इस संबंध में जानकारी कर रहा हूं। यदि इस प्रदेश में और सारे राज्यों में डॉक्टर अम्बेडकर जयन्ती मनाई जाये और इस प्रकार की छुट्टी हो जाय तो माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होगी। एक राज्य में ही डॉक्टर अम्बेडकर के लिए छुट्टी दी जाये और बाकी के राज्यो में नहीं हो और फिर वहां आन्दोलन करना पड़े तो पहले सब आपस में बैठकर विचार कर लें इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये इसलिए मैंने निवेदन किया, मैं कल इस संबंध में चर्चा करूंगा और जो भी जानकारी होगी सदन में या सदन के बाहर दे दूंगा।

मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं उन क्रमिक भूख-हड़तालियों से मिलें और मिलने के बाद उनको कहें कि वह क्रमिक भूख हड़ताल तोड़ें। माननीय सदस्यों ने कहा कि उनसे कोई नहीं मिला। मैं निवेदन करूं कि पांच छः बार तो श्री कैलाश मेघवाल उनसे मिल चुके हैं, श्री सम्पतराम जी भी मिल चुके हैं और मेरे से भी वह कई बार मिल चुके हैं। इसलिए उनसे नहीं मिलने का प्रश्न नहीं उठता। बाकी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह समझा कर उनसे क्रमिक भूख हड़ताल तुड़वा दें। मैं निवेदन करूंगा कि आन्दोलनकारी रुख अपनाने की बजाय आपसी सामंजस्य की बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए उनको जाकर समझायें और भूख हड़ताल तुडवायें।

शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण पूनिया नागरिक रसद मन्त्री राजस्थान के पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट के अभाव के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

राजस्थान के पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट का अभाव

श्री जयनारायण पूनिया (नागरिक एवं रसद मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, "सीमेन्ट की प्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध

(श्री जयनारायण पूनिया)

में सदन में माननीय सदस्यों ने समय समय पर प्रश्नों द्वारा एवं अन्य अवसरों पर गम्भीर परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। पूर्व में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में भी पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। इसमें कोई विरोधाभास नहीं हो सकता कि राजस्थान में आवश्यकतानुसार सीमेन्ट की प्राप्ति एवं वितरण नहीं हो रहा है। पूरे देश में सीमेन्ट की फैक्ट्रियों पर कन्ट्रोल सीमेन्ट नियन्त्रण आदेश, 1967 के अन्तर्गत भारत सरकार का है एवं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक त्रिमास के लिए सीमेन्ट आवन्टन किया जाता है।

यहां माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना आवश्यक है कि सीमेन्ट फैक्ट्रियों पर राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं है क्योंकि सीमेन्ट के विक्रेता सीमेन्ट फैक्ट्रियों द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं एवं वे सीधी ही उनसे सीमेन्ट प्राप्त करते हैं। इन विक्रेताओं को तो राजस्थान में केवल लाइसेन्स लेना ही अनिवार्य होता है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरण करते हैं। यह अधिकार भी फैक्ट्रियों में निहित है कि वे कहां, कब और कितनी सीमेन्ट फ्री सेल में भेजें। फ्री सेल की सीमेन्ट की त्रैमास के अन्त में शेष रही मात्रा लेप्स हो जाती है एवं विभागों द्वारा आवन्टन तिमाही के अगले मास तक उठाया जा सकता है।

खाद्य विभाग, राजस्थान के सरकारी विभागों, प्रोजेक्ट्स, निगमों, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एव निजी संस्थाओं एवं विभिन्न जिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को मांग प्रेषित कर देता है एवं वहां से आवन्टन के आदेश प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा मांग को ध्यान में रख कर आवन्टन कर दिया जाता है। भारत सरकार फिर विभिन्न फैक्ट्रियों के नाम रिलीज ऑर्डर जारी करती है। इन सभी मांगों को एकत्रित कर खाद्य विभाग भारत सरकार को प्रेषित करता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि भारत सरकार हमारे राज्य को आवश्यकतानुसार सीमेन्ट का आवन्टन करे। उदाहरणार्थ वर्ष 1977 के द्वितीय त्रैमास में राज्य की मांग 1.76 लाख टन थी, जिस पर 1.18 लाख टन का ही आवन्टन किया गया। इसी प्रकार 1977 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के लिए 1.78 लाख टन व 1.90 लाख टन की मांग भारत सरकार को प्रेषित की गई थी जिस पर क्रमशः 1.37 एवं 1.36 लाख टन सीमेन्ट का आवन्टन किया गया। इस वर्ष के प्रथम त्रैमास के लिए राज्य की कुल 2.85 लाख टन की मांग थी जिस पर 1.60 लाख टन आवन्टन किया गया। इसमें ही 10,000 टन सीमेन्ट आर. सी. पी. के लिए विशेष आवन्टन भी सम्मिलित है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री को पत्र लिखे एवं स्वयं भी मिलकर भरसक प्रयास अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए किए जिसके फलस्वरूप गत त्रैमास में 10,000 टन राजस्थान नहर के लिए अतिरिक्त सीमेन्ट प्राप्त हो सका। मैंने स्वयं ने भी इस सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री केन्द्र सरकार से निवेदन किया एवं पूर्ण

(श्री जयनारायण पूनिया)

प्रयत्नशील हूं । द्वितीय त्रैमास, 1978 के लिए विभाग द्वारा 3.50 लाख टन के आवन्टन के लिए मांग के अनुसार आग्रह किया गया था परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 1,35,000 टन का ही आवन्टन किया है ।

भारत सरकार के यह आदेश हैं कि 50 प्रतिशत कोटा फ्री सेल के लिए सीमेन्ट विक्रेताओं को बेचने हेतु दिया जावे । परन्तु राज्य सरकार ने जन साधारण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही 1977 में क्रमश: 62 प्रतिशत, 59 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत का आवन्टन किया जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक है ।

इस वर्ष के पहले त्रैमास में जोधपुर नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरोही व जैसलमेर में आवन्टन क्रमश: 3,100, 1,800 2.100.1,100, 1,000 .1,200, 385 टन किया गया है एवं विक्रेताओं द्वारा प्राप्ति क्रमश: 2,582, 1,736, 2.514, 1,048, 1,187 1,057 एवं 180 टन हुई है ।

प्रथम तिमाही, 1978 में 50 प्रतिशत से अधिक आवन्टन किया जाना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य के उपक्रमों, राजस्थान नहर परियोजना एवं निगमों आदि के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण एवं विकास कार्यों की काफी तीव्र गति हो जाने से उनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी ।

गत वर्ष द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के आंवटन क्रमश: 1, 18,000 टन 1,37.400 टन एवं 1,36,640 टन में से क्रमश: 1,00,000 टन, 1,05,200 टन एवं 1,10,000 टन सीमेन्ट की फैक्ट्रियों से लदान हुआ है जबकि 1978 की प्रथम तिमाही में 1,60,000 टन का आंवटन किया गया है जिसके मुकाबले में लदान पूर्व तिमाहियों के बाकी सीमेन्ट सहित 1,70,000 टन का किया जा चुका है ।

जहां तक कोटे के लेप्स होने के कारण हैं उनका विवरण इस प्रकार है:—

(1) प्रत्येक विभाग का फैक्ट्रीवार आवंटन रीजनल सीमेन्ट कन्ट्रोलर द्वारा किया जाता है और अध्ययन करने पर यह पाया गया कि 1 या 2 फैक्ट्रीज को उनका उत्पादन क्षमता के मुकाबले कहीं अधिक का आंवटन कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप वे समय पर लदान करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

(2) दूसरे फैक्ट्रियों में कभी कभी उत्पादन में कमी हो जाती है जिसके कारण निम्न प्रकार हैं:—

(क) कभी कभी बिजली में कमी. (पावर कट) के कारण (यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि अब पिछले दो माहों से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राजस्थान में स्थित सभी सीमेन्ट फैक्ट्रियों को उनको आवश्यकतानुसार बिजली दी जा रही है)

(श्री जयनारायण पूनिया)

(ख) फैक्ट्रीज की स्वयं की मरम्मत आदि के लिये सीमेन्ट फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होना ।

(ग) दूसरे राज्यों को भी राजस्थान में स्थित पांचों फैक्ट्रियों से सीमेन्ट वितरित किया जाता है । रीजनल सीमेन्ट कन्ट्रोलर, नई दिल्ली फैक्ट्रियों को सीधे ही प्राथमिकता (प्रायोरिटी) निर्धारित कर देता है जिसकी वजह से समय समय पर अपने राज्य की सीमेन्ट के लदान में विलम्ब हो जाता है ।

(घ) सन् 1978 की प्रथम तिमाही में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को सीमेंट का लदान उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया गया जिसकी वजह से अन्य विभागों को समय समय पर लदान नहीं किया जा सका ।

(ङ) रेलवेज द्वारा फैक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में वैगन्स नहीं दिये जाते और विशेष समस्या सवाई माधोपुर स्थित फैक्ट्री की हो जाती है क्योंकि रेलवे बोर्ड समय समय पर सवाई-माधोपुर में मीटर गेज के वैगन्स देने पर पाबन्दी लगा देता है ।

(च) सीमेन्ट विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति व वैगन्स की कमी भी इस पर प्रभाव डालती है ।

सीमेन्ट के कोटे के लेप्स होने की जिम्मेदारी किसी विभाग विशेष पर नहीं डाली जा सकती जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । खाद्य विभाग ने पिछले तीन माहों में आवश्यक रूप से विभिन्न विभागों की फैक्ट्रियों से सीमेन्ट भिजवाने का दायित्व अपने ऊपर लिया है जब कि पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी ।

जिलों में सीमेन्ट विक्रेताओं की नियुक्ति सीमेन्ट फैक्ट्रियां स्वयं करती हैं और इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इन विक्रेताओं पर रसद विभाग का नियंत्रण रहता है । विभाग इन विक्रेताओं को फैक्ट्रियों से सीमेन्ट लाने के लिये पाबन्द नहीं कर सकता और यह इन विक्रेताओं की स्वेच्छा पर निर्भर करता है । कई बार यह देखने में आया है कि कुछ-एक विक्रेता ऐसे हैं कि जिनके पास पर्याप्त धन-राशि नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप वे सीमेन्ट फैक्ट्रियों से सीमेन्ट नहीं ला पाते हैं और न ही वितरण कर पाते हैं । विभाग द्वारा अब यह प्रयास किये जा रहे हैं कि ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध संबंधित सीमेन्ट फैक्ट्रियों को लिखा जावे कि उनको डीलरशिप से हटा कर अन्य व्यक्तियों को दे दिये जावें, जिससे कि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई न आवे ।

उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार इस स्थिति की ओर पूर्ण जागरूक है एवं सीमेन्ट को अधिक से अधिक फैक्ट्रियों से लदान कराने के लिये सीमेन्ट फैक्ट्रियों स्थित जिलों के जिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे संबंधित फैक्ट्रियों से लदान व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पर करावें । राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया है एवं उन्होंने बिजली की कमी होने के उपरान्त भी सीमेन्ट

(श्री जयनारायण पूनिया)

फैक्ट्रियों को यथा संभव पूर्ण बिजली दी है। इसके अतिरिक्त एक एक प्रवर्तन निरीक्षक प्रत्येक सीमेंट फैक्ट्रियों में नियुक्त कर दिया गया है जिसका केवल यही कार्य है कि फैक्ट्री से विभिन्न विभागों एवं जन साधारण को वितरण होने वाली सीमेन्ट के लदान की समुचित व्यवस्था करावें एवं वस्तु स्थिति से नित्य प्रति खाद्य विभाग को सूचित करते रहें। समय समय पर फैक्ट्रीज के प्रतिनिधियों की बैठकें भी आयोजित की गई हैं एवं भारत सरकार से भी पूर्ण सम्पर्क रखा गया है।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वर्ष के प्रथम त्रैमास में अपने राज्य को करीब 1,60,000 टन सीमेन्ट फैक्ट्रियों से सीमेन्ट प्राप्त हुई है जो कि पूर्व में कभी भी नहीं हो पाई थी। आगे ज्यादा सीमेन्ट आवंटन हेतु भारत सरकार से प्रयत्न जारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सिविल सप्लाइज मिनिस्टर ने हैल्पलैसनेस जाहिर की है। सीमेन्ट का कन्ट्रोल भारत सरकार कर रही है। मुख्य मन्त्री जी ने अर्ध शासकीय पत्र लिखा था, उस बात का परिणाम यह हुआ सीमेन्ट कोटा से दिया गया लेकिन जो कुछ भी आवंटन करने जा रहे हैं, डिमान्ड थी 3 लाख 50 हजार टन, उसके अगेंस्ट में आपकी भारत सरकार ने, रीजनल कन्ट्रोलर आॅफ सीमेंट ने 1 लाख, 35 हजार टन का आवंटन किया है। आपने 1 लाख 35 हजार टन के अगेंस्ट में 1 लाख 60 हजार टन का लदान किया। आपने 20 हजार टन कहां से उठा लिया? आपको परमिट नहीं मिला है। जब आवंटन ही 1 लाख 35 हजार टन हुआ, तो पिछले साल का कोई कोटा था या लदान ज्यादा हो गया? जैसी मैंने जानकारी दी थी, स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस मामले को सदन में उठाया था, आपने 4 हजार बैग्स का आवंटन किया। 31 मार्च तक 1,500 बैग्स पहुंचे। आपके बाकी के 2,500 बैग्स क्यों नहीं पहुंचे? आपका वितरण पर कन्ट्रोल नहीं। स्टाकिस्ट्स को फैक्ट्रियां अपोइन्ट करती है। जहां तक अलॉट करने का प्रश्न है, भारत सरकार कर रही है। यह मामला गम्भीर होता जा रहा है। राजस्थान में खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में जो सीमेंट अलॉट हो रहा है वह पूरा नहीं पहुंच रहा है। वहां की मांग को देखते हुए आपने 50 पर्सेन्ट कोटा की बात कही है। हालांकि आपने बढ़ाया है, रीजनल कन्ट्रोलर आॅफ सीमेंट द्वारा आवंटन बावजूद लोगों की मांग को देखते हुए 50 पर्सेन्ट से ज्यादा कोटा बढ़ायें। जैसा कि कह रहे हैं, मांग को देखते हुए 10 पर्सेन्ट भी मांग पूरी नहीं हुई है। परिणाम यह हो रहा है कि जगह जगह से सीमेन्ट की मांग आ रही है जहां कहीं मिल सकती है ब्लेक में 20-25 रुपये कट्टा ज्यादा है उसके बावजूद भी सीमेंट उपलब्ध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सीमेंट की जो विशेष कठिनाई फैली हुई है, उसको देखते हुए भारत सरकार के सामने मांग करनी पड़ेगी। यहां की मांग को देखते हुए मांग करनी पड़ेगी। सीमेंट के कन्ट्रोल का जो आर्डर है, उस

(श्री परसराम मदेरणा)

ऑर्डर के अन्दर जो प्रावधान है उसके अनुसार केवल आपको लाइसेन्स देने का अधिकार है। जब कि स्टाकिस्ट्स को फैक्ट्री वाले अपॉइन्ट करते हैं, आप लाइसेन्स देने की बात करते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेंट विक्रेताओं के ऊपर आपका कन्ट्रोल नहीं है, सीमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर के अन्तर्गत भारत सरकार का कन्ट्रोल है। आपको केवल लाइसेन्स देने का अधिकारी बना रखा है। उससे, मैं समझता हूं, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। स्टाकिस्ट्स के पास कितना स्टॉक आवश्यक है, यह आपके हाथ में नहीं है। कहां स्टाकिस्ट्स बनेंगे, यह फैक्ट्रियों पर छोड़ दिया है। स्टाकिस्ट सीमेंट लायेंगे, नहीं लायेंगे इसमें हैल्पलैसनैस जाहिर की है। लाने के बाद जो कुछ लाते हैं, उसके वितरण के लिये आप लाइसेन्स देते हैं तो लाइसेन्स में वितरण की कुछ कन्डीशन्स आपने रखी होंगी। विक्रय करने के मामले में आदेश निकाल दिया, परमिट दे सकते हैं। यह बड़ी विषम स्थिति है। आप भी कुछ नहीं कर सकते। माननीय मुख्य मन्त्री जी, स्टेट की मांग, जो कि उन्होंने पहले रखी, वह नहीं मिली है। हमारे पश्चिमी इलाके के अन्दर इस फसल कटने के बाद, कुंए ठीक कराने हैं, नालियां बनवानी है। इस बरसात में मकानात का काफी नुकसान हुआ है। मकानात वगैरह को ठीक कराने के लिये सीमेन्ट नहीं मिल रही है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी अपने गुड ऑफिस को यूज करते हुए, भारत सरकार पर असर डालते हुए अगर भारत सरकार से दुबारा बात करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा वे कह रहे थे, वे भारत सरकार से जो राज्य की उचित मांग होगी, वह मनवा सकेंगे। हमारी सीमेन्ट की मांग है। दूसरे राज्यों को देखते हुए हमें कितना सीमेन्ट अलॉट होता है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। जो रिलीज ऑर्डर बनाकर भेजते हैं उसके अनुपात में हमको आधा भी सीमेन्ट नहीं मिलता। हमको पता नहीं हैं स्टाकिस्ट्स उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। वे दूसरों की मांग को पूरा कर सकते हैं। इसलिये सीमेन्ट कन्ट्रोल में राज्य सरकार को सक्षम बनाया जाये, राज्य सरकार अलॉटमेंट के अन्दर पूरे अलॉटमेन्ट को देख सके। दूसरा, अलॉटमेन्ट में राज्य सरकार का दखल होना चाहिये, यह दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव यह है कि 5 फैक्ट्रियां हैं राजस्थान में। फिर हो क्या रहा है, अभी जोधपुर के अन्दर 1,500 बैग्स क्यों मिले ? सीमेन्ट ऑर्डर के अन्तर्गत हरियाणा को प्रायोरिटी दे देते हैं। राजस्थान को जो रिलीज ऑर्डर दिया है प्रायोरिटी नहीं दी है। नतीजा यह हुआ यहां के स्टाकिस्ट्स को सीमेन्ट का लदान नहीं किया गया, हरियाणा को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दे दी। ऐसा भेदभाव भारत सरकार बरत रही है। आप अपने गुड ऑफिस को यूज करके ऐसी व्यवस्था करायें कि हमारी फैक्ट्री या सीमेन्ट दूसरी जगह जावे, जो हमको रिलीज ऑर्डर दिया है, वह लैप्स हो जाये, इस प्रकार की स्थिति खड़ी नहीं हो। निश्चित रूप से भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये। सदन की मन्शा है कि सीमेन्ट की भारी कमी है। मांग के अनुपात में 50 पर्सेन्ट अलॉट नहीं होता। उस पर प्रायोरिटी दूसरी स्टेट्स को दे देते हैं। नतीजा यह होता है जो मांग का आधा सीमेन्ट अलॉट हो रहा

(श्री परसराम मदेरणा)

है वह भी पूरा नहीं मिल रहा है। जोधपुर जिले में इस तिमाही में 31 मार्च तक 4,000 के मुकाबले में 1,500 बैग्स पहुंचे हैं। तो जो नहीं पहुंचा है, उस तिमाही का पूरा कोटा इसलिये नहीं पहुंचा है कि फैक्ट्री में दूसरे ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिये। जो कोटा इस तिमाही का था वह लैप्स तो नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने उठाया था कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट का विवरण 5·6 महीने से नहीं हो रहा है। माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था कि सीमेन्ट की कमी है और उसको देखते हुये ही यह स्थिति है। मैंने यह कहा था, पश्चिमी राजस्थान में और वह भी ग्रामीण क्षेत्र में सीमेन्ट की भारी कमी है। जो कुछ सीमेन्ट पाली और जोधपुर में मिलती है उसका उल्लेख भी किया था।

दूसरा मेरा निवेदन यह था, मान्यवर, जो सीमेन्ट फैक्ट्री से आती है, वह किसानों के पास नहीं पहुंचती है। इसका भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। इसलिये जो कुछ वहां हालात हैं वह विक्रेताओं की वजह से और भी खराब है। सीमेन्ट विक्रेता शहरों में हैं वे वहां पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, यह भी पता नहीं रहता है। इसलिये इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से या फैक्ट्री के मालिकों से कोई कार्यवाही करनी चाहिये। आपने सीमेन्ट कम आती है, यह तो कह दिया लेकिन विक्रेताओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है इसलिये मैं चाहूंगा इस बारे में आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है राजस्थान की सीमेन्ट की पोजीशन के बारे में, दो तीन सवाल माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि जो जिला वाइज आपने किया है अलॉटमेंट, उस अलॉटमेंट के हिसाब से जिला वाइज सीमेन्ट पहुंचता नहीं है। दूसरा स्टॉक की पोजीशन के बारे में ध्यान आकर्षण किया। आपने बताया स्टाकिस्ट की बदमाशी से यह होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जान बूझकर किया जाता है। कोटा अलॉट कर देते हैं, स्टाकिस्ट के पास पैसे होते नहीं लेने के लिए, तो फैक्ट्री वाले उसमें पैसे खा जाते हैं और सीमेन्ट दूसरे जिलों में भेज देते हैं, जैसे बाड़मेर में भेज देते हैं वहां आवश्यकता होती नहीं है तो बाड़मेर से ब्लैक में सीमेन्ट हमारे यहां लाकर बेचा ......

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह गलत बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बता रहा हूं, आपको क्या मालूम...

(व्यवधान)

दूसरा गुजरात वाली कम्पनी ए. सी. सी. वाली जालौर में सीमेन्ट अलॉट करती है और राजस्थान की फैक्ट्री सीमेन्ट दूसरी स्टेट में अलॉट करती है। हमारी फैक्ट्रियों का सीमेन्ट हमें मिलता नहीं है। पहले भी ऐसा मामला चला था। सरकार ने इन्टरफियर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
किया था तब फैक्ट्री वालों ने कहा था कि सीमेन्ट कन्ट्रोलर जहां के लिये आवंटन कर देता है वहीं हम भेज देते हैं···

(व्यवधान)

दूसरे जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए रबी के सीजन में सीमेन्ट मिलता ही नहीं है। जो कन्ट्रोल प्राइस लिख रखी है उस प्राइस में सीमेन्ट मिलता नहीं है। ब्लैक में मिलता है। कन्ट्रोल हटाने से अपनी मर्जी के माफिक जितना चाहें उतना सीमेन्ट ले सकते हैं। जिसको पम्पिग सैट लगाना है, नालियां बनानी हैं, कुए बनाने हैं उसको तो सीमेन्ट लेनी ही पड़ेगी। उसको आज 60 रु. प्रति कट्टा ब्लैक में मिलता है।

जो एग्रीकल्चर उत्पादन वाले जिले हैं उनमें आप पहले सीमेन्ट का वितरण करें। काश्तकारों को एक निश्चित पर्सेन्टेज में सीमेन्ट मिल जाय और उसमें गड़बड़ी नहीं करें, उस बारें में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? जो भी आपको सीमेन्ट उपलब्ध है वह वेस्ट वे में लोगों को सीमेन्ट ईजीली मिल जाय इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दीजिये। कई बार आपने राशन कार्ड पर सीमेन्ट का वितरण किया उसमें भी दिक्कत यह है कि राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो सीमेन्ट मिलता नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष जी, मैं यह चाहूंगा आपका सीमेन्ट पर कन्ट्रोल नहीं है तो सीमेन्ट कन्ट्रोलर के पास जाकर इसका हल निकाला जाय। मैं समझता हूं सीमेन्ट कन्ट्रोलर जो मांगते हैं, उनको तो देते नहीं हैं और जो ब्लैक करते हैं, उनको देते हैं। इस बारे में आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसकी खास वजह यह थी कि लोगों को सीमेन्ट की कमी की गंभीरता महसूस हो रही थी। और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और खास तौर से शेरगढ़ में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात भी सही है। जब से आपका पदार्पण हुआ है तब से तो ऐसा ही है।

खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में एजेन्ट्स मुकर्रर होते हैं लेकिन तहसीलों में वे एजेन्ट्स नहीं होते हैं। कम से कम कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिये कि सभी जगह एजेन्ट्स मुकर्रर हों। यह मैं मानता हूं कि आपका कन्ट्रोल नहीं है लेकिन आपकी फैक्ट्री से बात हुआ करती है। आप उनको बतावें कि किसी किसी तहसील में तो 20-20 एजेन्ट्स हैं और किसी किसी तहसील में एक भी एजेन्ट्स नहीं हैं। इस वजह से सीमेन्ट पहुंच नहीं पाती है। एक तो यह निवेदन है। दूसरे राजस्थान में पांच फैक्ट्रियां हैं लेकिन आप एक्जीक्यूटिव ऑर्डर बता देते है और कह देते है कि हमारा कन्ट्रोल नहीं है। पिछली बार जब अपने यहां डीजल की कमी आ गई थी। तब भी आपका कन्ट्रोल नहीं था, भारत सरकार का था। उस समय आपने तो क्या, हमने ऑर्डर करवाया था और हमारे काश्तकारों को डीजल बराबर मिला था। इस तरह का आप भी कोई प्रोविजन कर सकते हैं।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिन इलाकों में सीमेन्ट की बहुत कमी है उन इलाकों में सीमेन्ट की दिक्कत को पहले दूर किया जाय। जिन जिलों में खास हाय हाय नहीं है वहां बाद में व्यवस्था की जाय। जैसा विरोधी दल के नेता कह रहे थे, जोधपुर में 4,000 बैग्स पहुंचने चाहिये थे वहां केवल 1,500 पहुंचे हैं। उसके बाद भी जितना स्टॉक पहुंचना चाहिये था उतना नहीं पहुंचा है। ये महीने ऐसे है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें काश्तकार फ्री रहता है। इस फ्री टाइम में वह अपना मकान, कुआ, नालियां आदि आसानी से बना सकता है। इसी समय वह सीमेन्ट की सबसे ज्यादा जरूरत समझता है। इन दिनों सीमेन्ट की कमी होने से क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि उन क्षेत्रों को डाइवर्ट कर दीजिये ताकि उनका फ्री समय यूटिलाइज हो सके। सब जगह से दो दो सौ बोरी कम करके भेज दीजिये जिससे उनकी समस्या का समाधान भी हो जायगा और बरसात के दिनों में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी, क्योंकि सीमेन्ट की मांग उन दिनों काश्तकार नहीं करता है। जो वर्तमान समस्या है उसमें ऐसा प्रावधान कर दीजिये। रेल से भेजने में भी आप कह देते हैं कि मीटर गेज नहीं है, ब्रॉड गेज नहीं है। आपको ट्रेन में उतारने चढ़ाने की दिक्कत आती है तो आप तो ट्रकों से भेज दीजिये। इस समय भारत सरकार के पास आपके कमिश्नर महोदय को भेजिये जो चुपचाप यहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। इसका समाधान निकालकर आयें ताकि इन दिनों में जो समस्या है वह दूर हो जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री थानवी !

श्री बालकृष्ण थानवी (फालोदी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे फलौदी क्षेत्र में नमक उत्पादन के हजारों कुए हैं और नये कुए भी बनते ही रहते हैं अतः उनके लिए हर माह कम से कम पांच हजार बोरी सीमेन्ट की चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय !

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय डागा जी उधर सो रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : सो नहीं रहा हूं, सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : इसके अलावा गृह निर्माण व किसानों को भी अपने काम के लिये सीमेन्ट चाहिये। फलौदी में रहने वालों को भी सीमेन्ट की ज्यादा जरूरत है। निश्चित तौर से वहां के लोगों में सीमेन्ट न मिलने के कारण भारी असन्तोष है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्रीजी से मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि वे फलौदी और पोकरण नामक क्षेत्र, जहां सीमेन्ट की हजारों बोरी हर माह खर्च होती हैं के लिये औद्योगिक सीमेन्ट कोटे में से कोई निश्चित कोटा फिक्स करवायें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त फलौदी क्षेत्र में सीमेन्ट के

Page No 109

109

(श्री बालकृष्ण थानवी)
वितरण की व्यवस्था इस तरह से करवायें जिससे कि वह सभी को मिल सके। आशा है मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और मेरे क्षेत्र में यह काम करवायेंगे।

जय हिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह सांखला !

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो सीमेन्ट का अलॉटमेन्ट होता है, जिन फैक्ट्रियों को अलॉट होती है, वहां पर डीलर्स महीने, पन्द्रह दिन तक रुके रहते हैं मगर वहां से सीमेन्ट का लदान नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि डीलर्स से ऊपर से पैसा मागां जाता है। यदि वे डीलर्स ऊपर का पैसा नहीं देते हैं तो उनको जो सीमेन्ट का अलॉटमेन्ट किया जाता है, उस सीमेन्ट का लदान नहीं होता है। इस कारण हमारा कोटा लैप्स हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री महोदय इस व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें कि जितना कोटा अलॉट हुआ है सीमेन्ट का, जो लोग वहां फैक्ट्री पर बैठे हुए हैं, उनको तत्काल वह कोटा मिले और लदान हो।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। संभवतः मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।

श्री आर. डी. यादव : उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जयपुर जिले को जो सीमेन्ट का कोटा दिया गया है वह काफी कम मात्रा में है। उसमें भी विवाद यह रहता है कि राजस्थान के सारे आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उन सबके बंगले भी जयपुर शहर में हैं या निर्माणाधीन हैं और जिसकी वजह से ज्यादातर सीमेन्ट ऑफिसर्स को चली जाती है और जयपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र है उसको सीमेन्ट देने का सवाल ही नहीं उठता हैं। मई-जून के महीनों में किसानों को सीमेन्ट की आवश्यकता रहती है। परन्तु 90 फीसदी कोटा सीमेन्ट का जयपुर शहर को चला जाता है और 10–20 पर्सेंट कोटा ही ग्रामीण क्षेत्र को मिलता है। यह कम है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि या तो जयपुर जिले का कोटा बढ़ाया जाए और यदि नहीं बढ़ाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र को इस कोटा का 80 फीसदी दिया जाए। यह उसके लिए फिक्स किया जाय ताकि वहां के किसानों, ग्रामीणों को अपने कुए, मकान के लिए सीमेन्ट मिल सके।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बहस के दौरान सदस्यगण चाहे जब आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर के खिलाफ आरोप, चार्ज लगाते हैं। अगर कोई चार्ज लगाते हैं तो उनको लिखित में पहले देना चाहिए। राज्य कर्मचारी के ऊपर जो चार्ज लगते हैं, उसका जवाब वे नहीं दे पाते हैं। इसलिए यह व्यवस्था आसन की ओर से हो। कोई आरोप लगाया जाए तो सदस्य लिखित में सूचना अपने नेता महोदय को दें।

श्री मूलचन्द डागा : नाम लें तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं मानते हैं तो हम आपकी व्यवस्था नहीं मानने वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर शहर में जो सीमेन्ट के वितरण की व्यवस्था है उसमें पचास प्रतिशत सीमेन्ट राशन कार्ड पर वितरित किया जाता है। परन्तु इसके ऊपर यह पाबन्दी नहीं है कि जिसका मकान हो, वह ही सीमेन्ट ले। इस तरह कोई भी व्यक्ति दस राशन कार्ड इकट्ठे करके 50 कट्टे सीमेन्ट के ले लेता है और उनका ब्लैक कर देता है। उसको यह खुली छूट है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध हो कि जिसके घर का मकान हो, या जो निर्माण कार्य करा रहा हो, जिसने म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत ले ली हो, उसको ही सीमेन्ट दिया जाएगा। इस आधार पर सीमेन्ट का वितरण होना चाहिए। इस नियम के अभाव में निरीक्षक महोदय, 10/20 राशन कार्ड पर पचास पचास कट्टे दे देते हैं और वह ब्लैक में बेच देते हैं। इसलिए यह नियम हो कि इतने कट्टे नियमित रूप से दें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने यह नियम बना रखा है कि इतनी सीमेन्ट स्टॉक में रहे। एक ओर शहर में अव्यवस्था है, सीमेन्ट नहीं है दूसरी ओर वह ब्लैक में जा रहा है। जो स्टॉक है सीमेन्ट का वह दस लाख कट्टों का है। यह स्टाकिस्टों के पास पड़ा है और बाहर यह वातावरण बनाया जा रहा है, सीमेन्ट नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को भी अविलम्ब सुधारा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री महोदय भी शायद स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) ; उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाड़मेर जिले में मैंने यह देखा है कि जो सीमेन्ट वहां आता है, वह पचास पर्सेन्ट नगरों को चला जाता है, बाड़मेर और बालोतरा नगरों को और पचास पर्सेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों को चला जाता है। यह भी देखा है कि कई स्थानों पर यह सीमेन्ट 25 पर्सेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों को और 75 पर्सेन्ट शहरों को बंट जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है, सरकार यह तय करे कि ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण जिलों को, यदि उनकी आवश्यकता है तो, जिस प्रकार आबादी का प्रतिशत है, उस आबादी के अनुपात में आबादी के आधार पर सीमेन्ट मिलनी चाहिए। इसलिए यदि बाड़मेर में 80 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है तो उनको 80 पर्सेन्ट एलॉटमेन्ट मिलना चाहिए। यह स्थिति होनी चाहिए, और 20 पर्सेन्ट शहरों को दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न उठता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर जो विभिन्न जिले हैं उनमें वितरण का तरीका तय होना चाहिए। पॉपूलेशन के आधार पर या उनकी आवश्यकता के आधार पर निर्णय कर देना चाहिए। यदि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पापूलेशन का बेसिस हो और जिले की आवश्यकता हो तो जिलों को अलॉटमेन्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यहां पर प्रश्न उठता है कि पश्चिमी राजस्थान को कम मिला और दूसरे इलाकों को ज्यादा दिया गया। इस प्रकार यह स्थिति पैदा नहीं होगी। आपने फिगर्स दिए हैं पश्चिमी राजस्थान के जिलों के तो मैं यह चाहता हूं कि आप दूसरे जिलों के भी फिगर्स दें ताकि हम कम्परेटिवली देखें और हमें यह पता लगे कि असमानता होती है या नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान को कम मिला है या पूर्वी राजस्थान को कम मिला है। पॉपूलेशन के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप दें। नहीं तो हमारे क्षेत्र की उपेक्षा करना अनुचित है। पश्चिमी क्षेत्र के साथ इस प्रकार की असमानता की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। मरु प्रदेश का नारा लगता है, विशेष तौर से माननीय शंकरलाल जी यह नारा लगाते हैं मैं कतई इसको पसन्द नहीं करता हूं। परन्तु मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमंडल को यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शंकरलाल : प्रदेश का भला और विकास छोटे छोटे राज्यों से ही हो सकता है। आप सब्जेक्ट पर बोलें। इस पर चर्चा की जाएगी तो मैं भी बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली बंद का आह्वान किया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न माननीय श्री शंकरलाल जी ने उठाया है मरु प्रदेश का, उन्होंने यह प्रश्न उठा कर हमारे पश्चिमी क्षेत्र की कुसेवा की है। यह गलत है। यह प्रश्न यहां पर उठाया गया इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि विभिन्न जिलों में सीमेन्ट का किस प्रकार से वितरण किया गया है और कितना कितना? तब हम कम्पेरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि असमानता हुई है या नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के साथ पक्षपात किया है या नहीं। इस स्थिति का तब पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वर्माजी!

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों के लिए प्रति व्यक्ति ढाई रुपये के हिसाब से अनुदान की आपने घोषणा की है उसी प्रकार से अप्रेल, मई और जून इन तीन महीनों में सीमेन्ट का कोटा गांवों को जाना चाहिये, क्योंकि इन दिनों के अन्दर ही किसान अपने घोरे ठीक करता है, अपनी मोरियां ठीक करता है, मकान बनाने का और अपने कुओं को ठीक कराने का मौका उसको इन्हीं दिनों मिलता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत बहुत ही नम्र शब्दों में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल समान रूप से सीमेन्ट दें। सीमेन्ट के बिना काश्तकारों के कुए बेरे टूटे रहते हैं और बेरों से सिंचाई करने में पानी बरबाद होता है। यह आप खुद जाकर देखें तो आपको मालूम होगा। बेरों से सिंचाई करते हैं और बेरों की

(श्री रतनलाल वर्मा)
मरम्मत के लिए उनको सीमेन्ट नहीं मिलता है, इसकी व्यवस्था सरकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी !

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट की कमी है यह तो सभी जानते हैं लेकिन कमी में कमी आने की जो मुख्य व्यवस्था है उससे और भी बढ़ जाती है। इस बारे में दो बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जब सीमेन्ट मंगानी होती है तब डीलर सीमेन्ट के लिए कम्पनी में पैसा जमा कराता है। जिन दिनों सीमेन्ट की कमी होती है उन दिनों कम्पनी से सीमेन्ट लाने के लिए जाता है तो डीलर कम्पनी में, कुछ पैसे ऊपर से मांगे जाते हैं। उसको सीमेन्ट लाकर ब्लैक में बेचने का लालच होता है तो वह पैसे देकर ले आता है। लाकर ब्लैक में बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अगर वह ईमानदारी से बेचना चाहे और वहां पर पैसा नहीं दे तो उसको सीमेन्ट नहीं मिलता है और उस इलाके में सीमेन्ट की कमी रहती है। तो सीमेन्ट के बारे में हमारे जिले में जो समस्या है, एक समस्या तो यह है कि डीलर को ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे तो या तो सीमेन्ट उस इलाके में नहीं आयेगी और सीमेन्ट की कमी रहेगी। अगर उस इलाके में वह सीमेन्ट ऊपर से पैसे देकर लाता है तो वह ईमानदारी से बेच नहीं सकता, क्योंकि उसको मुनाफा नहीं मिलता है। एक तो यह अव्यवस्था है, माननीय उपाध्यक्ष, इसका निवारण किया जाय।

दूसरा यह है जो सीमेन्ट आती है इलाके में उसका आर्टीफिशियल शॉर्टेज क्रियेट किया जाता है, ताकि सरकारी विभागों से चोरी की सीमेन्ट मिल सके। जब आवश्यकता होती है तब दूसरे छोटे मोटे धन्धे वाले लोग उसका ले लेते हैं। सीमेन्ट इलाके में उपलब्ध तो होती है लेकिन ब्लैक में होता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग कम्पनी से सीमेन्ट लेने जाते हैं कम्पनी ईमानदारी से उनको सीमेन्ट दे और ऊपर से पैसा न ले तो कुछ तो क्या सीमेन्ट की इससे समस्या हल हो जायगी। इस समय मार्च से जून तक जो सीमेंट शहरों में जा रही है उस सीमेंट का गांवों में डाइवर्ट कर दें, इन तीन महीनों के लिए, जैसा कि वर्मा जी ने कहा है, पूरा सीमेंट गांवों का उपलब्ध हो तो इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट की वितरण-प्रणाली है वह अच्छी नहीं है इस पर विचार किया जाना चाहिए जिस समय किसानों को कुछ अपने धोरे, डोले तैयार करने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है उस समय कोटे में कमी आती है तो कन्ट्रोल की व्यवस्था करते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि पंचायतवाइज कोटा तय कर दें और महीने के एण्ड तक वह कोटा नहीं उठा सके तो उस कोटे को दूसरी पचायत में डाइवर्ट कर दें और दूसरी जगह डाइवर्ट कर दें। बड़े बड़े लोग बड़े समझदार होते हैं और

(श्री नूरा)
किसान लोग लाने और ले जाने की प्रणाली को समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग उनका फायदा उठाते हैं और ब्लैक भी करते हैं। काश्तकार ब्लैक में ले जाकर अपना काम करते हैं। जो सीमेंट का हक उसको मिलना चाहिये वह ब्लैक में चला जाता है और सीमेंट भी नहीं पहुच पाता है। इसलिये सीमेंट उसको नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि पंचायतवाइज कोटा अलॉट होना चाहिये। इसलिए इस पर दुबारा विचार करें। इस तरह से पंचायतवाइज कोटा किसानों को मिल जायगा तो इन्हें अपने कुए के काम के लिए और मकान के काम के लिए सीमेंट ब्लैक से नहीं लाना पड़ेगा। इस प्रणाली पर फिर से विचार करके इसमें सुधार होना चाहिये। सीमेंट के कन्ट्रोल की जो व्यवस्था है इससे ज्यादा ब्लैक होता है। इस पर दुबारा विचार करके पंचायतवाइज कोटा देकर इसके बंटवारे की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया (नागरिक रसद मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट की प्राप्ति, आवंटन तथा प्राप्त सीमेंट का वितरण और उसकी स्थिति को मैंने स्पष्ट किया है। मौजूदा कानून और व्यवस्था के अन्दर जो हम कर सकते हैं वह स्थिति मैंने स्पष्ट की है। बाकी माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। देहात में सीमेंट की कमी होती है तो वहां पर ब्लैक के किस्से भी हो सकते हैं। देहात से भी यह शिकायत आ रही है और शहरों से भी यह शिकायत आ रही है कि सीमेंट नहीं मिलता है। यह सब कमी इसलिए हो रही है कि सीमेंट के निर्माण में कमी है और कन्स्ट्रक्शन्स ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए सीमेंट की डिमाण्ड बढ़ रही है इसलिए चारों तरफ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सीमेंट कम मिलने के कारण यह हो रहा है। इसमें पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता है। जहां भी ऐसी समस्या हमारे सामने आयेगी ब्लैक हो रहा है उसको देखेंगे और संभालने की जहां तक परिस्थिति होगी, कायदे में जिस प्रकार से होगा हम सम्भालेंगे। जितनी सीमेंट मिलती है उसका आवंटन कराने की कोशिश करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान वित्त विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री आदित्येन्द्र, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री आदित्येंद्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कुछ संशोधन पेश हुये हैं। एक संशोधन तो है इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। यह प्रस्ताव श्री हरजीराम बुरड़क, श्री कौशल किशोर जैन, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री ओंकारलाल चौहान, श्री ईश्वर चन्द्र, श्री मथुरादास माथुर ने किया है।

दूसरा जो संशोधन प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का है। वह श्री रघुनन्दन व्यास, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री मूलचन्द डागा ने रखा है।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें।

(विराम)

श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह क्रम से चलेंगे, माननीय उपाध्यक्ष, या कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई खड़ा हुआ नहीं इसलिए मैं खड़ा हो गया, I caught the eye of the Deputy Speaker.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, क्रम से।

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास जी पहले बोल लें उसके बाद क्रम से पुकार लूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं की राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 1978 पर हम सदन में विचार कर रहे हैं इस विधेयक के सम्बन्ध में पहले मैं आपके सामने यह विचार रखूंगा कि किस खूबसूरती से अलकोहल पर सेलस टैक्स बढ़ाया है 25 पर्सेंट से 30 पर्सेंट करने का फैसला किया है। वित्त मन्त्री जी ने अपनी तकरीर में यह कहा था ......

श्री मूलचन्द डागा : I want a clarification Sir. There is no sub-section (1) of Section 5 in the Act. आप कृपा करके बताइये कि सैलस टैक्स एक्ट में कहां पर सैक्शन 5 का सब-सैक्शन (1) है ? आप कहां से ले आये इस बिल के अन्दर। मैंने एक्ट को पढ़ा है तो मुझे कहीं नहीं दिखा है।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे पूछ सकते हैं, जब आपकी समझ में नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्षमा मांगता हूं कि यह मेरी समझ में नहीं आया।

There is only section 5. There is no sub-section (1) to it.

यह आपने प्रोवीजन लगाया है, मैं एक सैकेण्ड में ही अर्ज करूंगा ......

श्री परसराम मदेरणा : There is only section 5.

श्री मूलचन्द डागा : Section 5 is this. "The tax payable by a dealer under this Act shall be at such ..."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बिल में जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है राजस्थान सैलस टैक्स एक्ट का उसमें सब-क्लॉज (1) लिखा है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें लिखा है लेकिन यह जो एक्ट है मैंने इसको पढ़ा है।

If the Hon. Minister convinces me.......

श्री उपाध्यक्ष : लेटेस्ट कॉपी है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट है अप टू डेट। मेरी गलती हो तो मुझे समझा दें, मैं मान लूंगा। कहीं बता दें तो मैं चुप रह जाऊंगा। कहीं पढ़ा नहीं। एक्ट पढ़ते पढ़ते मैं थक गया। सब-सेक्शन (1) है नहीं सेक्शन 5 में, Is there any sub-section (1) ? When there is no sub-section (1), how you are amending it ? यह एक्ट मेरे पास है। यह लीजिये मैं किताब लाया हूं। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं कहीं नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मान लें कि कोई क्लेरिकल एरर हो। ऐसी एरर हो तो बाद में करेक्ट की जा सकती है। आपने सुझाव दे दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं there is no sub-section (1) of section 5. किस तरह से डिपार्टमेंट उसको लगा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था, सेक्शन 5 (1) तो उन्होंने गलती से लिखा है। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। सेक्शन 5 में राज्य सरकार को 25 पर्सेन्ट तक सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। 25 पर्सेन्ट टैक्स लगे तो किसी को कोई आब्जेक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है, जितने अधिकारीगण हैं, वह इससे एग्री करेंगे कि 25 पर्सेन्ट टैक्स लगाने की मैक्जिमम लिमिट है। यही हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में भी है। यह मैक्जिमम लिमिट दी है। बार बार सदन में नहीं आना पड़े इसलिए मैक्जिमम लिमिट दे दी गई है और 25 पर्सेन्ट मैक्जिमम लिमिट रखी गई है। वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर कर प्रस्तावों के बारे में कहा है—

"अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए आबकारी पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करने में मेरा उद्देश्य केवल आमदनी बढ़ाना ही नहीं, अपितु शराब की खपत को कम करना भी रहा है।"

उन्होंने कहा है, 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट टैक्स शराब पर किया है वह इसलिए किया है कि शराब की कम खपत हो। हम यह समझ कर चल रहे थे कि यह 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट बढ़ाने का है यह सिर्फ शराब पर ही बढ़ाना चाहते हैं ताकि शराब मंहगी हो और लोग खरीदें नहीं। कहां तो आपने कहा था कि शराब पर ही बढ़ायेंगे, आमदनी के लिहाज से नहीं बल्कि शराब की खपत कम हो इसलिये बढ़ायेंगे, किन्तु आज जो फाइनेंस बिल पेश किया है उसमें आज आप कॉमन करों में जहां 25 पर्सेन्ट है, वहां वह 30 पर्सेन्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरी जो कमोडिटीज हैं, उन पर 30 पर्सेन्ट तक बढ़ा द और सदन में चर्चा ही न करें। अब आपकी यह मंशा रही है। मैं समझता हूं कि 30 पर्सेन्ट बढ़ाने की इजाजत दी जाये तो यह जिन कमोडिटीज पर है, उन पर आपने सेल्स टैक्स भी रखा है। यह कर क्या रहे हैं ? यह लगेगा नहीं। यह 25

116

(श्री मथुरादास माथुर)
पर्सेन्ट की ऑथोरिटी तो शराब के लिए थी। दूसरी कमोडिटीज के लिये इस सदन को तैयार नहीं होना चाहिए। यह देखना चाहिये कि 30 पर्सेन्ट तक करने का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मेरा निवेदन है कि शराब पर ही 30 पर्सेन्ट लगाना चाहिये शराब कम पी जायगी यह मकसद तो इससे पूरा होता है, लेकिन आपका जो दूसरा मकसद है वह पूरा होने वाला नहीं है। जहां तक आपकी स्कीम का मकसद है, वह मकसद पूरा हो जाएगा। यह जो 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट बढ़ाने की ऑथोरिटी मांग रहे हैं, यह किसी भी स्टेट में हो तो आप बता दें। 30 पर्सेन्ट की जो इजाजत आप हम से मांग रहे हैं, मेरा नम्र निवेदन है, यह शराब पर लगाइये बाकी जो कमोडिटीज हैं उन पर रहने दीजिये।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो राजस्थान की पहली योजना वर्ष 1951-52 में शुरू हुई थी उस समय 14 करोड़ का टैक्स था। 1978-79 में 312 करोड़ तक टैक्स पहुंच चुका है। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू 76 रुपया है। एक व्यक्ति जो टैक्स देता है वह 76 रुपया देता है। पर कैपिटा टैक्स इनकम 76 रु. है। इसका कोई कम्पेरिजन नहीं है। पर कैपिटा इनकम 319 रुपया है। 319 रुपया कमाने वाले आदमी को 75 रुपया देना पड़े। इसके मायने यह हो गये हैं कि 25 पर्सेन्ट टैक्स आप ले लेते हैं, राजस्थान के नागरिक से। इनकम टैक्स को भी देख लीजिए। एक आदमी 319 रुपये लाता है 76 रुपये आप उससे लेना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जो जनता है, जो कॉमनमैन हैं, उससे मैक्जिमम टैक्स लेने की सीमा तक आप पहुंच चुके हैं। यह राजस्थान सरकार का डायरेक्ट टैक्स है जो 76 रुपया है। भारत सरकार के टैक्स का और वजन बढ़ता है। 319 की इनकम है, इसमें से 76 रुपया टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। कुछ जो चीजें और हैं जिन पर टैक्स है। भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी प्लस वह। भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी 100 रुपये पर मान लें 20 रुपया है तो वह हमारे लिए 24 रु. हो जायेगी। भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी के अलावा हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं। भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। कुछ ही दिनों में, मैं कहना चाहता हूं, एडीशनल ड्यूटी भारत सरकार ने बढ़ा दी है। वह स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन प्रपोर्शनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने बढ़ाई है। वह कुछ कम होती है इसलिए वह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि शुगर, कपड़ा, टोबेको से टैक्स इनकम नहीं होती, है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह तो आपने बहुत अच्छा किया कि सब स्टेट्स के फाइनेन्स मिनिस्टर्स ने भारत सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर को जवाब दे दिया कि सेल्स टैक्स को खतम करके एडीशनल ड्यूटी के रूप में दे दें और आप यहां पर टैक्स लगाओ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब मौजूदा

(श्री मथुरादास माथुर)
टैक्स स्ट्रेक्चर, जो राजस्थान का है, के ऊपर ज्यादा टैक्स....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लगाने की बहुत कम गुंजाइश है। मार्जिनली तो कर सकेंगे लेकिन बेसिकली सेचुरेशन पर आ गये हैं, कहीं इधर-उधर से चोरी छिपे से भले ही पैसा ले लो। लेकिन बराबर टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन तीनों कमोडिटीज को शुगर, टोबेको और क्लॉथ भारत सरकार से लेकर इन पर टैक्स लगाया जाय। इसके अलावा राजस्थान की टैक्स रेवेन्यू और नॉन-टैक्स रेवेन्यू का मुकाबला करें तो यह 60 और 40 है। अब आपको यह नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार से आप कर्जा ले लें या पब्लिक लोन फ्लोट कर लें तो उस से ही काम नहीं चलेगा। कर्जा तो कर्जा ही है वह तो आपको चुकाना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब तक स्टेट इण्डस्ट्रीज को डवलप नहीं करोगे और प्लान और विकास को ठीक नहीं करोगे तब तक राजस्थान की प्रगति नहीं हो सकती और आपके फाइनेन्सेज इन्क्रीज नहीं हो सकते। आप कर्जा लिये जा रहे हैं उस पर आप 25 पर्सेन्ट रेवेन्यू इनट्रेस्ट के रूप में दे रहे हैं। इन सब बातों को मैं कह चुका हूं। इसलिए आपको स्टेट एण्टरप्राइजेज को मजबूत करना चाहिए, उनको डवलप करना चाहिए, उनके अन्दर काबिल आदमियों को रखना चाहिए। उनकी सर्विसेज मुकर्रर करनी चाहिए और उनको प्रोफिट में लाना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी स्टेट एन्टरप्राइजेज चल रहे हैं वे घाटे में चल रहे हैं, उनको आपको ठीक करना चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि होटल कार्पोरेशन को आपने क्या किया, बजट में,—

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपके अमेण्डमेण्ट का विषय नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : यह बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर कुछ भी बोल सकता हूं। यह तो आपके रूल में है। उन पॉलिसीज पर बोल रहा हूं जो स्टेट के फाइनेन्सेज को मजबूत करे।

होटल कार्पोरेशन में घाटा था, उसमें मिस मैनेजमेन्ट था। लेकिन आपने उनके एम्पलाइज का क्या किया? आप एक तरफ तो कहते हो कि हम एम्पलॉयमेन्ट पोटेन्शियल को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एम्पलॉइज को आप नोटिस दिये जा रहे हैं। होटल कार्पोरेशन के एम्पलाइज अलवर में हैं, उदयपुर में हैं, जयपुर में हैं आप उनका क्या करने जा रहे हैं? यह एक ऐसा धन्धा है जिसमें इन्वेस्टमेन्ट कम और रिटर्न ज्यादा है। होटल और टूरिस्ट डवलपमेन्ट में एक रुपये में 16 रुपये की कमाई है। हम जानते हैं अब आप इसको लिक्विडेशन में लाओगे लेकिन उसके स्टाफ का क्या होगा? मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको डिजोल्व नहीं किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इनमें जो स्टाफ है उसको काम में लाया जाना चाहिए।

(श्री मथुरादास माथुर)

श्रीमान, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं तीन-चार ही बोलने वाले हैं।

टैक्सेज की जो वसूली होती है उसमें क्या होता है कि कोई टैक्स देने वाला नाराज हो तो वह रेवेन्यू बोर्ड में चला जाता है, वहां से स्टे ले आता है और बारह महीने निकाल देता है। इसमें क्या होता है कि जो टैक्स उसको देना चाहिये वह नहीं देता है और जो टैक्स नहीं देता है उस पर वह इन्ट्रेस्ट कमाता है। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के प्रति श्रद्धा होते हुए भी मेरा निवेदन है कि वहां पर क्या सब काबिल आदमी बैठे हैं राजस्थान में कोई सरकारी अफसर काबिल है तो वहां पर है? रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर छांट छांट कर भेजे हैं जो डिस्कन्टेन्टेड हैं, डिस्सेटिस्फाइड हैं, जो सुपर स्केल का आदमी है, वह वहां पर है। हम भी यही करते थे आप भी यही कर रहे हो जो पोलिटिकल पावर की ग्रेस में गिर जाय वह वहां चला जाय चाहे कोई कलेक्टरी किया हुआ हो, या कोई लैंड रेवेन्यू को समझता हो। टैक्सेशन को सब समझते नहीं यह एक बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड सब्जेक्ट आज बन गया है। इसलिए मेरी मांग है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि टैक्सेशन अपीलेंट ऑथोरिटी या ट्रिब्यूनल बनाया जाय तीन जजों का और रेवेन्यू बोर्ड से तीन कम कर दिये जायं ताकि वह खतम नहीं हो। ट्रिब्यूनल में ऐसे वकीलों में से रखा जाय, जो काबिल हों और इन्डिपेन्डेन्ट आदमी हों। इनकी हैसियत हाई कोर्ट जजेज की हो मेरी मांग है कि आप टैक्सेशन ट्रिब्यूनल कायम कीजिये जिससे मामले तय हो सकें नहीं तो मामले रखे रह जाते हैं।

श्रीमान, एक बात और। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बार-बार घंटी बज रही है, एक ही बात और कहनी है।

आखिरी बात बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की आपकी पॉलिसी क्या है? बिजली बोर्ड वालों को आपने क्या अफसर बना रखा है। मर्जी आये जब कनेक्शन काट देते हैं। मेरा आठ सौ रुपये का बिल था, 135/-पैनेल्टी लगा दी। इतना तो गोडवाड़ का बनिया भी इन्ट्रेस्ट नहीं लेता। आखिर किसके पास जावें। मर्जी आये जब बिजली चली जाती है। कन्ज्यूमर्स मूवमेन्ट आपने डवलप किया नहीं। कभी भी वाल्टेज गिर जाता है, शादी में बिजली चली जाती है। मैं करप्शन की बात नहीं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। आपका प्रोडक्शन बिजली का गिर रहा है, राणा प्रताप सागर जो कोटा में है वह आपका खतम हो रहा है। भारत सरकार में आपकी चलती नहीं। भाखड़ा से राजस्थान का हिस्सा डाइवर्ट नहीं करा सके। मुख्य मंत्रीजी ने खूब कहा कि हमारा असर है, अगर असर है तो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : बातों में।

श्री मथुरादास माथुर : हमारा हिस्सा क्यों नहीं मिल जाता? यहां बिजली की कमी है। हम बिजली के लिए परेशान हैं। पैसा बराबर दे रहे हैं, एक दिन भी लेट हो जाता है तो पैनल्टी लगा देते हैं। ऐसी पैनल्टी तो हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। प्रोडक्शन के लिए आपने कह दिया कि थर्मल पावर जो कोटा में है उसको बढ़ायेंगे लेकिन उसको कब बढ़ायेंगे?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मथुरादास माथुर)
नये प्रोडक्शन का इन्तजाम नहीं है और आपने सख्ती इतनी कर रखी है। पावर आपके पास है नहीं, इसलिए कंज्यूमर्स को बनाकर रखियेगा। मेरा निवेदन है कि आप इसका चिन्तन करिये। बिजली मन्त्री जी नये आये हैं, शिक्षा विभाग से इसमें आये हैं, आप इसकी चिन्ता कीजिये।

एक बात और जेल रिफार्म्स के बारे में निवेदन करनी है। यह मेरा विषय रहा है। भारत सरकार की कमेटियों में भी मैं मेम्बर रहा हूं। मैंने कहीं नहीं सुना कि कैदी भूख हड़ताल करते हैं और उन पर डन्डे पड़ते हैं। पोलिटिकल प्रिजनर्स की बात छोड़िए। वे गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, नॉन-पोलिटिकल प्रिजनर्स भूख हड़ताल पर क्यों बैठते हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पीटना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं, मैं तो पोलिटिकल प्रिजनर्स को प्रिजनर्स नहीं मानता।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जेल के बारे में बोलना है तो स्थगन प्रस्ताव ले आयें वित्त विधेयक से क्या सम्बन्ध है?

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्या जेल से वापस निकलीं तो 9 किलो वजन बढ़ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 19 किलो वजन कम हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको जेल पसन्द है तो आप वहां पधारें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : वित्त विधेयक पर ही बोलना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य, पहले रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें। मुझे अधिकार है बोलने का। अगर मैं जेल पर बोला तो मेरा मतलब यह नहीं था कि जो माननीय सदस्य कहते हैं कि जेल गए हैं। वे या तो नहीं गए या जाकर माफी मांगकर वापस आ गए। मैं भी जेल गया हूं और सदन में मेरे मुकाबले जेल भोगने वाला कोई नहीं है....

श्री रतनलाल वर्मा : कौनसी दफा में गए?

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता।

सदन का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि एक तरफ जेल सुधार की बात हम करते हैं और उधर जेल में भूख हड़ताल हो रही है। कैदियों में इनडिसिप्लीन है। जगह जगह पर्चे निकल रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि जेल रिफार्म्स के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है? वह आज तक सामने नहीं आई। अगर अच्छी तरह से रिफार्म्स किए जायें तो जेल एक प्रॉडक्टिव इन्स्टीट्यूशन बन सकती है और फाइनेन्सेज में आपको फायदा हो सकता है, नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। इस बारे में योजनायें हैं, कमेटी की एक बहुत बड़ी

(श्री मथुरादास माथुर)

रिपोर्ट है उसको पढ़ लिया जाए। साथ ही हड़ताल बन्द करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना है तो केवल करों पर ही आपको आश्रित नहीं होना चाहिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए। सेल्स टैक्स तो दूध देने वाली गाय के बराबर है, उसने काफी दूध दे दिया। और ज्यादा दिन तक दूध लेने की कोशिश करेंगे तो दूध की जगह और चीज निकल सकती है। इस-लिए आप इस टैक्स को विथड्रा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक!

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन!

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में बिक्री कर को समाप्त कर उत्पादन कर लगाने के लिए कहा है। हमारी सरकार राजस्थान में बिक्री कर समाप्त करने में पहल करे, केन्द्रीय सरकार पर जोर डाले। जब तक राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती तब तक पड़ोस के जो राज्य हैं, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां यदि बिक्री कर की दरें कम हैं तो स्वाभाविक है कि राज-स्थान का व्यापारी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं उनकी ओर राज्य सरकार को राजस्थान के व्यापारियों के हित में ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान में जितने भी लघु उद्योग धन्धे हैं विशेषकर जो गांवों में हैं उनके बारे में जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि जिन ग्रामीण धन्धों में गिरावट आ गई है वापस उनको खड़ा करेंगे, सुविधायें देंगे। इससे लोगों को काम मिल जाएगा, वे शहरों में नहीं आयेंगे। जैसे जयपुर में चूड़ी, हाथीदांत, मूर्ति का धन्धा है। मूर्ति के काम पर काफी कर लगा हुआ है उसको कम करें। वित्त मन्त्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए...

श्री अब्दुल अजीज: वे एग्जेम्पटेड हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी कहा गया था कि कृषि उपकरणों पर टैक्स माफ किया जाएगा, ट्राली पर टैक्स माफ किया जायगा। अभी 6 मार्च, 1978 को अधिसूचना जारी की है कि 4 पर्सेन्ट टैक्स लगेगा ट्रैक्टर व उसके अतिरिक्त पुर्जों पर, कल्टीवेटर्स हैरोज, थ्रेशर्स, भू-समतल के उपकरण जो ट्रैक्टर द्वारा काम में लिए जाते हैं, ट्रैक्टर के जो इम्पलीमेंट्स हैं, उन पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लगा दिया। राज्य सरकार ने जो घोषणा की है उसके अनुसार ट्राली पर और कृषि के उपकरणों पर टैक्स माफ करना चाहिए। पहले हाई कोर्ट का स्टे था वह वेकेट हो गया लेकिन मार्च में ज्यों ही बजट पेश हुआ उसके बाद 6 मार्च को ही इस प्रकार की घोषणा हो गई, इससे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किसानों में असन्तोष होना स्वाभाविक था। हरियाणा, यू.पी. व दिल्ली में कृषि उपकरणों पर बिक्री कर नहीं है इसलिये राजस्थान में अन्य राज्यों से किराए पर ले आते हैं। इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं बनती और किसानों में असंतोष होता है, इसीलिए कृषि उपकरणों पर कर माफ करें।

नमदा पर 11 प्रतिशत एडीशनल एक्साइज ड्यूटी इन ल्यू ऑफ सेल्स टैक्स वसूल की जा रही है। 1965 में भारत सरकार ने जब नमदे पर उत्पादन कर लगाया तो वाणिज्य आयुक्त ने अधिसूचना निकाली कि बिक्री कर नहीं लगेगा। अप्रेल, 1976 में उच्च न्यायालय का फैसला हो गया कि उत्पादन कर नहीं लगाया जा सकता। जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो वह राज्य सरकार को वैसे ही कर लेना चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि वाणिज्य आयुक्त ने नोटिस निकाला कि 1965 से पूर्व नमदा का काम करने वाले व्यक्ति बिक्री कर जमा करायें। एडीशनल उत्पादन कर, 1965 से ले रहे हैं, जब कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि उस दिन से वसूल करें न कि 1965 से। यह लघु उद्योग हैं. इस पर उत्पादन कर नहीं लगा सकते, सेल्स टैक्स लगाना चाहिए तो सेल्स टैक्स हाई कोर्ट के फैसले की तारीख से वसूल करना चाहिए और वह भी प्रथम बिंदु पर जैसा कि बम्बई, हरियाणा और कलकत्ता में होता है।

दूसरी बात मैं अलोह धातु के बर्तन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाये हुए हैं। जैसे स्टीरा पर 12 प्रतिशत, कटरारी सामान पर दस प्रतिशत, अलोह धातु के बर्तनों पर सात प्रतिशत, इलेक्ट्रो प्लेटेड व निकल प्लेटेड पर दस प्रतिशत अगर इस पर कलई हो जाती है तो टैक्स दस प्रतिशत कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सभी अलोह बर्तनों पर तीन प्रतिशत ही टैक्स है। इसके अलावा कटोरी के अन्दर अगर कलई हो तो उस पर टैक्स की मात्रा अधिक हो जाती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार टैक्स की रेट्स चार हैं तो व्यापारियों ने चार खाते बना रखे हैं। इसके अलावा फुट के भी चार खाते रखते हैं। स्क्रेप खरीद के लिये भी चार खाते रखते हैं। इसमें अगर कोई पकड़ में आ जाये तो बिना बात ही आपकी पुलिस उन खातों में गड़बड़ी समझ कर व्यापारी का सी. आर. पी. सी. की दफा 411 में नाम व पता लिखना आरम्भ कर देगी और उसको थाने ले जाकर मारपीट कर उसका झूठा सच्चा चालान कर देगी या उससे पैसा लेकर उसको छोड़ देगी। प्रत्येक व्यापारी को चार चार प्रकार के खाते रखने पड़ते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभी बर्तनों पर समान दरें अगर आप लागू कर दें तो दिक्कत व्यापारियों को नहीं होगी। यह कोई नयी बात नहीं है ऐसा हमारे पड़ौस के प्रदेश हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में है।

इसके अलावा मैं एक बात सर्राफ व्यवसाय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सोने के प्लेन जेवर पर 5 प्रतिशत सरकार का टैक्स है, जड़ाऊ जेवर पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपने सात प्रतिशत टैक्स कर रखा है और खिलसेटिंग पर आपने दस प्रतिशत टैक्स कर दिया है। इसी प्रकार चान्दी के जेवर पर प्लेन ज्वेलरी पर दो प्रतिशत और चान्दी बुलियन पर 1 प्रतिशत टैक्स लगा रखा है। तीनों की दरें पड़ौसी राज्यों की तुलना में बहुत ही अधिक हैं। इसलिये राज्य के बाहर दूसरे स्थानों पर यह चीजें ले जाकर बेची जा रही हैं? इससे राज्य के जो सोने चान्दी के कुटीर उद्योग हैं वह बेकार हो रहे हैं। मेरी राज्य सरकार से मांग है चान्दी व सोने के आभूषणों पर बिक्री कर कम कर दिया जाय व पर्चेज टैक्स को तुरन्त वापस लगाया जाये जैसा कि हमारे पड़ौसी प्रान्तों में है।

उपाध्यक्ष महोदय, पांचवीं मांग मेरी राजस्थान के कपड़ा एवं साड़ी व्यवसाय के बारे में है। सिल्क व कोटा के डोरिये की साड़ियां होती हैं। हैन्डलूम का कपड़ा होता है, सब पर विभिन्न करों के होने के कारण जनता को भयंकर कष्ट होता है और दुकानदारों को हिसाब रखने में असुविधा होती है। आपके पड़ौसी राज्यों में इस पर कर कम है। जैसा कि पंजाब-हरियाणा वगैरह में है। इसी के समान किया जाना चाहिये। अन्त में मैं जवाहरात उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि जवाहरात पर बिक्री कर समाप्त करके उत्पादन कर लगाया जाना चाहिये। इसी प्रकार सिन्थेटिक स्टोन पर भी मेरा निवेदन है, बिक्री कर समाप्त करके उत्पादन कर लागू किया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के जवाहरतों पर जो अलग अलग बिक्री कर लगते हैं वह समाप्त हो जावें तो जनता और व्यापारी दोनों को ही आराम रहें।

इसके अलावा अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सादे कागज पर टैक्स कम है और सादे कागज की कॉपी पर टैक्स कम है, लेकिन वही कॉपी अगर परीक्षा की कॉपी हो जाती है तो उस पर दस प्रतिशत सेल्स टैक्स लगता है और कागज के पुट्ठे पर सात पर्सेन्ट टैक्स लगता है उसको समाप्त किया जाना चाहिये।

आखिर में मेरा निवेदन है कि कच्चे माल पर पर्चेज टैक्स लगता है, हमारे विश्वकर्मा में जो उद्योग हैं और बाईस गोदाम में जो उद्योग हैं वहां यह टैक्स लिया जाता है। इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

इसके अलावा आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मन्दिर, मस्जिद, और गुरुद्वारों से जो विद्युत और पानी के चार्जेज लिए जाते हैं वह कॉमशियल चार्जेज लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला और गुरुद्वारों को जो बिजली पानी की सप्लाई की जाती है उस पर यह कॉमशियल चार्जेज की पद्धति लागू नहीं होनी चाहिये। बड़े लोगों के जो भवन होटल्स वगैरह हैं उनसे कॉमशियल चार्जेज लिये जायं। कम से कम धार्मिक स्थानों को तो थोड़ा रिलीफ दिया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक मन्डी में जो साग सब्जी फल वगैरह जाते हैं उन पर हर जगह टैक्स लगते हैं, मल्टीप्लीटी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ऑफ टैक्स हो जाता है कृपया उसे तो समाप्त करिये। टैक्स मन्डी का आप लें पर एक चीज का एक ही जगह पर लें तो उचित रहेगा। नहीं तो अनाज, साग, सब्जी, फल वगैरह सभी महंगे होते हैं।

इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य में परांठे नमकीन, समोसा, कचोरी पर टैक्स लगाया था। समोसा-कचोरी बेचने वाले अनपढ़ होने के कारण समझते नहीं हैं। उनको आपके इन्सपेक्टर लोग परेशान करके भ्रष्टाचार करते हैं। कम से कम यह सैल्स टैक्स तो समाप्त किया जाना चाहिये। हालांकि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते घोषणा तो की थी इसके लिए लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा सका। जनता पार्टी की सरकार जो कि मेरी सरकार है, इस सैल्स टैक्स को समाप्त करे। इसके अलावा सब्जी पर जो पांच प्रतिशत टैक्स है उसे भी समाप्त करे।

इसके अलावा यह होटल कार्पोरेशन के जो बेचारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं उनके बारे में क्या रवैया होगा? मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो मैंने जो निवेदन किया उसके बारे में घोषणा करें ताकि जनता को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओंकारलाल चौहान!

श्री शिवचरणसिंह : आप तो सैल्स टैक्स समाप्त कराओ, आपकी गवर्नमेन्ट है तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने तो निवेदन कर दिया है कि सैल्स टैक्स समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : आपकी नहीं चलने वाली है।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जब बजट भाषण यहां पर पढ़ा तो उन्होंने सैल्स टैक्स के बारे में दो बातें मुख्य रूप से कही थीं। उन्होंने एक तो यह कहा था कि कृषकों के उपकरणों पर छूट दी जावेगी और दूसरे यह कहा था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। बड़े उद्योगों के स्थान पर लघु उद्योगों को स्थान दिया जायेगा। इस फाइनेन्स बिल में कृषि उपकरण में भी छूट देने की बात कही गई है जो आपका राजस्थान फाइनेन्स बिल है उसमें अमेन्डमेन्ट ऑफ सैक्शन 5 राजस्थान एक्ट 29 ऑफ 1954 है। उसमें आपने यह छूट देने की बात कही है। दूसरे आपने 25 की जगह 3। प्रतिशत टैक्स का प्रोविजन भी किया है। मेरा यह निवेदन है कि आपने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि किस किस चीज पर आपने यह टैक्स लगाया है। मेरा निवेदन यह है, कि सरकार ने जो टैक्स लगाने की बात कही है वह पोजीशन क्लीयर नहीं हो रही है। किसी भी चीज पर टैक्स सरकार लगाती है वह उचित नहीं है अनुचित ही है। राज्य सरकार अगर आर्बीट्रेरी पावर अपने पास रखती है टैक्स लगाने की तो कम से कम राज्य सरकार को स्पेसिफिकली मैंशन करना चाहिये था कि कौनसी कौनसी चीजों पर

(श्री ओंकारलाल चौहान)
क्या क्या टैक्स लगाये जायेंगे? इसमें आपको अलग अलग रेट्स देनी चाहिये थीं।

इसके अलावा आपने जो वित्त मन्त्री जी ने बजट में घाटा बताया है वह करीब 34 करोड़ 22 लाख का घाटा बताया है। यह कम कर देने से भी 6 करोड़ का घाटा और होगा। आपने शराब पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया है, और दूसरी किन चीजों को आपने इनमें रखा है? काहे से घाटा पूरा करेंगे, यह आपने बताया नहीं है। कोई बात स्पेसिफिक नहीं कही है। आर्बीट्रेरी पावर्स रखी हैं। तो आर्बीट्रेरी पावर्स में तो यह हो सकता है कि सरकार अपने पावर्स को मिसयूज कर सकती है।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि कृषि उपकरण पर टैक्स नहीं लगायेंगे। पेज 33 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने अपने बजट भाषण में कहा है:

"मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ अन्य कृषि उपकरणों को भी कर मुक्त किया जाना चाहिये। अतः बिक्री कर अधिनियम को इस हेतु संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन से राज्य सरकार किसी भी कृषि उपकरण को कर मुक्त करने के लिए सक्षम हो जायगी।"

उधर तो आप कहते है कि कृषि उपकरणों को कर मुक्त रखा गया है और इधर आप ने 5 पर्सेंट की जगह 7 पर्सेंट कर दिया यह विरोधाभास क्यों? आपने उधर तो-ट्रैक्टर ट्रोली पर यात्री व माल कर 840 रुपये प्रति वर्ष से घटा कर 450 प्रति वर्ष कर दिया। इधर आप लघु उद्योग और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और आपने क्रूड आयल पर कर बढ़ा दिया है। दोनों में एक प्रकार से विरोधाभास है। जो चीज एक्जेम्प्ट करनी चाहिये यह तो एक्जेम्प्ट नहीं है।

"The tillers attached to a tractor are agricultural implements..."

बहुत साफ लिखा गया है:

"... and fall within the ambit of exemption vide entry No. 8 (b) of the schedule of the Rajasthan Sales Tax Act.

Such tillers undoubtedly fall within the term 'plough' under item No. 1 and, if not, they would be covered by the experssion "teeth of the plough" under item No. 2. The application for reference is, therefore, rejected."

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कर जो लगाया गया है वह गैर वाजिब है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खादी पर बिल्कुल छूट देने की बात कही गयी है। इसमें भी विरोधाभास है। खादी तो ऑलरेडी एक्जेम्प्टेड है।

एक बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और हम ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को ठीक

(श्री ओंकारलाल चौहान)

करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो और वह अच्छी हो, स्वस्थ हो और मजबूत हो। हम मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहते हैं। जो किसान कमाता है, अधिक उत्पादन करके अधिक चीजें पैदा करता है लेकिन वह व्यक्ति राजकोष में कुछ नहीं देना चाहता है तो इधर तो वह अधिक से अधिक कमाना चाहता है और उधर राजकोष में कुछ नहीं देना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर वित्त मन्त्रीजी को गौर करना चाहिये और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाना चाहिये। उनको उसकी छूट नहीं होनी चाहिये।

इन तीनों सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी इन पर गौर करेंगे और इस सूची को संशोधित करेंगे।

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 25 से 30 पर्सेंट की जो बात कही गयी है वह स्पष्ट नहीं है। ये बातें विकास के बारे में बाद में जोड़ी गयी हैं। राजस्थान के किसान पर जितने टैक्स हैं, उसके मुकाबले में भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त में नहीं हैं। पड़ौस में गुजरात प्रान्त है वहां पर दो प्रतिशत टूल्स पर बिक्री कर है, ट्रोली पर दो पर्सेंट है और राजस्थान में 20 पर्सेंट है। किसान को छूट देने की बात करते हैं लेकिन उसको कोई छूट नहीं दी गयी है बल्कि कुछ में तो बढ़ा दिया है। धारा 7 गलत है उसमें जो संशोधन है उस पर पब्लिक रूप से विचार होता तो सुधार होता।

टैक्स जितना होता है उसकी उतनी वसूली नहीं होती है। जालौर में ए. सी. टी. ओ. के ऑफिस में लाखों रुपयों की हर वर्ष छूट होती है। टैक्स की पूरी वसूली की व्यवस्था नहीं है, वह होनी चाहिये। जिलों का जो बंटवारा हुआ है वह भी ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। इसलिये वित्त मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जो भी टैक्स लगायें वह पूरी तरह से वसूल हों।

तीसरी बात, हिन्दी की बात कही। अंग्रेजी में पढ़िये और हिन्दी में पढ़िये, मैं दुःख के साथ कहता हूं कि राजस्थान सरकार हिन्दी की हत्या कर रही है। उस हिन्दी भाषा को नहीं समझ सकते लोग। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

इन तीनों बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि जालौर में डी. सी. टी. ओ. कायम हो और टैक्स वसूली की पूरी व्यवस्था करे। फूड पर टैक्स कम हो। यदि ट्रैक्टर ट्रोली में कम करेंगे तो किसान का हित होगा। इन सब बातों को देखते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी इसको प्रवर समिति में सौंपें ताकि जो कमियां रह गयीं हैं उनको वहां जोड़ा जा सके।

Page No 126

(126)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में इसी सत्र में प्रस्तुत करे।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के जरिये माननीय वित्त मंत्रीजी ने 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स किया है। पहले भाषण में तो यह बताया था कि शराबबन्दी करने जा रहे हैं इसलिए शराब पर 20 पर्सेंट टैक्स बढ़ाया है लेकिन जनरल रूल्स में आपने 30पर्सेन्ट रेट को बढ़ा दिया। यह बड़े दुःख की बात है कि आपने हाउस को मिसगाइड किया है। इसको सिम्पलीफाई करना तो दूर रहा आपने तो सैल्स टैक्स बढ़ा ही दिया।

वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स पर टैक्स नहीं रखा है। आपने शिड्यूल को तो अमेंड किया और बाद में गवर्नमेंट ने हाथ में पॉवर्स ले लिए गवर्नमेन्ट ने 4 पर्सेन्ट टैक्स लगाकर 74 पर्सेन्ट का नोटिफिकेशन निकाल दिया गवर्नमेन्ट चाहेगी तो टैक्स नोटिफिकेशन के जरिये से लगायेगी। वह टैक्स लगाया तो धोखा दिया। एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स पर सैल्स टैक्स कहीं नहीं है। हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। आपकी पार्टी में तय भी हुआ था लेकिन आपने इसको इम्पलीमेन्ट नहीं किया। फिर कहेंगे कि इन्दिरा गांधी जावेगी तो हवा खड़ी हो जावेगी। आपको पार्टी की मीटिंग बुला कर तय करना चाहिये वरना एक तरफ तो आप इसको पास करवा लेंगे और दूसरी तरफ आपकी मिट्टी पलीत होगी तो फिर इसको देखेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला अरोड़ा : पहले भी तो लगाया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बिल तो पढ़ते नहीं और भाषण देकर चले जाते हो।

एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स पर 4 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स लगाया था नोटिफिकेशन के जरिये से 7 कर दिया। काश्तकार से क्रूड पर 20 पर्सेन्ट ले रहे हैं। क्रूड काश्तकार के अधिक काम आता है। कितना भारी काश्तकारों के साथ धोखा है। क्रूड की गांवों में ज्यादा खपत होती है। म्यूनिसिपेलिटी भी टैक्स लगा देती है। इस प्रकार से यह टैक्स 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट जाकर पड़ेगा। हम तो आशा करते थे कि आप क्रूड पर सैल्स टैक्स कम करेंगे लेकिन आपने तो फिर सैल्स टैक्स और भी बढ़ा दिया। सैल्सटैक्स बढ़ा हुआ देख कर भी अधिक हैरानी हुई। आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। माननीय मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में यहां पर ही कोई घोषणा करें। यदि आपने घोषणा नहीं की और यह बिल यों ही पास हो गया तो, वित्त मंत्रीजी, यह काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। आपकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि यह बढ़ाया गया सेल्स टैक्स है यह ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स पर टैक्स हटा देंगे और क्रूड पर टैक्स कम करने की यहां पर घोषणा करेंगे नेबरिंग स्टेट्स में टैक्स कम है और अपनी स्टेट में सैल्स टैक्स ज्यादा है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इससे लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता है और करप्शन बढ़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं चाहूंगा कि टैक्स में यूनिफार्मिटी हो। वित्त विधेयक पास होने के पहले यह इम्पार्टेन्ट मुद्दे मैंने उठाये हैं बहुत से माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं तो यह 30 पर्सेन्ट रेट कैसे कर दी ? यह नहीं होना चाहिए था। इसकी मन्शा क्या है ? वापस अमेन्डमेन्ट लाकर 25 पर्सेन्ट करें, शराब को छोड़कर। यह स्पष्टीकरण हम चाहेंगे। इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने ब्रीच ऑफ हाउस किया है और हाउस को मिसगाइड किया है। अपनी स्पीच के माफिक जो टैक्स लगाया है वह टैक्स लेना चाहिए।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विचारार्थ विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विचारार्थ विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान फाइनेन्स बिल में जो दो तीन क्लॉजेज हैं उनको पढ़ा है। पहले क्लॉज के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। दूसरे क्लॉज में आपने यह प्रावधान किया है :

"Agricultural implements as may be specified by the State Government."

मैंने यह कहीं नहीं पढ़ा कि डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स कहीं होती हैं। आपने डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स की हैं। मैं कई बार सुन चुका हूं कि आप एग्जीक्यूटिव एजेन्सी के द्वारा प्रॉपर्टी पर या चीजों पर टैक्स मत लगवाइये। जो लेजिस्लेचर की पॉवर्स हैं वह आप सरकारी अधिकारी को क्यों देना चाहते हैं ? यह आपने पॉवर्स के डेलीगेशन की क्यों पद्धति अख्तियार कर ली है ? और टैक्स लगाना ही है तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। आपने एक क्लॉज लिख दिया :

"Agricultural implements as may be specified by the State Government."

आपके बजट भाषण का पैराग्राफ है 74, उसमें लिखा है, वर्तमान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कृषि उपकरणों को कर मुक्त रखा गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ नये कृषि उपकरणों को भी कर मुक्त किया जाना चाहिये। अतः

(श्री मूलचन्द डागा)

संशोधित किया जा रहा है। सारी चीजों को आप कर मुक्त करना चाहते हैं। पहला आपका शिड्यूल है उसमें आपने कुछ आइटम्स रखे हैं और दो, तीन आइटम्स रखें हैं। उसमें तो आइटम्स स्पेसिफिक दिये हुए हैं। अब सरकार पावर्स एग्जीक्यूटिव एजेन्सी को देना चाहती है। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अलग अलग फंक्शन्स हैं। लेकिन सैल्स टैक्स एक्ट के सैक्शन 26 को पढ़ा। मुझे डेलीगेशन ऑफ पावर्स का प्रावीजन कहीं नहीं मिला बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और बड़ी तरकीब से लेते हैं यह लोग पॉवर्स। यह लेजिस्लेचर की पॉवर्स चीजों पर टैक्स लगाने की हैं वह अधिकार इनको दे दो। सरकारी मशीनरी आपके हाथों से अधिकार छीन कर अपने हाथ में ले लेती है। पावर हम लोग दे देते हैं, हम कानून पास कर देते हैं। इतने बड़े-बड़े महारथी जनता पर टैक्स लगायेंगे। पहले तो कुछ चीजें घोषित की गयी थीं। उनमें आप एडीशन कर देते या कमी कर देते लेकिन आपने क्या किया। आप इतने सच्चे और ईमानदार हैं कि आपको कोई भी विश्वास में लेकर कुछ भी करा सकता है। और तो क्या आपने बजट में कहा है कि मैं कर माफ करूंगा। गुप्ता जी, आपको नजर नीची करनी पड़ती है। जो कृषि उपकरण हैं वह राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में घोषित किये जायेंगे। यह 26 जो सैक्शन है उसमें रूल्स प्रेस्क्राइब करने का है डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स का नहीं है। आप डेलीगेट किस सैक्शन के नीचे कर रहे हैं, यह बताइये? तो एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता था।

दूसरी बात आप बार बार कहते हैं। भाषण में सुना है। अभी एक आर्टिकल निकाला है राजस्थान टैक्स रिपोर्टर में यह अखबार निकलता है। सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट है इसमें हिन्दुस्तान के बड़े होशियार लोग हैं। जो कि ज्यादा कमाना जानते हैं वह सैल्स टैक्स में आ जाते हैं। गंगानगर में सैल्स टैक्स आफिसर जायेगा तो 10 हजार देकर 20 हजार कमा कर आयेगा। हमारे माननीय श्री भैरोंसिंह जी बड़ी हिम्मत के साथ बात करते हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दूंगा और आप जोर जोर से मेजें थपथपाते हैं। मैं उनको चेलेन्ज करके कहता हूं कि डिपार्टमेंट में जो सैल्स टैक्स ऑफिसर हैं उनकी आमदनी की जांच कर लो। उनके बंगलों की जांच कर लो। आपके जो कमिश्नर हैं चाहे कोई भी ऑफिसर हो फाइनेन्स सेक्रेटरी है उसके पास माल नहीं होगा लेकिन सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के एक एक ऑफिसर के पास शानदार बंगला है, शानदार गाड़ियां हैं और शानदार सामान हैं। मैंने एक का नाम लिया और लिख कर दिया केसरीसिंह बंगला का नंबर 200(बी) है। अभी नया बंगला बनाया है। एक ए. सी. टी ओ. के बारे में लिख कर दिया, वह यहां जमा हुआ है। वित्त मंत्री जी मेरा भाषण सुन रहे होंगे। यह नहीं हो कि लिखा हुआ भाषण पढ़ दो। मेरी बातों का जवाब देना। मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, सारे ए. सी टी. ओ. की प्रॉपर्टी की जांच करो। सैल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट ऐसी जगह है जहां जनता का शोषण किया जाता है। इस आर्टिकल की दो तीन लाइनें पढ़ूंगा। टैक्स लोग देना चाहते हैं लेकिन टैक्स से हरेसमेन्ट कितना है। मैं दो तीन लाइनें पढ़ता हूं:

(श्री मूलचन्द डागा)

"The prevailing corrpution and barassing mentality in the State administration are unfortunate. Even the much talked of Emergency did not succeed in improving the situation. Nay, it left the matters worse than before. The only tried remedy for eradication of corruption is the sudden incognito inspection by the higher officers into the working of their subordinates. Since the high officers themselves are busy with their own corrupt plans for self-aggrandisement they do not take any steps in the right direction. On the contrary they take steps in the wrong direction by shielding and encouraging the corrupt subordinates for their own personal benefits."

मैं यह सारा आर्टिकल आपके सामने पढ़ता लेकिन समय नहीं है। श्रीमान कभी सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में जाना पड़े, विधायकों की नहीं कहता, उनकी एक दिन पेशी नहीं होती, ऑफिसर्स नहीं मिलते, क्लर्क टाइम पर नहीं मिलता, इन्सपेक्टर भी नहीं मिलता यानि हर आदमी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का समय पर नहीं मिलता। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने 7 (ए) (ए) में लिखा है :

"Penalty for failure to furnish returns.-If the assessing authority, in the course of any proceedings under this Act, is satisfied that any dealer has without reasonable cause, failed to furnish a return under sub-section (1) of Section 7, within the time limit he may direct that such dealer shall pay, by way of penalty in addition to the amount of tax if any payable by him a sum equal to 2% of the tax for every month during which the default continued, but not exceeding in the aggregate the 50% of the tax"

अब इसका क्या हो रहा है ? मैं आपको रेवेन्यू बोर्ड के जजमेन्ट बताता हूं। रुपये जमा हैं लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट नहीं मानता। वह कानून होते हुए और रेवेन्यू बोर्ड का ऑर्डर होते हुए परवाह नहीं करता। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में है। यह क्या सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट है ? सारे अधिकारी करप्ट हैं इसलिए केसेज तय नहीं होते हैं। मैं आपको सारे उदाहरण नहीं दूंगा। मैंने एक बात पढ़ी है। मैं टेबल ऑफ दी हाउस पर प्लेस करूंगा।

आपने यह कहा कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। अभी जो कह रहे हैं टैक्स बढ़ेंगे उसमें। No tax on textile कानून कहता है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। बराबर कानून कह रहा है। लेकिन यूनिवर्सल इण्डस्ट्री को, साल भर हो गया, हरेस कर रहे हैं। यहां पर टैक्सेशन के मामले में हरेसमेन्ट हो रहा है। वे कह रहे हैं, श्रीमान, कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्सटाइल प्रोडक्ट है, उसका कन्डीशन्स को फुलफिल करता है उससे टैक्स नहीं लेना चाहिये। यूनिवर्सल प्रोडक्शन, उसने मुश्किल से इण्डस्ट्री लगाई, विश्वकर्मा में लगाई है, आपने लोन दिया

(श्री मूलचन्द डागा)

... नोन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई नियम नहीं, रूल परमिट नहीं करता। वे हैरान हो गये। मैं आपसे चाहता था कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट जो है, उसको आप सुधारें। कानून मैंने बता दिया। यह किताब लाया हूं 1976 की। आप के पास कोई किताब तक लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। सेल्स टैक्स का नया लॉ नहीं। सारी किताबें ठीक नहीं कोई लिट्रेचर मिलता नहीं, हमको अप टू-डेट नहीं मिलता, जो हैं वह पुराने हो गये। गवर्नमेन्ट से पब्लिश होता नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहता हूं इसकी इन्क्वायरी की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिन रायण शर्मा!

श्री ... एन. शर्मा (बेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ सुझाव वित्त विधेयक के बारे में वित्त मंत्री को देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी यह मान्यता है हम यह मानते आये हैं कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। 70-80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और काश्त करती है, हिन्दुस्तान को कृषि प्रधान देश मानते हैं हमारी आबादी के 80 प्रतिशत लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं तो कृषि से सम्बन्धित कृषि यन्त्रों का मामला ... उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि से, औजारों से सम्बन्धित मामले हैं, कृषि पर आधारित छोटे उद्योगों से सम्बन्धित मामला है उसे ... कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हम देश को विकास के पथ पर बढ़ा सकते हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 6 मार्च, 1978 को जो गजट प्रकाशित हुआ उसमें कालम नं. 3 पर जो कृषि उपकरण हैं उनके नाम इस प्रकार हैं Tractors & spare parts thereof & cultivators, harrows tillers with or without seeding attachments, seed drills and land levellers worked be operated by tractors."

मेरा निवेदन यह है कि आज अगर एक किसान बलों के साथ हल लगा कर खेती कर रहा है वह थोड़ी बहुत बचत करके, कठिन परिश्रम करने के बाद एक ट्रैक्टर खरीद लेता है थोड़े दिनों में, या साइंस टेक्नोलोजी के विकास के द्वारा दूसरे उपकरण, जो बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, खरीद लेता है तो यह कहना गलत है कि वह काश्तकार नहीं है। काश्तकार के कृषि यंत्रों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगाना गलत है। 6 मार्च को जो यह राज-पत्र प्रकाशित किया इसमें आपने 5 पर्सेंट टैक्स को 4 पर्सेंट कर दिया। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। 4 पर्सेंट टैक्स ही नहीं जितने भी कृषि यन्त्र हैं उन पर हर प्रकार का टैक्स खत्म कर देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान के पास के जो प्रदेश हैं पंजाब को ले लीजिये, हरियाणा को ले लीजिये, दिल्ली को ले लीजिये उनके पास जो एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स की लिस्ट है उन्होंने जितने एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स माना है उनको एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स मान कर सेल्स टैक्स से मुक्त कर रखा है ... पास सारे के सारे ऑर्डर्स है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा फाइनेंस बिल है उसमें

(श्री एच. एन शर्मा)

आपने अपने कृषि उपकरणों के नाम दिये हैं। यह ऑर्डिनरी इम्पलीमेंट्स के नाम जोड़े गये हैं। मेरी यह मान्यता है कि कृषि यन्त्रों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है। आर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स हल वगैरह, दूसरे मध्यम श्रेणी के इम्पलीमेंट्स बैलों की जोड़ी आदि, जिनसे खेती की जा सकती है, बैलगाड़ी भी आ सकती है, तीसरा ट्रैक्टर, चौथा टेक्निकल इम्पलीमेंट्स। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने तो जो पावर मोटर हैं उनको भी एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स माना है। आपके माध्यम से पढना चाहूंगा। उन्होंने कहा है –

"Agricultural implements including chaff cutters and persian wheels or parts thereof and electric motors including monoblock pump sets of 3 to 7½ horse power."

उन्होंने तो इलेक्ट्रिक मोटर्स को भी एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट माना है और उसे सेल्स टैक्स से मुक्त रखा है। आप आर्डिनरी कृषि यन्त्रों पर टैक्स माफ नहीं करना चाहते हैं। चार कैटेगरीज में हरियाणा पंजाब और दिल्ली सरकार ने एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स माने उन पर सेल्स टैक्स माफ होना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन्स भी उपलब्ध हैं। वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिवीजन नं. 516, 1972, राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट। रिवीजन न. 518, 1972। यह जो थे गवर्नमेंट वर्सेस हिन्दुस्तान ऑटोमोबाइल, अजमेर रोड, जयपुर। इनका जो 1972 का जजमेंट हुआ, 12-6-74 को जजमेंट हुआ उसमें साफ लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा जजमेंट नहीं पढ़ सकते।

श्री एच. एन. शर्मा : कोई बात नहीं।

उसमें निर्णय हुआ, एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स पर टैक्स समाप्त किया जाना चाहिये। रिवीजन नं. 211, 212, 248, 1972 भरतपुर के थे, उसका भी डिसीजन हुआ उसमें रेवेन्यू बोर्ड का डिसीजन था कि एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स पर सेल्स टैक्स माफ किया जाना चाहिये। 1976 में हाई कोर्ट का जजमेंट था 238, 1975 राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट सी. टी. ओ. वर्सेस हिन्दुस्तान ऑटो मोबाइल्स एण्ड अनादर।

माननीय श्री ओंकारलालजी ने निर्णय का रेफरेन्स सुनाया था। उसमें ट्रैक्टर ट्राली को भी इम्पलीमेंट्स माना है। इस प्रकार जो टैक्स लगाया गया है एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स पर, यह तुरन्त माफ किया जाये, तभी हमारा कृषि प्रधान देश और आगे बढ़ सकता है। अगर टैक्स माफ नहीं किया गया तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे कृषि पर आधारित छोटे उद्योग हैं, काश्तकारों से सम्बन्धित हैं वे पिछड़ जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि आपके पास वाली स्टेट्स में उन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाया नहीं गया है हमारे काश्तकार खाली 5 और 20 रुपये का किराया देकर वहां से खरीद लायेंगे। इस प्रकार हमारे कृषि से सम्बन्धित जो उद्योग हैं वे पीछे रह जायेंगे। मेरी

(श्री एच. एन. शर्मा)
यह मान्यता है हमारा देश काश्तकारों का देश है, हमारे 70, 80 प्रतिशत लोग काश्तकार हैं इसलिये ···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काश्तकारों की सरकार कहलाने वाली यह सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे। वित्त मंत्री महोदय, कृषि प्रधान देश को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों को टैक्स से मुक्त करें, यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

(विराम)

माननीय वित्त मन्त्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : तबीयत ठीक नहीं है।

(विराम)

यह आपका विषय ही नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका विषय है, आप आ जावो उत्तर देने।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 1978 जो सदन के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया है, मैं ऐसा समझता था कि इस विधेयक को बिना बहस के स्वीकार कर लिया जायगा परन्तु माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के लिए भी कहा है, बताया है इसके सम्बन्ध में कि टैक्सेज काफी लगा दिए गए हैं। मैंने अपनी वित्त भाषा में बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि जो भी कर लगाये गए हैं वे केवल आबकारी तक ही सम्बन्धित हैं और उसमें भी जो मंशा है, वह केवल आमदनी करने की ही नहीं है बल्कि शराब पीने वालों की संख्या भी कम करने की है।

आज हम राजस्थान को ही लें, राजस्थान की आबादी ढाई करोड़ से अधिक है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि शराब सेवन करने वाले या नशा करने वाले राजस्थान में कितने हैं लेकिन फिर भी उनका अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। मेरे अनुमान से उनकी संख्या चार या पांच प्रतिशत से किसी भी प्रकार अधिक नहीं हो सकती है। उन चार, पांच प्रतिशत में ऐसे भी लोग हैं जो सम्पन्न हैं, जो रोजाना शायद शराब पीते होंगे और उनका खर्चा भी काफी है। इसलिये जो भी औसत लगाया गया है, उससे मेरा ऐसा मानना है कि 60 या 70 रुपया हर कन्ज्यूमर की जेब से जाता होगा। इन 60 या 70 रुपये के लिए यदि हम यह समझें कि उपभोक्ता की जेब से जाता है तो भी मेरा ऐसा मानना है चार पांच लाख लोगों से ज्यादा शराब का सेवन नहीं करते हैं। पिछले दिनों में जिन जिन जिलों में······

श्री मूलचन्द डागा : माफी चाहता हूं, श्रीमान, 40 प्रतिशत शराब पीने वाले हैं तो इतने प्रतिशत पर पाबन्दी लगा दी है। 60 प्रतिशत एरिया है जहां पाबन्दी लगाई है। अब कितना कम हो गया है इन दो सालों में··

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिये डागा जी।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : पिछले कई वर्षों में जब से मद्यनिषेध लागू किया गया है कुछ जिलों में तो मेडिकल ग्राउन्ड्स पर जो भी लोगों को लाइसेन्स दिए गए हैं उनकी संख्या 250-300 या उससे अधिक है। इसलिए मान लें एक जिले में 500 भी औसत होती है तो पूरे राजस्थान को ड्राई करें तो जो एडिक्ट हो गए हैं ऐसे लोगों की संख्या 15-20 हजार से ज्यादा नहीं हो सकती है। 20 हजार की जगह मैंने कहा है पांच लाख। इसलिए मैंने कहा, यह अनुमान गलत नहीं हो सकता है। जो कुछ भी टैक्सेज बढ़ाये हैं या टैक्सों की जो घोषणायें की गई थीं वह करीब 6 करोड़ के हैं। वह केवल आबकारी तक सीमित है या उन लोगों पर लगाया है जो या तो सम्पन्न हैं या ऐसे लोग हैं जो आदी हो गए हैं। यह इसलिए लगाया है कि जो गरीब हैं, वे शराब पीना छोड़ दें।

जहां तक मद्यनिषेध का सवाल है मैं मानता हूं मद्यनिषेध ऐसी चीज है जो कानून से पूरा नहीं हो सकता है। प्रश्न केवल इतना ही है कि राज्य इसका व्यापार न करे, राज्य सरकार इसके लिए प्रोत्साहन न दे। हम जानते है कि शराब पीना पाप है बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि महापाप है। धर्मावलम्बी सभी यह मानते हैं। हमारे जितने धार्मिक नेता हुए है उन्होंने भी यह कहा है कि शराब नही पीनी चाहिये। तो भी हम शराब पीते हैं यह ठीक नहीं है। इसका केवल यही अर्थ है कि शराब पीना एक बहुत बुरी बात हैं, जिस तरह चोरी करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा हैं भ्रष्टाचार, बुरा है। मद्यनिषेध लागू करने के लिए राज्य सरकार से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि राज्य सरकार किसी बुराई के लिए प्रोत्साहन न दे। अगर राज्य सरकार एक बार किसी बुराई के लिए प्रोत्साहन देती है तो वह बुराई कभी दूर नहीं हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी चीजें बुरी हों और सभी चीजें अच्छी हों। हर एक चीज तुलनात्मक होती है, तो ऐसी स्थिति में…

श्री माधोसिंह कछवाह : भरतपुर के लिये महापाप कैसे नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके गोकुल भाई भट्ट अनशन पर बैठे हुये हैं। तारीख की घोषणा करें कब तक बन्द कर दी जावेगी। आप तारीख की घोषणा कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : जब कभी अति हो जाती है तो हम यह कहते हैं कि इससे हानि होती हैं, समाज को हानि होती हैं। शराब के लिये अपने आप में कोई यह कहें कि बुरी चीज है, यह ऐसी बात नहीं है। शराब का उपयोग बुरा है। जब शराब का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है और शराब अधिक मात्रा में पी जा रही है तो इससे लाखों परिवार बरबाद हो जाते हैं। बहुत सी जगह जहां लेबर एरिया हैं वहां और भी ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं और काफी नुकसान होता हैं। वहां पर हम सभी यह कहते हैं कि यह चीज बुरी हैं, इसका उपयोग नहीं होना चाहिये।

मैं मानता हूं अगर पूरी तरह मद्य निषेध लागू कर दिया जाय तो भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, शराब के लिये

(श्री आदित्येन्द्र)

मानस बदलना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा। इसलिये मेरा कहना है वित्त विधेयक में यह बात कही है कि यह टैक्स लगाया गया है।

हमारे समक्ष डीडवाना से आने वाले माननीय माथुर साहब ने कहा है यह टैक्स का बोझा ज्यादा है प्रति व्यक्ति आमदनी करीब 319 रुपये बताई है और टैक्स लगाया है 76 रुपये इसका मतलब 2 परसेन्ट टैक्स लिया जाता है। टैक्स बढ़ेगा तो औसत लगाने से कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पर दो करोड़....

श्री शंकर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा जनता पार्टी ने नया नेता चुन लिया है क्या ? वे मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं...

श्री आदित्येन्द्र : दूसरी बात जो हमारे...

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात जानना चाहती हूं...

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सदस्य हमेशा अपने भाषण में भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं। ठीक है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी आवश्यक है। आपने शराब के ऊपर लाइसेन्स फी बढ़ाई, सेल्स टैक्स बढ़ाया उसके बावजूद क्या आपने जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू किया है, वहां यह प्रभावी करने के लिए कोई खर्चा बढ़ाया है या कोई माकूल इन्तजाम किया है ?

श्री आदित्येन्द्र : आपने जो प्रश्न उठाया है उपाध्यक्ष महोदय मैं यह मानता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही की जाएगी वह धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे आपको जानकारी मिलती जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध किया गया है वहां पर प्रभावकारी कदम नहीं उठाए जाएंगे। एक मण्डल का भी गठन किया गया है...

श्री मूलचन्द डागा : आज आपका जो रेडियो पर भाषण होगा उससे जनता प्रभावित हो जाएगी और शराब पीना बंद कर देगी।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन...

श्रीमती मदन कौर : मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने क्या वित्तीय प्रावधान किए जिससे कि मद्य निषेध प्रभावी हो ? नहीं तो सरकार ने जहां पर मद्य निषेध लागू किया है वहां पर वह प्रभावी नहीं होगा। यह मैं जानकारी चाहती हूं।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ भी मैं कहूं उसको ध्यान से सुनें। यदि उससे उन्हें सन्तोष नहीं होता है तो वे बाद में प्रश्न कर सकते हैं।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : जो हमारे साधु मन्त्री हैं हमारे आदर्श हैं, उनकी इस प्रकार खिल्ली उड़ायी जा रही है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती मदन कौर : सरकार इस तरह लीनियेंट रही तो मद्य निषेध लागू नहीं होगा···

श्री माधोसिंह कछवाह : This is not the question hour.

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने सदन को यह बता दिया है कि जहां पर शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है, उस शुष्क क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो भी शिकायत आप सुन रहे थे वह शिकायत अब आपको सुनने को नहीं मिलेगी। वहां पर प्रभावकारी कदम उठाये जाएंगे। केवल वही काम करेंगे, ऐसे ऑफिसर काम करेंगे जो कि मद्य निषेध में पूर्ण विश्वास रखते हों और निष्ठा से काम करते हों। तो जो यह कदम उठाया गया है, मैं यह समझता हूं कि यह बहुत सोच विचार के बाद उठाया गया है।

अब माननीय सदस्य डागा साहब ने मेरे भाषण का एक अंश यहां पर पढ़ कर सुनाया, उन्होंने एक बात कहीं कि काश्तकारों के लिए मैं एक अन्य रियायत प्रस्तावित कर रहा हूं। वर्तमान में बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कृषि उपकरणों को कर-मुक्त रखा गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ अन्य कृषि उपकरणों को भी कर मुक्त किया जाना चाहिये। अतः बिक्री कर अधिनियम को इस हेतु संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन से राज्य सरकार किसी भी कृषि उपकरण को कर मुक्त करने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस सम्बन्ध में आपको, माननीय सदस्य को यह आपत्ति है कि यह जो अधिकार है वह असिमित है। ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अधिकार कर बढ़ाने के लिए नहीं लिया जा रहा है। बल्कि यह अधिकार कर मुक्ति के लिए लिया जा रहा है। जनता के कल्याण के लिए लिया जा रहा है। जो उसका बोझ है, उसको हल्का करने के लिए लिया जा रहा है···

श्री मूलचन्द डागा : जो पहले सोचा था, उसको क्यों हटा दिया ?

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा है कि नए नए टैक्स लगाये जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स पर भी टैक्स लगाया गया है। मेरा इतना ही कहना है कि ट्रेक्टर और ट्रेक्टर से संबधित जो इम्पलीमेन्ट्स हैं, उन पर मैंने अपने बजट भाषण में टैक्स को कम किया है। यह टैक्स पहले पांच प्रतिशत लिया जाता था, उस पांच प्रतिशत को चार प्रतिशत कर दिया है। टैक्स को बढ़ाया नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस की मंशा है आपके मंत्रीजी का आश्वासन है कि ट्रेक्टर और ट्रोली पर टैक्स नहीं लगाया जाय।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ भ्रम के कारण यह कहा है कि सब्जी पर भी टैक्स है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब्जी पर कोई टैक्स नहीं है।

माननीय माथुर साहब ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होने कहा है कि यह जो सेल्स टैक्स की वसूली होती है, उसमें कुछ बाधायें हैं और इसलिए बाधाएं हैं कि जो व्यापारी लोग हैं, वे मुकदमेबाजी में चले जाते हैं, लिटिगेशन में चले जाते हैं। कभी कभी कई वर्ष उनके मुकदमें के फैसले में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे रेवेन्यू बोर्ड है उसकी जगह अगर कोई अपीलेट कोर्ट की स्थापना हो और अपीलेट कोर्ट में ऐसे लोग रखे जाएं जो खास तार से इन टैक्सेज के बारे में एक्सपर्ट हों। मैं समझता हूं कि यह सुझाव महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे यही निवेदन करना है और आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में विचार किया जाएगा।

अब मैं आपके सामने जो कुछ भी और रियायतें की जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस सदन में बजट पर हुई बहस के दौरान तथा सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों के द्वारा कर सम्बन्धी मांगें पेश की गई हैं। कुछ माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मेरे से मिले भी हैं। मैंने उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। आज मैं निम्न घोषणाएं करना चाहूंगा :

पहली बात ट्रेक्टर व ट्रोली पर माल व यात्री कर, माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सदन में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कृषि के काम में आने वाले ट्रेक्टर और ट्रोली पर यात्री व माल कर पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए।

व्यवसायिक कार्य में आने वाले ट्रेक्टर ट्रोली पर यह कर पूर्ववत् रहेगा। यानि 140/ की जगह 450/- रहेगा।

एक माननीय सदस्य : यह क्या हुआ ?

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में अलग से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ताकि जो कृषक अपने ट्रेक्टर ट्रोली को अपने कृषि कार्य में ही प्रयोग करते हैं, उन्हें कोई कठिनाई न हो।

एक माननीय सदस्य : इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : जो आपने बजट में रखा है, वह क्या है ? यह तो स्पष्टीकरण हुआ ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले आप सारी बात सुन लीजिए।

श्री आदित्येन्द्र : रेडीमेड गारमेण्ट के सम्बन्ध में मैं यह रखना चाहता हूं। रेडीमेड गारमेण्ट्स पर बिक्री कर सन् 1970 में 10 पर्सेन्ट था। तब 15 रु. के मूल्य के वस्त्रों को कर मुक्त रखा गया था। सन् 1976 में कर की दर को घटाकर 7 पर्सेन्ट किया गया और कोर्स व मीडियम कपड़े से बने वस्त्रों को, जिनकी कीमत 15 रु. से अधिक न हो, कर से मुक्त किया गया। सन् 1977 में कर की दर घटाकर 3 पर्सेन्ट कर दी जाने पर 15 रु. के मूल्य के वस्त्रों पर दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया। परन्तु साथ ही 10,000 रु. वार्षिक टर्न

(श्री आदित्येन्द्र)

ओवर तक के कारीगरों को कर मुक्ति दी गई। सरकार के ध्यान में लाया गया है कि छोटे कारीगरों व व्यवसाइयों को इससे पर्याप्त राहत नहीं मिली है। अतः 10 रुपये तक की कीमत के रेडीमेड वस्त्र व सूट को कर से मुक्त किया जाता है।

तीसरा है अलोह धातु से बनी वस्तुओं पर बिक्री कर, वर्तमान में कटलरी व इलेक्ट्रो प्लेटेड, निकल प्लेटेड व जर्मन सिल्वर के वर्तन व अन्य वस्तुओं पर 10 पर्सेन्ट बिक्री कर लगता है, अलोह धातु से बनी वस्तुओं की एक दर व उन पर कलई होने पर दूसरी दर होने से कुछ कर निर्धारण सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। अतः कटलरी (जिसमें स्टेनलेस स्टील का सामान सम्मिलित नहीं है) तथा इलेक्ट्रो प्लेटेड व जर्मन सिल्वर की वस्तुओं पर समान रूप से 7 पर्सेन्ट की दर से बिक्री कर लगाया जा रहा है।

हलवाइयों को राहत

मार्च सन् 1976 में हलवाइयों की मांग पर यह योजना लागू की गई थी कि जो हलवाई पिछले वर्ष में देय बिक्री कर की राशि का समाया कर जमा कराने को तैयार हों उन्हें कर निर्धारण की प्रक्रिया व बिक्री का हिसाब रखने व वाउचर जारी करने की बन्दिश से छूट दी जाएगी। उस समय किन्हीं कारणों से इस योजना का लाभ हलवाइयों ने नहीं उठाया। अब उसी मांग को उन्होंने पुनः उठाया है। एक मौका और देने के अभिप्राय से उक्त योजना एक वर्ष के लिए पुनः लागू की जाती है।

कृषि यन्त्रों पर बिक्री कर

कृषि यन्त्रों, जिन्हें पूर्व में कर से मुक्त किया गया था, की सूची बहुत छोटी थी जिसमें केवल 12 यन्त्रों के नाम थे। इसके कारण इस छूट का पूरा फायदा काश्तकारों को नहीं पहुंच पा रहा था और कई विवाद खड़े हो गये थे। इस सूची को सम्पूर्ण बनाने के उद्देश्य से राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 में संशोधन प्रस्तावित है, जिसके पारित होने पर सरकार को नयी सूची प्रकाशित करने का अधिकार हो जाएगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु यह बताना चाहूंगा कि प्रस्तावित सूची में 28 प्रकार के साधारण कृषि यन्त्र, 24 प्रकार के बैलों द्वारा चलाये जाने वाले यन्त्र और निम्न तीन यन्त्र ट्रैक्टर अथवा पावर से चलने वाले सम्मिलित किये जावेंगे:—

(1) थ्रेशर (Thrasher)

(2) चेफ कटर (Chaff cutters) व उसके हिस्से, जिसमें नट, बोल्ट व स्प्रिंग सम्मिलित नहीं होंगे, व

(3) विनोवर

छठा, जवाहरात उद्योग से बिक्री कर में राहत देने के सम्बन्ध में कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने के पूर्व अत्यन्त ही गहराई से विचार किया जाना आवश्यक है। अतः एक समिति का गठन किया जा रहा है जो कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दो मास के अन्दर देगी। उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री खेतसिंह राठोड़ : असेम्बली तो 6 महीने में बुलायेंगे। 6 महीने में मंगाइये प्रतिवेदन भी।

श्री आदित्येन्द्र : आपसे यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कितना आपने कम कर दिया है ? पेट्रोल में कोई कमी हो गई है ? यह बता दीजिए। कोई जवाब नहीं देंगे सवाल का।

श्रीमती मदनकौर : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगी, जो आपने व्यावसायिक उपयोग टैक्स लगाया है, वह क्या रहेगा ? किस प्रकार से रहेगा ? कृषि उपयोग और टैक्ट्रर ट्रॉली पर व्यावसायिक उपयोग का अन्तर कैसे पता लगायेंगे। ये प्रावधान रख कर सरकार अशिक्षित और पहले ही से शोषित किसान को सरकारी अधिकारियों द्वारा और तंग करने और उनका शोषण करने के लिये छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सरकार ने किसानों के साथ फ्रॉड किया है। कानून का सही इन्टरप्रिटेशन करने के लिये इसकी क्या स्प्रिट है। स्पष्ट तौर पर उसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

श्री आदित्येन्द्र : मैंने अभी कहा है, जो पूर्व में 500 था, उसके स्थान पर 450 रु. रहेगा।

श्रीमती मदनकौर : यह व्यावसायिक यूज का कैसे निर्णय होगा ?

श्री आदित्येन्द्र : अगर व्यावसायिक काम में उपयोग लिया जाता है तो टैक्स लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती मदनकौर : मान लीजिए कि वह अनाज लेकर बेचने के लिए जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : वह अपना अनाज बेचने के लिए जाएगा तो व्यावसायिक हो जाएगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : उनका भाषण तो हो जाएगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। हम ऐसा लॉ क्यों बनायें ? यह सवाल बिल्कुल ठीक है,

Whether the trolly is being used for agricultural purposes or for commercial purposes it should be clear. यह होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: This should be very specific.

इस प्रकार से कोई किसान है, वह अपने काम में लाएगा तो अधिकारी वर्ग पर इस प्रकार का आरोप है, वह निष्क्रिय है, उन अधिकारियों को और अधिकार दे रहे हैं। किसानों को पहले ही तंग किया जा रहा है। ऐसा कोई कानून हम को पास नहीं करना चाहिए जो शुरू में ही अस्पष्ट मान रहे हैं।

श्री शंकरलाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपने फर्माया कि जो टैक्सेशन ऑथोरिटी होगी वह इसको इन्टरप्रेट करेगी। तो मैं

(श्री शंकरलाल)
यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऑथोरिटी हाउस से भी सुप्रीम है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री शंकरलाल : आप ऐसा कानून बनावें जो काम्प्लीकेटेड नहीं हो। ऑथोरिटी पर नहीं छोड़ना चाहिए। We should be very clear about the law. लॉ में क्लियर नहीं है इसलिए किसान को छोटे-मोटे झगड़ों में हजारों रुपये बरबाद करने पड़ते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : We should look to the Proceedings and we should be very clear about this point.

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप 450 रुपये का टैक्स माफ कर रहे हैं। किसान को वकील करके....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रथम वाचन है। जब मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें तब कोई प्रश्न पूछने की बात हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : काश्तकार की बात आप क्या समझते हैं ?

श्री एच. एन. शर्मा : आप काश्तकार कब से हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक किसान ट्रैक्टर और ट्राली को काम में लेता है....

एक माननीय सदस्य : आप किसान हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी किसान हूं। किसान खेती करता है और उसमें ट्रैक्टर चलाता है, ट्रोली में भरकर वह अपने अनाज को ले जाता है उसमें भूसा भी ले जाता है, तो वह कॉमर्शियल भी है और एग्रीकल्चरल भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो इन्सटान्स दे रहे हैं, उपज के अलावा जो यूज होगा वह कार्मशियल होगा। कामर्शियल यूज को डिफाइन नहीं करते हैं तो वह ऑथोरिटी करेगी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपनी खेती का उत्पादन बढायेगा या इन उलझनों में फंसेगा, लिटिगेशन में जायगा ? यह साफ करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार के आभारी हैं कि टैक्स माफ कर दिया इसके लिए हजार बार बधाई। परन्तु एक सेलस टैक्स इन्सपेक्टर को यह अधिकार क्यों देते हैं कि अन्य कामों के लिए टेक्टर ट्राली को

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
यूज कर रहे हैं। यह आपको अधिकार है कि कौन और किस प्रकार से यह क्वेश्चन डिसाइड होगा। टैक्स माफ किया इसके लिए तो आभारी हैं।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन...

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पेंशन की दर वृद्धि की टेबल को...

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अगर यह नहीं किया...

(व्यवधान)

जनता पार्टी को माफ नहीं किया जायगा, यह डिसाइड नहीं किया तो।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में और फाइनेन्स एक्ट में कांग्रेस की सरकार के वक्त ट्रेक्टर ट्रोली....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपका भाषण नहीं सुनना चाहते। वित्त मन्त्री जी जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : आपको सुनना पड़ेगा।

श्री शंकरलाल : मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : सुनिये, कानून की स्थिति बहुत साफ है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सुनिये तो सही।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : नहीं सुनना चाहते हैं तो बाहर चले जाइये।

(व्यवधान)

श्री नूरा : बाहर चले जाये, यह कौनसी....

(व्यवधान)

आपकी मेहरबानी से नहीं आये हैं। आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस बात को ध्यान में रखें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि बाहर चले जाओ...

श्री एच. एन. शर्मा : आपको क्या अधिकार है कि सुनना नहीं चाहते, आपको अधिकार है तो हमें भी...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्मा जी, कृपया विराजिये।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना है कि सुनना नहीं चाहते, अगर इनको यह कहने का अधिकार है तो मुझे भी अधिकार है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं अगर वित्त मन्त्रीजी उससे सहमत हैं तो –

श्री माणकचन्द सुराणा : बजट स्पीच····

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस बात की व्यवस्था दें। इन्होंने कहा है कि ×××

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि हम सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बार-बार खड़े होकर बोल रहे हैं और वित्त मन्त्रीजी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वर्मा जी, कृपया विराजिये।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को वापस लेना चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो चाबी भरी हुई मोटर हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय शर्मा जी जिस ढंग से बोले हैं वह शिष्ट ढंग नहीं कहा जा सकता।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच और फाइनेंस एक्ट में स्थिति साफ है कि काश्तकार के ट्रेक्टर ट्रोली पर स्वयं के उपयोग के लिए टैक्स नहीं लगेगा और व्यावसायिक उपयोग में लेंगे तो उनसे 450 रुपये लिये जायेंगे। जब कि कांग्रेस ने दोनों प्रकार के उपयोग के लिये 840 रुपये का टैक्स लगाया था।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कानून की सही स्थिति नहीं रख रहे हैं। फरवरी के महीने में कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें तो उसने कॉमर्शियल पर्पजेज पर टैक्स लगाया लेकिन एग्रीकल्चर पर्पज के लिये नहीं। अप्रेल में जो नोटिफिकेशन निकाला, उसमें यह था कि कार्मशियल पर भी नहीं लगेगा। यह टैक्स जो लगाया है, वित्त मंत्री ने या यातायात मंत्री ने लगाया क्योंकि पैसेंजर टैक्स है। आपने उस समय लगाया है जिस समय किसान यूनियन की मीटिंग होने वाली थी, उसके तीन चार दिन पहले लगाया, उसमें आपने 450) रु. किया, 2-3 महीने के बाद किया है, यह कानूनी स्थिति है।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने जाते जाते माफ करने की बात कही थी····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने कर लगाया है।

××× अध्यक्ष महोदय के के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री माणकचन्द सुराणा : आज की स्थिति में मैं काश्तकार···

श्री परसराम मदेरणा : Janta Government has imposed this tax.

श्री मूलचन्द डागा : अगर काश्तकार अनाज मण्डी से लायेगा ट्रॉली में डाल कर तो उस पर कर लगेगा या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, कोई भी हाईपाथेटिकल सवाल न उठायें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कानून के विरुद्ध एक तरह से षड़यन्त्र रच रहे हैं। मैं आप पर चार्ज नहीं लगाता, आपकी पार्टी की एक लॉबी व अधिकारी लॉबी प्रयत्न कर रही है कि किसान पर किसी भी हालत में टैक्स लगाना चाहिए। इसलिए जैसा आपने फर्माया भूतपूर्व सरकार ने भी इस टैक्स के इम्पोज करने की कोशिश की, उनके सामने भी अधिकारियों ने इस टैक्स के बारे में सुझाव रखे थे और उन्होंने भी सोच समझ कर इसको उचित नहीं समझा। आप बार बार कहते हैं कि आप इस चीज को सामने लाए। मैं मानता हूं कि आपकी सरकार ने व अधिकारियों ने प्लॉट षड़यन्त्र रचकर 450) करने की पूरी कोशिश की है। अब यह फैसला कौन करेगा कि यह कृषि के उपयोग के लिए है या नहीं ? किसान को खेत पर रहना पड़ता है। किसान अपनी खेती करेगा या अधिकारियों के चक्कर लगायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माधोसिंहजी, बिराजिए। कृपया बिराजिए।

श्री माधोसिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि इस कानून का सम्बन्ध किसानों से है और उसका बहुत बड़ा वर्ग अनपढ़ है यदि कानून में एम्बीग्युइटी रखेंगे तो अधिकारी वर्ग के मार्फत किसान का शोषण होगा। इसलिए आपकी जो मन्शा है उसको स्पष्ट करें। यह जो डिबेट के दौरान टैक्स घटाने की आपने स्प्रिट बताई है उसके आधार पर स्पष्टीकरण किया जाए, मनमाने तरीके से नहीं लगायें।

श्री पदमसिंह : सितम्बर, 1976 में पिछली सरकार ने टैक्स लगाया 840)। जाते जाते वह टैक्स माफ कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ट्रक चलता है, ट्रेक्टर नहीं चलता। परिवहन विभाग द्वारा उस पर टैक्स लगाया। अधिकारियों को मालूम नहीं पड़ा उन्होंने फरवरी में पेनल्टी लेकर वसूल किया और दुगुना 1804) रु. वसूल किया। आप कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया ···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा बन्द करें।

श्री पदमसिंह : ट्रेक्टर व ट्रॉली का सम्बन्ध है। जो कार्मशियल पर्पजेज के लिए काम में लाये उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। जो खेत में काम करेगा वह सर्टीफिकेट पेश करेगा कि मैं खेत पर चलाता हूं। इसमें कोई विचार की जरूरत नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : इस तरह तो बहस का अन्त नहीं होगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से वित्त मन्त्री ने एग्रीकल्चर पर्पजेज व व्यावसायिक पर्पजेज को डिस्टिंग्विश किया है, वह केवल अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया और कानून में एम्बीग्यूइटी रख दी तो जो आमदनी होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। इसलिए आप स्पष्ट करें। एक तरफ असली काश्तकार खेती के पर्पज के लिए काम में लें तो उसको कर से छूट मिले और व्यावसायिक काम में ले तो उसको कर देना पड़े, इस बारे में एम्बीग्यूइटी है। इससे सरकार को भी आमदनी कम होगी और अनपढ़ काश्तकार भी परेशान होगा।

श्री हरचन्दसिंह : जहां तक ट्रेक्टर व ट्रॉली पर टैक्स का प्रश्न है, इसमें कई किस्म की उलझनें हैं। एक तो ट्रेक्टर व ट्रॉली का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन, ट्रॉली अपने आप नहीं चलती, ट्रेक्टर से अटैच्ड है। दूसरे, कॉमर्शियल पर्पजेज व एग्रीकल्चर पर्पजेज वाली बात रखी गई। इसलिए अगर सही मायने में भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं तो ट्रेक्टर पर कर माफ करो। अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सरकार दोनों बातें रखे। हर दिन पुलिस वाला किसान का कान पकड़ेगा। यह भ्रष्टाचार को पनपाने का एक नया तरीका है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर दो, बाकी सही मायने में काश्तकार को राहत देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं तो यह इन्टरप्रिटेशन ट्रेक्टर व ट्रॉली के बारे में बिल्कुल खतम कर दें ताकि काश्तकार को राहत मिले।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से घोषणा की गई है, उससे किसानों की मुसीबतें बढ़ेंगी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जनता पार्टी को किसान माफ नहीं करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छी बात आप कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : जिस तरह से मोटर व्हीकल्स एक्ट में ट्रेक्टर को रखा गया है, वह डेफिनेशन इल्लीगल है, लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इसका मतलब है, ट्राली का अलग रजिस्ट्रेशन कराए। यह अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये…

श्री उपाध्यक्ष : यह सेंट्रल एक्ट है, इस पर चर्चा न करें।

श्री हरिसिंह : अगर खेती के पर्पजेज के लिए किसान पड़ोस से ट्रेक्टर ले आए तो उसको पुलिस वाला पकड़ लेगा और परेशान करेगा। आज एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए होता है, कल कहेंगे दूसरे खेत में ट्रेक्टर चलाया जाएगा, वह कॉमर्शियल पर्पजेज में आएगा। दूसरों की जमीन का लेवलिंग वह भी कॉमर्शियल पर्पजेज में आ जाएगा…

श्री खेतसिंह राठौड़ : बारात ले जाएगा वह भी कॉमर्शियल पर्पजेज में आएगा।

श्री हरिसिंह : सारे का सारा टैक्सेशन का किसान पर बोझ है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि यह टैक्सेशन की नीति किसान विरोधी नीति है, किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

(१५५)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसका एक ही उपाय है कि आप यहां आ जाएं। बकरी दूध दे रही है लेकिन मिमियां रही है। अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पनपेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह : ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली आती है, साधारणतः खेती के काम में आती है। अगर किसानों को राहत देनी है तो 75 हार्स पावर तक जितने ट्रैक्टर्स हैं उनको खेती के लिए उपयोगी मान कर उन पर टोटल टैक्स माफ करना चाहिये। उसके ऊपर हार्स पावर वाले पर कॉमशियल टैक्स वसूल करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह आपने बहुत अच्छा किया कि ओथ नहीं ली।

श्री गोपालसिंह : You are a wise man. I fight for the cause and I don't run away for the post.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You are a wise man.

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय !

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस बारे में प्रकट किये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अगर इस कर को नहीं हटाया गया तो आप किसान का भाग्य इन्सपेक्टरों के हाथों में सौंप देंगे। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात यहां कही। इसमें माननीय सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह निर्णय करना कोई मुश्किल नहीं है कि कौनसा व्यावसायिक है और कौनसा व्यावसायिक नहीं है। यह इन्सपेक्टर्स और सरकारी अधिकारियों के लिए निश्चित करना कोई बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त-विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या अभी तो क्लाज बाई क्लॉज लिया जायेगा। थर्ड रीडिंग पर मैं बोलूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले विधेयक को विचारार्थ तो लिया जाय।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय पहले बिल को विचारार्थ तो लिया जाय। मन्त्री महोदय ने तो बिल को पारित करने का ही प्रस्ताव कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : शायद मन्त्री महोदय गलत कह गये हैं। उनके कहने का मतलब तो बिल को विचारार्थ लिये जाने का ही होगा। इसलिए मैं सदन की राय लेना चाहूंगा।

क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : ऐज की जीत हुई।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां पक्ष की संख्या ज्यादा है।

श्री मूलचन्द डागा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं खण्डशः विचार करने के लिए सदन की राय जानना चाहूंगा।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य मूलचन्द जी डागा ने यह कहा × × × × ×। यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जावे। श्री डागा इसके लिए माफी मांगें सदन बहुसंख्या से निर्णय करता है। It should be expunged. It is a mockery of democracy. इसको वापस लिया जाय। इस तरह के शब्द रिकार्ड नहीं किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके लिए यही कहूंगा कि यदि × × × शब्द यहां पर रिकार्ड किये गये हैं तो मैं आदेश देता हूं कि उनको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय।

अब मैं खण्डशः विचार करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। इसके पहले मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री कौशल किशोर जैन, वह भी अपने संशोधन प्रस्तावों पर बोल लें। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरे संशोधन प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नॉर्मली सत्ता पक्ष वालों की तरफ से सदस्य लोग संशोधन पेश नहीं करते थे। जब करते हैं तो यह माना जाता है कि यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा ही दिये गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कोई जरूरी नहीं है। कोई सदस्य संशोधन प्रस्ताव मूव कर सकता है और संशोधन प्रस्ताव वापस भी ले सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आपने संशोधन प्रस्ताव पेश कर दिया है तो आप हाउस की अनुमति लिये बिना वापस कैसे ले सकते हैं। कानून तो…

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति ली जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कानून तो मैं आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव और माणकचन्द सुराणा, श्रीमती उजला अरोड़ा व श्री कौशलकिशोर जैन ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं।

क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा ने एक आपत्ति उठायी थी इस बिल के क्लॉज के बारे में। उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देख लिया है कि लास्ट-ईयर यह समझौता हो गया था। इस बिल में जो लिखा है उसको सही मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जाकारी नहीं थी।

श्री किशनसिंह भाटी : इन्होंने हार मान ली है।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस बिल को मैं खण्डशः स्वीकार करने के लिए मूव करता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले जिन लोगों ने इस बिल को जनमत जानने हेतु और सलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव दिये थे उनको तो मूव करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए पहले सदन के सदस्यों की राय मान ली जाय क्योंकि इस बिल को सदन ने खण्डशः स्वीकार करना शुरू कर दिया।

इसके अलावा दूसरा संशोधन जो श्री कौशलकिशोर जैन ने दिया है वह यहां पर नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

वित्त मंत्रीजी अब विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव करें।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड रीडिंग पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता!

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : मैंने बोलने के लिए ही तो पार्टी छोड़ी है। मुझे वह ही अट्रेक्शन है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल जो पेश किया गया है और पास कराया जा रहा है इसके सम्बन्ध में सर्व प्रथम तो जो आपत्ति की बात है वह यह है कि फाइनेन्शियल मेटर्स में अधिकार डेलीगेट करने की बात कही गयी है, 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट टैक्स करने की बात कही गयी है, पांच पर्सेन्ट का ही तो फर्क कहा जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हू कि यह इल्लीगल है, इसकी लीगेलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह सदन अपने अधिकार दे सकता है, पोलिटिकल सत्ता को इस प्रकार से अधिकार डेलीगेट करना संवैधानिक है तब भी कितना व्यावाहरिक और जनतांत्रिक है यह देखना चाहिये। जनतंत्र की दुहाई देने वाली और जनता के वोटों से से चुनी हुई सरकार 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट करने की बात नहीं ला सकती।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि ऐसे आदेश और निर्देश जारी करूंगा कि किस ट्रॉली का उपयोग कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए हो रहा है। यह निर्देश कब जारी होंगे और कब नहीं होंगे? क्या एम्बीग्युइटी उनमें भी होगी? क्या यह माना जाय कि सरकार ने अभी अपना माइण्ड नहीं बनाया है कि किस तरीके से यह डिफरेन्शियेट किया जावेगा? सरकार का खुद का ही दिमाग अस्पष्ट है। इस प्रकार से एक ऐसा कानून पास कराया जा रहा है तो किस प्रकार से किस आधार पर डिफरेन्शियेशन किया जायगा? यह कहा जा सकता है। यह एक्ट पास होगा लेकिन यह शुरू से ही लूला-लंगड़ा होगा और अधिकारी वर्ग के हाथ में, जब कि पहले से ही नौकरशाही हावी है, यह बड़ा हथियार और आ जावेगा।

सेल्स टैक्स का सवाल है, सेल्स टैक्स सब देना चाहते हैं। मेरी ट्रेडर्स से बात होती है, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। बिना टैक्स दिये कैसे काम चल सकता है, राजस्थान में बिना टैक्स के कैसे खुशहाली आवेगी? लेकिन इन्सपेक्टरर्स की धांधली से हर दुकानदार पीड़ित है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं शुरू से लेकर एण्ड तक 99.99 भ्रष्टाचार में लिप्त है। 40 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का इस ढंग से मारा जाता है, यह एक हकीकत है। भारतवर्ष में 500 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का इवेजन होता है विथ दी कनाइवेन्स ऑफ ऑफिसर्स। राजस्थान में 40 करोड़ का इवेजन होता है जब कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। इसलिये इतने बड़े अधिकार देकर जो बूचर्स है उनके सामने जनता की गर्दन रख देना है, यह एक हकीकत है।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा हालांकि इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन एकदम टैक्सेशन पोलिसी के बारे में है। राजस्थान सरकार शराबबन्दी कर रही है माननीय वित्त मंत्री जी भी कह रहे हैं। मैं भी उसका पक्षधर हूं। काफी बड़ा हिस्सा राजस्थान का इस के तहत आ गया है लेकिन आम आदमी का जो मनोरंजन है वह सिनेमा है उस पर आपने कर हण्ड्रेड परसेंट बढ़ा दिया और डबल कर दिया। इस पर भी आप सोचें। शराब आपने छीन ली, जिसको पी कर पीने वाले सुबह से शाम तक अपने दुःख-दर्द को भूल जाया करते थे। फिर सस्ता और अच्छा जो एक मात्र मनोरंजन का साधन रह गया था सिनेमा, उस पर भी आपने मनोरंजन कर दुगुना कर दिया। उस टैक्स को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक जनता के साथ अन्याय होता रहेगा। सिनेमा आम आदमी देखता है इसलिये एन्टरटेनमेन्ट टैक्स, सिनेमा टैक्स नीचे की श्रेणी, क्लास पर तो कम से कम माफ ही कर दिया जाय तो भला होगा।

चौथी बात यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान पैसेन्जर टैक्स का इवेजन होता है। स्टेट रोडवेज में पैसेन्जर टैक्स का बड़ा भारी इवेजन होता है, प्राइवेट बसेज में भी होता है, इसलिये चाहे प्राइवेट बसेज हों या रोडवेज की बसेज हों जब तक वसूली के लिये कोई फुलप्रूफ सिस्टम ईजाद नहीं होगा तब तक आपको नये नये टैक्स के लिये इस हाउस में आना होगा और जो टैक्स आपने लगा रखे हैं उनको सही ढंग से वसूली नहीं होगी। आज हर भारतीय टैक्स देने के लिये तैयार है चाहे वह सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो और चाहे वह पैसेन्जर टैक्स हो लेकिन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा घूस लेकर टैक्स की वसूली नहीं की जाती है इससे यह उनको, जो टैक्स देते हैं दुखदायी महसूस होता है। यही कारण है कि इनका विरोध होता है। इसलिये मेरी मांग है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स माफ किया जाय। पैसेन्जर टैक्स की पूरी वसूली हो। जल्दी से जल्दी ऑर्डिनेन्स इश्यू करके हाउस के बाद भी दिमाग में नये तरीके आयें उनके अनुसार ऑर्डिनेन्स इश्यू करें। कॉमर्शियल यूज ट्रैक्टर ट्रोली का कैसे माना जावेगा, उसके लिये स्पष्ट निर्देश दें जिससे किसानों का हित हो और उसकी सरकार में आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, दो बातें कहना चाहता हूं। परिवहन मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, जो केबिनेट रेंक के मन्त्री हैं, इन्होंने आश्वासन दिया था, आप प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिये, ट्रेक्टर ट्रॉली पर टैक्स नहीं होगा। सब ही माननीय सदस्यों ने बड़े जोर से अपील की थी। परिवहन मन्त्रीजी खड़े हुए थे और आश्वासन दिया था। केबिनेट मन्त्री हैं मन्त्रियों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है, फिर भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी वित्त मन्त्रीजी ने वही का वही टैक्स रखा है और उसको एक्जेम्प्ट नहीं किया है।

दूसरा सवाल रखा कि टैक्स कम किया तो कितना टैक्स कम हो गया। आखिर आपने घोषणायें की हैं तो उससे कितना कर कम होगा? परिवहन मन्त्रीजी बोलें, यह जो हार्ड ड्यूटी अलाउन्स उनको मिलना था जो यहां पर खड़े रहते हैं, रात के बारह बारह बजे, एक एक बजे तक यहां पर खड़े रहते हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने

(श्री मूलचन्द डागा)

के लिये आश्वासन दिया था कि जितने सिपाही हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जावेगा। मैं कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटीज से आपने टैक्स छीन लिया इसलिये मेहरबानी करके गांवों और शहरों के विकास के लिये आप म्यूनिसिपैलिटीज को 5) प्रतिशत टैक्स वापस दे दीजिये। जिससे बच्चों के और लोगों के मनोरंजन आदि के लिये स्थान बना सकें। खेल के मैदान बना सकें। सारे टैक्स का कलेक्शन करके आपने अपने पास रख लिया है। मनोरंजन टैक्स भी आपने बढ़ा दिया।

टैक्स की चोरी के सम्बन्ध में भी आप स्पष्ट घोषणा कीजिये। किसानों ने आन्दोलन किया, यहां पर बलवा हुआ, यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किये यह मुख्य मन्त्रीजी को मालूम है। उधर के काश्तकारों का भी सवाल है उनकी भावना को भी तो समझिये। इसलिये टैक्स प्रपोजल को स्पष्ट कीजिये।

हमने एक बात कही ए. सी. टी. ओ. भ्रष्टाचारी हैं। मैंने एलीगेशन लिख कर दिये हैं आपने जवाब ही नहीं दिया। यदि मौन ही जवाब हो तो मान लेंगे लेकिन सन्तोष नहीं होगा।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स लगाने की बात कही गयी, शराब को लेकर बात कही गई, शराब पर अधिक टैक्स लगाने की बात कही गई और जो अन्य टैक्स की बात कही गई उससे पांच से दस पर्सेन्ट का असर पड़ेगा। शराब का पांच पर्सेन्ट का असर पड़ता है यह सब ही माननीय सदस्य जानते हैं। शराब कम पीने की बात होती तो कोई बात होती। 5 पर्सेन्ट शराब पीते हैं। इसका असर आम लोगों पर गरीबों पर भी पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि गरीबों पर शराब का बहाना लेकर अधिक कर भार बढ़ाया है। मैं इसका विरोध करता हूं। टैक्स लेने के बहुत रास्ते हैं। बड़े-बड़े राजा-महाराजा है, बड़े-बड़े व्यापारी हैं। केवल मात्र शराब में कमी की बात कह कर टैक्स बढ़ाया है, यह एक प्रकार से जनता के साथ धोखा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : राजा महाराजा कहां हैं ?

श्री नूरा : राजा महाराजा हैं। बहुत से राजा महाराजा पीते हैं और बहुत से नहीं पीते हैं। आप खुद जानते हैं महाराजा कहां है। आज तो जो पैसे वाले हैं वह और पैसे वाले हो रहे हैं। आपके शासन में इस तरह की ढिलाई रही तो आप महसूस करेंगे कि जो राजा महाराजा नहीं थे वह अब राजा महाराजा बन जायेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि मैं टैक्स की नीति का विरोध करता हूं। आप गरीब लोगों की तरफ ध्यान दें। इसका असर गरीब वर्ग पर पड़ेगा इसलिए मैं इस टैक्स नीति का विरोध करता हूं।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने भाषण में सुझाव दिये थे कि किन चीजों पर टैक्स लगना चाहिये और किन चीजों पर कम करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि राजस्थान से जो बाहर जाने वाली चीजें हैं जैसे दाल और तेल और दूसरी चीजें हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगे। मैंने दूसरा सुझाव दिया था कि आप प्रोफेशनल टैक्स लगायें।

(श्री शिवचरणसिंह)

राजस्थान में दस-बीस हजार पाने वाले वकील हैं वह टैक्स नहीं देते हैं। कोई प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाला डॉक्टर टैक्स नहीं देता है। महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर प्रोफेशनल टैक्स हैं। इसके अलावा हमारे यहां धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें फण्ड्स का बहुत मिसयूज होता है। मेरा सुझाव है कि सारी धार्मिक संस्थाओं का समाजीकरण करना चाहिए। इससे सरकार को 10 करोड़ की आमदनी मिल सकती है। दाल और तेल एक्सपोर्ट होता है उन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। आप शराब की बात कहते हैं तो केन्द्रीय स्तर के मंत्री हैं उनके लिए आप कहते हैं कि अधिकांश मंत्री पीते हैं...

एक माननीय सदस्य : किसने कहा ?

श्री मूलचन्द डागा : स्वामी सुब्रह्मण्यम ने कहा।

श्री शिवचरणसिंह : यहां भी बहुत से विधायक और मंत्री लोग नहीं बोलते हैं वैसे मेरे घर आकर पीते हैं...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या आपके यहां शराब का ठेका चलता है ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने तो तुक्का छोड़ दिया। आप जिस दिन आये उस दिन तो मैंने चाय पिलाई थी, शराब नहीं। लेकिन दूसरों से पूछो, आये कि नहीं आये। शराब पर टैक्स लगे मुझको कोई आपत्ति नहीं है।

कृषि के बारे में मैंने उस दिन भी यह बात कही...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है आपने मेनीफेस्टो और घोषणा पत्र में हर जगह यह बात कही है...

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको जोश आ जायेगा तो पीने वाले सब आपके यहां पहुंच जायेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : मेरी हिम्मत होगी तो दूंगा। आप भी शौक फर्मायें तो तशरीफ लायें।

तो मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन कर रहा था कि आप नये टैक्स लगायें लेकिन जो टैक्स पेइंग केपेसिटी का आदमी है उस पर टैक्स लगायें तो ठीक होगा। आपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर और दूसरी चीजों पर टैक्स लगाया उसका गरीब किसानों पर बहुत भार पड़ेगा। यह उचित नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करें। गरीब और किसानों पर टैक्स का बोझा कम डालें। डवलपिंग कन्ट्री में टैक्स लगाना जरूरी है मैं विरोध नहीं करता लेकिन जो टैक्स देने की स्थिति में हैं उनसे ही टैक्स लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल दो मिनट में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। ट्रेक्टर और ट्रॉली पर जो टैक्स लगा रहे हैं वह इसलिए लगा रहे हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

कि मोटर व्हीकल एक्ट में पहले प्राइवेट गुड्स केरियर पर टैक्स नहीं था। पहली दफा सितम्बर, 1976 में इसको शिड्यूल में इन्क्लूड कर दिया गया और क्योंकि यह बाडी प्राइवेट गुड्स केरियर है इस पर अपने आप ही टैक्स लग गया। यह टैक्स लग गया फरवरी में। जब स्टेट गवर्नमेंन्ट के सामने काफी रिप्रेजेन्टेशन्स आये तो जैसा कि अभी कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं लगायेंगे, तो एक नोटिफिकेशन निकला 8 फरवरी को कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं लगेगा, कामर्शियल पर्पज के लिए ट्रेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर टैक्स रहेगा और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए टैक्स नहीं रहेगा। वास्तव में इम्पलीमेन्टेशन स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा किसान का हरेसमेन्ट महसूस किया गया। इसमें डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल होगा और नीचे स्तर पर आपके जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी हैं, इन्सपेक्टर हैं उनकी मर्जी पर रहेगा कि जिन इन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए काम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। किसान खेती भी करता है, किसान अपना टांका भी बनवाता है, किसान कुए के लिए चूना भी लाता है, किसान उसमें पत्थर भी लाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत मुश्किल है। और आप जो कह रहे हैं यह व्यावहारिक नहीं होगा। किसान का बहुत बड़ा हरेसमेन्ट होगा, यह आम धारणा बनी हुई है। पैसे वाला काश्तकार ही ट्रेक्टर ट्रॉली रख सकता है, यह मैं नहीं कह सकता। दो चार पर्सेन्ट काश्तकारों के अलावा 95 पर्सेन्ट किसान, जिनके पास ट्रेक्टर हैं, के ऊपर कर्जा है बैंक का या दूसरे आदमी का इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर और विचार कीजिए।

आपने किया केवल यह है कि 8 नवम्बर को दोनों ही आदेश निकाले मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे और जो मोटर व्हीकल एक्ट सेन्टर का है उसके नीचे आपने 8 नवम्बर को विथड्रा किया और विथड्रा इस तरह से किया है कि दोनों ही अधिसूचनाओं को विथड्रा किया है। 8 फरवरी की अधिसूचना और 23 अप्रैल की अधिसूचना दोनों को विथड्रा किया है। इसका मतलब यह है कि वही सितम्बर, 1976 की पोजीशन आ गयी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार कीजिए। मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं मैं नहीं कहता कि आज घोषणा कर दें लेकिन बहुत बड़ा हरेसमेन्ट होगा काश्तकारों को अगर आपने टैक्स यों का यों रखा। आपकी इनकम कम होने वाली है। इस पर आपको सोचना चाहिए कि करें या नहीं करें। आप दुबारा सोच लीजिए। श्रम मंत्री जी यहां कई बार आश्वासन दे चुके हैं उस पर तो सरकार कायम नहीं रही और दूसरी लपेट के अन्दर आपने दोनों को विथड्रा कर लिया। इससे जो रियायत दी है वह वास्तव में नहीं मिलेगी और हरेसमेन्ट का पार्ट वही रहेगा। इसलिए आप इस पर पुनः विचार कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना। मैं ऐसा समझता हूं कि केवल एक ही बात सभी माननीय सदस्यों ने कही है कि यह कैसे निर्णय किया जा सकेगा कि यह कामर्शियल पर्पज के लिए प्रयोग

(श्री आदित्येन्द्र)
किया गया है या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया गया है । इस संबन्ध में मैंने यही निवेदन किया कि सरकारी अधिकारियों या इन्सपेक्टर के ऊपर यह काम नहीं छोड़ा जायगा। इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। यह तो आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग अपने लिए ही करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली का अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन व्यावसायिक काम के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने एक प्रकार का व्यवसाय ही बना लिया है। तो किसानों के ऊपर ही छोड़ा जायगा और वह अपने आप ही कहेंगे कि कौन से किसान ऐसे हैं जो कि अपने ट्रैक्टर को व्यवसाय के काम में लेते हैं। तो इस संबन्ध में कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह निर्णय हो जायेगा। जैसे विरोधी पक्ष के नेता ने बात कही है कि हर एक काम जांचा जाता है अनुभव से, जब अनुभव इस प्रकार का है, मान लिया, ठीक है, बहुत से लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे और जितने भी टैक्सेज हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, और चीजों पर भी सेल्स टैक्स हो, यहां भी कहा कि सभी जगह रिश्वत है, सभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। फिर क्या इस डर से टैक्स सभी प्रकार के बन्द कर दिये जायें, लगाये ही नहीं जायें? बगैर टैक्स के काम ही नहीं चलता। टैक्स लगाने के बाद ही हम विकास के कार्य कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में काफी विचार किया गया और आज जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनको भी सुना है, मैं समझता हूं, जो किसान है उनको किसी प्रकार से हानि नहीं रहेगी।

एक बात और कह देता हूं, माननीय सदस्यों को, यह जो मेरा अनुमान है, जो मैंने बताई शराब पीने वालों की संख्या वह इसलिए ठीक है कि यहां पर जब कभी भी मद्य निषेध के बारे में चर्चा हुई है, तो जितने हमारे माननीय सदस्य हैं उन सभी ने मद्य निषेध के विरोध में कोई बात नहीं कही। जितने भी सदस्य हैं उनमें से अधिकांश शराब का सेवन नहीं करते हैं। जो बात वे कहते हैं वह मैं उसी रूप में लेता हूं। अगर जनता को देखें, तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शराब के लिए खर्च नहीं कर सकते, उनके पास पैसा भी नहीं है। बहुत से ग्राम वालों को देखें, ग्राम वाले बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें मुश्किल से साल भर में भी शराब पीने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वे गरीब हैं।

ज्यादा बात न कह कर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जो संशोधन प्रस्ताव हैं, अब मैं समझता हूं संशोधन जो रखे गये थे वे भी वापस हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है...

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, मैं सोचता हूं कि जिन भावना से फर्मेन्ट अपील की थी उसका कोई असर नहीं हुआ। इनका उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, किसानों को निरुत्साहित करने वाला और उनके हरेसमेंट को बढ़ावा देने वाला है। इस

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रकार की हालत सहन नहीं हो सकती। इसलिये हम वॉक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री नूरा : मैं नकल नहीं कर रहा हूं। मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं भी जा रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया, उनकी नीति बिल्कुल अस्पष्ट है, किसानों के लिये नुकसानदायक है। इसलिये मैं भी वॉक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I am the only man sitting on this side.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक सर्व सम्मति के स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.35 बजे बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची)

आपातकाल के दौरान जिला सवाई माधोपुर में दर्ज विभिन्न मुकदमात की सूची

दिनांक 1-7-75 से दिनांक 30-6-77 तक

क्रमांक	नाम मुकदमात	रिपोर्ट हुए	झूठे	157-बी	अदम पता	अदम सबूत	गैर तफ-तीश	चालान	रिहा-बरी किए	राजीनामा	सजा हुई	जेर तजवीज	माल चोरी गया	माल बरामद हुआ
1.	चोरी	996	170	7	241	33	4	541	20	122	60	359	5,86,779-40	317168-18
2.	कत्ल	56	4	—	11	—	—	41	7	—	23	11	—	—
3.	डकैती	20	—	—	12	—	2	6	—	—	—	6	1,77,500-00	1,52,800-00
4.	अन्य दीगर मुकदमात	5311	1081	11	684	149	—	3386	227	275	220	2664	32,92,221-57	19,41,172-00

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 525 की सूची)

लखुवाली—पीलीबंगा सड़क के नीचे जिन भूतपूर्व जागीरदारान की भूमि आई तथा उसके बदले में जो भूमि दी गई की सूची ।

क्र. सं.	नाम आसामी	भूमि जो अवाप्त हुई: चक नम्बर	भूमि जो अवाप्त हुई: मु. नम्बर	रकबा (बीघो में)	जो तबादलों में दी जानी है: चक नं. मु. नं.	जो तबादलों में दी जानी है: रकबा (बीघों में)
1	2	3	4		6	7
1.	श्री उगमसिंह वल्द मोहनसिंह राजपूत	23 एस.टी.जी.	53/320	10/0-10, 11/0-10, 12/-0-05, 18/0-5, 19/0-10, 23/0-10, 24/0-05=2-15,	4 आर. पी. एम. 27/377 27/378	23/0-04, 25/0-08 1/1-00, 2/0-13=2-10
2.	श्री रणजीतसिंह वल्द बाघसिंह राजपूत टीबी	24 एस.टी.जी.	51/319	4/0-08, 5/1-00=1-08	4 आर. पी. एम. 27/378	11/0-17 12/0-11 कुल 1-08 बीघा
3.	श्री उम्मेदसिंह वल्द बेरीसाल सिंह राजपूत	28 एस टी.जी.	50/318	1/0-08, 2/0-08 7/0-08, 8/0-08, 9/0-05 14/0-05, 18/0-05=2-10	4 आर. पी. एम. 27/377	13/0-07, 14/1-00 15/1-00, 16/0-03 =2-10
4.	श्री सवाईसिंह वल्द नानूसिंह राजपूत	,,	49/317	11/0-17 12/0-08, 18/0-17, 19/0-17, 23/0-07, 24/0-17 25/0-17=5-00	,,	16/0-17, 17 तां 20-/4-00 21/0-03 = 5) बीघा

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री भागसिंह वल्द मगेजसिंह राजपूत	25 एस.टी.जा.	1/0-0	2/0-0', 9/0-03, 8/0-10, 7/0-07, 6/0-3, 14/0-03, 15/0-10=2-13 बीघा	4 आर. पी. एम. 27/377	11/1-00, 12/1-00, 13/0-13, 21/0-17, 22/1-00, 23/0-11, =2-08
6.	श्री विक्रमसिंह वल्द प्रहलादसिंह राजपूत	25 एस.टी.जा.	45/315	10/0-08,18/0-05,19/0-10 20/0-05,23,0-05,24/0-10 25/0-05=2-08 बीघा		
7.	श्री मलसिंह वल्द जारावतसिंह राजपूत	,,	,,	10/0-08,18/0-05,19/0-10 2/0-05,23/0-05, 24/0-10 25/0-05=2-08	,,	2/0-08, 3/-003=0-10
8.	श्री भागसिंह वल्द डालसिंह राजपूत	25 एस.टी.जा.	45/315	10/0-08,18/0-05,19/0-10 20/0-05.23/0-05,24/0-10, 25/0-05=2-08	4 आर.पी. एम. 27/378	3/0-17; 4/0-108ता. 10/3-00, 11/0-0
9.	श्री कानसिंह वल्द डालसिंह राजपूत	,,	47/317	11/09, 18/0-14, 19/0-14, 20/0-04,23/0-04,24/0-14 25/0-04=3-13	27/377	12/0-06, 13/0-03, 19/0-07, 20/1-00, 21/0-10, 24/1-00, 26/177, का 11/0-07=3-13

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सैन्ट्रल जेल, जयपुर का मामला

710. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या कारागृह मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल जेल, जयपुर में बन्दियों के मिलने पर सीमा पाबन्दी लगाई गई है ? यदि हां, तो ऐसा कब से किया गया है तथा क्यों किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल जेल, जयपुर के बन्दियों ने हाल ही में लम्बे समय तक हड़ताल की है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) जयपुर सैन्ट्रल जेल में कितने डॉक्टर बन्दी हैं तथा कब से हैं ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त डॉक्टरों को प्रावधानों के बावजूद भी अध्ययन का मौका नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) सैन्ट्रल जेल जयपुर में पिछले तीन सालों में कितने बन्दियों को पैरोल पर छोड़ा गया ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पहिले के नियमों में दण्डित बन्दियों के लिए 2 माह में एक बार मुलाकात कराने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके 15 दिन में एक बार मुलाकात कराने की व्यवस्था की है।

(2) जी हां। केन्द्रीय कारागार जयपुर में 23-1-78 से बन्दी कुछ मांगों को लेकर जेल उद्योगों में काम पर नहीं जा रहे हैं। उनकी मांगें जेल नियमों में परिवर्तन करने से सम्बन्धित हैं।

(3) केन्द्रीय कारागार, जयपुर में कोई डॉक्टर बन्दी नहीं है। मेडीकल कॉलिज का एक विद्यार्थी (एम. बी. बी. एस. IX सेमेस्टर) है। वह विद्यार्थी दिनांक 23-12-75 से आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। इस बन्दी की आयु 26 वर्ष है।

(4) 21 वर्ष की आयु से अधिक के बन्दी को कॉलेज जाने की अनुमति देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(5) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय कारागार, जयपुर में 112 बन्दियों को पैरोल पर छोड़ा गया जिनमें 1975 में 10; 1976 में 41 तथा 1977 में 61 बन्दी थे।

बावरी जाति को एक्स-क्रिमिनल ट्राइब में शरीक करने सम्बन्धी

711. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बावरी जाति को अजमेर जिले में एक्सक्रिमिनल ट्राइब में

(श्री बालकृष्ण थानवी)
शरीक किया हुआ है? अगर हां, तो समूचे राजस्थान प्रदेश में बावरी जाति को एक्सक्रमिनल ट्राइब में कब शरीक किया जा रहा है ?

उत्तर

बावरी जाति को समूचे राजस्थान प्रदेश में डीनोटीफाइड ट्राइब (विमुक्त जाति) की सूची में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24-2-64 द्वारा सम्मिलित किया हुआ है।

झालावाड़ जिले के गांवों की विद्युतीकरण योजना

712. श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में कुल कितने ग्राम हैं एवं उन ग्रामों में से कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? यह जिले का क्या औसत प्रदर्शित करता है ?

(2) बाकी ग्रामों को बिजली देने की राज्य सरकार की क्या योजना है ? भावी रूपरेखा क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जिले के अधिकांश ट्रान्सफार्मर ओवर लोड हैं जिससे सप्लाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही है ? एवं नये कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका, 1971 के अनुसार झालावाड़ जिले में 1586 गांव हैं जिनमें से 145 गैर आबाद हैं। शेष 1441 ग्रामों में से फरवरी, 78 के अन्त तक 356 गांव विद्युतीकृत हैं। इस प्रकार जिले के 24.7% ग्राम विद्युतीकृत हैं।

(2) जिले की खानपुर पंचायत समिति के 99 ग्रामों के विद्युतीकरण की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के पास स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। अन्य पंचायत समितियों के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं। केवल 65 ग्रामों के ट्रान्सफार्मर जनवरी, 78 में ओवर लोड की स्थिति में थे जिन्हें बदलने की कार्यवाही चालू है। कृषि कार्य हेतु कनेक्शन देने का कार्य जारी है।

निदेशक (महिला) शिक्षा, अजमेर वृत्त का शिक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश

713. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक (महिला) शिक्षा, अजमेर वृत्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 423/ 12/ 77-78, दिनांक 14-6-77 के अनुसार 6 शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण इस आदेश के साथ किया गया था कि वे अपनी प्रथम सहायक को चार्ज देकर कार्य मुक्त हो जायं और इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 25 जून, 1977 तक उनके कार्यालय एवं निदेशालय, बीकानेर को भिजवा दें ? यदि

(श्री सुरेशकुमार)
हां, तो क्या कारण था कि इस आदेश की उक्त अधिकारियों द्वारा अनुपालना नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

श्रीमती सरोज चतुर्वेदी, उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जयपुर दिनांक 15-6-77 से अवकाश पर चल रही हैं। अतः यह अपने नये पद का कार्य-भार दिनांक 25-6-77 तक नहीं संभाल सकीं। अभी तक भी अवकाश पर चल रही हैं।

(2) सुश्री पुष्पा रामचन्दानी, प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, अलवर ने अपने पद का कार्य-भार दिनांक 17-6-77 को संभलवा कर नये पद उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जयपुर में दिनांक 18-6-77 को संभाल लिया।

(3) श्रीमती लज्जा अग्रवाल, उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा सस्थाएं), भरतपुर का स्थानान्तरण प्रधानाध्यापिका, राजकीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर किया गया था। इन्होंने दिनांक 17-6-77 को अपने भाई के लकवा हो जाने के कारण दिनांक 17-6-77 से 25-6-77 तक का अवकाश प्रार्थना-पत्र एवं आगरा जाने हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी लेकिन उसी दिन 14-6-77 को संशोधित आदेश से उनका स्थानान्तरण प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर के बजाय सहायक प्रधानाध्यापिका, एस. बी. के. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर किया गया।

(4) श्रीमती पुष्पा धनकर, प्रधानाध्यापिका, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर ने दिनांक 27-6-77 को अपने पद का कार्य-भार संभलवाकर उसी तिथि को मध्याह्न में अपने नये पद उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), भरतपुर का कार्य-भार संभाल लिया।

(5) श्रीमती शान्ती भारद्वाज के सेवा निवृत्त होने में केवल डेढ़ साल रह गये थे और वह जयपुर में ही रहना चाहती थी, अतः इनके सहायक प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कमला नेहरू, जयपुर के आदेश निरस्त किये गये।

(6) श्रीमती आशारानी दायमा, जिनको श्रीमती शान्ता भारद्वाज के स्थान पर लगाया गया था, को कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में उसी स्थान पर रहने दिया गया।

नगर नियोजन विभाग का विभागीय छपाई के कार्य का मामला

714. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य का नगर नियोजन विभाग अपने विभागीय छपाई का कार्य कहां से करवाते रहे हैं तथा राज्य के बड़े नगरों के मास्टर प्लान कहां से छपवाये गये हैं ?

(2) पिछले तीन वर्षों में कागज की खरीद एवं उपरोक्त छपाई का कार्य

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
कहां-कहां से कराया गया तथा उसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या राज्य सरकार के विभागों के लिए एवं सम्बन्धित विभागों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कागज की खरीद एवं छपाई राजकीय मुद्रणालय द्वारा ही कराई जावे ? अगर हां, तो मुख्य नगर नियोजक ने कब तक इस आदेश को नहीं माना एवं किन-किन कारणों से ? क्या केन्द्रीय मुद्रणालय से एन. ओ. सी. प्राप्त किया ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) विभाग द्वारा लाइब्रेरी की पुस्तकों की जिल्द बन्धवाने का कार्य किस फर्म से करवाया गया तथा सन् 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में इस कार्य हेतु किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया ?

(5) क्या इस कार्य के लिए उक्त फर्म को आदेश देने से पूर्व निविदा आमंत्रित किए गए थे ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर नियोजन विभाग में छपाई का कार्य मैसर्स अजन्ता प्रेस, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर के यहां से करवाया गया तथा मास्टर प्लान के नक्शे मैसर्स श्याम लिथो आफसेट प्रिन्टिंग प्रेस, दरीबा पान, जयपुर के यहां से छपे हैं ।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविदिक सलाहकार, राजस्थान, जयपुर ने सरकार के आदेश की कभी भी अवहेलना नहीं की है। विभाग को राज्य सरकार से नगरों के मास्टर प्लान छपाने हेतु आदेश प्राप्त हुये जिसके अनुसार केन्द्रीय मुद्रणालय को कार्य करने का निवेदन किया गया पर वहां से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ । उसके पश्चात् लेखा नियमों को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही की गई । एन. ओ. सी. की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) विभाग की लाइब्रेरी की किताबों की जिल्दसाजी मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स, हनुमान जी का रास्ता, जयपुर 2 के यहां से वर्ष 1977-78 माह अप्रेल, 77 में नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित करने के पश्चात करवाई गई थी जिसका भुगतान जून, 77 एवं अगस्त, 77 में रुपये 3681-00 किया गया था। इसके अलावा किसी वर्ष में लाइब्रेरी की किताबों पर जिल्दसाजी का कार्य नहीं कराया गया ।

(5) जी हां । इस कार्य के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई थीं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

गत तीन वर्षों में कागज की खरीद मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर एवं मैसर्स कृष्णा बुक एण्ड स्टेशनरी मार्ट जयपुर के यहां से की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	फर्म का नाम	रकम
1974-75	मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स	2870-00
	मैसर्स कृष्णा बुक एण्ड स्टेशनरी मार्ट	3048-15
	मैसर्स कृष्णा बुक एण्ड स्टेशनरी मार्ट	5020-51
	कुल रु.	10938-66
1975-76	मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स	2511-00
	मैसर्स कृष्णा बुक एण्ड स्टेशनरी मार्ट	1225-00
	मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स	4185-00
	कुल रु.	7921-00
1976-77	मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स	4743-00
	मैसर्स कृष्णा बुक एण्ड स्टेशनरी मार्ट	2357-50
	मैसर्स अग्रवाल कलेण्डर एण्ड स्टेशनर्स	4045-50
	कुल रु.	11146-00

छपाई का कार्य मैसर्स अजन्ता प्रिंटिंग प्रेस-घी-वालों-का-रास्ता, जयपुर के यहां से कराया गया जिस पर गत तीन वर्षों में निम्न व्यय हुआ:—

1974-75	रुपये	710-00
1975-76	रुपये	7622-50
1976-77	रुपये	6457-00

162

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

From

The Director,
Printing & Stationery Department,
Rajasthan, Jaipur,

To,

The Dy. Town Planner (HQ)
Office of the Chief Town Planner &
Arch. Adviser, Rajasthan,
Jaipur.

No. 17693 Ptg./10/75 Dated 16-12-75

Sub. :- Printing of Draft Master Plan.

Ref. :- Your D. O. letter No. 9185, dated 10-12-75.

Dear Sir,

Since the Government Central Press, Jaipur is already booked with other important jobs, it will not be possible to undertake printing of Draft Master Plans mentioned in your letter under reference which is also time bound. You may therefore arrange printing of the same at your end after observing all formalities required under rules.

Yours faithfully,
Sd/-
Director

163

परिशिष्ट - 4 अप्रेल, 1978 – परिशिष्ट [316

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE CHIEF TOWN PLANNER & ARCHITECTURAL ADVISER, RAJASTHAN, JAIPUR

No. TPR 9214:15:75/2365 Dated 26 Apr., 1977

M/s.....................................

....

....

Dear Sir,

Sealed tenders are invited for the binding of library books of this office. The details of the binding works are given below : –

1. 14"×9"	4. 7½"×10"	7. 15"×11" Paid voucher.
2. 8½"×10½"	5. 6½"×3"	8. 12"×9" (Service Books)
3. 9½"×12½"	6. 15"×9"	Paid voucher.

Tenders must be submitted in properly sealed double envelops duly marked "Tenders for Binding works" addressed to the Chief Town Planner and Architectural Adviser, Rajasthan, Jaipur and should reach on and before the 4-5-77 by 3. P. M. Tender should be handed-over personally at the above office and receipt obtained or send by Registered posts. The Tender will be opened by the undersigned or an officer duly authorised by him in the presence of any intending contractors, dealers or their representative who may be present. The tender shall be opened on the same day.

Government are not bound to accept the lowest tender and reject any tender or any part of the tender without assigning any reason therefor.

Tender received after the prescribed time and date will be rejected, However, tenders received after prescribed time on the closing

day, but before opening the tenders can be accepted, provided adequate reasons for late delivery are furnished. The binding work will have to be started immediately in the office on receipt of the order.

Sd/T. C. Jain,
Adm. Asstt.
Office of the Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

SPS/1. M/s Chaudhary Traders, Hanuman-Ka-Rasta,
2. ,, Good Luck Binding Works, Kishan Pole Bazar,
3. ,, Jai Hind Binding Works, Hanuman-Ka-Rasta,
4. ,, Ajanta Binding Works, Gopal-Ji-Ka-Rasta.
5 ,, Man Binding Works, Hanuman-Ka-Rasta,
6. ,, Sunder Binding Works, Gopalji-Ka-Rasta
7. ,, Roop Narain Binder, Hanuman-Ka-Rasta,
8. ,, Printers Binding.

जयपुर नगर की परिवहन व्यवस्था में सुधार का मामला

715. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में परिवहन व्यवस्था की क्या स्थिति है? बस मार्गों और उन पर चलने वाली बसों तथा उनकी रोटेशन संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जयपुर की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुये परिवहन व्यवस्था उपयुक्त है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में परिवहन व्यवस्था के लिये 63 परमिट परिवहन निगम को तथा 8 परमिट निजी वाहन मालिकों को दिये हुये हैं। निगम प्रतिदिन 1622 परिचक्र संचालित करता है। इसके अतिरिक्त नगर में चलने के लिए 785 आटो-रिक्शा व 229 टेम्पोज को भी परमिट दिये हुये हैं। निगम वाहनों की रोटेशन की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जयपुर नगर की परिवहन व्यवस्था का निगम द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का निगम द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। तदुपरान्त प्रस्ताव तैयार कर निगम की परिवहन सेवाओं में सुधार के लिये कदम उठाये जायेंगे।

नगर वाहन सेवा आगार में संचालित वाहनें

क्र. सं.	मार्ग संख्या	मार्ग	वाहन दैनिक	अप व डाउन परिचक्र	कि. मीटर	अन्तराल (Frequency)
1.	1	रेल्वे स्टेशन से सूरजपोल	4	80	658	20–30
2.	1 ए	रेल्वे स्टेशन से सांगानेरी गेट	10	212	1304	7-30
3.	2	रेल्वे स्टेशन से सुभाष चौक (वाया पानी पेच)	2	36	360	30–1–00
4.	2 ए	रेल्वे स्टेशन से सुभाष चौक वाया पोलोविक्ट्री, चांदपाल	1	18	144	120–2–00
5.	3	रेल्वे स्टेशन से रेल्वे स्टेशन वाया पोलोविक्ट्री, चांदपोल, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट एम. आई. रोड	1	8	104	1–25–1–50
6.	4	अजमेरी गेट से मालवीय इंजीनियरिंग कालेज	8	170	1241	10–30
7.	5	बड़ी चौपड़ से आमेर	5	114	1105	15–25
8.	6	अजमेरी गेट से दुर्गापुरा	4	84	751	20–25
9.	7	ब्रह्मपुरी से अजमेरी गेट	2	68	190	25–45
10.	8	चांदपोल से हरमाड़ा	4	72	984	25–50
11.	9	हाउसिंग बोर्ड (शास्त्री नगर) से अजमेरी गेट	5	120	991	14–35
12.	10	हाउसिंग बोर्ड (शास्त्री नगर) से बड़ी चौपड़	5	120	991	14–50
13.	11	अजमेरी गेट से बजाजनगर	4	90	583	20–35
14.	12	अजमेरी गेट से जवाहर नगर से. 7 वाया 20 दुकान	3	84	420	20–30
15.	12 ए	अजमेरी गेट से. जवाहरनगर से. 7 वाया घाटगेट	3	84	484	20–30
16.	12 बी	अजमेरी गेट से जवाहरनगर से. 7 वाया विश्वविद्यालय	3	60	581	30–40
17.	13	अजमेरीगेट से सांगानेर	6	94	1412	20–40
18.	14	चांदपोल से झोटवाड़ा	4	88	704	20–1-15
19.	16	घाटगेट से कानोता	1	20	260	1–30
			75	1622	13434	

165

कानसिंह आयोग की रिपोर्ट

716. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कानसिंह आयोग द्वारा दी गई अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को आयोग ने दोषी पाया है उनके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बूचारा बांध की नहरों पर पहाड़ों के पानी का प्रभाव

717. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूचारा बांध की नहरों को तोड़कर उसके ऊपर के पहाड़ों का पानी वर्षा में पण्डितपुरा, मजू कोट, ललाना, प्रागपुरा आदि ग्रामों की खेती व घरों को नष्ट कर देता है जिस से हर वर्ष कई लाख रु. का नुकसान होता है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या राज्य सरकार ने कोई स्थाई उपाय सोचा है? यदि हां, तो क्या? और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) नहरों की हर वर्ष मरम्मत के लिये राज्य सरकार कितना खर्च करती है ? क्या इनको इस तरह तैयार नहीं कर सकते जिससे नहर के द्वारा नदी में बाढ़ का पानी चला जाये जो नहर से सटी हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्षा के पानी द्वारा नहर क्षतिग्रस्त होती है परन्तु खेती व घरों को नष्ट करने की जानकारी सिंचाई विभाग के पास नहीं है।

नहर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु नहर पर क्रास ड्रेनेज कार्य आवश्यक है। छः साईफन सन्, 1975 में बना दिए गये हैं व दो और बनाये जाने हैं। यह कार्य हो जाने के बाद वर्षा का पानी सुरक्षापूर्वक नालों द्वारा निकल जाया करेगा। वर्णित ग्रामों की सुरक्षा हेतु एक ड्रेन बनाने की योजना है जो विचाराधीन है।

(2) नहरों की मरम्मत पर औसतन प्रति वर्ष रु. 15,000/- संधारण मद में उपलब्ध राशि के अनुसार व्यय की जाती है। संधारण मद में उपलब्ध राशि सामान्यतः बहुत कम होती है व सिंचाई के समय नहर की सफाई व आवश्यक मरम्मत में ही व्यय हो जाती है। नहर को वर्षा के पानी से क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु उपरोक्त खण्ड एक के उत्तर में वर्णित कार्य कराये जा रहे हैं।

पाली जिले के बिरामी गांव के पास छुआछूत का मामला

718. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की बिरामी गांव की प्याऊ के समीप के रॉकावत वैष्णव समाज के कुछ लोगों ने दिनांक 12-12-77 को जाति के नाम पर एक मीटिंग की थी जिसमें निम्नलिखित सज्जन अगुआ थे। 1. श्री शंकरदास पुत्र श्री माधोदास निवासी गांव माण्डल अध्यापक पंचायत समिति सुमेरपुर, 2. श्री मस्तीराम पुत्र श्री सीताराम निवासी गांव मान्डल, 3. श्री

(श्री ओंकारलाल चौहान)
रूपदास पुत्र श्री कानदास निवासी गांव कोसेलाव, 4. श्रीगुलाबचन्द पुत्र श्रीकानदास निवासी कोसेलाव।

(2) क्या यह सही है कि इन लोगों के निम्नलिखित व्यक्तियों को इसलिए दण्डित कर उनके नाम के आगे लिखी धन राशि जुर्माना के रूप में इसलिए वसूल की थी कि क्योंकि इन लोगों ने भील जाति के सात निवासी चानोद को अपनी भजन मण्डली में शामिल कर लिया था और उससे छुआछूत नहीं रखा (1) श्री बालूदास पुत्र श्री अचलदास निवासी कोसेलाव से 200) रु. (2) श्री किसनदास कोसेलाव से 50) रु. (3) श्री चम्पालाल पुत्र श्री भूरामल निवासी कोसेलाव से 50) रु. (4) श्री हनुमानदास पुत्र श्री पूनाराम निवासी कोसेलाव से 50) रु. (5) तोला राम पुत्र श्री सेवा राम निवासी कोसेलाव से 50)रु. (6) श्री टीकमदास पुत्र श्री तागाराम निवासी कोसेलाव से 50) रु. (7) श्री पोकरदास पुत्र श्री लादूराम निवासी कोसेलाव से 50/- रु.

(3) क्या इस प्रकार का जुर्माना छुआछूत कानून के अन्तर्गत व जिन लोगों के जुर्माना जाति बहिष्कार का भय दिखला कर वसूल किया यह अपराध नहीं है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या अब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही कर दोषी व्यक्तियों का चालान किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम बिरामी तहसील पाली, जिला पाली में बिरामी प्याऊ के समीप वैष्णव (साधु) समाज के स्थित मकान में रांकावत वैष्णव समाज के कुछ लोगों ने मिल कर सुद 2 सम्वत् 2034 को अर्थात् दिनांक 12-12-77 को रंकणे मुनी के जन्म दिवस के उपलक्ष में एक जयंती समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति भी उपस्थित बताये जाते हैं। श्री शंकरदास पुत्र माधोलाल अध्यापक पंचायत समिति सुमेरपुर, श्री बस्तीराम पुत्र सीताराम निवासी माण्डल, श्री रूपदास पुत्र कानदास निवासी कोसेलाव हाल तख्तगढ़ श्री गुलाबचन्द पुत्र कानदास।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं अनियमित कार्यों की जांच

719. श्री गोविन्द सहाय (कठूमर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने तथा पिछली सरकार द्वारा किए गये अनियमित कार्यों की जांच का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कब तक प्रारम्भ करवा रही है?

(2) क्या यह सही है, उदयपुर के पानखा जंगल के बारे में गलत तरीके से

168

(श्री गोविन्द सहाय)
गुलाम अब्बास को जंगल ठेके पर दिये हैं उनके बारे में राज्य सरकार जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसे-जैसे मामले सरकार के ज्ञान में आते है जांच की जाती है।

(2) स्पष्ट एवं तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जावेगी।

बीकानेर की सूरसागर स्कीम

720. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि बीकानेर में सूरसागर गन्दे पानी निकासी स्कीम पर राज्य सरकार लगभग 40 लाख रुपये खर्च चुकी है परन्तु यह स्कीम अपने प्रयोजन में सफल नहीं हुई है ?

(2) क्या इस योजना में टेक्निकल त्रुटि थी ? यदि थी तो इसमें क्या दोष है?

(3) क्या यह सही है कि इस स्कीम के कारण 1977 में व इसके पहले वर्ष में भी वर्षा का पानी उलटा बहकर रिहायशी बस्ती गिनानी मोहल्ला में चार-पांच फिट पानी भर गया और राज्य मन्त्री महबूब अली में स्वयं पिछली वर्षा में इस मोहल्ले में इस कारण आई बाढ़ का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस समस्या के निदान के लिए क्या कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इस स्कीम पर कार्य के दौरान इसके मैसेनरी वर्क्स में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार से की हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस योजना पर टेक्नीकली दुबारा विचार कर विशेषज्ञों से नई योजना बनाकर इस समस्या के निदान के लिए कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 26.50 लाख रुपया खर्च हुआ है। तकनीकी दृष्टि से यह योजना अपने प्रयोजन में सफल हुई है।

(2) इस योजना में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी।

(3) यह सत्य नहीं है कि इस योजना के कारण वर्षा का पानी उलटा बह कर गिनानी मोहल्ले में भर गया था। वर्षा तेज होने के कारण पानी का बहाव बड़े वेग से आया तथा नाली, जिसका तल पक्का बना हुआ है, इस पूरे पानी को नहीं निकाल सकने के कारण गिनानी मोहल्ले में पानी भर गया था।

(4) यह सही है कि मैसेनरी वर्क्स के सम्बन्ध में दिनांक 11-12-68 को मोहल्ले वालों की एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित रेट से कम रेट पर भुगतान किया गया था।

(5) राज्य सरकार ने अब एक दूसरी योजना बनाई है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना में घरों से आने

(जनस्वास्थ मंत्री)

वाले गन्दे पानी के निकास की अलग व्यवस्था की गई है। इस प्रकार नाले में गन्दा पानी बहने से उत्पन्न समस्या का समाधान तो होगा ही, वर्षा में जब वर्षा का पानी आयेगा तो यह नाला भी अपनी पूर्ण क्षमता से उसको निकाल सकने में समर्थ होगा।

तहसील मावली के ग्रामों में आयुर्वेद अस्पताल

721. श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मावली के ग्रामों में नये आयुर्वेद अस्पताल खोले जाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने पिछले वर्ष दी थी ? यदि हां, तो कहां कहां तथा अब तक इन औषधालयों में कार्य प्रारम्भ न होने के क्या करण हैं? अब कब तक यह कार्य आरम्भ कर देंगे ?

(2) क्या तहसील मालवी में इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(3) क्या राज्य सरकार इस तहसील के कुछ औषधालयों को क्रमोन्नत करने का विचार भी रखती है ? यदि हां तो कौन से औषधालय को ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21-4-77 को ग्राम जैवाना, तहसील मावली में आयुर्वेद औषधालय खोलने की स्वीकृति हुई थी। निःशुल्क भवन व्यवस्था न होने के कारण दिनांक 27-9-77 की स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

(2) वर्ष 1978-79 में नए औषधालय खोलने के लिए बजट प्रावधान नहीं है।

(3) इस वर्ष औषधालयों का क्रमोन्नत करने के लिए प्रावधान नहीं है।

पुलिस स्टेशनों पर जीप उपलब्ध कराना

722. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कई गांव होते हैं तथा सिपाहियों की भी संख्या आवश्यकतानुसार कम होती है जिससे घटनास्थल पर पहुंचना असंभव होता है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस कमी को दूर करने के लिये प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर जीप या अन्य साधन की व्यवस्था करेगी तथा सिपाहियों की संख्या में भी वृद्धि करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कई गांव होते हैं। पुलिस स्टेशनों पर सिपाहियों की संख्या निश्चित नार्म्स तय करके की गई है जो मुख्यतः अपराधों की संख्या के आधार पर हैं। घटना स्थल पर पहुंचने में सिपाहियों की संख्या बाधक नहीं होती।

(गृह मंत्री)

(2) सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक वाहन सुविधा का प्रश्न है थानों में तैनात सिपाहियों को स्वयं का ऊंट या साईकिल रखने पर उसका भत्ता दिया जाता है। 1338 सिपाहियों को ऊंट सवारी भत्ता व 2546 सिपाहियों को साईकिल भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि गंभीर अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर वाहन किराये पर लेकर पुलिस कर्मचारी मौके पर जा सकते हैं। यह व्यवस्था इस वर्ष 30 थानों के लिये की गई है व अगले वर्ष के अन्त तक सभी थानों में हो जायेगी।

तिलोनिया ग्राम का राजकीय आवास

723. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के तिलोनिया ग्राम में एक बहुत बड़ा राजकीय आवास है जिसमें अनेकों मकानात एवं लगभग 25 एकड़ कृषि भूमि मय तीन कुओं के है ?

(2) क्या यह सही है कि करीबन सन् 1966 तक राज्य सरकार के विकास विभाग द्वारा इसी आवास में ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया गया था जिसमें लगभग 300 प्रशिक्षणार्थी निवास करते थे ?

(3) क्या यह सही है कि इसके तत्काल बाद इस राजकीय आवास का राजस्थान राज्य भण्डार निगम को राज्य सरकार ने लगभग 5 वर्ष तक किराये पर दिया ? यदि हां, तो यह आवास कितने रुपये प्रति माह किराये पर दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1973 से यह राजकीय आवास एक रुपये प्रति माह के नॉमिनल किराये से समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया नामक संस्था को दे दिया गया तथा आज तक यह आवास इसी संस्था के पास है ? यदि हां, तो इतनी सस्ती दर पर यह आवास इस संस्था को क्यों दिया गया ? उस एग्रीमेन्ट की प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसके द्वारा यह आवास इस संस्था को दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस संस्था को यह आवास देने से राज्य सरकार को भयंकर आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इस आर्थिक हानि के लिए जिम्मेदार कौन है ?

(6) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त संस्था के कार्य कलापों का कभी मूल्यांकन एवं जांच करने का प्रयत्न किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या राज्य सरकार उन सम्बन्धित राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने कि अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था को लाभ पहुंचाया तथा राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री करतारसिंह)

(8) क्या राज्य सरकार वर्तमान में भी इस आवास को उपरोक्त संस्था के पास बने रहने का औचित्य मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या राज्य सरकार शीघ्र इस राजकीय आवास को पुनः अपने आधिपत्य में लेकर इस आवास में ऐसा कोई राजकीय प्रशिक्षण (कृषि सम्बन्धी या अन्य) प्रारंभ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौनसा प्रशिक्षण प्रारम्भ करेगी तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विकास विभाग द्वारा दिनांक 20-10-1971 तक इस राजकीय आवास भवन में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया गया था जिसमें 600 प्रशिक्षणार्थी निवास करते थे।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा देय योग्य किराये का निर्धारण अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

(4) जी हां। समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था को किशनगढ़ तहसील के भूमिगत जल के स्रोतों के सर्वेक्षण करके भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि करने के उपाय सुझाने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य करने के लिए यह भवन नामिनल किराये पर दिया गया था। एग्रीमेन्ट की प्रति सम्बन्धी पत्रावली अभी तक तलाश करने पर भी नहीं मिली है अतः एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखा जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(5) समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों एवं किशनगढ़ तहसील क्षेत्र के लिए उनकी उपयोगिताओं के बारे में जांच कराई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही वस्तुस्थिति सामने आ सकती है।

(6) समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र के कार्य कलापों के बाबत एक सरसरी जांच उप-जिलाधीश किशनगढ़ द्वारा की गई थी। अब विस्तृत जांच करके शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उप विकास आयुक्त, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग को आदेश दे दिये गये हैं।

(7) विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच परिणाम के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(8) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही उपरोक्त संस्था के पास इन आवास भवनों के बने रहने सम्बन्धी औचित्य के बारे में कोई निर्णय लिया जाना सम्भव है।

(9) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन राजकीय आवास भवनों को पुनः राज्य सरकार के अधीन लेकर इनमें किसी प्रशिक्षण केन्द्र को चलाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना सम्भव है।

राजस्थान बालक कानून

724 श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में राजस्थान बालक कानून लागू करने में क्या बाधाएं हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उक्त कानून पूरे राज्य पर लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सीमित वित्तीय प्रावधान के कारण झालावाड़ जिले में राजस्थान बालक अधिनियम 1970 लागू नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। परन्तु सम्पूर्ण राज्य अधिनियम को लागू करने में वित्तीय साधनों तथा उपेक्षित एवं अपचारी बालकों की संख्या का ध्यान रखकर प्राथमिकता के अनुसार क्षेत्रों का चुनाव किया जा सकेगा।

जयसमन्द के पास गेम सेंचुरी और चरनोट की जमीन

518. श्री मावजी भाई (सपोटरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमंद के पास गेम सेंचुरी और उसके पास चरनोट की जमीन है ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन में मवेशियों को चरने क्यों नहीं दिया जाता है ?

(2) क्या गेम सेन्चुरी से आदिवासियों को सूखी लकड़ी और सूखा घास लाने से भी रोका जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गेम सेन्चुरी के पास जो चरनोट की जमीन है वह सरपंच, विकास अधिकारी व प्रधान पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा अलॉट की गई है और वहां पक्के मकान बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन क्यों अलॉट की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जयसमंद के पास गेम सेन्चुरी बनी हुई है। इसके पास राजस्व रिकार्ड के अनुसार चरनोट भूमि नहीं है। वन भूमि है।

(2) गेम सेन्चुरी के वन खण्डों मनिपोल एवम् धनीवाला) से वन बन्दोबस्त के अनुसार आदिवासियों को सूखी लकड़ी एवम् सूखा घास लाने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाती।

(3) गेम सेंचुरी के पास चरागाह भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नहीं है। अलबत्ता उसके बाहर भूमि वन विभाग वन खण्ड मनियोल के नाम से दर्ज है। उस भूमि में पक्के मकानात बने हुए नहीं हैं केवल उक्त भूमि में पुरानी आबादी के खण्डहर मौजूद हैं। उक्त भूमि में पंचायत गातोड़ के द्वारा सन 1975 में आवासीय भूखण्ड आवंटन के अभियान के समय 198 आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करके उनके पट्टे दिये गये हैं।

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 708 की सूची)

SCHEDULE

S. No.	Name of Post	Source of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience required for promotion.	Remark
1	2	3	4	5	6	7
			GROUP–A			
1.	Matron Gr. I	50% by direct recruitment with percentage & 50% by promotion.	1. P.N.R.C.or its equivalent qualification recognised by Government. 2. Regd. 'A' Grade Nurse. 3. Sister Tuitor Course passed. 4. 12 years experience out of which 4 years must be as Sister Tuitor & 3 years as Matron Gr. II or at any equivalent post.	Matron Gr. II	3 years service as Matron Gr. II.	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Matron Gr.II	25% by direct recuritment & 75% by promotion.	1. P.H.C.R. or its equivalent qualification recognised by Government. 2. Regd. 'A' Grade Nurse. 3. Sister Tuitor's Course passed. 4. 10 years experience out of which 4 years should be as Sister Tuitor and 3 years as Asstt. Matron or at an epuivalent post.	Asstt. Matron	2 years service as Asstt. Matron.	
3.	Asstt Matron	25% by direct recruitment and 75% by promotion.	1. P.N.R.C. or its epuivalent qualification recognised by Govt. 2. Regd. 'A' Grade Nurse. 3. Sister Tuitor Course passed. 4. 7 years experience out of which at least 3 years should be as Sister Tuitor.	Sister or Sister Tuitor.	2 years service as Sister Tuitor.	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Sister or Sister Tuitor.	25% by direct recruitment and 75% by promotion.	1. P.N.R.C. or its equivalent qualification recognised by Government. 2. Regd. 'A' Grade Nurse. 3. Sister Tuitor Course passed. 4. 3 years experience as Staff Nurse.	Staff Nurse.	- 5 years service as Staff Nurse or 4 years service as Staff Nurse out of which 3 years continuous service should be in Operation Theatre, 3 years service as Staff Nurse with Sister Tuitor Certificate.	
		Note :– For the post of Sister Tuitor, Sister Tuitors Certificate will be compulsory.				
5.	Staff Nurse	75% by direct recruitment and 25% by promotion.	P.N.R.C. or its equivalent qualification recognised by Government.	Midwife and Auxiliary Nurse Midwife.	7 years service as Mid-Wife or Auxilary Nurse Midwife.	
6.	Midwife and Auxilary Nurse Mid-Wife.	100% by direct recruitment.	Auxilary Nurse Mid-Wifery trained and VIII standard passed.	—	—	—

(176)

UNIVERSITY OF MADRAS

FACULTY OF MEDICINE

The Senate of the University of Madras hereby make known that Binspat Ganguly has been admitted to the Degree of Bachelor of Science in Nursing. She has been certified by duly appointed Examiners to be qualified to receive the same after having been examined in part I English in April, 1954 and April, 1953 respectively.

Given under the seal of the University.

Senate House,
August 13, 1954.

Sd/-
Vice Chancellor.

 177 330

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 471 की सूची)

पीपल्दा क्षेत्र के बकाया मुआवजे की सूची

अवार्ड क्र सं.	अवार्ड नं.	कृषकों का नाम	रकबा		रकम
1	2	3	4		5
1.	3880	मांगीलाल, रामचन्द, नाथू पुत्र ओंकार कलाल,	0-9	बिस्वा	198.00
2.	2297	बिरधा पुत्र हरिलाल ।	0-0	,,	79.00
3.	1538	सुखलाल पुत्र गोपाल, जुग्गा मोतिया पुत्र गोपाल, प्रभु पुत्र गोपाल	3-5	,,	303.87
4.	1781	श्रीदास, लछमणदास, मथुरादास पुत्र लछमणदास, बजरंगदास, गिरधारीदास, बालादास पुत्र गिरधारीदास	2-10	,,	385.00
5.	3657	ग्यारसीया पुत्र हीमदा मीणा	0-10	,,	57.75
6.	2913	नाथुशिहा पुत्र काशशिहा, विसजीया पुत्र ख्वाजशह, अलारख पुत्र कलुशदा फकीर	1-70	,,	185.62
7.	2507	भैरू व भोरा	8-12	,,	89.10
8.	3895	धन्नालाल, बृजमोहन, हरिनारायण पुत्र ओंकार (धाकड़)	0-9	,,	198.00
9.	2487	गापीनाथ पुत्र शीलानाथ मोडू पुत्र मोतीनाथ	1-1	,,	121.27
10.	1277	रघुनाथ, नारायण, लछमण पुत्र पन्ना (कुम्हार)	1-17	,,	295.35
11.	3885	ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, राजगोपाल पुत्र सदासुख, पारवती पुत्र नन्दलाल	0-10	,,	275.00
12.	3879	भैरू पुत्र वैज्या (धाकड़) वप्दा पुत्र वैज्या	0-7	,,	154.00
13.	2070	गोप्या पुत्र कन्हैयाराम (मीणा)	1-10	,,	198.00
14.	3239	विश्वेरदयाल (गुजराती)	2-4	,,	231.00
15.	3883	केशर पत्नी वेजनाथ, लक्ष्मीचन्द पुत्र वेजनाथ रामनाथी पत्नी लक्ष्मीचन्द	0-19	,,	418.00

1	2	3	4	5
16.	712	सुरखा पुत्र लछरतना मीना सुखा पुत्र लच्छीराम मीणा	2-10 बिस्वा	25?.45
17.	79	पंचायत धाकड़ाना	1- ,,	1 5.00
18.	467	श्री नाथु पुत्र हरिदवश, श्रीमती नाथी बेवा पत्नी मोतीलाल	3-1 ,,	4?4.37
19.	3482	नाथुसिंह पुत्र ओंकार	1-5 ,,	192.50
20.	1672	पारथीलाल व बिरधीलाल पुत्र कालू मीणा नन्दालाल व मांगीलाल पुत्र भैरू मीणा जगन्नाथी बेवा पत्नी जगन्नाथ मीणा	9-1 ,,	1841.00
21.	3878	लक्ष्मीरण पुत्र माधो, बीरलाल पुत्र माधो	0-10 ,,	220.00
22.	2587	गोरीशंकर पुत्र ग्यारसीराम	1-12 ,,	264.00
23.	3278	भैरू पुत्र कालूनाथ काना कृष्णा पुत्र कालू	4-10 ,,	44?.50
24.	1103	जगन्नाथ पुत्र रतनलाल (ब्राह्मण) रतनलाल पुत्र किशनलाल	2 बीघा	330.00
25.	3321	भूरी बेवा हीरा, बजरंगा पुत्र धन्ना, भागीरथ पुत्र ग्यारसा, सूरजमल पुत्र	6-1 बिस्वा	998.25
26.	3501	गोपरिया पुत्र हीरालाल, रामनाथ पुत्र शंकर, भैरया पुत्र शंकर, मान्या पुत्र शंकर	2 बीघा	3?0.00
27.	1457	बजरंगलाल पुत्र नरसिंहलाल कन्हैयालाल पुत्र नरसिंहलाल, प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल	2-7 बिस्वा	275.00
28.	3877	रामनिवास पुत्र केसरिया, बृजमोहन पुत्र केसरिया हरिशंकर पुत्र प्रभू	0-3 बिस्वा	66.00
29.	3177	प्रभु, रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण	1-5 बिस्वा	136.50
30.	2598	श्रीमती केशर पत्नी हीरा मीणा	1-10 ,,	225.75
31.	3994	किशनगोपाल, रामनारायण, प्रभू पुत्र मन्नालाल ब्राह्मण	1 बीघा	165.00

सूची 'अ'

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न संख्या 475 की सूची)

धोलपुर सब-डिविजन में 28-7-78 को विभिन्न प्रकार के पैण्डिंग प्रार्थना-पत्रों की विभिन्न स्तरों पर स्थिति।

क. सं.	श्रेणी	28-2-78 का पैंडिंग प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रार्थना-पत्र जिन्हें डिमाण्ड नोट जारी किये जा चुके हैं (स्तम्भ 3 में से)	प्रार्थना-पत्र जिनके अनुमान बनाये जा रहे हैं।	आवेदकों की संख्या जिन्होंने डिमाण्ड नोट की राशि जमा करा दी है। (स्तम्भ स. 4 में से)	आवेदकों की संख्या जिन्होंने एल. फार्म जमा करा दिया (स्तम्भ स. 6 में से)	कनेक्शन्स जो अब तक दिये जा चुके हैं (स्तम्भ 7 में से)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि	10	7	—	3	3	2	3 में तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण प्राथमिकता निलम्बित कर दी गई। 1 केस में, जिसमें एल. फार्म दे दिया था, ग्रुप योजना होने के कारण रोक दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	औद्योगिक	36	13	10	10	3	4	13 को तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण रद्द कर दिया। 2 में एल. टी. विस्तार का जॉब आर्डर जारी कर दिया। 2 में फिटिंग अपूर्ण है। 3-रुपया जमा कराने की अवधि में अभी समय बचा है।
3.	सार्वजनिक प्रकाश	1	–	1	–	–	–	— —
4.	घरेलू प्रकाश	146	145	1	55	33	28	8-जॉब आर्डर जारी कर दिये। 6-पैसे जमा नहीं कराने के कारण रद्द कर दिये गये। 12 से अभी तक एल. फार्म प्राप्त नहीं हुए।
5.	वाणिज्यिक प्रकाश	43	39	4	20	14	13	1-केस में जोब ऑर्डर जारी कर दिया 3-पैसा जमा नहीं कराने के कारण रद्द कर दिया।

परिशिष्ट-7

(तारांकित प्रश्न संख्या 476 की सूची)

प्रश्न संख्या 1 की सूची पंचायत समिति महुआ

क्र संख्या	गांव का नाम	जनसंख्या 71 की मतगणनानुसार
1	2	3
1.	हाडोती	417
2.	असरका	155
3.	दामालेक	203
4.	दौलतपुरा	318
5.	इतैया	706
6.	बावलकोहरा	225
7.	पलदपुरा	506
8.	नांगलखारण	171
9.	रोडली	1037
10.	मंडावर	4514
11.	बगड़ सुमेरसिंह	739
12.	सरवाली	375
13.	तेडानदी	321
14.	ग्राम खामिया	556
15.	पुरूद	1552
16.	कैलासगढ़	293
17.	माडल?ा	590
18.	सरदार हिम्मतसिंह	2782
19.	टीकरी किलासर	379
20.	खेड़ली खुर्द	133
21.	खेड़ली कला	110
22.	हरीपुरा	129
23.	किशोरपुरा	113
24.	पाखर	1317
25.	सीत	314
26.	कलीदपुर	1684
27.	राजगढ़	931
28.	राजोड़ा	100

1	2	3
29.	पीलवा	252
30.	सेरीड़ा	363
31.	टोल खेड़ा	766
32.	मखियेपुरा	233
33.	खलपुरा	34
34.	नौरंगपुरा	323
35.	पारला	427
36.	वौरगांव	371
37.	डोलापुरा	353
38.	नादना	285
39.	वरखेड़ा	1192
40.	वाली	409
41.	कमालपुरा	314
42.	अकबरपुरा	152
43.	सुजानगढ़	1344
44.	महुआ	6108
45.	शाहदपुरा	343
46.	मोनीका	92
47.	पाली	193
48.	योपर	832
49.	मोगटापू	591
50.	केसरा	435
51.	खरली हरथानसिंह	336
52.	सरगपुर	58
53.	रामपुरा	231
54.	लाइनपुर	117
55.	मगरखान	80
56.	बहारखां	377
57.	कचकला	396
58.	टोडरा	499
59.	खिन्नुकी	663
60.	सलेमपुर	623
61.	टेकरी जागरण	506
62.	हाडिया	1171

1	2	3
63.	आलापुर	45
64.	गंतुरो	220
65.	टेकरो	239
66.	ससलेटो	1037
67.	हुरला	1430
68.	ओदागरी	663
69.	बालाहेरी	1729
70.	पोपालीवारी	189
71.	मूंठकोरी	390
72.	नौरंगवारा	672
73.	विशाला	854
74.	विशालाचौक	117
75.	करनपुरा	224
76.	पीपलखरा	1346
77.	मिरासरगांव	1166
78.	मांजपुर	225
79.	सेपर	363
80.	विरवा	347
81.	घरपट्टी	183
82.	किरती नगला	284
83.	खोरा नर्दसिंह	90
84.	पडला	253
85.	समासपुर	291
86.	समासधुर विराना	359
87.	वारोटको	320
88.	जगरामपुरा	10
89.	थनसामपुरा	140
90.	काचरी	316
91.	बंचपुरी	1162
92.	चुरखेरा	231
93.	अमरपुरा	384
94.	गर्रखोरिया	37
95.	पावटा गुजर	310
96.	कुटकपुरा	174

(184)

1	2	3
97.	पाना खाडिया	234
98.	खजोपुरा	174
99.	योफशोपुर	993
100.	शानोलो	1638
101.	बल्लुपुरा	90
102.	खेसला माडया	107
103.	रासोलपुर	177
104.	लालपुरा	410
105.	पालीहेरा	1493
106.	पहारी	342
107.	गावलपुर	444
108.	साला	2733
109.	खालेरा	256
110.	उरगुजर	330
111.	उदमीला	1074
112.	बडद्राहकलां	168
113.	आनपुर	540
114.	गोदी मीना	273
115.	गोदी गुजर	71
116.	दुहला	418
117.	खेरामोली	509
118.	बारखुगर्ग	898
119.	तकेरा	113
120.	मोरकीपुरा	362
121.	खेलवीपुर	87
122.	तलवीरा	1288
123.	सहालपुर	250
124.	बारांगांव	1083
125.	यातमपुरा	240
126.	सेलपुर	1005
127.	मुलतानपुर	494
128.	जलतपुर	733
129.	सेदरा	568
130.	आहरा	1186

1	2	3
131.	सिकन्दरा	437
132.	सलामपुर	681
133.	अलीपुर	1038
134.	लाज	1050
135.	खीलपारा	737

प्रश्न संख्या 2

की सूची

क्र. स.	ग्राम योजना	गांव का नाम	जन संख्या
1	2	3	4
1.	को. ज. द्र. वो. पीपल खेड़ा, कन्दपुरी	रामगढ़	1344
2.		ठेकड़ा	239
3.		घादुकी	220
4.		बीराना	338
5.		समतपुर	291
6.		मोसमपटी	140
7.		अमरपुल कोपरी	316
8.		करनपुरी	1162
9.		अमरपुर	483
10.		सामलेटी	1037
11.		खोराबन्दसिंह	90
12.		पाडली	255
13.		मजपुर	225
14.		मुरारी की	663
15.		मिर्जापुर गंगवाना	1166
16.		पीपलखेड़ा	1346
17.		हुंडला	1430
			10745

इस योजना के लिए पानी का स्रोत बाणगंगा नदी पर ट्यूब वैल होगा । स्रोत से पानी ठेकड़ी ग्राम की पहाड़ी पर उच्च जलाशय में एकत्रित किया जावेगा । तथा वहां से सिंचित साइज की पाइप लाइन से जल वितरण किया जायेगा ।

(186)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 482 का विवरण)

मरम्मत एव सुधार कार्यों की प्रगति का विवरण

परिशिष्ट "ग" विकास कार्यों की सूची

1. राम मोहल्ला रोड पर नाले का कार्य 2. छीपा कॉलोनी नागौरी गेट के बाहर नाले की दीवारें ऊपर लेनी हैं 3. नागौरी गेट के बाहर प्याऊ के पास नाली का कार्य	कार्य चल रहा है
4. क्रोसड्रेन बनाना ऐशप्लॉट का बनशाना पन्नालाल हाउस के पास 5. टेप नम्बर 28 नजीर मोहम्मद के मकान के पास ड्रेन कवर करना 6. क्रोसड्रेन गहलोत के मकान के पास बागर चौक बेबी पार्क के बीच 7. साबसिंह के मकान के पास क्रोसड्रेन 8. कैनाल की टूटी दीवार ठेकेदार इन्द्रसिंह के मकान के पास बागर	निविदायें आमंत्रित कर ली गई हैं।
9. राम मोहल्ला में नई सड़क व नाले का कार्य 10. रोड कटिंग का मरम्मत कार्य	
11. दैनिक कन्या पाठशाला के पीछे पत्थर के कवर को बदल कर सी. आई. कवर लगाना 12. नेहरू विविध केन्द्र की गली में पत्थर की सड़क की मरम्मत 13. रोड रिपेयर का कार्य खिचीयों की हवेली 14. नगर चौक से बेबी पार्क बागर पुल तक डामर की सड़क पत्थर के कवर को 15. कागड़ी कैनाल की दीवार को ऊपर उठाना	रु. 1,30,000.00 का तखमीना बनाया जा चुका है।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 485 की सूची)

राजकीय महाविद्यालयों की सूची, जिनमें वर्ष 1977-78 में हड़ताल हुई थी

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	हड़ताल की अवधि	
1	2	3	
1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	2-9-77 से 3-9-77	दो दिन
		7-11-77	एक दिन
		13-12-77 से 15-12-77	तीन दिन
2.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर	14-2-78 से 15-2-78	दो दिन
3.	श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर,	9-8-77 से 23-8-77	पन्द्रह दिन
4.	राजकीय महाविद्यालय, करौली	1-11-77 से 2-11-77	दो दिन
5.	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक	4-11-77 से 5-11-77	दो दिन
6.	राजकीय महाविद्यालय, डीग	28-10-77	एक दिन
		11-1-78 से 13-1-78	तीन दिन
7.	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर	7-12-77 से 9-12-77	तीन दिन
8.	राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई	10-10-77	एक दिन
9.	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	30-8-77 से 20-9-77	बाईस दिन
10.	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	12-12-77 से 15-12-77	चार दिन
11.	राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं	31-8-77	एक दिन
12.	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	3-9-77	एक दिन
		6-9-77 से 14-9-77	नौ दिन
13.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	1-8-77 से 10-8-77	दस दिन
14.	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	28-1-78 से 7-2-78	ग्यारह दिन
		27-8-78	एक दिन
		6-2-78	एक दिन
15.	राजकीय महाविद्यालय, नीम-का-थाना	31-8-77 से 8-9-77	नौ दिन
16.	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा	27-2-78	एक दिन
		12-9-77	एक दिन
17.	राजकीय महाविद्यालय नागौर	24-8-77 से 28-8-77	पांच दिन
18.	राजकीय महाविद्यालय, चूरू	13-8-77 से 25-8-77	तेरह दिन
		10-10-77 से 13-10-77	चार दिन
		5-12-77 से 13-12-77	आठ-नौ दिन
		27-1-78 से 6-2-78	ग्यारह दिन

1	2	3	
19.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर	16-2-78	एक दिन
20.	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर	10-8-77	एक दिन
		18-8-77 से 27-8-77	दस दिन
		5-12-77 से 8-12-77	चार दिन
		24-8-77	एक दिन
21.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	18-8-77	एक दिन
		8-10-77	एक दिन
22.	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	3-9-77 से 9-9-77	सात दिन
23.	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	28-8-77	एक दिन
		16-1-78 से 19-1-78	चार दिन
24.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	7-12-77 से 9-12-77	तीन दिन
25.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तोड़गढ़	22-9-77	एक दिन
26.	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भील.)	5-3-78 से 18-3-78	चौदह दिन
		20-3-78	एक दिन
27.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	28-1-78 से 31-1-78	चार दिन
27.ए	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	18-11-77	एक दिन
		14-3-78 से 21-3-78	आठ दिन

राजकीय महाविद्यालयों की सूची, जिनमें वर्ष 1977-78 में हड़ताल हुई थी

28.	श्री प्राण महाविद्यालय, विजयनगर	16-12-77 से 19-12-77	चार दिन
29.	बी.एस.पी. श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर	1-2-78 से 4-2-78	चार दिन
30.	अग्रवाल कालेज, जयपुर	25-8-77 से 26-8-77	दो दिन
31.	श्री जैन कालेज, बीकानेर	2-11-77 से 7-11-77	छः दिन
32.	जी. आर. चमड़िया कॉलेज, फतेहपुर	7-9-77 से 9-9-77	तीन दिन
		19-11-77 से 23-11-77	पांच दिन
33.	एस. एस. कालेज, मुकन्दगढ़	13-1-78	एक दिन
34.	जी. बी. पोद्दार कालेज, नवलगढ़	7-11-77 से 16-11-77	दस दिन
35.	एस. पी. प्र. कालेज, फालना	16-6-77	एक दिन
		30-8-77 से 3-9-77	पांच दिन
36.	राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर	30-9-77	एक दिन
37.	चिड़ावा कालेज, चिड़ावा	16-8-77 से 17-8-77	दो दिन
		7-10-77	एक दिन
		30-1-78	एक दिन
38.	विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	4-10-77 से 23-10-77	बीस दिन

1	2	3	4
39.	महाराजा कालेज, जयपुर	31-8-77 से 1-9-77	दो दिन
		10-9-77 से 19-9-77	दस दिन
		7-12-77	एक दिन
		9-3-78	एक दिन
40.	राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर	19-9-77 से 20-9-77	दो दिन
		अक्टूबर, 1977	दो दिन
		8-1-78 से 11-1-78	चार दिन
		8-3-78 से 9-3-78	दो दिन
41.	एस. एस. जैन सुबोध कालेज, जयपुर	4-10-77 से 12-10-77	नो दिन
		14-12-77 से 19-12-77	छ: दिन
42.	एस.एस.जी. पारीक कालेज, जयपुर	नवम्बर, 1977	एक दिन
43.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	नवम्बर, 1077	एक दिन
44.	नेहरू मेमोरियल कालेज, हनुमानगढ़	5-9-77 से 12-9-77	आठ दिन
		20-1-78 से 26-1-78	सात दिन
45.	कामर्स कालेज, जयपुर	4-8-77 से 7-8-77	चार दिन
		10-1-78 से 11-1-78	दो दिन
		27-1-78	एक दिन
		8-3-78 से 9-3-78	दो दिन
46.	महारानी कालेज, जयपुर	जुलाई, 1977	दो दिन
		13-9-77	एक दिन
		9-3-78	एक दिन
47.	डी. ए. वी. कालेज, अजमेर	8-11-77 से 9-11-77	दो दिन
		7-12-77 से 9-12-77	तीन दिन
48.	लॉ कालेज, उदयपुर	जुलाई, 77 से अब तक दो बार	चार दिन
49.	एम. जी. श्रमजीवी कालेज, उदयपुर	जुलाई, 77 से अब तक तीन बार	तीन दिन
50.	बी. एन. कालेज, उदयपुर	23-9-77	एक दिन
		7-12-77	एक दिन
51.	ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्री करणपुर	13-9-77 से 15-9-77	तीन दिन

ह.

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

(शहरी) जयपुर ।

(190)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूची)

श्रम निरीक्षकों को निम्न श्रम कानूनों के पालन करने के लिये अधिकार दिये गये हैं, की सूची।

1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
2. राजस्थान दूकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
4. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
5. मोटर यातायात अधिनियम, 1961
6. बीड़ी एवं सिगार वर्कर्स अधिनियम, 1966
7. कांट्रेक्ट लेबर एक्ट, 1970
8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
9. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट
10. इक्वल रेमुनरेशन एक्ट
11. सेल्स प्रमोशन एम्पलाइज एक्ट

राज्य में वर्ष 1977-78 में श्रम कानूनों के अन्तर्गत किये गये कुल निरीक्षणों की जिलेवार सूची

निरीक्षण अन्तर्गत

क्र. सं.	जिले का नाम	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	बोनस अधिनियम	दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधि., 1958	कांट्रेक्ट लेबर अधि.,	कारखाना लेबर अधि. 1948	कुल योग
1.	अजमेर	1040	44	3247	20	953	5304
* 2.	सीकर	145	—	875	—	28	1043
* 3.	झंझुनू	165	2	376	9	24	576
* 4.	चूरू	137	2	1020	—	68	1227
* 5.	बीकानेर	800	28	2953	105	209	4095
* 6.	श्री गंगानगर	434	53	2337	12	850	3686
7.	उदयपुर	458	76	1920	41	316	2818
8.	डूंगरपुर	44	—	119	9	4	176
9.	बांसवाड़ा	154	13	489	58	26	740
10.	भरतपुर	272	78	1308	21	110	1782
11.	सवाई माधोपुर	207	5	957	3	41	1213
12.	अलवर	255	60	989	17	151	1472
13.	भीलवाड़ा	214	30	809	27	141	1218
14.	चित्तौड़गढ़	54	5	62	3	44	168
15.	कोटा	783	76	3650	67	150	4726
16.	बूंदी	184	20	311	30	3	748
17.	झालावाड़	149	5	587	—	9	750
18.	जयपुर	1318	260	6579	18	603	8978
19.	टोंक	118	10	345	4	24	501
20.	जोधपुर एवं)	735	27	2082	28	136	3029
21.	जैसलमेर)						
22.	जालोर एवं)	386	7	338	2	35	800
23.	सिरोही)					32	
24.	पाली एवं)	477	60	782	15	184	1536
25.	बाड़मेर)					18	
26.	नागौर	209	6	849	2	82	1154
	कुल योग :	8735	869	33177	511	4,265	47,530

*1 अप्रेल, 1977 से 26 फरवरी, 78 तक

वर्ष 1977 1-4-77 से 30-3-78.

राज्य में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन एवं निर्णीत मुकदमे जो कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रम निरीक्षको द्वारा पेश किये गये हैं की जिलेवार संख्या

		वर्ष 77-78 में न्यायालयों द्वारा निर्णीत मुकदमों की संख्या					वर्ष 1977-78 के अन्त में शेष विचाराधीन मुकदमों की संख्या				
	जिले का नाम	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	बोनस भुगतान अधिनियम	दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम	कंट्रेक्ट लेबर अधिनियम, 1970	योग	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	बोनस अधिनियम	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम	कांट्रेक्ट लेबर अधिनियम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	53	—	309	—	364	47	3	208	2	260
* 2.	सीकर	17	—	154	—	171	18	—	23	—	41
* 3.	झुंझुनूं	12	—	27	—	49	1	—	38	—	39
4.	चूरू	—	—	42	—	42	9	—	43	—	54
* 5.	बीकानेर	23	1	192	5	221	29	—	104	16	149
* 6.	गंगानगर	109	1	518	—	628	43	3	173	2	221
7.	उदयपुर	32	—	236	—	268	39	2	173	3	217
8.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	1	—	24	1	26
9.	बांसवाड़ा	21	—	68	—	89	30	—	27	5	62
10.	भरतपुर	75	6	367	14	462	91	5	316	3	415
*11.	सवाई माधोपुर	48	—	377	—	425	63	—	116	4	182

*12. अलवर	33	—	516	1	550	51	—	14	—	15
13. भीलवाड़ा	16	—	247	—	263	15	—	179	—	194
14. चित्तौड़गढ़	16	1	82	1	100	14	1	20	2	37
15. कोटा	122	3	1240	12	1377	60	7	698	12	777
16. बूंदी	3	—	54	—	57	13	—	51	—	64
17. झालावाड़	11	—	20	—	31	2	—	9	—	11
18. जयपुर	241	2	2814	5	3062	78	2	680	5	766
19. टोंक	17	—	—	—	17	14	—	—	—	14
20. जोधपुर एवं 21. जैसलमेर	71	—	628	1	720	92	—	560	4	656
22. जालोर एवं 23. सिरोही	13	—	57	—	70	2	—	13	—	15
24. पाली एवं 25. बाड़मेर	45	—	101	—	146	19	—	52	—	71
26. नागौर	11	—	236	—	247	8	—	119	—	127
कुल योग—	991	14	8285	39	9329	690	23	3642	58	4413

नोट—* 1 अप्रेल, 77 से 28 फरवरी, 78 तक
1-4-77 से 30-3-78 तक
वर्ष 1977.

(194)

कारखाना अधिनियम, 1942 के अन्तर्गत कारखाना निरीक्षकों द्वारा
न्यायालय में पेश किये गये मुकदमों की सूची

January, 77 to March, 78

S. No.	District	No. of prosecutions
1.	Ajmer	75
2.	Jaipur	20
3.	Tonk	1
4.	Alwar	1
5.	Bharatpur	2
6.	Jhunjhunu	2
7.	Sawai Madhopur	–
8.	Sikar	–
9.	Ganganagar	34
10.	Bikaner	3
11.	Churu	6
12.	Nagaur	3
13.	Bhilwara	5
14.	Chittorgarh	1
15.	Jodhpur	5
16.	Pali	6
17.	Barmer	2
18.	Jaisalmer	–
19.	Sirohi	–
20.	Jalore	2
21.	Kota	11
22.	Bundi	2
23.	Jhalawar	2
24.	Udaipur	4
25.	Dungarpur	–
26.	Banswara	–
		185

Note:—Out of above ten cases have been decided during the year 1977-78.

195

परिशिष्ट – 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 487 की सूची)

कोटपूतली तहसील के नसबन्दी केसेज की सूची जिन्होंने गत दो वर्षों में नसबन्दी करवाई और जिनके एक भी लड़का नहीं है।

क्रम सं.	नाम नसबन्दी केस		पिता/पति का नाम	जीवित लड़कियों की सं.
(1)	हनुमान राम	पुत्र श्री मोहन	रघुनाथपुरा तह. कोटपूतली	2
(2)	श्री रूडाराम	पुत्र श्री शिवबक्ष	श्यामपुरा तह., बानसूर	2
(3)	श्रीमती शांतिदेवी	पत्नी श्री लालचंद यादव	सरकंडा तह. बहरोड	3
(4)	श्री महावीर प्रसाद यादव	पुत्र श्री सेडूराम	कोटपूतली	1
(5)	श्री लक्ष्मनारायण	पुत्र श्री हरबश	बागावास तह., बैराठ	2
(6)	श्री भोलाराम	पुत्र श्री रतरूराम	श्रीमाधोपुर	2
(7)	श्री यादराम	पुत्र श्री सुलतानसिंह यादव	किशनगढ (अलवर)	2

(196)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical and Public Health Department Gr. IV

No. F. 7(2)Med./4/77 Jaipur, dated the 11th Oct., 1977

The State Family Welfare Officer,
Rajasthan, Jaipur.

Sub:– Family Welfare Programme– Facilities for Recanalisation at Government expenses.

Ref:–Your letter No. FP./Acctts./Bud./944 & FP/Acctts./Bud./77-78/1050, dated 6-7-1977 and 22-8-1977.

Sir,

In accordance with letter No. 23011/39/76 Ply. dated 21-6-1977 from the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Family Welfare) the Governor of Rajasthan has been pleased to accord the following facilities to the persons seeking recanalisation and in need of further treatment at bigger hospitals for operation complications, as follows:—

(1) Recanalisation should be done if the person who was sterilised asked for recanalisation and is in the ineligible category i. e. unmarried or with less than two children.

(2) Recanalisation can also be performed if the person desires it for substantial reasons (for example, a person who has lost all his male children or all female children after the operation).

(3) Facilities for recanalisation are to be provided totally free of cost. The expenditure on medicine, drugs, dressing and diet and hospital charges for surgical procedures and stay is to be borne by the institution nominated by the State Government for doing recanalisation work. The nominated institution will be entitled to reimbursement of all these expenses from the Government and necessary reimbursement is to be made by the State Government from out of the accumulated receipts in the Miscellaneous Purpose Fund.

(4) The person being recanalised is allowed to bring one attendant with him and the travelling expenses of the person and the attendant for journey from the place of residence to the nominated institution and return to his place of residence is to be paid from out of the Miscellaneous Purposes Fund. If the journey is performed by rail, second class fare is to be given and if the journey is by bus, fare of the lowest class is to be paid for the person and his attendant.

(5) Incidental expenses at the rate of Rs. 10/- per day are to be paid for the number of days spent at the institution and on the journeys from the place of residence to the nominated institution and back. No separate incidental expenses are payable for the attendant and the sum of Rs. 10/- is meant to cover the incidental expenses of the person seeking recanalisation and the attendant if any.

(6) If the person who is "recanalised" is required to purchase any medicines from out-side the hospital during his stay or after discharge, the cost of all such medicines should be reimbursed on production of proof.

(7) The nominated institution is allowed to claim Rs. 50/- per case to meet the cost of medicines and other incidental expenses and this amount is to be paid by the State Family Welfare Officer to the nominated institution on production of claim supported by the necessary certificates.

(8) Suitable arrangements for placing some amount as imprest money with the nominated institution be made in order to ensure that no inconvenience is caused to the patient for want of funds.

(9) Recanalisation should be done normally at such institutions where adequate facilities i. e. expert surgeons, equipment and other facilities are available. Private institutions can also be nominated for this purpose.

(10) Arrangements for proper guidance to the persons coming for recanalisation/complications should be made at enquiry counter in the institutions.

(11) There may be case where complications have occured after vasectomy/tubectomy and which could not be cured at the district hospitals and require treatment at hospitals attached to Medical Colleges. Suitable arrangements may be made for the treatment of such persons also at the Medical Colleges nominated for the purpose and such persons as are referred by The district hospitals to the Medical Colleges be allowed all the facilities admissible in recanalisation cases as stated above.

The Medical Superintendents of the following Hospitals and State Welfare Officer are empowered to pass travel expenses (including that of attendant) and other incidental expenses at the rate of Rs. 10 per day. This is to be paid out of the following budget head: -

281-Family Planning

(chh) Compensation

11-C. S. S. Non-Plan Expenditure

1. Medical Superintendent, S. M. S. Hospital, Jaipur.
2. Medical Superintendent, J. L. N. Hospital, Ajmer.
3. Medical Superintendent M. G. Hospital, Jodhpur.
4. Medical Superintendent, S. P. Hospital, Bikaner.
5. Medical Superintendent, R. N. T. Hospital, Udaipur.

Page No 199

6. State Family Welfare Officer, Jaipur.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Exp-I) vide their ID No. 5081, dated 24-9-1977.

Yours faithfully,
(Sd/- R. P. Singhal)
Dy. Secretary to the Government.

Copy forwarded to the :

1. Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Family Welfare), New Delhi with reference to his letter No. 23011/39/76-Ply, dated 21st June, 1977.
2. Regional Director, Govt. of India, Regional Health Office, Rajasthan, Jaipur.
3. Finance Department (Exp-I) with one spare copy.
4. Director, Medical and Health Service, Rajasthan, Jaipur.
5. All Collectors.
6. The Principal, Medical College, Jaipur/Udaipur/Bikaner/Ajmer/Jodhpur.
7. All Superintendents of Hospitals.
8. All Chief Medical and Health Officers.
9. All Dy. Chief Medical and Health Officers (F.W.) for necessary action.
10. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
11. G. F.

Sd/- R. P. Singhal,
Dy. Secretary to the Government.

२०८

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 488 की सूची)

List of firms from which manufacturing licence alongwith list of manufactured items has called as per recommendation of Stores Purchase Committee.

S.No.	Name of firm.	Information called vide Letter No. & Date.
1.	2	3
1.	M/s. Associated Laboratories, Bombay.	Letter No. 22840 dt 19-10-77
2.	,, Bakshi Pharmaceutical of Cosmetics, Jaipur.	Letter No. 22307 dt. 25-10-77
3.	,, The Boots Co. (I) Ltd; Bombay.	Letter No. 22835 dt. 19-10-77
4.	,, Abbott Laboratories (I) P. Ltd. Bombay.	Letter No. 22843 dt. ,,
5.	,, Biological Evans Ltd. Hyderabad.	Letter No. 22834 dt. ,,
6.	,, Bombay Drug House, Pvt. Ltd; Bombay.	Letter No. 22833 dt. ,,
7.	,, P.Beacon Pharmaceuticals, Bombay.	Letter No. 22832 dt. ,,
8.	,, Cadila Laboratories, Ahmedabad.	Letter No. 23400 dt. 25-10-77.
9.	,, Carter Wallace Ltd; Bombay	Letter No. 23407 dt. ,,
10.	,, Dolphini Laboratories, Calcutta.	Letter No. 23405 dt. ,,

Page No 201

201

1	2	3
11. M/s.	East Indian Pharmaceutical Works, Ltd; Calcutta.	Letter No. 23402 dt. 25-10-77
12. ,,	Eison Pharmaceuticals P. Ltd; Poona.	Letter No. 23401 dt. ,,
13. ,,	Gluconate Ltd; Calcuta.	Letter No. 23416 dt ,,
14. ,,	Gujrat Pharmaceutical & Chemical Works, Ahmedabad.	Letter No. 23415 dt. ,,
15. ,,	Jai Chemical & Pharmaceutical Works, Jaipur.	Letter No. 23413 dt. ,,
16. ,,	Jagson Pal & Co; Delhi.	Letter No. 23412 dt. ,,
17. ,,	Jaipur Pharmaceutical Works, Jaipur.	Letter No. 23411 dt. ,,
18. ,,	Khandelwal Laboratories P. Ltd; Bombay.	Letter No. 23410 dt. ,,
19. ,,	Kemp & Co; Ltd; Bombay.	Letter No. 23410 dt. ,,
20. ,,	Life Pharmaceuticals Pvt. Ltd; Calcutta.	Letter No. 23418 dt. 26-10-77
21. ,,	Mahaveer Medical Hall, Jaipur.	Letter No. 26549 dt. 15-12-77
22. ,,	Metropolitan Drugs & Chemical Co; Bombay.	Letter No. 23419 dt. 26-10-77.
23. ,,	Metro Golden Laboratories, Bombay.	Letter No.23420 dt. ,,
24. ,,	Martin & Harris (P) Ltd; Jaipur.	Letter No. 23421 dt. ,,

1	2	3
25. M/s	Medicaids P. Ltd.; Bangalore.	Letter No. 23422 dt. 26-10-77
26. ,,	Megaw Ravindra Laboratories (I) Ltd.; Ahmedabad.	Letter No. 23423 dt. ,,
27. ,,	National Pharmaceuticals, Bombay.	Letter No. 23426 dt. ,,
28. ,,	N.B. Pharma, Sonepat.	Letter No. 23428 dt. ,,
29. ,,	Orient Pharma Pvt. Ltd.; Madras.	Letter No. 23432 dt. ,,
30. ,,	Polypharm P. Ltd.; Bombay.	Letter No. 23431 dt. ,,
31. ,,	Pfizer Ltd.; Jaipur.	Letter No. 23434 dt. ,,
32. ,,	Rallis India Ltd.; Bombay.	Letter No. 23435 dt. ,,
33. ,,	Syrup Thiokef Mfg. Co. (I), Bombay.	Letter No. 23436 dt. ,,
34. ,,	Sims Laboratories, Ahmedabad.	Letter No. 23443 dt. ,,
35. ,,	Sarabhai Chemicals, Jaipur.	Letter No. 23442 dt. ,,
36. ,,	Sigma Laboratories, Bombay.	Letter No. 23438 dt. ,,
37. ,,	Trade Centre Cum Industrial Museum, Jaipur.	Letter No. 23448 dt. ,,
38. ,,	Therachem Laboratories, Bombay.	Letter No. 23444 dt. ,,

1	2	3
39. M/s	Thamis Pharmaceuticals, Bombay.	Letter No. 23446 dt. 26-10-77
40. ,,	Universal Pharmacy,	Letter No. 23446 dt. ,,
41. ,,	Unique Pharmaceutical Labs.; Bombay.	Letter Nn. 23447 dt. ,,
42. ,,	Vaps Laboratories, Bombay.	Letter No. 23452 dt. ,,
43. ,,	Wockdardt Pvt. Ltd.; Bombay.	Letter No. 23449 dt. ,,
44. ,,	Warner Hindustan Ltd.; New Delhi.	Letter No. 23450 dt. ,,
45. ,,	Warden Chemical Works, Jaipur.	Letter No. 23454 dt. ,,
46. ,,	Charak Pharmaceutical; Bombay.	Letter No. 23406 dt. ,,

S. N.	Name of firm	Permission No. & Date	Name of Item	
1	2	3	4	
1.	Kesla Laboratories, Raghu Marg, Alwar.	8564 dt. 11-10-77	Change of name from Tpyphex to Nmycestine and Insimeuron to Preoples.	
2.	M/S Kiwi Pharmaceuticals, Jaipur.	8645 dt. 6-10-77	AMMOL	
			Each tablet contains:—	
			Analgin I. P.	250 mg.
			Paracetemol I. P.	250 mg.
			Chlorpheniramine Maleate I. P.	2 mg.
			Disazepam B. P.	2.5 mg.
			BETOXIL	
			Each tablet contains:—	
			Silambutol Hol. B. P.	200 mg.
	—do—	8386 dt. 6-10-77	EPHEDRINE Tablet I. P.	15 mg.
		8386 dt. 6-10-77	Permitted to manufacture Chlorphiniramine Maleate tablet from U. S. P. to I. P. standard.	

3. M/S Umesh Pharma, Abu Road.	3827 dt. 11-10-77	MAYNESIUM TRIEILICATE COMPOUND NFI Tablet.
4. M/S Archem Laboratories, Jaipur.	10463 dt. 13-12-77	CODREX SYP. **Each 5 ml. contain:—** Chlerphaniramine Malete IPO. 25 mg. Codine phosphate I. P. 2.5 mg. Ephedrine Hol. I.P. 10 mg. Sprit Chloroform I. P. 1% Flavoured spy. base Q. S. Change in formulation. 1. Multivit. Drops. 2. Tetracyline Eye Ointment I. P.
5. M/s Chemiteck Lab.,	8647 11-10-77	1. Capsule Ampicillin I. P. 2. Cap. Tetracycline Phosphate Complex N. F. 3. Antimal Syrup. **Each 5 ml. contain:—** Chloroquine Phos. 63 mg. I. P. Sprit Chloroform I. P 1% Base Q. S. to 5 ml.
—do—	713 dt. 17-1-78	Oxytetracycline B. Vit. Codex Injection.

1	2	3	4
6.	M/s Paras Drugs and Chemical Ind. J. Chittora Renwal.	6646 dt. 11-10-77	1. Pheniramine Maleate 4 mg. 2. Pheniromine Maleate 10 mg. 3. Phenyl Butazone Tab. 100 mg. NFI II Edition.
7.	M/s Nagar Chemical, Alwar.	8099 dt. 7-9-77	1. Calcium Gluconate tab. I. P. 2. Calcium lactate tab. I.P 3. Dirthyigarbamazine citrate tab. I. P. 4. Fruscimide tab. I. P. 5. Reserpine tab. I. P. 6. Otilboestrol tab I. P. 7. Metranidazol Granules. 8. Furazolidone tab. U. S. S. R. P. 9. Chlorpromazine tab I. P. 10. Thiacetozone tab. I. P. 11. Pheniramine melrate I. P. 12. Isniazid & thicetazone tab. I. P. 13. Methyldope I. P. 14. Tolbutamide tab. I. P.
		309 dt. 10-2-78	1. Hexa vitamin Capsules N. F. 2. Tetracycline tab. I. P. 3. Vitamin B Complex tablets Prophylactic N. F. I. 4. Vitamin B Comples with vitamin C and Folic acid tablets. Therapceutic N. F. I 5. Hexa Vitamin tabs. N. F. 6. NACARQUIN CAPSULES: **Fach capsules contains:—** Chloroquine phosphate I. P. 250 mg.

8.	M/s Bero Mac. Pharmaceuticals, Jaipur.	10471 dt. 21-12-77	Tetracycline Eye Ointment I. P.
9.	M/s Simon Pharmaceutical Co., Jaipur.	10238 dt. 13-12-77	S—MUKTA : **Each tablet contains:—** Acetyllalicylic Acid I. P. 200 mg. Phencecitine I. P. 150 mg. Caffeine I. P. 30 mg.
10.	M/s Ones India, Jaipur	9167 dt. 13-12-77	Change of Name :— 1. Onozyme to "Enazyme" 2. "Enazyma to Onozyme" 3. "Canapar to containing piprazine hexahydrate," 500 mg. (As piprazine citra in 5 ml.)
	—do—	58 dt. 9-1-78	ENACHLOR : **Each 5 ml. contains:—** Chloramphentfol (As Chloramphentcol Palmitate BPC) 125 mg. Streptomicin (As streptomycin in Sulphate I. P. 125 mg.) TETRACYCLIN Suspension I. P. **Each 5 ml. contains:—** Tetracyclin Hydrockoride I. P. 125 ml.
11.	Thio Pharma, Falna.	dt. 3-1-78 12-1-78	47 items.

(208)

परिशिष्ट—13

तारांकित प्रश्न संख्या 489 की सूची

LIST OF AUCTIONABLE ARTICLE

Name of Article	Quantity	Year of purchase	Rate(Rs)	Amount (Rs.)	Remarks
1. Hurricane.	6	1962	32.00	18 00	
2. Lock Tiger	2		1.00	2.00	
3. Cattle Forcep.	1		5.00	5.00	
4. Artary Forcep	3		3.00	9.00	
5. Forcep.	1		3.00	3.00	

Sd/-

Chief Medical & Health Officer,

UDAIPUR

परिशिष्ट–14

तारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची

STATEMENT OF THE MEDICINES PURCHASED DURING THE PERIOD 1-4-76 to 8-12-76

S. No.	Name of Office	Total cost of Medicines purchased	Total cost of Medicines on approved rate	Difference
1	2	3	4	5
1.	Supdt. Mobile Surgical Unit, Jaipur.	415.00	351.00	+64.00
2.	Zenana Hospital, Jaipur.	7498.53	6047.48	+1452.05
3.	Principal & Controller A. O. Hosps., Udaipur.	2777.36	2273.70	+503.60
4.	Hospital for Chest & T. B., Jaipur.	9553.69	5973.94	+3559.75
5.	Addl. D. M. H. S. (E. S. I.), Jaipur.	Nil	Nil	Nil
6.	Supdt. Mental Hospital, Jaipur.	22831.82	15863.27	+6968.53
7.	Supdt. A. C. Hospital, Ajmer.	4532.31	3879.17	+953.14
8.	General Hospital, Sawimadhopur.	629.76	261.62	+368.13
8.	K. N. S. T. B. Demonstration Trg. Centre, Ajmer.	Nil	Nil	Nil
10.	Chief Public Anaylist, Jaipur.	Nil	Nil	Nil
11.	Supdt. K. N. S. T. B. Demonstration Training Centre, Ajmer.	Nil	Nil	Nil

1	2	3	4	5
12.	Chief Pub. Analyst, Jaipur.	Nil	Nil	Nil
13.	Govt. Analyst Raj., Jaipur.	Nil	Nil	Nil
.14	C. M. H. O., Jhalawar.	Nil	Nil	Nil
15.	C. M. H. O., Dungarpur.	16380.00	13486.40	+2883.60
16.	C. M. H. O., Jalore.	4294.59	2916.70	+1377.19
17.	C. M. H. O., Sirohi.	400.00	370.00	+30.00
18.	C. M. H. O., Karauli.	530.64	430.00	+100.64
19.	C. M. H. O., Nagaur.	2537.50	2070.30	+517.20
20.	C. M. H. O., Banswara.	3780.35	3588.15	+302.20
21.	C. M. H. O., Jodhpur.	900.50	713.30	+167.20
22.	Principal S. N. Medical College, Jodhpur.	Nil	Nil	Nil
23.	T. B. Clinic, Jalore.	458.00	477.50	(—)19.50
24.	C. M. H. O. Tonk.	4419.80	2949.00	+1470.80
25.	C. M. H. O. Dholpur.	1949.10	1676.10	+272.00
26.	C. M. H. O. Bhilwara.	Nil	Nil	Nil
27.	Dy. C. M. H. O. (F.W.) Swaimadhopur.	1973.40	1969.64	+3.76
	TOTAL.	85681.34	64597.33	21084.01
26.	Dy. C. M. H. O. (Mal.) Kota	Nil	Nil	Nil
27.	Dy. C. M. H. O. (Health) Ajmer	Nil	Nil	Nil
28.	T. B. Clinic, Chittorgarh	Nil	Nil	Nil
29.	T. B. Clinic, Beawar	Nil	Nil	Nil
30.	T. B. Clinic, Kota	Nil	Nil	Nil

31.	Yogic Treatment Centre, Jaipur	Nil	Nil		Nil
32.	T. B. Clinic, Jhunjhunu	Nil	Nil		Nil
33.	T. B. Clinic, Sirohi	Nil	Nil		Nil
34.	T. B. Clinic, Swaimadhopur	Nil	Nil		Nil
35.	Laxoratta & Isolation Hosp., Jaipur	Nil	Nil		Nil
36.	Dy. C. M. H. O. (FW), Ajmer	437.23	390.93	+	38.30
37.	T. B. Clinic, Alwar	Nil	Nil		Nil
38.	C. M. H. O., Beawar	12625.60	10210.19	+	2415.41
39.	C. M. H. O., Ganganagar	1175.00	941.63	+	234.32
40.	Dy. C. M. H. O. (FW), Tonk	175.28	188.069	+	15.50
41.	Dy. C. M. H. O., Jalore	4083.20	2580.37	+	1423.83
42.	Dy. C. M. H. O., Kota	83977.00	62612.50	+	21265.50
43.	Dy. C. M. H. O. (Health), Kota	1247.60	1024.60	+	223.00
44.	C. M. H. O., Jhunjhunu	1873.35	1495.75	+	382.69
45.	Dy. C. M. H. O. (FW, Jodhpur	853.95	825.35	+	33.60
46.	Dy. C. M. H. O. (FW, Udaipur	2926.75	2646.00	+	291.73
47.	C. M. H. O., Udaipur	2958.00	2383.75	+	574.25
48.	Dy. C. M. H. O. (FW), Ganganagar	12159.64	76639.16	+	411922.46
49.	C. M. H. O., Sikar	18327.94	16406.38	+	1921.56
50.	C. M. H. O., Bharatpur	25930.50	25375.15	+	555.35
51.	C. M. H. O., Alwar	119038.30	94288.60	+	34749.70
52.	Dy. C. M. H. O. (FW), Banswara	12466.17	9727.31	+	3737.66
53.	C. M. H. O., Kota	38962.50	39472.25	+	3400.25
54.	C. M. H. O., Ratangarh	Nil	Nil		Nil
55.	Principal, R. F. P. T. C., Ajmer	Nil	Nil		Nil
56.	Dy. C. M. H. O. (FW), Nagaur	4921.50	3382.79	+	668.71
57.	T. B. Clinic, Nagaur	Nil	Nil		Nil
58.	T. B. Clinic, Pali	Nil	Nil		Nil

1	2	3	4	5
59.	Chemical Examiner, Jaipur	Nil	Nil	Nil
60.	Dy. C. M. H. O. FW), Chittorgarh	6886.60	6406.70	+ 472.80
61.	Supdt. A. G. of Hospitals, Bikaner	9116.22	7715.43	+ 1403.80
62.	Dy. C. M. H. O. (Health), Barmer	Nil	Nill	Nill
63.	Dy. C. M. H. O. (Malaria), Barmer	Nil	Nil	Nil
64.	T. B. Clinic, Barmer	Nil	Nil	Nil
65.	C. M. H. O., Barmer	6194.41	4741.38	+ 1293.03
66.	Dy. C. M. H. O. (FW), Barmer	26023.67	26943.32	+ 135.35
67.	Dy. C. M. H. O. (FW), Bikaner	427.90	334.20	(-) 93.70
68.	Dy. C. M. H. O. (FW), Jaipur	Nil	Nil	Nil
69.	C. M. H. O., Bikaner	9982.40	7122.29	+ 2850.20
70.	A. G. H. S. (Mal.), Bikaner	Nil	Nil	Nil
71.	T. B. Clinic, Bikaner	Nil	Nil	Nil
72.	Dy. C. M. H. O. (FW), Sirohi	6608.84	6036.77	+ 566.07
73.	T. B. Clinic, Bundi	Nil	Nil	Nil
74.	Dy. C. M. H. O. (FW), Pali	Nil	Nil	Nil
75.	Supdt. A. Hospitals, Jodhpur	29208.24	29189.08	(-) 19.16
76.	C. M. H. O., Pali	5521.32	3387.32	( ) 8134.00
77.	Dy. C. M. H. O. (FW, Pali	17140.77	15313.30	+ 1827.57
78.	Dy. C. M. H. O. (FW) Jhalawar,	2803.25	2845.49	(-) 47.76
	Grand Total:	659321.52	518344.90	140976.62